छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा

अष्टम् सत्र

गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2026

(फाल्गुन 28, शक सम्वत् 1947)

[अंक 14]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2026

(फाल्गुन 28, शक संवत 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.01 बजे समवेत् हुई.

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुये}

हिन्दू नव-वर्ष की शुभकामनायें

सभापति महोदय :- आज हिन्दू नव-वर्ष का प्रथम दिन है, चैत्र नवरात्रि भी आज से प्रारंभ हो रही है तथा आज गुड़ी पड़वा पर्व भी है। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों के साथ-साथ आप सभी को हिन्दू नव-वर्ष चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पाड़वा पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ तथा खुशहाली की कामना करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, मैं अपने पक्ष की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई देता हूँ, हिन्दू नव-वर्ष की बधाई देता हूँ, गुड़ी पाड़वा की बधाई देता हूँ । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लोक सभा में आज पहला सत्र चलाया जा रहा था, मगर कल ही शाम को उनको याद आया कि आज हिन्दू नव-वर्ष है और हम लोग शायद हिन्दू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं । आज यह सोचकर लोक सभा में छुट्टी दे दी गई । हम लोग यहां नहीं समझ पाये, इसका मुझे दुख है और मैं इस दुख को आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ ।

उप मुख्यमंत्री (श्री अरूण साव) :- सभापति महोदय, आज चैत्र नवरात्रि है, गुड़ी पाड़वा है, चैट्रीचण्ड है, हिन्दू नव-वर्ष है, मैं सभी प्रदेशवासियों को और सदन के साथियों को और आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें देता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

जन्मदिन की बधाई

श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

सभापति महोदय :- माननीय श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य का आज जन्म दिन है । मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से उन्हें जन्म दिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ । (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एवं सशस्त्र बल के पदक प्राप्तकर्ता को देय सम्मान राशि

[गृह]

1. (*क्र. 2056) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एवं सशस्त्र बल के जवानों और अधिकारियों एवं छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत देश के विभिन्न राज्य बलों व सेना में कार्यरत जवानों व अधिकारियों को वीरता कार्य पर मिलने वाले पुलिस वीरता पदक सहित वीरता के सभी पदकों के प्राप्तकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार से किसी प्रकार की कोई सम्मान राशि दी जाती है? (ख) वर्ष 2024 से 26 जनवरी, 2026 तक कितने और कौन-कौन से वीरता पदक किस प्रकरण पर अधिकारियों और जवानों को वीरता पदक प्राप्त हुए ? पदवार व नाम सहित जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को राष्ट्रपति वीरता पदक एवं वीरता पदक प्राप्त होने पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक भत्ता प्रदाय किया जाता है तथा राज्य पुलिस बल कार्मिकों को छत्तीसगढ़ शौर्य पदक प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मौद्रिक भत्ता प्रदाय किया जाता है। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी जो विभिन्न राज्य बलों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों एवं सेना में सेवारत् हैं तथा छत्तीसगढ़ के आम नागरिक/पुलिस बल कार्मिक जिन्हें वीरतापूर्ण कार्य के लिए शौर्य/युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला अन्तर्गत प्राप्त चक्र/मेडल प्राप्त होने पर दिये जाने वाले अनुदान राशि/भूमि के एवज में नगद राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि की प्रकरणवार, पदवार एवं नाम सहित जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- धन्यवाद सभापति महोदय । आज का मेरा प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उन बहादुर जवानों के विषय में है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने का काम किया है, अत: मैं उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वीरता पदक किन कारणों से प्राप्त होता है और इस अदम्य साहस के दौरान उनकी जान भी जा सकती थी ? सभापति महोदय, इसी में तीसरा बतायेंगे कि वीरता घोषित करने की अथॉरिटी किनको है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और उन्होंने स्वयं भी वीरता का पदक पाया है । (मेजों की थपथपाहट) यह हम सब के लिये और पूरे

---

[1] परिशिष्ट "एक"

सदन के लिये बड़े हर्ष का और बड़े ही उत्साह का विषय है, उनके द्वारा यह प्रश्न लाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय सदस्य ने बात ही प्रारंभ की है कि छत्तीसगढ़ के जवान, उनकी वीरता के संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से समूचे सदन का कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ही वह देश का प्रदेश है जिसने 24 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड जो सशस्त्र बलों के पूरी ही संरचना में सबसे बड़ा अवार्ड किसी बल के लिये होता है, वह छत्तीसगढ़ पुलिस बल को मिला हुआ है । यह सिर्फ 24 साल में हुआ है । छत्तीसगढ़ के निर्माण के ऊपरान्त 2024 में राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड छत्तीसगढ़ के पुलिस को मिला है । राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड मिलना किसी भी बल के लिये बड़े ही गौरव का विषय होता है और इससे बड़ा सम्मान किसी बल के लिये होता भी नहीं है । यह जो विषय माननीय सदस्य ने कहा है, इसमें उन्होंने विभिन्न पुरूस्कारों के संदर्भ में विषय रखा है । जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं यह सब बताऊँ तो एक बार बता देता हूँ कि भारतीय सेना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यह तीन ईनाम भारतीय सेना के...।

सभापति महोदय :- परिशिष्ट में दिया हुआ है । सभी सदस्य पढ़ लेंगे । सभी पढ़ लेंगे ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया, क्योंकि परिशिष्ट में जो दिया हुआ है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाने वाले वीरता के क्षेत्र में दो पदक का उल्लेख नहीं है, जिसमें PPMG (President's Police Medal for Gallantry) और PMG (Police Medal for Gallantry) ये जिक्र नहीं होने के कारण क्या छत्तीसगढ़ शासन इसको वीरता पदक के रूप में सम्मान नहीं देती है? या फिर इसका और कारण हो सकता है, ये मंत्री जी बताएंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के अनुरूप उत्तर बनाया गया है। प्रश्न यह था कि किसमें छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा सम्मान की राशि दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति वीरता पदक, PPMG या PMG पुलिस वीरता पदक जो हम कह रहे हैं। इन दोनों ही विषयों के लिए जैसे राष्ट्रपति का वीरता पदक जिस जवान को मिलता है, जिस अधिकारी-कर्मचारी को मिलता है, उनको प्रतिमाह उनके तनख्वाह में 6,000 रूपये आजीवन छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसे ही वीरता पदक किसी जवान अथवा अधिकारी को मिलता है, उनको 2,000 रूपये प्रतिमाह उनके वेतन में जोड़कर जीवन भर दिया जाता है और ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें माननीय सदस्य ने जो विशेष रूप से उल्लेख किया है, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा विषय इस प्रश्न के माध्यम से लाया है, उन्होंने ये कहा कि क्या सम्मान राशि दी जाती है ? वर्तमान में इन दोनों ही विषयों के साथ एक छत्तीसगढ़ शौर्य पदक भी है, उसके लिए भी 1,500 रूपये की राशि उनके तनख्वाह में जोड़कर प्रतिमाह जीवन भर दिया जाता है। हम आपके प्रश्न के अनुरूप अगर कहें तो सम्मान राशि कोई दी जाती है क्या ऐसा आपने पूछा है। इन तीनों ही विषयों के लिए अभी एकमुश्त कोई राशि नहीं दी जाती है। परंतु आज माननीय सदस्य रामकुमार जी के प्रश्न के उपरांत मैं बिल्कुल ये

सोचता हूं कि बहुत अच्छा ध्यानाकर्षित इस प्रश्न के माध्यम से किया गया है। इस पर जरूर चिंता करके और सरकार से भी बात करके कार्यवाही करेंगे, भविष्य में इस पर भी सम्मान राशि निश्चित की जाएगी।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, धन्यवाद। इस सूची में इसमें दो पदक जो छूटे हुए हैं, क्या इनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे ? मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं, इसमें केवल सम्मान राशि/भूमि का जिक्र है । आप एक बार बता देंगे कि आपने परमवीर चक्र से लेकर जो सेना मेडल तक का जिक्र किया है, इसमें कितनी-कितनी भूमि संबंधित पदक प्राप्तकर्ताओं को दिया जाना है ? एक बार जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वैसे मैं एक बार ध्यान दिला देता हूं। परमवीर चक्र के लिए राज्य सरकार द्वारा 20,000 रूपये प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है। ऐसे ही महावीर चक्र के लिए 10,000 रूपये प्रतिमाह जीवन भर के लिए तनख्वाह में जोड़कर दिया जाता है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- मंत्री जी, एक मिनट। ये 20 लाख है या 20 हजार है? राशि तो लिखा हुआ है, लेकिन जमीन/दिया हुआ है। क्या कोई भूमि निर्धारित है कि सभी पदकों पर इतना एकड़ दिया जाना है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ये जो 20 हजार मैं आपसे कह रहा हूं, ये 20 हजार रुपया तनख्वाह के साथ जीवन भर के लिए है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, इसमें एकमुश्त 20 लाख दिया हुआ है।

श्री विजय शर्मा :- हां, दोनों ही बात है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सम्मान राशि पर है। सम्मान की राशि जो एक बार दी जाती है, वह 20 लाख रूपये है। वह नियोक्ता देते हैं, जहां के एम्प्लाई हैं, वह देते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर क्या करती है? मान लीजिए छत्तीसगढ़ से कोई परमवीर चक्र प्राप्त करता है तो 20 लाख जो उनको मिलेगा, उनकी संस्था देगी, मान लीजिए सेना है तो सेना ही देगी। छत्तीसगढ़ की सरकार 20,000 रूपये प्रतिमाह उनके जीवन भर के लिए देती है।

सभापति महोदय :- वे जमीन की बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि चाहे वह किसी भी राज्य में ड्यूटी करते हों, चाहे सेना के जवान हों या अर्धसैनिक के जवान हों या हमारे राज्य में ड्यूटी पर हैं, वे लोग हमारे राज्य के स्थायी निवासी हैं। क्या छत्तीसगढ़ सरकार हमारी तरफ से उनको प्रोत्साहित करने के लिए या नई पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन बने, उसके लिए हमारी सरकार क्या दे रही है,

ये मैं जानना चाह रहा हूं। जबकि हर एक मेडलों पर केंद्र सरकार द्वारा जैसे कि तनख्वाह के साथ जो राशि दी जाती है, वह तो मिलता ही है।

सभापति महोदय :- आप बैठ जाईए, बता रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रश्न है, वह सम्मान राशि का है, सम्मान राशि का अर्थ हम लोगों ने यह निकाला शायद माननीय सदस्य का भाव भी ऐसा ही है। एकमुश्त राशि जो दी जाती है। अभी मैं एक बार थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। जैसे परमवीर चक्र है तो 20 लाख रूपये की सम्मान राशि एकमुश्त दी जाती है और यह सेना के द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के किसी जवान को अगर परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो इस 20 लाख रूपये के अतिरिक्त 20,000 रूपये प्रति माह जीवन भर के लिए उनके तनख्वाह के साथ जोड़कर दिया जाता है और यह छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है तो यह भारतीय सेना के लोगों को, केंद्रीय सशस्त्र बल के लोगों को, हमारे पुलिस बल के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों को, आम नागरिकों को यह चक्र दिए जाते हैं और इन चक्रों के लिए भी स्पष्टता है कि मान लीजिए अशोक चक्र है तो इसमें भी एकमुश्त 20 लाख रूपये दी जाती है और यह उनके नियोक्ता देंगे, जहां पर वह काम करते हैं, वह देंगे और 12,000 रूपये प्रतिमाह छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया हुआ है।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, लेकिन इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह वीरतापूर्ण कार्य हेतु पदक प्राप्तकर्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाने वाली राशि है। जैसे मंत्री जी बता रहे हैं कि उनको 12 लाख रूपये कौन देता है, जहां वह ड्यूटी करते हैं, वह देता है। लेकिन इसमें तो आपने यह लिखा है कि 20 लाख रूपये सम्मान राशि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन देता है। वह इस राज्य का निवासी है और उसने वीरता का काम किया, इसलिए हमने उनको सम्मान दिया। यह थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है या जहां पर वह ड्यूटी कर रहे हैं, वह दे रहा है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी का जवाब आया है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कहना उचित है। यह ठीक उल्टा है। मैंने कहा कि 20 लाख रूपये की राशि राज्य की सरकार देती है और जो नियोक्ता है, वह मासिक मौद्रिक लाभ देते हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवासी तीनों सेनाओं, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बल और पुलिस सशस्त्र बल में हैं तो इसमें जो भी वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करने वाले जैसे P.M.G., P.P.M.G., वीरता के क्षेत्र में सेना पदक, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे सम्मान जिनको प्राप्त हुये हैं या

भविष्य में प्राप्ति होंगे, उनके लिए भूमि संबंधी आजीविका के लिए सह राशि, राज्य में विभिन्न भर्तियों में प्राथमिकता, बिजली बिल में छूट, राज्य में बस सेवा, चाहे वह प्राइवेट सेवा हो या निजी सेवा हो, उसके किराये में छूट, स्वास्थ्य सेवा में, बच्चों की पढ़ाई हेतु विशेष प्रावधान और जीवन में एक बार खुद की जमीन खरीदी या घर खरीदी पर ब्याज दरों में विशेष छूट जैसे प्रावधान क्या भविष्य में मंत्री जी लेकर आएंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा विषय कहा है। वैसे भी इनको रेलवे का पास, आयकर में छूट, टेलीफोन पर छूट आदि-आदि सुविधाएं दी जाती हैं। उसके उपरांत भी, समय बहुत बदल गया है और इस बदले हुए समय में इसमें नये प्रावधान भी होने चाहिए। जिन तीन विषयों पर प्रावधान नहीं है, जैसे P.P.M.G., P.M.G. और छत्तीसगढ़ शौर्य पदक है तो उस पर भी सम्मान राशि का प्रावधान होना चाहिए। चूंकि माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और वीरता पदक प्राप्त हैं तो मैं उनके साथ बैठकर उसका निर्णय राज्य सरकार के बीच में ले लूंगा।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, प्रपत्र-ब परिशिष्ट में आपने जो वीरता पदक प्राप्त का उल्लेख किया है, इसमें क्रम संख्या 16 में शहीद आरक्षक 717 का जिक्र हुआ है तो क्या यह सरकारी गजट के अनुसार संबोधित किया गया है या फिर ऐसे ही किया गया है? अगर गजट के आधार पर संबोधित किया गया है तो क्या शहीद को मिलने वाली तमाम सुविधाएं या दर्जे उसके परिवार को प्राप्त हो रहे हैं?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, आप क्रम संख्याय 16 में शहीद आरक्षक 717 जगतराम कंवर, S.T.F. का जो कह रहे हैं, इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा।

श्री रामकुमार टोप्पो :- धन्यवाद, सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- श्री जनक ध्रुव।

<u>जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि आदि का भुगतान</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 2025) श्री जनक ध्रुव : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि रुपये 139.80 करोड़ प्रदान की गई थी? (ख) क्या उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त राशि का व्यय किन-किन मदों से

किसकी अनुमति से किया गया है? (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी राशि आदि का कितना भुगतान ठेकेदारों को किया जाना शेष है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अनुरक्षण मद से जी.एस.टी., अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, ई.एम.डी. एवं अनुरक्षण के कार्यों के भुगतान के लिए वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि 139.80 करोड़ प्रदान की गई। (ख) जी हां, अनुरक्षण मद में से जी.एस.टी. एवं अतिरिक्त परफॉरमेंस सिक्योरिटी के लिये राशि रू. 21.29 करोड़ (इक्कीस करोड़ उन्तीस लाख) दी गई है। इसके अलावा अनुरक्षण मद के नियम अनुसार दिए गए राशि से नियमित संधारण (Under Five Year) के लिये रू. 36.18 करोड़, नियमित संधारण (Post Five Year) के लिये रू. 27.62 करोड़ तथा पूर्व के संधारण (अनुरक्षण मद) कार्यों के लिए रू. 54.25 करोड़ की राशि दी गई। शेष प्रश्न उद्द्भूत नहीं होता। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत संधारण हेतु जी.एस.टी. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रायल्टी आदि में भुगतान हेतु दिनांक 01.03.2026 की स्थिति में वर्ष 2023-24 के पूर्व वर्षों की राशि रू. 181.90 करोड़ (एक सौ इक्यासी करोड़ नब्बे लाख) के दायित्वों का भुगतान किया जाना शेष है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से सवाल है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ठेकेदार लोगों का जो पैसा है, जिसमें G.S.T. परफॉरमेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉरमेंस गारंटी, रॉयल्टी राशि आदि के भुगतान हेतु वर्ष 2024-25 और 2025-26 में राशि रूपये 139.80 करोड़ प्रदान की गई थी। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि राशि प्रदान की गई है। मैंने अपने प्रश्न-ख में जवाब चाहा है कि यदि प्रदान की गयी है तो किन-किन मदों से किसकी अनुमति से की गयी है? इसमें जवाब आया है कि जी हां, उक्त राशि का व्यय छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति के अनुसार जी.एस.टी. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, सुरक्षा निधि, परफॉर्मेंस गारंटी, रॉयल्टी एवं अनुरक्षण मद के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जबकि मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी है। मेरे पास अभी-अभी दो मिनट पहले जानकारी आयी है। मैंने पिछले मानसून सत्र में इसी विभाग से संबंधित जानकारी चाही थी लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी ने सदन को और माननीय मंत्री जी को गुमराह करने का काम किया था। जबकि मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी थी। आज फिर से इसी विभाग से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर ...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, मैं वही चाह रहा हूं कि किन-किन ठेकेदारों को यह राशि वितरित की गयी है और कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गयी है ?

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री जनक ध्रुव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे बड़ा अच्छा प्रश्न लेकर आये हैं। यह प्रश्न विभागों के लिए बड़ा संशय और बड़ी परेशानी का भी रहा है। मैं विशेष रूप से आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि विगत सरकार में 228 करोड़ रूपये, जो जी.एस.टी. का पैसा था, जो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का पैसा था। सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि इस विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं यह कह सकता हूं कि किसको कितनी राशि मिली, वह अलग मामला है। लेकिन विषय को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, सिक्योरिटी आदि-आदि विषयों को लेकर अनुरक्षण मद में राशि मिलती है। इसमें जो राशि मिलती है, वह दो बातों के लिए मिलती है। वह इन मदों के लिए भी मिलती है और साथ ही साथ उसमें नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और मेंटेनेंस के काम भी होते हैं। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह यह है कि क्या वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 139 करोड़ रूपये मिले हैं। सभापति महोदय, इस मद में मिले हैं, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे, उसके लिए नहीं मिला है। वह कौन-सी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सदन के समक्ष वह विषय भी जरूर आ जाना चाहिए। मैं उसमें आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि बजट नहीं था, बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी वर्ष 2023 में एक टेण्डर लगा दिया गया और वह काम शुरू हो गया। ऐसे ही बजट में प्रावधान नहीं था, वित्त विभाग की अनुमति नहीं थी, फिर भी जुलाई 2023 में एक और टेण्डर लगा दिया गया और उस टेण्डर का भी काम शुरू हो गया। इसमें एस.डी.पी.जी, ए.पी.एस. रॉयल्टी (एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी) और परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, रॉयल्टी, जी.एस.टी. इन सारी चीजों के भुगतान की राशि जो 228 करोड़ रूपये थी, इन सारी ही राशि के माध्यम से भुगतान कर दिया गया। यह बजट का पैसा नहीं है, यह ठेकेदारों का पैसा था, जो विभाग के पास था और सन् 2022-23 और 2023-24 में इसके माध्यम से भुगतान कर दिया गया इसलिए ठेकेदारों को वह पैसा नहीं मिला। फिर नई सरकार बनी और विष्णु देव जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इस बात की कोशिश की कि विभाग के पास इन ठेकेदारों का पैसा नहीं रूकना चाहिए। उनका काम हो गया तो उनके पैसे वापस मिल जाने चाहिए। हमने वित्त विभाग से आग्रह किया कि हमको इस मद में अनुमति दी जाये कि हम यह राशि वापस कर सके। हमने वित्त विभाग को पत्र लिखा। चूंकि मद एक ही होता है इसलिए हमने इस पत्र के माध्यम से सारे ही कामों के लिए अनुमति मांगी। हमको कुछ अनुमति मिली और उसके बाद कुछ काम उसमें कराये गये, जिसकी डिटेल्स भी मेरे पास उपलब्ध है। कुछ काम कराये गये जो संधारण के काम थे। कुछ लोगों को उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि के पैसे भी वापस किये गये। जो सबसे पुराने मामले थे, उनके पैसे वापस किये गये। यदि माननीय सदस्य उनका नाम जानना

चाहेंगे तो वह मेरे पास है, मैं पढ़ दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास पूरी सूची है, यदि वह कहेंगे तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

सभापति महोदय :- जनक जी, आप प्रश्न कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं, उसमें पूछ लीजिए।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब-जब भी मेरा प्रश्न लगता है तो उसके जवाब में आता है कि उद्भूत नहीं होता और अभी-अभी दो मिनट पहले मुझे यह जानकारी मिली है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस प्रकार का जवाब देने से सावधानी बरते। वे सदन को और विभागीय मंत्री को गलत जानकारी न दें। माननीय सभापति महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है। वर्ष 2023-24 के पहले की स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि 181.90 करोड़ रुपये है, क्या संबंधित ठेकेदार को इन राशियों को देने के लिये कोई राशि का प्रावधान इस बजट में रखा गया है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही इस विषय पर स्पष्ट किया है कि अनुरक्षण अनुदान मद है, उस मद के अंतर्गत नवीनीकरण, पेच रिपेयरिंग और 05 साल का संधारण ये तीनों ही दिया जाता था। यह नई सरकार बनने के बाद ये किया गया है कि अनुरक्षण अनुदान मद को अलग किया गया है और सुदृढ़ीकरण के मद को अलग किया गया है। वित्त विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया है कि दोनो ही मद अलग कर दिये। क्योंकि यह जो घटना पिछली बार हुई थी, 228 करोड़ रुपये उस मद से जारी कर दिये थे, ये न हो, इसलिए अब ये दोनों मद अलग-अलग हैं। इन मदों में प्रावधान है। हम वित्त से अनुमित ले करके इनके आगे भुगतान करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उक्त राशि में जो निविदा आमंत्रित की गई, कार्य कराया गया, किस नीति के तहत कराया गया ? क्या उस राशि पर ये निर्माण कार्य कराये जा सकते थे ? मेरा यह पहला प्रश्न है।

सभापति महोदय :- एक बार में ही दोनों प्रश्न पूछ लीजिए न। इस अनियमितता के लिये क्या उसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसी में आ रहा हूं। वित्त विभाग ने जब आपको राशि रिलीज की है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। माननीय मंत्री जी मामला बहुत गंभीर है। 50 करोड़ रुपये से ऊपर की सी.बी.आई. जांच होती है। वित्त विभाग के जानकारी के बाद आपके विभाग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकार को सी.बी.आई. जांच का बड़ा लंबा अनुभव है। उस अनुभव का उपयोग इसी में कीजिए। मैं चाहता हूं कि सी.बी.आई. जांच की घोषणा कीजिए। क्योंकि आपके विभाग से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी ही सरकार में वित्त विभाग ने जानकारी मांगी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापित महोदय, बड़ी जल्दी सी.बी.आई. पर भरोसा हो गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यह मामला 200 करोड़ रुपये का है। माननीय मंत्री जी, इसमें जरूर सी.बी.आई. जांच की घोषणा कीजिए।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश यादव जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह मामला फरवरी 2023, जुलाई 2023 का है। उसके उपरांत भी अभी नई सरकार बनने के बाद इसमें विभागीय जांच तो होगी ही होगी। निश्चित रूप से सजा भी होगी। माननीय सदस्य अगर ये कहते हैं कि उनको केन्द्रीय एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है, आपको कह दें तो कुछ आगे भी सोचा जाये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय एजेंसी निष्पक्ष जांच करेगी तो बिल्कुल भरोसा है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, सारी ही एजेंसियों पर विश्वास है, अगर ऐसा माननीय सदस्य कह दें तो बात करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिये आप भरोसे की बात बोले हैं तो निष्पक्ष जांच हो, मैं भरोसा दिला दिया। आप सी.बी.आई. जांच की घोषणा कर दीजिए।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह मामला गंभीर है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया कि जांच होगी और जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई होगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, किस स्तर के अधिकारी जांच करेंगे ? क्या सदन के विधायक दल से जांच करायेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रारंभिक विभागीय जांच संस्थित करना आवश्यक है। उसकी भी प्रशासकीय अनुमति 16 जनवरी को हो चुकी है। उसके लिये विशेष सचिव स्तर के अधिकारी से प्रारंभिक जांच करवायेंगे और उसमें जो निकलकर आयेगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, कब तक जांच हो जायेगी ?

श्री विजय शर्मा :- एक बार विभागीय जांच संस्थित हो जाने दीजिए। मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। आप एकदम मत सोचिये। इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी जांच का समय निर्धारण करेंगे ?

श्री विजय शर्मा :- मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इसमें ये विषय बहुत बाद में ध्यान में आया। और जब ये विषय ध्यान में आया और वित्त विभाग ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता था। हमारे हिसाब से तो वह 228 करोड़ रुपये दे दिये थे। लेकिन ध्यान ये आया कि ये तो सरकार का पैसा ही नहीं था जिसको सरकार के काम में उपयोग कर दिया गया, तब समझ में आया कि अपराध हुआ है। ये उस समय के अधिकारियों को, मंत्रियों को पता नहीं था। जब ये स्पष्ट हुआ। इसीलिए इस पर मैं विभागीय जांच की बात कर रहा हूं। इसकी विभागीय जांच करवाकर के प्रतिवेदन आने दीजिए। उसको भी स्पष्ट रखेंगे और जैसा प्रतिवेदन आयेगा, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।

<u>आयुष्मान कार्ड के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में अनियमितता पर कृत कार्यवाही</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. (*क्र. 2638) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बालोद अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुन्दा में वर्ष 2025-26 में आयुष्मान कार्ड से ईलाज के तहत अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में क्या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो उक्त अनियमितता में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? पद नाम सहित जानकारी देवें ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जी हाँ। उक्त शिकायत के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा जांच करने के उपरांत दिये गये अभिमत के अनुसार उक्त अनियमितता में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के गबन के मामले के संबंध में माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उस अस्पताल में सी.एच.सी. अर्जुन्दा में उस समय कार्यरत जो 2 कम्प्यूटर ऑपरेटर थे, प्रवीण कुमार और जितेन्द्र कुमार इन्होंने स्वयं आवेदन के माध्यम से स्वीकार किया है कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा दबाव डालकर यह कृत्य करवाया गया है तभी हमने यह राशि उनके खाते में डाली है और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई और उसके खिलाफ वहां के अस्पताल के पूरे कर्मचारियों ने...।

सभापति महोदय :- प्रश्न करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी । माननीय सभापति महोदय, थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. करने का भी निवेदन किया और सारे अधिकारी-कर्मचारियों की यहां पर आवेदन की पूरी कॉपी है, आप चाहें तो मैं पटल पर रख दूंगा । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने यह कृत्य किया है और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉ. सोनी जिसके संरक्षण में यह काम हुआ है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सी.एच.सी. अर्जुन्दा में आयुष्मान पर अनियमितता की इन्होंने शिकायत की थी और माननीय विधायक जी ने खुद ही शिकायत की थी और इनकी शिकायत पर विभाग ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करायी और जांच कराने पर यह पाया गया, उसमें जून तक जो है आयुष्मान की एंट्री टी.पी.ए. करती थी और जून के बाद खत्म करने के बाद नये टी.पी.ए. की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दिये और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने का नहीं है मतलब कोई मरीज आया नहीं कि उसकी एंट्री कर दिये । वह जो इंसेंटिव राशि है, वह दूसरे कर्मचारियों के नाम पर उसमें एंट्री हो गया तो उस पर जब जांच की गयी तो यह पता चला कि वह 4 लोग इसमें थे, 2 पुराने टी.पी.ए. जिन्होंने एंट्री की और 2 नये तो नये लोगों ने कहा कि हमारी आई.डी. चोरी करके इन्होंने एंट्री की और जब उनसे पूछा गया, पुराने वालों से तो वह बोले कि इन्होंने हमसे मदद मांगी कि हमको अभी आईडिया नहीं है, नये-नये हैं इसलिये मदद कीजिये तो उस पर जांच हुई । जांच के बाद वैसे ही हमारे जो आयुष्मान के इंसेंटिव हो या राशि हो, तत्काल पैसा खाते में नहीं जाता है । उस प्रकरण को पहले हॉस्पिटल से सी.एच.सी. या पी.एच.सी. से डिस्ट्रिक में करते हैं । वह जिला से फिर प्रदेश में जाता है और उसके अलावा हमारे मल्टी लेवल ट्रेकर्स लगे रहते हैं तो उस केस को ही फिर से निरस्त कर दिया गया और किसी प्रकार की उसमें आर्थिक अनियमितता नहीं हुई और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभाष था और किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पायी इसलिये जांच टीम ने यह अभिमत दिया कि वहां के जो प्रभारी अधिकारी हैं, उनको एक-बार हम लोगों ने नोटिस भी दिया और यह भी किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो, इसका ध्यान रखें । किसी का आई.डी. पुराने-नये में भावनाओं में न दें, जिसका आई.डी. है वह काम करे, जिस लेवल का है और किसी डॉक्टर ने जानबूझकर कहीं नहीं कराया ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि वह थाने में एफ.आई.आर. करने गये थे । वहां के पूरे स्टॉफ के कर्मचारी कि उनके आई.डी. पासवर्ड को चोरी करके और सीधा-सीधा उनके खाते में पैसा डाला जा रहा है और पैसा ट्रांजेक्शन हो भी गया था उसके बाद जानकारी, जब इन्होंने एफ.आई.आर. किया तब उसके खाते से पैसा फिर जिले में आया और वहां होल्ड करके रख दिया

गया, मैं माननीय मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहूंगा और इसके साथ ही उसने स्पष्ट लिखा है । वह दोनों आवेदक जो ऑपरेटर थे कि डॉक्टर बोरकर के कहने पर हमने यह कृत्य किया है और हमने जो कृत्य किया है इसके लिये हम माफी मांगते हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कहा है तो यह छोटा-मोटा मामला नहीं है । लगभग 60 से 70 लाख करोड़ रूपये के ट्रांजेक्शन का मामला है, यह तो अब पकड़ में आ गया तो समझ में आ गया । यह कब से चल रहा था ? तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जांच समिति बनायी है, मुझे जानकारी नहीं है कि उसकी कब-कब जांच हुई ? एक-बार विधायक के साथ, जांच समिति बनाकर, मुझे भी उस संबंध में जानकारी प्रेषित करेंगे या मुझे भी उस कमेटी में शामिल करेंगे क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने कहा कि उसमें पैसा इंट्री हो गया था। मैं फिर रिपिट कर रहा हूँ कि जिला तक जाने से नहीं होता है, वह प्रदेश में जाएगा, जब पुष्ट हो जाएगा तब वह पैसा जाता है। किसी प्रकार से खाते में पैसा नहीं गया था, वह जरूर है कि उसमें गलत इंट्री हो गयी थी, उसको कैंसल किया गया और माननीय विधायक जी ने जैसे ही शिकायत की, हमने दूसरे दिन ही हमारे विभाग ने टीम बना दी और इसमें समय-सीमा में जांच भी की। माननीय सदस्य जिनके नाम ले रहे हैं, जो दो नाम पुराने वाले हैं। उनका इसमें लिखित में बयान है या तो मैं इनको दे भी दूंगा और अगर आप कहेंगे तो इसे पढ़ देता हूँ। जिसका नाम जितेन्द्र कुमार बारले, जो वहां पुराना...।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उनकी कॉपी है...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसने कहा कि वह जो नये डाटा इंट्री ऑपरेटर हैं उन्होंने मदद मांगी तब उसने मदद की । उसने यह नहीं कहा है कि कोई गलत तरीके से कोई डॉक्टर ने ...।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास गलत जानकारी है तो मैं आपको स्पष्ट जानकारी दे दूंगा और इसमें वाट्सअप के माध्यम से...?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों की टीम की जो रिपोर्ट है हम उसी को मानेंगे। आपकी जानकारी को तो सदन में माना नहीं जा सकता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह पटल पर रख दूंगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो बोल रहा हूँ पूरे रिपोर्ट के आधार पर वह अधिकृत जानकारी है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसे पटल पर रख दूंगा, यह पूरी शिकायत है और यह शिकायत का पुलिंदा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर माननीय सभापति महोदय जी आपको अनुमति दें तो आपके पास अधिकृत दस्तावेज हों तो नियम प्रक्रियाओं के तहत आप पटल पर रख दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल यह पटल पर रख दूंगा।?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो जांच रिपोर्ट है। यह मेरे विभाग की रिपोर्ट है और आपकी शिकायत पर हमने समय-सीमा में जांच की और किसी प्रकार का पैसा नहीं डाला गया, यह जरूर है कि चेतावनी दी गई कि गलत इंट्री, मानवीय त्रुटि हो जाती है। वह चारों डाटा इंट्री ऑपरेटर लोकल हैं और उनके विरोधाभाष थे यह हो सकता है कि उन्होंने मदद मांगी हो और उनसे गलत इंट्री हो गयी हो, लेकिन उसमें भुगतान नहीं हुआ है इसलिए इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इसमें एफ.आई.आर. करवाते। इसमें संबंधित संस्था के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में गोपनियता का ध्यान रखा जाये और ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, इस ट्रांजेक्शन के बाद उस प्रवीण कुमार ने संबंधित जो वहां के कर्मचारी हैं उनको वाट्सअप किया है कि आपके खाते में इंसेंटिव आ गया है, उसमें से मुझे कुछ राशि दे देंगे। उन्होंने यह स्पष्ट उल्लेखित किया है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह आर्थिक अनियमितता का मामला है क्या आप उसके खिलाफ कमेटी बनाकर जांच करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल रहूं। यदि आप अपने जांच से संतुष्ट हैं तो मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। एक बार मैं यह चाहता हूँ कि इसमें एक बार फिर उसकी तह तक जांच होनी चाहिए और दूसरा, इसी में एक और मामला है सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी का आया था जिसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी जब बालोद बैठक में गये थे तो मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी में 60 से 70 लाख गबन का मामला आया था, जिसमें वहां के ऑपरेटर हिरेन्द्र कुमार साहू, जिन्होंने डॉक्टर नागेन्द्र रावटे, अरूण पाण्डे, अर्पण शांडिल्य, उत्तम साहू और गुलशन कुमार के नाम से पूरी राशि उनके खाते में डालता था और लगभग उनसे 50 प्रतिशत की राशि, वह अपने खाते में लेता था। जब यह मामला सामने आया तो उसे तुरंत हटा दिया गया और वहां के जो डॉक्टर नीरज भूसाखरे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जांच की थी, उसके खिलाफ ही जांच चल रही है मतलब जिस डॉक्टर ने आवेदन किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए तो उसी डॉक्टर के खिलाफ जांच हो रही है। यह बड़ा मामला है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी तक ऑपरेटर हिरेन्द्र कुमार फरार है, आप उसके खिलाफ जांच करवायेंगे और जो दोषी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, इनका जो पहला प्रश्न है उस पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि उसके खाते में किसी प्रकार के पैसे ही नहीं आये तो उसने वाट्सअप में क्या पैसा

मांगा होगा। वह प्रक्रिया में जिला लेवल से ऊपर नहीं गया, वहां से वापस कर दिया गया और दूसरा, जो जांच है ...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि जिला लेवल तक पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद...।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं। जिला लेवल तक कागज गया। इसमें पैसा तो प्रदेश से डलता है। आप एक बार फिर से प्रक्रिया को समझ लीजिए। जैसे अभी कोई आयुष्मान की इंट्री हुई मान लीजिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अर्जुंदा है वहां से इंट्री होकर जिला में जाता है और जिला में हमारी टीम है वह यह देखती है कि यह सही है या गलत है। यह इंट्री केवल जिला लेवल तक पहुंची थी। इसके बाद प्रदेश में फारवर्ड करते हैं। फिर प्रदेश की टीम ओ.के. करती है फिर डायरेक्ट उनके खाते में राशि जाती है, जिनको इंसेंटिव देना है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह आर्थिक अनियमतता का मामला है और योजनाबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था। इसमें साफ एफ.आई.आर. कर देनी चाहिए, उसमें पुलिस जांच करेगी और उसके बाद विभाग को प्रस्तुत करेगी कि इसमें किसने क्या गलती की और कहां घालमेल है, आप इसमें एफ.आई.आर. करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, जी नहीं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय,यह छोटी-मोटी बात नहीं है। वहां के संबंधित कर्मचारी पूरे थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. करने के लिए, वहां पर बुलाकर उन दोनों कर्मचारियों से बयान लिया जाता है और वह स्वीकार करते हैं कि हमने डॉक्टर बोरकर के माध्यम से यह कृत्य किया है और उसके बाद यह प्रमाणित नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं न कहीं उस डॉक्टर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर के संबंध में कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, हमारा कोई भी नियम कानून है, वह संविधान के नियम परम्पराओं से चलता है । अगर 100 आदमी भी एक जूट होकर बोल देंगे कि किसी के खिलाफ एफ.आई.आर. करिए तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्तीय अनियिमितता हुई ही नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है । मेडिकल स्टाफ के लोग वहां जाकर एफ.आई.आर. कराते हैं कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे ने यूज़ किया तो यह 420 का मामला बनता है । आप बताना चाहेंगे कि अभी तक जो एफ.आई.आर. हुआ है, उसमें क्या-क्या कार्रवाई हुई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, विभाग की ओर से एफ.आई.आर. का विषय नहीं है और एफ.आई.आर. की जानकारी विभाग को नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री, विभाग के स्टाफ ने जाकर एफ.आई.आर. कराया । एफ.आई.आर. में स्पष्ट कहा है कि हमारे आई.डी. को चोरी करके दूसरे तरीके से यूज़ किया गया । यह तो 420 का मामला है । अगर मैं आपके आई.डी. को गलत तरीके से यूज़ करूंगा तो धारा 420 लगेगा न । वहां एफ.आई.आर. में क्या-क्या कार्रवाई हुई है, यह बता दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, विषय की स्थिति को समझिए । हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, हम क्यों बचाएंगे ? वह चारों लड़के उसी गांव के हैं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, एफ.आई.आर. हुआ है और एफ.आई.आर. में क्या-क्या कार्रवाई हुई है, यह बता दें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. विभाग की जानकारी में नहीं हुआ है और सदस्य भी बोल रहे हैं कि एफ.आई.आर. कराने गए थे । मुझे लगता है कि एफ.आई.आर. नहीं हुआ होगा, यह मैं पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, एफ.आई.आर. नहीं हुआ होगा, यह मत बोलिए न । एफ.आई.आर. नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, बोलिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, विभाग की जानकारी में एफ.आई.आर. नहीं हुआ है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, उसी में मेरा एक प्रश्न है । देवरी का प्रकरण पर भी मैंने प्रकाश में डाला था ।

सभापति महोदय :- भूलन सिंह मरावी प्रश्न करेंगे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक मिनट सभापति महोदय । देवरी सीएचसी के गबन का मामला है, देवरी का भी प्रश्न पूछना चाहता हूं और जो आरोपी डाक्टर है, उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसने स्वीकार किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है । यह जनहित का मामाल है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- हो गया, आप बैठिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे जवाब चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न आगे बढ़ गया । श्री भूलन सिंह मरावी ।

जिला चिकित्सालय सूरजपुर में रिक्त पदों की पूर्ति तथा चिकित्सा जांच उपकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 2251) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला सूरजपुर के जिला चिकित्सालय सूरजपुर में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के कितने स्वीकृत पद रिक्त हैं तथा अभी तक कितने स्वीकृत पद भरे गये हैं एवं अन्य स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु आपकी क्या कार्ययोजना है ? **(ख)** जिला सूरजपुर के जिला चिकित्सालय सूरजपुर में कौन-कौन से चिकित्सा जांच उपकरण (मशीन) हैं?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जिला चिकित्सालय सूरजपुर में चिकित्सा अधिकारी के 16 पद स्वीकृत, 14 कार्यरत है। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्त पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जिला चिकित्सालय सूरजपुर में एक्स-रे, सोनोग्राफी, लैब जांच उपकरण सी.बी.सी. मशीन, हार्मोन एनालाईजर, सेमी आटो एनालाईजर, फुल्ली आटो एनालाईजर, यूरिन एनालाईजर, एच.बी.1सी. उपकरण, इलेक्ट्रोलाईट एनालाईजर, डब्लू बी.सी. इलेक्ट्रोफोरिसिस, बायोनोकूलर माइक्रोस्कोपर सी.टी. स्कैन मशीन उपलब्ध है।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जिला हॉस्पिटल, सूरजपुर के संबंध में जानकारी पूछा था । जिला हॉस्पिटल में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुल 16 पद स्वीकृत हैं और दो पद रिक्त हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला चिकित्सालय, सूरजपुर के पदों के बारे में पूछा है । जो मेडिकल आफिसर हैं, उसके बारे में ही उन्होंने पूछा है तो नियमित 16 पद स्वीकृत हैं और उसमें से 14 पद भरे हुए हैं और दो पद रिक्त हैं । दो पद जरूर रिक्त हैं, लेकिन हम 7 पद एनएचएम से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे हुए हैं । इस प्रकार वहां पर 21 मेडिकल आफिसर हैं और 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं । 9 पद नियमित और 7 पद एनएचएम में रखे हैं । इस प्रकार मेडिकल आफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सक हैं ।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सूरजपुर जिला चिकित्सालय में 16 पद स्वीकृत हैं और 14 पद पर चिकित्सक कार्यरत हैं । मेरी जानकारी में आया है कि वहां पर मात्र 7 डॉक्टर पदस्थ हैं । बाकी डॉक्टर कहां हैं, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे रिकॉर्ड में तो 14 पद हैं ।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति महोदय, अभी की स्थिति में मात्र 7 डॉक्टर पदस्थ हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अभी प्रदेश में डॉक्टरों की कमी का मामला लगातार उठ रहे हैं । उस दिन आपने घोषणा भी की थी । डॉक्टर वहां पदस्थ हैं, पर वे लोग सुविधानुसार अटैच करा लेते हैं, वह पद भरा हुआ दिखता है । आपके यहां से जवाब चला जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं हैं । ऐसे ही कई जगह का मामला है तो भूलन सिंह जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बार आप पता करवा लीजिए ।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी में है कि वहां से 6 डॉक्टर पी.जी. करने चले गए हैं और एक डॉक्टर सस्पेंड है । अभी की स्थिति में 7 डॉक्टर की पदस्थ हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ही जवाब को माननीय सदस्य खुद ही बता रहे हैं कि 6 डॉक्टर पी.जी. करने गए हैं और एक डॉक्टर सस्पेंड है ।

सभापति महोदय :- आप बता नहीं रहे हैं तो उन्होंने बता दिया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, उनको हम पी.जी. करने से रोक नहीं सकते । जैसे ही नीट क्लीयर कर लेते हैं तो उनको भेजना ही पड़ता है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आपने उस दिन घोषणा की है, कब तक उसकी पूर्ति हो जाएगी ? अभी तक धरातल में कुछ भी नहीं है, ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमने दूसरे ही दिन उसकी प्रक्रिया चालू कर दी थी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, अभी धरातल में कोई वापस नहीं आया है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं, वे आयेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, भूलन सिंह जो बोल रहे हैं, वैसनहा उसको मत बोलिये

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो पद रिक्त हैं, वे कब भरे जायेंगे। क्योंकि यह जिला अस्पताल का मामला है। जब मरीज अस्पताल जाते हैं तो उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कब तक पद भर दिया जायेगा?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता बहुत जायज है। मेरे गृह ग्राम के बगल का जिला भी है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों।

सभापति महोदय :- उसको आपका ही जिला मान लीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, हां, अपना ही जिला मान लेता हूं। हम लोग भी विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं मेडिकल आफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहां प्राथमिकता के रूप से पदस्थ करेंगे। 225 नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य, कुल मिलाकर 525 पदों की प्रक्रिया व्यापमं से कर लिया है। हम नीचे का भी स्टाफ देंगे। वह प्रक्रियाधीन है। जैसे ही हमारे पास डाक्टरों की

उपलब्धता होगी या जो अटेच होंगे, जो आपकी जानकारी में है, हमने अटेचमेंट की घोषणा की है। जल्द ही आपके अस्पतालों में ज्वाईन करायेंगे।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति जी, हमारा जो जिला अस्पताल है, वहां जांच करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन जब मरीज जिला अस्पताल जांच कराने जाते हैं तो उनका वहां अस्पताल में जांच नहीं होता है। उनको डाक्टरों के द्वारा जांच कराने हेतु बाहर भेजा जाता है। जबकि वहां उपकरण रहते हुए भी उनका जांच नहीं हो रहा है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वहां जिला अस्पताल में नियमित जांच हो रही है। वहां उपकरण भी उपलब्ध हैं। वहां हम जल्द ही सी.टी. स्केन मशीन चालू करने वाले हैं। वहां मशीन स्थापित भी हो गया है।

श्री भूलन सिंह मरावी :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, मशीन तो वहां है। लेकिन वहां जांच नहीं होती है। वहां के डाक्टर जांच हेतु बाहर प्रायवेट डाक्टर के पास भेज देते हैं। मरीज प्रायवेट अस्पताल से जांच कराकर आते हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी कह रहे हैं तो मैं उनकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि वहां बराबर जांच हो रही है। मैं इसी साल का ही बता देता हूं। फरवरी, 26 तक 18,308 एक्सरें हुए हैं। 1,841 सोनीग्राफी हुए हैं और 58,294 सी.बी.सी. टेस्ट हुए हैं।

सभापति महोदय :- श्री सुनील कुमार सोनी जी, आप एक प्रश्न कर लीजिये।

श्री सुनील कुमार सोनी :- धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। भाटागांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज जांच कराने आते हैं। रोज लगभग चार सौ से पांच सौ मरीज आते हैं। वहां के लिए 5 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन एक साल से अधिक समय हो गया है, मैंने विभाग की जानकारी में भी लाया है। वहां केवल एक डाक्टर आता है। वहां 5 पद स्वीकृत हैं, वे 5 डाक्टर वहां कब आयेंगे, मेरा यह प्रश्न है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, वैसे यह प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह पांचों डाक्टर अभी धुरंधर देखने गये हैं। धुरंधर पार्ट-2 खत्म हो जायेगा, तब आयेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, वैसे तो यह प्रश्न उद्भुत नहीं होता है, लेकिन वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी चिंता है। निश्चित रूप से इसको दिखवा लेंगे।

द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी यही स्थिति पूरे प्रदेश में है।

श्री रामकुमार यादव :- अउ हर अस्पताल डभरा, चन्द्रपुर सब जगह वही हे। कहीं पर कोई डाक्टर काम नहीं करत हे।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, इसी में एक छोटा सा प्रश्न है। इसी से संबंधित है।

सभापति महोदय :- क्या है कि यदि सब लोग प्रश्न करेंगे तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ेगा।

सरगुजा जिले के पुलिस थाने एवं चौकियों के भवन

[गृह]

5. (*क्र. 2751) श्री प्रबोध मिंज : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा जिले में कौन-कौन से पुलिस थाने एवं चौकियों के लिए भवन नहीं हैं? सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त भवनविहीन थाने एवं पुलिस चौकी किस-किस विभाग के भवनों में कब से संचालित हैं? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अंतर्गत भवन कब तक बना लिए जाएंगे ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) सरगुजा जिले में निम्नानुसार पुलिस थाने एवं चौकियों के लिए भवन नहीं हैः-

स.क्र.	जिला का नाम	भवन विहीन थाना / चौकी का नाम
1	सरगुजा	चौकी रघुनाथपुर
2		चौकी होलीक्रॉस हॉस्पिटल अम्बिकापुर
3		चौकी केरजू

(ख) उक्त भवन विहीन संचालित थाने एवं पुलिस चौकी की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	जिला का नाम	भवन विहीन थाना/चौकी का नाम	कब से संचालित है	किस विभाग के भवनों में संचालित है
1	सरगुजा	चौकी रघुनाथपुर	वर्ष 2017 से	सामुदायिक भवन में संचालित है, जो पुलिस विभाग को प्रदत्त है।
2		चौकी होलीक्रॉस हॉस्पिटलअम्बिकापुर	वर्ष 2023 से	होलीक्रॉस हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा दिये गये भवन में संचालित है।
3		चौकी केरजू	वर्ष 2023 से	पंचायत भवन में संचालित है।

(ग) प्रश्नांक ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	जिला का नाम	भवन विहीन थाना/चौकी का नाम	भवन निर्माण की स्थिति

1	सरगुजा	चौकी रघुनाथपुर	चौकी भवन हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
2		चौकी होलीक्रॉस हॉस्पिटलअम्बिकापुर	चौकी होलीक्रॉस हॉस्पिटल अम्बिकापुर वर्तमान में पृथक से भवन की आवश्यकता नहीं है।
3		चौकी केरजू	वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवीन चौकी भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से था। सरगुजा जिले में जो पुलिस थाने और चौकियां हैं, वहां कौन-कौन सी चौकियों के भवन नहीं बने हैं और थाने के भवन नहीं बने हैं। इसमें मंत्री जी ने जवाब दिया है। मेरे क्षेत्र के रघुनाथपुर चौकी एवं होलीक्रॉस हास्पिटल अम्बिकापुर चौकी केरजू में भवन नहीं है। बाकी जगह तो बन गये हैं। लेकिन मेरे जवाब में आया है कि भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण भवन नहीं बनाया गया है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रघुनाथपुर चौकी एवं होलीक्रॉस हास्पिटल अम्बिकापुर चौकी केरजू के लिए भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे?

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री प्रबोध मिंज :- प्रश्न संख्या-5, माननीय मंत्री विजय शर्मा जी।

सभापति महोदय :- श्री विजय शर्मा जी।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि सरगुजा जिले में जो पुलिस थाने और चौकियां हैं, कौन-कौन के लिए भवन नहीं बने हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, यह पहला वाकया हे कि सदस्य प्रश्न करत हे अउ मंत्री ला जगात भी हे।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री जी आपका जवाब तो आ गया है। आपने जवाब में कहा है कि रघुनाथपुर पुलिस चौकी में भवन नहीं है।

सभापति महोदय :- आप सीधा पूछ लीजिए न कि जो भवनविहीन है, उसे कब तक बनायेंगे ?

श्री प्रबोध मिंज :- जी। केरजू में भवन नहीं है और होलीक्रॉस के पास भवन नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब वह जगह का मसला है । वह जो सड़क के ऊपर एक जगह मिल जाए, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। मैं माननीय सदस्य से ही आग्रह करूंगा, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है तो वह एक जगह दिला दें, विभाग में अभी राशि भी है । वह तुरंत ही बनवा लिया जाएगा। तब तक के लिए जो स्थान स्थानीय प्रशासन ने जो भवन दिया हुआ है, उस भवन पर वह संचालित है ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री जी, आपका जवाब तो आ गया है। आज तक 8 वर्षों से भवन नहीं बन पाया । विभाग खोजता रह गया, लेकिन मैंने कल ही भवन के लिए जगह खोजी है और ग्राम पंचायत से उसकी एन.ओ.सी. और प्रस्ताव भी आ गया है। वहां सुमेरपुर ग्राम पंचायत है, उस पंचायत के दरीडीह है, जो रघुनाथपुर की एक तरफ में एक छोर में है। वहां जगह उपलब्ध हो गई है। उसके लिए भवन की स्वीकृति हो जाएगी क्या? उसको कब तक कर देंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नि:संदेह मैंने पूर्व में ही कहा कि जगह का ही विषय है। माननीय सदस्य उसको फैसिलिटेट करा देंगे तो तुरंत ही हो जाएगा।

सभापति महोदय :- ठीक। श्रीमती चातुरी नंद जी।

<u>राज्य की ग्राम पंचायतों को मूलभूत एवं 15 वें वित्त के तहत दी जाने वाली राशि</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. (*क्र. 2678) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 से लेकर फरवरी,2026 तक राज्य के ग्राम पंचायतों को मूलभूत राशि, 15 वें वित्त की राशि के रूप में कितनी राशि जारी की गई है ? स्वीकृत राशि, स्वीकृति वर्षवार जानकारी जिलावार बताएं? **(ख)** क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूलभूत राशि, 15 वें वित्त की राशि में भुगतान में विलम्ब के मामले संज्ञान में आये हैं ? यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए दोषी कौन है और क्या कार्रवाई की गई ? जिलावार जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र†**[2] अनुसार है। **(ख)** केन्द्र सरकार से राज्य को 15वें वित्त अनुदान की राशि प्राप्त होने पर समय-सीमा में जिलों को राशि हस्तांतरित कर दी गई थी। किंतु त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रभावशील होने के कारण जिलों द्वारा पंचायतों को राशि हस्तांतरित नहीं की गई। केन्द्र सरकार द्वारा इसे विलंब मानते हुए विलंब अवधि का ब्याज भुगतान हेतु निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में आबद्ध अनुदान अंतर्गत राशि रूपये 3.52 करोड़ एवं बद्ध अनुदान राशि रूपये 2.78 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रूपये 6.30 करोड़

---

[2] † परिशिष्ट "दो"

ब्याज राशि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया गया। राशि विलंब से जारी किये जाने हेतु कोई दोषी नहीं है।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी पंचायत विभाग ले सवाल करे रहेव, जेमा मोर 15वें वित्त के राशि और मूलभूत के राशि के सवाल रहिसे ओमे मंत्री महोदय जी के जवाब आए हावे कि केंद्र सरकार ले राज्य सरकार ला जो 15वें वित्त के राशि है, समय सीमा में भेज दिए गे रही से और वो जो राशि है, जिला मन में भी समय सीमा में स्थानांतरित होगे रहिसे। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहत हंव कि ये जो राशि है, ये जिला ला कब स्थानांतरित करे गिस?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमेशा ही बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछथें और अउ प्रश्न पूछथें, तहां ले पूरा विभाग ओही प्रश्न ला इंजन मान के दौड़थें। इनखर बड़ा अच्छा प्रश्न हमेशा रहथे और एहु बार जेन बात आईसे तेन ला स्पष्टता हो भी जाना चाहिए। ए बहुत अच्छा हे। फिर दुठि बात हे। एक ठीक वर्ष 2023-24 के बात हे, और एक ठन 2024-25 और 2025-26, ऐसे तीन वर्ष के बात हे। तो तीन वर्ष के बात ला तो मैं आप ला लिख के दे हंव एमा ए पाछू मा प्रपत्र में दे हंव। तो वो प्रपत्र में देवाए हे, तेन हा वर्षवार देवा गेहे। फिर मैं सोचत अइसे हंव कि माननीय सदस्य जेन पूछे हैं तेन हा पूछिन हैं कि वर्ष 2024-25 के मूलभूत के राशि कैसे गड़बड़ होईस? देरी होईस कहिके? ओही बात हे का?

श्रीमती चातुरी नंद :- मंत्री महोदय जी, जवाब दे दे हव, बस मैं ये कहना चाहत हंव कि आप यहां से जो राशि जिला पंचायत सी.ई.ओ. ला भेजे हो, वो कब स्थानांतरित होइस?

श्री विजय शर्मा :- हंव, मैं बतात हंव पूरा चिक्कन बात ला एकदम स्पष्टता के साथ आप ला क्लियर कर देथंव। माननीय सभापति महोदय, एमा दू प्रकार के मद हे। एक हे आबद्ध और अनटाइड, टाइड और एक ठीक अनटाइड। अनटाइड भी दू किश्त मा मिलथे और टाइड भी दू किश्त मा मिलथे। तो जेन अनटाइड फंड हे तेखर प्रथम किश्त हमला मिली से 06/09/2024 को और ओहा 17/09/2024 को जिला मा ट्रांसफर हो गे और वो 26/09/2024 को ट्रांसफर हो गे जनपद और ग्राम पंचायत मन मा। ओमा कोई विलंब नहीं होए रहिसे। अइसने टाइड फंड के भी प्रथम किश्त हे, उहूं 09/09/2024 को आई से, 17/09/2024 को गइसे और 26/09/2024 को सबला ट्रांसफर हो गे। उहूं मा कोई विलंब नहीं होइस। माननीय सभापति महोदय, विलंब के जेन विषय होइस तेन दूनों के द्वितीय किश्त मा होइस। टाइड के भी और अनटाइड के भी। तो अनटाइड जेन रहिसे तेखर पैसा हमला केंद्र से 30/12/2024 को मिली से। ओला हम ट्रांसफर करे हन जिला पंचायत मन मा 10/01/2025 को और ओखर बाद फेर एहा 28 फरवरी को एकर किश्त गइसे पहला किश्त एक पंचायत मा गइस, ओई मेर से शुरू होइस। अब एमा देरी जेहन होइस तेखर कारण ला मैं आप ला स्पष्ट करना चाहत हंव। माननीय सभापति महोदय, का बर कि

ओहीच बेरा मा पंचायत के निर्वाचन आ गे रहीस । एहु में मैं माननीय आपके माध्यम से हमर सदन ला बताना भी चाहत हंव कि पंचायत के चुनाव जेन होइस हमर यहां तेन हा बहुत अनेक राज्य मन मा नहीं हो पाइस देश मा विभिन्न कारण से। लेकिन हमर यहां समय पूर्वक एहा सारा संवैधानिक प्रक्रिया ला पालन करत हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ला पालन करत हुए हमर यहां हो भी गे। लेकिन ओखर निर्वाचन के अधिसूचना 27 जनवरी को एहा जारी हो गे रही से। अब 27 जनवरी के निर्वाचन के अधिसूचना जारी हो गे आखिरी बेरा रही से। पैसा जातिस ता एती-ओती झन हो जाए, अइसने कहि के मन मा घबराहट रहिस। इही बात ल कहेन कि भाई, ए चुनाव हो जाए, नवा बॉडी बैठ जाही, तहाँ अपन पैसा ल लेवा, सब तुम्हरे काम के, अपन कोनो थोड़े ए। तब 27 जनवरी के निर्वाचन के अधिसूचना आ गए। प्रथम चरण 17 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी हो गए और पंचायत के सम्मेलन 3 मार्च के होइस, ओखर बाद फिर सारा पैसा ओकर खाता मा ट्रांसफर कर दिए गए रहिस। माने ए चुनाव आईस तेखर सेती देरी होइस। ए मा देरी करे के अउ कोई कारण नहीं रहिस।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हौं कि आप यहाँ से तो जिला पंचायत में पैसा भेज दे हौ, लेकिन जिला पंचायत ले ग्राम पंचायत में ये पैसा कब पहुँचीस और कतकी-कतकी राशि पहुँचीस?

श्री विजय शर्मा :- मैं बताय तो हौं, भाई। मैं पूरा बात ल बताया हौं। चुनाव के कारण देरी होइसे अउ सबके डेट ल तक बताया हौं। जिला पंचायत मा एखर सेती रोके गइस कि ग्राम पंचायत मा आखिरी ठीक चुनाव से 15 दिन पहली पैसा पहुँच जाही त ओखर सही उपयोग नहीं हो पाही, ए हिसाब मा ओला कहे गइस कि भाई, चुनाव के बाद ओला दे दिए जाए, बस ओतके बात हे।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हा मोला जवाब देहे हें, ओमा पंचायत के टाइड और अनटाइड फंड के जो राशि हे, पंचायत मा 9 जनवरी के अनटाइड फंड पहुँचीस और 9 फरवरी के टाइड फंड हर पहुँचीस। ये पहली किस्त हे अउ साल 2025-26 के अंत होइया हे। लेकिन सेकंड किस्त के राशि अभी तक के जारी नहीं होय हे। ये सेकंड किस्त के राशि ला आप कब जारी करिहौ? मैं माननीय मंत्री जी ला धन्यवाद भी देत हौं कि जो विलंब होईस ओकर बर एमन ब्याज दिन हे, ये बहुत अच्छा बात ए। एखर से हमर गाँव के विकास घलो होही। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी सेकंड किस्त ला कब तक जारी करे जाही, ये बताए के कष्ट करही?

श्री विजय शर्मा :- आप कौन से साल के कहत हव? अभी 2025-26 के कहत हव?

श्रीमती चातुरी नंद :- 2025-26।

श्री विजय शर्मा :- वर्ष 2025-26 के पहला अनटाइड और टाइड फंड, दोनों के पहला किस्त हा 07 जनवरी, 2026 के और क्रमशः टाइड फंड हा 03 फरवरी, 2026 को ए जिला मा जारी हो गए।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) एवं मल्टी यूटिलिटी सेंटर (आजीविका अंगना) का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. (*क्र. 2667) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (बिहान) के तहत कुल कितने महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है? **(ख)** कंडिका "क" के कितने समूहों का बैंक लिंकेज किया जा चुका है? **(ग)** तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर (आजीविका अंगना) का निर्माण किसके द्वारा किया गया है एवं उसमें कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? **(घ)** विगत वर्षों में कंडिका "ग" के निर्माण से लेकर वर्ष 2025 तक कौन-कौन से मद से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जिला बिलासपुर अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (बिहान) के तहत कुल 16799 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। **(ख)** कंडिका ''क'' के 12172 समूहों का बैंक लिंकेज किया जा चुका है। **(ग)** तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर (आजीविका अंगना) का निर्माण कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग बिलासपुर द्वारा किया गया है एवं उसमें वर्तमान में गारमेंट सिलाई का कार्य संचाललन किया जा रहा है। **(घ)** विगत वर्षों में कंडिका ''ग'' के निर्माण से लेकर वर्ष 2025 तक स्वीकृत कार्य एवं उनकी वर्तमान अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :- 1. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना मद से डोम निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है और उसकी अद्यतन स्थिति कार्य पूर्ण है। 2. जिला खनिज न्यास मद से विद्युत पोल स्थानांतरण कार्य स्वीकृत किया गया है और उसकी अद्यतन स्थिति कार्य पूण है। 3. जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को स्वालंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोल एवं चैनलिंग फेंसिंग निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है और उसकी अद्यतन स्थिति कार्य पूर्ण है। 4. गौण खनिज मद अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन हेतु फ्लाई ऐश ब्रिक्स, चैन लिंक फेंसिंग, पेवर ब्लाक निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है उसकी अद्यतन स्थिति कार्य पूर्ण है। 5. एस.जी.एस. योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के आजीविका संवर्धन हेतु सिलाई मशीन स्थापना कार्य स्वीकृत किया गया है, उसकी वर्तमान स्थिति कार्य पूण है। 6. जिला खनिज न्यास मद से आजीविका संवर्धन अंतर्गत गारमेंट सिलाई फैक्ट्री की स्थापना कार्य स्वीकृत किया गया है, उसकी वर्तमान स्थिति कार्य पूर्ण है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का बहुत विस्तृत जवाब आ गया है। मैं संतुष्ट हूँ और मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है। (हंसी)

सभापति महोदय :- श्री रिकेश सेन जी।

**प्रश्न संख्या 08 :-	XX	XX**

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, रिकेश जी ने मुझे Authorize किया है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, क्या इसकी सूचना सचिवालय को दी गई है?

सभापति महोदय :- क्या रिकेश सेन का लेटर है?

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- नहीं आया है।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी।

**प्रश्न संख्या 09 :- XX	XX**

सभापति महोदय :- श्री भोलाराम साहू जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वैसे वे नए विधायक हैं। नए विधायक को इतना संरक्षण आसंदी से मिलना चाहिए। यदि वे किन्हीं कारणों से नहीं लेटर लिख पाए होंगे, उनको प्रक्रिया नहीं मालूम हुई होगी और उनको यदि चिट्ठी मिली तो उस आधार पर इतना संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, अब प्रश्न आगे बढ़ गया है। भोलाराम साहू जी तक प्रश्न आ गया है।

सभापति महोदय :- श्री भोलाराम साहू जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी तरफ भी नव निर्वाचित बहुत लोग हैं। वे प्रक्रिया में बहुत बार फँस सकते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, आप हर बार फँसाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारा सौभाग्य है कि आपसे बच जाते हैं।

सभापति महोदय :- समय कम है, आप प्रश्न पूछें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नए विधायकों को बिल्कुल फंसाने का काम नहीं करता हूं। फंसाने की कोशिश आपकी तरफ से होती है।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कों की स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. (*क्र. 2080) श्री भोलाराम साहू : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2022-23 से 10 फरवरी, 2026 तक खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त अथवा अगम्य सड़कों के रूप में पहचान की गई हैं? यदि हॉ तो निरीक्षणकर्ता के नाम निरीक्षण दिनांक सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" की इन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए राशि आबंटित की गई है? यदि हॉ, तो वर्षवार, जिलेवार, राशिवार एवं किए गये व्यय की जानकारी देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जी हाँ, वर्ष 2022-23 से 10 फरवरी, 2026 तक खुज्जी विधास नभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कें व अगम्य सड़कों के रूप में पहचान की गई सड़कें निरंक है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की 02 सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के रूप में पहचान की गई हैं, अगम्य सड़कों के रूप में पहचान की गई सड़कें निरंक है। निरीक्षणकर्ता के नाम, निरीक्षण दिनांक सहित **जानकारी संलग्न "प्रपत्र"**[3] अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 10 फरवरी, 2026 दो सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिये कोई भी राशि आबंटित नहीं की गई है।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में प्रश्न पूछा था। इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि दैहान से जादूटोला 2 किलोमीटर और मांझीटोला से गर्रापार 2 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। माननीय मंत्री जी, यह कब तक बन जाएगी?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापित महोदय, उन सड़कों जो लंबाई है और निरीक्षण का जो दिनांक है, आदि-आदि मैंने बताया है। इसका प्राक्कलन तैयार करवा लेते हैं और उस हिसाब से इसको आगे देख लेंगे।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह सड़क बहुत जर्जर हैं। इसको एक साल हो गये हैं और आज वर्ष 2025-2026 का अंतिम समय आ गया है। एक साल में वहाँ अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां जादूटोला में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जादूटोना में?

श्री भोलाराम साहू :- हमारे विधान सभा क्षेत्र में जादूटोला एक गांव है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बने बोल न, जादूटोना सुनात हे। (हंसी)

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

श्री भोलाराम साहू :- सभापति महोदय, यह दो सड़क है और वहां पर बालक और बालिकाओं का प्री-मैट्रिक छात्रावास...।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करें ना प्रश्न ?

श्री भोलाराम साहू :- जादूटोला से डेढ़ किलोमीटर है और वहां से बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं और वहां पर आयुष्मान अस्पताल भी है । माननीय मंत्री जी बता दें कि यह कब तक बनेगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ है, माननीय सदस्य यदि मुझे कहेंगे कि यह कब तक बनेगा, अभी बता दो तो यह थोड़ा मुश्किल काम है । मैं निश्चित रूप से उनसे कहता हूँ कि आपके जो जादूटोला गांव है, वह देहान से जादूटोला गांव का प्राक्कलन तैयार करा लेता हूँ और माननीय सदस्य को इस बात की सूचना मिल जायेगी ।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा ।

प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं की गुमशुदगी/अपहरण के दर्ज प्रकरण

[गृह]

11. (*क्र. 2736) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-(क) जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2026 तक प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के गुम होने, अपहरण एवं बहला-फुसलाकर ले जाने की कितनी सूचनाएं थानों को प्राप्त हुई है ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) कण्डिका 'क' के कितने प्रकरणों पर गुमशुदगी एवं अपहरण के मामले दर्ज किये गये हैं एवं कितने में नहीं ? प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) दिनांक 15 फरवरी, 2026 की स्थिति में कण्डिका 'क' के कितने प्रकरणों में बालिकाओं एवं महिलाओं को ढूँढ पाने में सफलता प्राप्त हुई है ? शेष को ढूँढने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :(क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार व वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) समस्त सूचनाओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलेवार व वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष बालिकाओं को ढूंढ़ने के लिए ''ऑपरेशन मुस्कान'' एवं महिलाओं हेतु ''ऑपरेशन तलाश'' चलाया जा रहा है। समस्त प्रकरणों में गुम बालिकाओं एवं महिलाओं के ईश्तहार जारी कराया गया है। ''समाधान'' मोबाईल एप के माध्यम से जानकारी प्रसारित कर शेष बालिकाओं एवं महिलाओं को ढूंढ़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न महिलाओं और बालिकाओं को बहलाफुसलाकर, गुम करने और अपहरण जैसे विषयों से संबंधित है । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ऐसे प्रकरणों का ऑकड़ा देंगे । मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूँगी कि वर्ष 2023 से लेकर 2026 तक सिर्फ तीन वर्षों में 1051 बालिका अभी भी लापता है । अगर महिलाओं का ऑकड़ा निकालें तो..।

सभापति महोदय :- समय कम है प्रश्न करें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में 7218 महिलायें अभी भी लापता है, इन लापता महिलाओं को ढूंढ़ने के लिये सरकार के द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, यह आंकड़े प्रतिवर्षानुसार ही है, फिर भी यह समाज में एक भी है तो हम सब के चिन्ता का विषय है । माननीय सदस्या ने इस बात की चिन्ता की है और यह बहुत अच्छा प्रश्न है । हम सब मिलकर ही इस लोकतंत्र की व्यवस्था को आगे बढ़ायेंगे । माननीय सदस्या ने 7218 लोगों की जो चिन्ता व्यक्त की है, यह प्रकरणवार है और उसकी अपनी प्रकियायें हैं । अगर कुछ विशेष अभियान के बारे में उनके मन में हो तो जरूर मुझे बतायें ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, यह मेरे ही विधान सभा के सनौद का गंभीर मामला है, यहां एक बच्ची पूजा करने के लिये घर से निकलती है, वह वापस ही नहीं आती है । सभापति महोदय, ओझागन का भी मामला है कि बच्ची घर से निकलती है और वापस ही नहीं आती है । एफ.आई.आर.दर्ज होने के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है । (शेम शेम की आवाज) सभापति महोदय जी, सरकार छत्तीसगढ़ में बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओं का नारा लगाती है लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप विशेषतौर पर कोई कार्यवाही करेंगे या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो बेटी की सुरक्षा के लिये हो ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने अपने विधान सभा क्षेत्र सनौद के संबंध में जो एक प्रकरण कहा है, मैं उसका भी गंभीरता से परीक्षण करवा लेता हूँ । यदि एफ.आई.आर. हुआ है तो कार्यवाही हो ही रही होगी, हर बात पर पुलिस पर यह आरोप लगा देना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, यह भी गलत है । पुलिस का मनोबल बढ़ाये रखना, यह हम सब का काम भी है । बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसा कि हम कहते हैं, क्या उसमें आपत्ति है ? क्या इसे नहीं कहना चाहिये ? मैं समझता हूँ कि यह कोई प्रश्न का विषय नहीं हो सकता ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, यह बहुत गंभीर विषय है । एक बच्ची स्कूटी से जाती है और वह वापस आ ही नहीं पाती है, सी.सी.टी.वी. में सब कैच है और आप ढूँढ़ नहीं पा रहे हैं ? उसमें तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है, उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है । सभापति महोदय, समय की कमी है, मैं इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग करती हूँ ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रकरण में 4 से 5 महीने हो गये हैं और उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है । माननीय सदस्य ने स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखी हैं, मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि आप उसमें समयबद्ध तरीके से निराकरण करेंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न सलाखा में आ गया है, अगर नहीं आया होता और कोई बात होती तो माननीय सदस्य इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, मैंने सिर्फ एक मामले का जिक्र किया है ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह जो विषय है मैंने इनके कहने से पहले ही कहा है । माननीय सदस्या ने सनौद के जिस बच्ची के लिये कहा है, मैं उसे और संज्ञान लेकर, विभाग से पतासाजी करके उस पर परीक्षण कराकर शीघ्र कार्यवाही जरूर कराऊंगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननी सभापति महोदय, 5 महीने से कार्यवाही नहीं हो पा रही है और माननीय मंत्री जी बार-बार घुमा-घुमा कर उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12.00 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा, मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

भोजन की व्यवस्था माननीय श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- "रजत जयंती वर्ष - 2025 की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाये रखने के उद्देश्य से षष्ठम् छत्तीसगढ़ विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को "ट्रॉली बैग" सूचना शाखा के माध्यम से वितरीत किया जा रहा है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने ट्रॉली बैग अवश्य प्राप्त कर लेवें।"

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, इसमें सिर्फ ट्रॉली बैग है या ट्रॉली बैग के अंदर कुछ है। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- कृपया स्पष्ट करें।

सभापति महोदय :- ये तो विधानसभा की है तो ट्रॉली बैग ही मिलेगी। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- क्षमा चाहते हैं।

सभापति महोदय :- पत्रों का पटल पर रखा जाना। संसदीय कार्य मंत्री।

समय :
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) खान और खनिज विभाग की अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 7-7/2004/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 एवं

(ii) एफ 7-19/2015/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक -

(i) एफ 7-7/2004/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 एवं

(ii) एफ 7-19/2015/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 पटल पर रखता हूं।

(2) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक रूल-801/202/2025-यूएडी, दिनांक 7 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-801/202/2025-यूएडी, दिनांक 7 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 पटल पर रखता हूं।

(3) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक
(i) ईएसटीबी-1/939/2025-यूएडी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025 तथा
(ii) एफ 1-7/2014/18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) ईएसटीबी-1/939/2025-यूएडी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025 तथा

(ii) एफ 1-7/2014/18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 पटल पर रखता हूं।

(4) **नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक :-**
(i) ईएसटीबी-103/2/2025-यूएडी-पार्ट- (1), दिनांक 21 जनवरी, 2026 तथा
(ii) एफ 5-5/2024/18, दिनांक 7 अगस्त, 2024

उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) श्री अरूण साव :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक -

(i) ईएसटीबी-103/2/2025-यूएडी-पार्ट- (1), दिनांक 21 जनवरी, 2026 तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(ii) एफ 5-5/2024/18, दिनांक 7 अगस्त, 2024 पटल पर रखता हूं।

(5) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखता हूं।

(6) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2774/संसा/ब-4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2774/संसा/ब-4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 पटल पर रखता हूं।

(7) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2776/संसा/ब-4/चार/ 2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड नियम, 2026

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2776/संसा/ब-4/चार / 2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड नियम, 2026 पटल पर रखता हूं।

सभापति महोदय :- शून्यकाल।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, अभी प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण हुआ है और उसमें यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ से लगभग 19,13,450 लोग लापता हैं और उनके नाम काट दिये गये हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यह जो लापता लोग हैं, जिनके नाम काटे गये हैं, वह इस प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन आज उनका पता नहीं है। ने उसके

खिलाफ रिपोर्ट है, न उसके खिलाफ कोई जानकारी है, न वह कहां गये, यह पता है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ऐसे विषयों में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मुझे दु:ख होता है।

डॉ. चरणदास महंत :- पहले मुझे बात तो कर लेने दीजिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, जब-जब नेता जी बोलते हैं, तब वह खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वह हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको बोलने नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, हमारे नेता जी को बोलने दिया जाये। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अगर यही स्थिति रही तो इधर से नेता प्रतिपक्ष जी के लिए हम लोग भी खड़े हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पहले आप उनकी बात सुन लीजिये, फिर आप बोल लीजिये। हमारे नेता जी बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, पहले तो इस पर चर्चा हो जाये।

श्री देवेन्द्र यादव :- वह हमारे नेता जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता जी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे, तब आपका सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आप हमारे नेता जी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- सभापति महोदय, वह हमेशा बीच में रोक देते हैं।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात रख दीजिये। फिर मैं आपको समय देता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपको जो आपत्ति करनी है, वह कर लीजिएगा। मैंने आपको मना कहां किया है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सुनने के बाद आपत्ति कीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, जो बात यहां का विषय नहीं है, वह रिकॉर्ड में आना ही नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। क्या यह तय करेंगे कि यहां क्या बात रखनी है? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, विधान सभा में हर प्रकार की बात रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, यह हमारा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सुन ही नहीं रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं यहीं का विषय रख रहा हूं। 19 लाख लोग छत्तीसगढ़ से गायब हो गये, मर गये, कहां गये? क्या यह आपके गृह विभाग का काम नहीं है? अभी वह बच्ची गायब है, उसके बारे में आप सुन रहे हैं। कोई गायब हो जाता है, वह भी आप सुन रहे हैं। लापता पत्नी के बारे में अभी आपने पिक्चर में देखा होगा तो जहां 19-19 लाख लोग लापता हैं तो क्या यह विषय यहां का नहीं है? आपको कहना है तो कहिए, मैं तो कह रहा हूं कि इतने लोग अचानक छत्तीसगढ़ से गायब हो गये हैं और उनके बारे में न पुलिस को चिंता है, न सरकार को चिंता है, न इनके जैसे विधायकों को चिंता है। यह हम सब विधायकों ने देखा है कि अचानक केंद्र सरकार का नाम लेकर, एस.आई.आर. का नाम लेकर इतने सारे रिकॉर्ड में आये हैं, जिन्हें अभी भी अन्यत्र चला जाना या अनुपस्थित होना बताया जा रहा है। विशेषकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में 1 लाख व्यक्ति सलवा जुडूम के नाम से कहीं गये हैं, उनका भी इसमें कोई अता-पता नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप हमारी बात सुन लीजिए। जो भी कानूनी दायित्व आपके पास हैं, हमारे पास हैं, जो हमको उठाना है, वह तो हम उठाएंगे ही। इस छत्तीसगढ़ के निवासियों का यह मौलिक अधिकार भी है कि आप उसकी सुरक्षा करें, वह स्वतंत्र रूप से रहें। हम इस बात के लिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमने इसी मुद्दे पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको स्वीकार करके चर्चा करवा लीजिए।

सभापति महोदय :- अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके निर्देश पर मैंने बहुत शांति के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुनी। मैं चार-पांच बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि एस.आई.आर. में राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं है। एक वैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग इसको संपादित करती है और छत्तीसगढ़ के साथ कई प्रांतों में यह एक साथ संपादित हुई। राज्य निर्वाचन आयोग उसके निर्देश पर इस काम को करता है तो उसमें भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। अब यदि मैं एस.आई.आर. की प्रक्रिया पर बात करूंगा तो वही बात होगी कि एस.आई.आर. की प्रक्रिया में सभी चीजों के लिए सभी राजनीतिक दलों को अवसर दिये गये। क्या उस समय कांग्रेस सो रही थी इसलिए यहां चर्चा में आयी है ? दूसरी बात, किसी भी वैधानिक संस्था की गतिविधियों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। तीसरी बात, यदि आप अनुमति भी देते हैं तो एस.आई.आर. 21 फरवरी को खत्म हो गया है। यह आज एक महीने बाद उस चर्चा को उठा रहे हैं।

चौथी बात, कांग्रेस के लोगों ने अभी लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया, अभी उनके दस्तखत चल रहे हैं और संवैधानिक संस्था एक और यह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ चर्चा करना, जो राज्य के विषय नहीं है, उसमें चर्चा करना, जो यहां के विषय नहीं है, उस पर स्थगन लाना। मुझे तरह आता है कि नेता प्रतिपक्ष के मेंटर कौन है, या कांग्रेस के जनहित के मुद्दों से दूर हो गयी है, या कांग्रेस इस बात को भूल गयी है कि विधान मंडल में वैधानिक संस्थाओं के खिलाफ चर्चा नहीं हो सकती ? क्या समय खराब करने के लिए ही कांग्रेस यहां विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यह आखिर हो क्या रहा है ? (शेम-शेम की आवाज) जो हमारे विषय नहीं है, उस पर चर्चा क्यों हो रही है ? यह वहां निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उनको बोलने के लिए कहा गया होगा इसलिए यह यहां पर बोल रहे हैं, यह जनहित का कोई विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह जगह जनिहत के मुद्दे उठाने की जगह है। इसलिए ऐसी बातें रिकॉर्ड में भी नहीं आने चाहिए जो राज्य के मुद्दे नहीं है, जो लोक महत्व के मुद्दे नहीं है, तत्कालिकता के मुद्दे नहीं है। मेरी आपसे यह आज्ञा है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं तो यहां के लापता लोगों की बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- लापता लोगों का हो चाहे किसी का हो, यह राज्य के विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यह जांच का विषय है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यहां के लोग लापता हो रहे हैं क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यदि आपमें हिम्मत हैं तो चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री जनक ध्रुव :- हमारे नेता लापता लोगों के बारे में आपसे बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट सुनिये तो। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, अभी हमारी बात आयी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम नहीं सुनेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, इतने लोग लापता हुए हैं क्या यह राज्य शासन की जिम्मेदारी नहीं है ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- (व्यवधान) इस प्रदेश के भोले भाले लोग लापता है, हमारे नेता जी सदन में उस पर ध्यानाकर्षण लाये हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, चूंकि हमारे प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए यह सिर्फ .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- जनहित के मुद्दे .. । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, हमारे पास मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, इतने छोटे से राज्य में यदि 19 लाख लोग लापता हैं, वे कहां गये, किधर गये ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एस.आई.आर. का काम करें। बीमार को हमने देखा है। अस्पताल में भी ऐसा ही हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप लोगों ने ही फर्जी मतदाता जुड़वाये थे। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रदेश में राम राज चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो आप दिल्ली की बात करते हैं। इनके केरल के एक महामंत्री है, वह व्हाट्स एप में सेट में भेजते हैं और यहां पर यह लोग ध्यानाकर्षण और स्थगन लगाते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- उसको सदन में नहीं लाया जा सकता (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- खूब फर्जी मतदाता जुड़वाये थे इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- (व्यवधान) दिल्ली के।

श्री रामकुमार यादव :- इसमें चर्चा करवाईये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- फर्जी मतदाता जुड़वाने का काम आप लोग ही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- फर्जी मतदाताओ को सपोर्ट करना बंद करिये। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- (व्यवधान) सभापति महोदय, आपको भी ऐसे विषयों को उठाने के लिए रोकना चाहिए। यह आसंदी के भी अधिकार क्षेत्र में है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अगर 19 लाख 13 हजार लोग लापता है (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। बैठिये ना।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, यह साफ जाहिर हो रहा है कि यह लोग फर्जी मतदान करवाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इन्हें न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, न स्वयं पर भरोसा है और न ही सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अजय जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका आरोप है कि 15 लाख लोग गायब है। यदि 15 लाख लोग गायब है तो गृह मंत्री क्या करेंगे ? आप एफ.आई.आर. दर्ज करवाईये ना तब तो पुलिस किसी मामले को संज्ञान में लेगी।

श्री उमेश पटेल :- आप आपत्ति का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम एफ.आई.आर. करवायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट, आप आपत्ति का जवाब तो सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई गायब है तो उसको यहां कहां पैदा कर देंगे (व्यवधान)।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट, आपत्ति का जवाब सुन लीजिए। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने तीन चीजों पर आपत्ति की है।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, यह साफ जाहिर हो रहा है कि यह लोग फर्जियों को संरक्षण देते हैं।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, एक, यह मामला तात्कालिक नहीं है, दो, यह मामला जनहित का नहीं है, तीन, यह राज्य का मामला नहीं है। इन्होंने तीन आपत्तियां लगाई है। मैं बताना चाहता हूं कि यह जनहित का मामला क्यों है। यह जनहित का मामला इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो उस पोलिंग बूथ का ..।

श्री रोहित साहू :- सभापति महोदय, आप लोग फर्जियों का संरक्षण करने के आदि है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, बीच में भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई ? (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सपोर्ट करना बंद करिये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोग (व्यवधान)।

श्री अजय चन्द्राकर :- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा होगी .. (व्यवधान)।

श्री रोहित साहू :- (व्यवधान) फर्जी करना बंद करिये। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप बात कर सकते हैं । (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रितपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री प्रबोध मिंज :- इसमें भारतीय जनता पार्टी का विषय कहां से आ गया ? (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रितपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री पुरंदर मिश्रा :- भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इनके उद्‌बोधन में भारतीय जनता पार्टी आ गई। उमेश जी, क्या बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री किरण देव :- इसमें भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता का विषय कहां से आ गया? ..(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह विषय कहां से गया?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता हूं। किस पार्टी के कार्यकर्ता के द्‌वारा कह देता हूं।

श्री केदार कश्यप :- उमेश जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से डर, भय है। ..(व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- आप लोग वोट चोरी करके सरकार बनाये हो।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह लोग फर्जी व्यक्तियों का संरक्षण करने में हमेशा आगे रहते हैं और आज वह दिखाई भी दे रहा है। आप लोग फर्जी आदमियों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इनके द्‌वारा अलग पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ के लोगों का नाम जबरन कटवाने का काम किया गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह यहां की चर्चा का विषय ही नहीं है।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, तहसीलदार घर में तीन-तीन बार जाकर सर्वे करवाया है। एस.आई.आर. में बोल रहे हैं, एस.आई.आर. हमारा विषय ही नहीं है। एस.आई.आर. केन्द्र का, निर्वाचन आयोग का विषय है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- यह पूरा मनगढंत विषय लेकर आ रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका के उपाध्यक्ष का जबरदस्ती असत्य तरीके से एफ.आई.आर. कराया है। सभापति महोदय, हमने एफ.आई.आर. कराया है। यह जनहित का मुद्‌दा क्यों है, क्योंकि हमने एफ.आई.आर. कराया है। एफ.आई.आर. हो जाने के बाद भी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ..(व्यवधान)

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, यह तो व्यवस्था का विषय है।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापित महोदय, यह राज्य का विषय नहीं है, उसमें चर्चा कैसे होगी। ..(व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह फर्जी लोगों के मतदान कराये के आदी हो गये हैं। ..(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- इसलिए यह जनहित का मुद्‌दा है, तात्कालिक मुद्‌दा है। ..(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- इसमें एफ.आई.आर. हुई है। ..(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री सुशांत शुक्ल :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर यहां पर चर्चा कैसे होगी ?

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर यहां चर्चा कैसे संभव होगी ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. हुआ है और एफ.आई.आर. होने के बाद वह स्थगन का मुद्दा बन जाता है। यहां के लोगों ने एफ.आई.आर. करवाई है। इसलिए यह जनहित का भी मुद्दा है, तात्कालिक भी मुद्दा है और इस सदन में चर्चा करने योग्य मुद्दा है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बार घरों में जाकर सर्वे हो रहा है। जो घर में नहीं मिलता है, उनका नाम नहीं जुड़ता है। यह पूरा काल्पनिक है।

सभापति महोदय :- आप अभी बैठिये, आप सब बैठिये। प्रदेश में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण 2026 एस.आई.आर. की प्रक्रिया में प्रदेश के मतदाताओं के नाम कटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित प्रतिपक्ष के 35 सदस्यो से स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना का विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित होने व प्रथम अवसर पर प्राप्त न होने की दृष्टि से मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह जनहित का मुद्दा है। यह 19-19 लाख लोगो के लापता होने का मामला है। इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह प्रदेश के लोगों के लापता होने की बात है, इस जरूर चर्चा होनी चाहिए।

श्री कवसी लखमा :- जो अभी भी जिंदा हैं, उनका नाम नहीं है। हम इसलिये बहिर्गमन करते हैं।

डा. चरणदास महंत :- चलिये, बहिर्गमन करते हैं।

समय
12.18 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राहय न किये जाने के विरोध में।</u>

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों स्थगन प्रस्ताव ग्राहय न किये जाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, यह जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और कहीं भी हो जाता है तो आदिवासी लापता हुए, आदिवासी परेशान हुए, ये उचित नहीं है। अभी तक कोई आदिवासी लापता नहीं हुए हैं और कुछ भी नहीं है। जो वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे। हम भी एक आदिवासी हैं तो हमको भी मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आदिवासी कहां लापता हुआ है, कहां गुमशुदा हुए। हर

शब्द में कहते हैं कि आदिवासी को तकलीफ है, आदिवासी गुम हो रहे हैं। सभापति जी, इस बात को गंभीरता से लेने का विषय है। हमारे वरिष्ठ सदस्य जी कह रहे थे कि आदिवासी लापता हुए, आदिवासी परेशान हुए, आदिवासियों का ये हुआ। हर चीज में आदिवासियों का होता है, आदिवासी कहां लापता होते हैं। हम भी आदिवासी हैं तो हमको भी तो जानकारी होनी चाहिए। क्या आदिवासी लोग मतदाता नहीं हैं ?

सभापति महोदय :- आशाराम जी, बैठ जाईये।

समय
12.19 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- श्री ओंकार साहू सदस्य अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

श्री ओंकार साहू :- (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- सुशांत शुक्ला जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढेंगे

(2) भारत सरकार की ओर से विशेष सहायता योजना (SASCI) द्वारा प्राप्त राशि में व्यय की अनियमितता।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार के अनेक विभाग इन योजनाओं के संचालन हेतु पूंजी के व्यय एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से सहायता पर निर्भर हैं। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष सहायता योजना (SASCI) द्वारा विगत् तीन वित्तीय वर्षों में हजारों करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है, वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक राज्य में संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हुई किंतु प्राप्त राशि का उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया बल्कि प्राप्त राशि का स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितता कर पैसे का दुरूपयोग किया गया । उक्त के संबंध में अनेक बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि अधिकारियों को संरक्षण प्रदान कर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है । जनहित की राशि का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनता में रोष व्यापत है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जो SASCI योजना के तहत्

राशि...।

सभापति महोदय :- आप बैठ जायें । मंत्री जी ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, पहले मैं अपना वक्तव्य पढ़ देता हूं उसके पश्चात् और जो विषय होंगे उसको ले आयेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI) Special Assistance to States for Capital Investment भारत सरकार वित्त मंत्रालय की योजना है जिसमें राज्यों को पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु 50 वर्ष की अवधि के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जाते हैं इस योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न पार्ट में निर्धारित लक्ष्य/Milestone/Reforms को पूर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है । यह राशि भारत सरकार द्वारा राज्य में प्रगतिरत/नवीन ऐसे पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है, जिनका बजट में प्रावधान हो तथा कार्य की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी हो इस प्रकार SASCI के अंतर्गत पृथक से नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते अपितु यह पूंजीगत व्यय के लिए राज्य के संसाधनों का एक अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत है ।

SASCI योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है । वित्त विभाग द्वारा योजनांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि की विमुक्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित निर्माण विभागों को दी जाती है उक्त योजनांतर्गत इस विभाग में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपकी अनुमति से कुछ और बिंदु क्लियर करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- अभी तो प्रश्न करते जायेंगे न, आप बताते जाएंगे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच में बगैर किसी रिफॉर्म के, बगैर किसी लाभांश के अगर योजना पूर्ति नहीं की गयी और केंद्र सरकार ने पैसा दिया । मेरा सीधा आरोप यह है कि बजट में आवंटित योजनाओं की राशि के बगैर विभागों द्वारा इस योजना से मिली राशि की बंदरबांट करते हुए भ्रष्टाचार किया गया है । नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर इन राशियों का दुरूपयोग किया गया है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ शासन को उस वित्तीय वर्षों में जो नुकसान हुआ है उसके लिये SASCI की राशि नहीं मिली । क्या उसके लिये किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे या ऐसी राशि का जो दुरूपयोग हुआ है, क्या उसके लिये किसी की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य की चिंता बहुत वाजिब है । मैं यही कहना चाहूंगा कि SASCI की योजना है, जो कि वर्ष 2020-21 में प्रारंभ हुई है और इसे पहले साल माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रारंभ की और यह 50 साल की ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्राप्त होती

है तो यदि उसका नेट प्रजेन्ट वेल्यू निकालें तो मुश्किल से 5-7 परसेंट के आसपास ही आता है । अगर केंद्र से 100 करोड़ रूपये की राशि इस अंतर्गत मिलती है तो मानकर चलिये कि 5-7 करोड़ हमको वापस करना है, लगभग 95 करोड़ फ्री है तो एक तरह से अनुदान की तरह है और यह रिफार्म बेस्ड स्कीम मोदी जी ने लांच किया है, केंद्र की सरकार ने लांच किया है तो जो रिफार्म हम करते हैं, उसका हमको सीधा लाभ तो हम जो रिफार्म करते हैं उसके आधार पर वह पैसे मिल पाते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में 286 करोड़ रूपये ही तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा ला पाये क्योंकि यह रिफार्म ही नहीं कर रहे थे, वर्ष 2021-22 में मात्र 423 करोड़ ला पाये वहीं मैंने शुरूआती दो वर्ष का बताया कि 286 करोड़ और 423 करोड़ वहीं अभी के लास्ट दो वर्ष का अगर मैं बताउं तो हम लोगों ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गवर्नेंस बेस्ड, रिफार्म बेस्ड एजेंडा को आगे बढ़ाया उसके कारण से अलग-अलग योजनाओं में हमको अलग-अलग रिफार्म्स के बेसिस पर हमको जो पैसे मिले हैं वह वर्ष 2024-25 में 6104 करोड़ रूपये मिला था (मेजों की थपथपाहट) और वर्ष 2025-26 में 7441 करोड़ रूपये मिले हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हमारा जो पोटेंशियल था, वह वर्ष 2024-2025 में 5 हजार 110 करोड़ रूपये का था, उसके एवज में 6 हजार 100 करोड़ रूपये से ऊपर राशि मिली है। वर्ष 2025-2026 में हमारा 6 हजार करोड़ रूपये का पोटेंशियल था, हमने अपने पोटेंशियल से भी ज्यादा रिफार्म्स मेहनत करके 7 हजार 441 करोड़ रूपये लाये हैं तो दूसरे राज्यों का जो आवंटन था, जिन्होंने रिफार्म एजेंडे का आगे नहीं बढ़ाया, हम उनकी राशि ला पाने में कहीं न कहीं सफल हुए हैं और कांग्रेस के समय में जो पोटेंशियल था, वह भी नहीं ले पाते थे तो हमारे राज्य की राशि कहीं न कहीं दूसरे राज्यों को जाती थी तो निश्चित रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वित्त विभाग देखते थे तो अगर उन्होंने उस समय अच्छे से ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से राज्य को यह पैसे रिफार्म्स आधार पर मिल सकते थे, जो नहीं मिले। दूसरी ओर सम्माननीय सदस्य की चिंता जो है, मैं उसके संबंध में भी यह कहना चाहूंगा कि उस राशि का कहां-क्या उपयोग हुआ तो इसमें अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोत है, बजट में ऑलरेडी बजटेड और स्वीकृत कार्य होते हैं जिसकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी रहती है उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इसके माध्यम से फंड किया जाता है, उन्हीं का नाम लेकर उसमें खर्च किया जाता है। अगर उस समय capital expenditure को लेकर, किसी भी काम में कोई भी गड़बड़ी हुई होगी तो हम आदरणीय सदस्य से उसका विषय ले लेंगे और निश्चित रूप से संबंधित निर्माण एजेंसी को संबंधित विभाग को जांच के लिए भेज देंगे।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 के बीच में तात्कालीन राज्य सरकार ने जो रिफार्म्स नहीं किये, उससे छत्तीसगढ़ की हकदारी की कितनी राशि का नुकसान हुआ है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, जैसे में वर्ष 2022-2023 और वर्ष 2023-2024 के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि वर्ष 2022-2023 में 5 हजार 32 करोड़ रूपये का पोटेंशियल था, उसके विरूद्ध में 2 हजार 942 करोड़ रूपये ही ला पायें और तो रिफार्म्स बेस्ड काम करके, मोटा-मोटी लगभग 2 हजार करोड़ से अधिक की राशि और लाया जा सकता था और वर्ष 2023-2024 में जो पोटेंशियल था, वह 4 हजार 947 करोड़ रूपये था तो उसमें 3365 करोड़ रूपये ही ला पाये तो लगभग 5 हजार करोड़ रूपये की और राशि लायी जा सकती थी, जबकि इस पोटेंशियल से हम दोनों सालों को मिलायेंगे तो हम करीब-करीब 3-4 हजार करोड़ रूपये ज्यादा ला पायें। उस समय इन्होंने रिफार्म्स बेस्ड मेहनत किया होता, अच्छा गवर्नेंस चलाया होता तो मुझे यह लगता है कि लगभग 5 हजार करोड़ रूपये मिनिमम् के रूप में आ सकता था और वह 7-8 हजार करोड़ रूपये तक भी जा सकता था।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्।

समय
12.27 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्री भोलाराम साहू
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. श्री ब्यास कश्यप

सभापति महोदय :- प्रतिवेदनों की प्रस्तुति।

समय
12.28 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति का इकसठ से छियानबे तक 36 प्रतिवेदन

सभापति महोदय (डॉ. चरणदास महंत):- माननीय सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति का इकसठ से छियानबे तक कुल 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय :- गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

सभापति (श्री विक्रम उसेण्डी):- माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 07)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक - 28)	श्री सुशांत शुक्ला	30 मिनट

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय
12.29 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती चातुरी नंद
2. श्रीमती अनिला भेंडिया
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्री ईश्वर साहू

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :-

12:30 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- सभापति जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

सभापति महोदय :- ये पढ़ने के बाद में या पहले ?

डॉ. चरण दास महंत :- पहले ।

सभापति महोदय :- अभी तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ।

डॉ. चरण दास महंत :- विधेयक प्रस्तुत करने के पहले कि हम उन्हें यह विधेयक प्रस्तुत नहीं करने देना चाहते और पढ़ेंगे तो जो हमारी आपत्ति है, उसको सुन लें ।

सभापति महोदय :- जी ।

डॉ. चरण दास महंत :- सर, जब से इस बात की चर्चा हो रही है कि यहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक रखा जा रहा है ।

सभापति महोदय :- जब वे प्रस्तुत करेंगे, तब आप आपत्ति करेंगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- हमें तो प्रस्तुत करने में ही आपत्ति है ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अपनी बात पहले रख लें, फिर उसमें आपको जो बोलना है, वह बोल लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रस्तुत करने में तो आप आपत्ति नहीं ले सकते, वह उनका अधिकार है । प्रस्तुत करना हमारा अधिकार है ।

सभापति महोदय :- वे प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप आपत्ति कर सकते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रस्तुत करने के बाद में आपकी आगे की प्रक्रिया में आपकी जो आपत्ति होगी, वह होगी, पर मुझे आप मेरे विधायी कार्य के लिए रोक नहीं सकते ।

सभापति महोदय :- उनको प्रस्तुत करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- मैं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- अब बोलिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- आदरणीय सभापित महोदय, मेरा इसमें आपका ध्यानाकर्षित करने का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश सहित 11 राज्यों के इससे ही संबंधित,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक से संबंधित सुनवाई चल रही है, उसमें अंतिम निर्णय नहीं हुआ है तो ऐसे विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए । यह नियम और परम्परा कहती है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी क्या है ? आप कानून बनाएं, नियम बनाएं, आपका अधिकार है, हमें कुछ नहीं कहना है । मगर इसमें एक व्यवस्था यह भी हो सकती है कि इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें, वे यहां जिनसे चाहें, उनसे चर्चा कर लें, चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से चर्चा कर लें या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से चर्चा कर लें । हमारे दोनों तरफ के विधायकों से चर्चा हो जाये, उसके बाद आप यहां पर प्रस्तुत कर लीजिए । ऐसे प्रस्तुत करना, यहां के जो संविधान है, जो हमारे बड़े-बड़े लोगों का कथन है, उससे विपरीत जा रहे हैं । मैं सिर्फ संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात यहां रखना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजयेपी जी की बात यहां रखना चाहता हूं । आप उसको सुन लें । संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना भी है, यह अम्बेडकर जी ने कहा है । इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता है । हमें ऐसी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे समाज में विभाजन की रेखाएं गहरी हों । यह आपके ही प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपके दल के प्रमुख नेता ने कहा है और लगभग संदेश भगवान बुद्ध जी का भी यही है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता । द्वेष केवल प्रेम और करूणा से ही समाप्त होता है । मेरा यह निवेदन है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी न की जाये । यहां चर्चा के पूर्व इसे प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए और उसके बाद आप प्रस्तुत करें, पास कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे तो इसमें नेता प्रतिपक्ष जी कुछ कन्फ्यूज़ लगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि आप इसमें कन्फ्यूज़ लगे । प्रस्तुत करने के समय जो उनकी आपत्ति है । सबसे पहले उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है क्या कि इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता है ? विधान मण्डल में ऐसा लेजिसलेशन नहीं हो सकता ? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। किसी भी राज्य को, विधान मण्डलों को तो निर्देश दे ही नहीं सकता कि आप किसमें लेजिसलेशन करेंगे। इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बिना तथ्यों के आधार पर बीच में ला रहे हैं, यह एक बात है।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि प्रवर समिति को क्यों सौंपा जाये ? विधेयक चर्चा में आयेगा उसके बाद ही पूरे बिन्दु में उसका निर्णय हो सकता है। प्रस्तुत होते समय कैसे मांग होगी ? प्रवर समिति को क्यों सौंपा जाये, यह नेता प्रतिपक्ष जी ने स्पष्ट नहीं किया।

सभापति महोदय, तीसरी बात, जो दो-तीन महापुरूषों का उल्लेख किया। आपने बिना बहस के ऐसे कैसे तय कर लिया कि यह राग-द्वेष को उत्पन्न कर रहा है, विभाजनकारी बात हो रही है। जहां आप 8 प्रांत शासित हैं, जिसमें कर्नाटक हैं, वहां भी यह विधेयक बना हुआ है। वहां आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है। देश के अन्य प्रान्तों ने भी यह विधेयक बनाया है। देश के सबसे पहले इस प्रांत में कांग्रेस के योगदान से, मैं भी अपनी बात रख देता हूं। भवानी शंकर नियोगी आयोग, पं. रविशंकर शुक्ल जी ने बनाया, वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पहला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रथम लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश था। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या उस समय देश या प्रदेश में विभाजनकारी स्थितियां नहीं थीं ? रविशंकर शुक्ल जी किन कारणों से भवानी शंकर नियोगी आयोग को बनाया ? उस समय विभाजनकारी स्थितियां नहीं थीं। जब आप करें वह सही है, जो आप सोचे वह सही है और यदि हम आये तो बिना बहस के विभाजनकारी हो गये, हम कम्युनल हो गए। आपको जो भी आरोप लगाना हो लगा सकते हैं, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं ? इसलिए उनके किन्हीं भी आपत्तियों में किसी प्रकार कोई दम नहीं है। मतलब कोई तथ्यात्मक दम नहीं है। मैं इस बात को राजनीतिक कारणों से नहीं बोल रहा हूं। या तो वह तथ्यों में बतायें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहां पर मना किया है, यदि उनके पास दस्तावेज हो बतायें। प्रवर समिति को क्यों सौंपा जाये, वह भी उन्होंने नहीं बताया। जिन 3 महापुरूषों का उल्लेख किया, उसका भी मैंने बता दिया कि रविशंकर जी शुक्ल ने क्या किया ? नियोगी कमीशन कैसे बना ? इसके बाद कोई तथ्य नहीं है। सभापति महोदय, आप चर्चा शुरू करवाईये।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, एक मिनट। मैं चन्द्राकर जी के कनफ्यूजन को दूर कर देता हूं। यह छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 का है, जो आपने पास किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2006 का ? हमने सन् 2006 में पारित नहीं किया। मैं आपको सन् 2006 की छत्तीसगढ़ विधान सभा की घटना बता देता हूं। एक मिनट सुन लीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- मेरे बाद सुना दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने सन् 2006 का उल्लेख किया, इसलिए बता रहा हूं। बहुत छोटी सी बात है। छत्तीसगढ़ विधान सभा के नियम प्रक्रियाओं का देश भर के विधान मण्डल या पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उदाहरण देते हैं। सभापति महोदय, आप भी विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं। शुक्रवार को अशासकीय दिवस होता है। शुक्रवार को जब अशासकीय दिवस होता है तो विधेयक लाना या नहीं लाना, किस तरह से बात करना, यह किसी भी सदस्य की स्वतन्त्रता होती है। छत्तीसगढ़ विधान सभा में एक रिकार्ड बना और मेरे ख्याल से विधान मण्डल के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी जो

छत्तीसगढ़ में घटी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने उस समय धर्म स्वतंत्रता के मामले में कुछ संशोधन को लेकर एक अशासकीय विधेयक रखा। उसमें चर्चा के बजाय कांग्रेस के तत्कालीन ट्रेजरी बैंच के लोगों ने बहुमत के आधार पर अशासकीय बिल को निरस्त किया। क्यों किया ? नहीं बताया गया। लेकिन बहुमत का क्रूर इस्तेमाल इसी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, संशोधन का जो निजी विधेयक था, उसमें आपने अपने बहुमत का इस्तेमाल किया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है और चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सन् 2006 में ऐसी कोई चीज पारित नहीं हुई है। आपने क्या किया था, विधान मण्डल में कैसे रिकार्ड बनाया था, अब उसको सुन लीजिये।

सभापति महोदय :- ठीक है, मंत्री जी। इस विषय में कुछ बोलना है ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, एक मिनट। आपके विधान सभा सचिव का पत्र है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 (क्रमांक-18) 2006 माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को इस संदेश के साथ लौटाया गया है। उसमें क्या संदेश लिखा है ? छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 18 सन 2006) राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2006 को पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- वर्ष 2006 में राज्यपाल कौन थे? किसके राज्यपाल थे? अब मैं किसके राज्यपाल थे, यह नहीं कहूंगा, अब आप समझ गए।

डॉ. चरणदास महंत :- आप अनावश्यक डिस्टर्ब कर रहे हैं। उक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया। इस संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 17/3/2013-जुडिशियल एंड पी.पी., दिनांक 17/09/2025 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय को प्राप्त हुआ है कि विधेयक की तीन प्रमाणित प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने के कारण एतद् द्वारा वापस की जा रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो मैंने कहा कि कोई कानून 2006 में नहीं बना है, मैं चुका हूं। आप जो पढ़ रहे हैं, वह राज्यपाल की भूमिका पर पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कब, जो हुआ, उसको क्या किया आपने बता दिया और उस समय दिल्ली में किसका शासन था, यह भी स्पष्ट है ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपको स्पष्ट होगा, बाकी लोगों को स्पष्ट नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो विधेयक (संशोधन) आपके राष्ट्रपति जी ने वापस कर दिया, कोई तो कारण होगा? कोई तो कारण बताए होंगे? क्या आप उस कारण को यहां बता रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उन संस्थाओं के खिलाफ तो बोल नहीं सकता..।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न। एक बार नेताजी को बोलने दीजिए, फिर मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- न आप बोल सकते, न मैं बोल सकता। उस मामले में हम दोनों के मुंह बंद हैं । मैं तो सिर्फ इसीलिए आपत्ति कर रहा हूं कि यह वहां से लौटा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, आप तो बोलते हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, मैं नहीं बोलता।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, एक बिंदु है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा आपके राष्ट्रपति ने। सभापति महोदय, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं मेरा निवेदन है।

डॉ. चरणदास महंत :- अच्छा, मैंने तो अटल बिहारी जी को हमारे प्रधानमंत्री बोला, उस समय आपने सुना नहीं शायद।

सभापति महोदय :- आपने कहा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय सभापति महोदय जी।

सभापित महोदय :- विजय शर्मा, मंत्री जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप आपके राज्यपाल बोले। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- अजय चन्द्राकर बोल रहे थे, आपकी सरकार, आपके राज्यपाल। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठ जाइए, आपकी बात आ गई। आप बैठ जाएं।

डॉ. चरणदास महंत :- हम तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा किसी प्रकार से चूक न हो जाए ।

श्री कवासी लखमा :- वे बोलेंगे तो चलेगा, हम बोलेंगे तो नहीं चलेगा।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपके राष्ट्रपति बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- वे आपके राज्यपाल बोले हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप आपके राज्यपाल बोले हैं। (व्यवधान)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति भी हमारे हैं, राज्यपाल भी हमारे हैं और मेरा सौभाग्य है कि राज्यपाल मेरे साथ लोकसभा में सदस्य भी रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हमसे, आपसे कोई चूक न हो जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, आप बोलिए।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप अपनी बात रख दीजिए। विजय शर्मा जी।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सुप्रीम कोर्ट का विषय कहा। सुप्रीम कोर्ट से किसी बात पर कहीं कोई स्टे नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि कोई नए कानून इस पर न बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं यह नहीं कहा कि कानूनों के प्रावधान ऐसे हों या वैसे हों। वरन हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 हमको इस बात की अनुमति देता है, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन बताता है, वह यह भी बताता है कि कोई भी राज्य की

सरकार कोई कानून बना हुआ है तो उसका पालन कर सकती है और राज्य की सरकार चाहे तो पब्लिक ऑर्डर पर नए कानून बना सकती है। यह भी है। प्रवर समिति की बात है, तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं, बहस में वह सारा विषय आ जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इसको स्वीकार करें, क्योंकि अभी बहस तो शेष है। प्रवर समिति की चर्चा अभी से हम करें, इससे पहले बहस करें और बहस शेष है, प्रवर समिति को दिए जाने के लिए जो एक्सरसाइज होने चाहिए थे, वे इस पर किए गए हैं । उन सारे ही लोगों से फीडबैक लिए गए हैं, सारी बातें इसमें की गई हैं। जितने ही विषयों पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उसका उचित-समुचित जवाब भी माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा है। मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि इस बात पर हम सबको सहमत होकर इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के..।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय, मैं तो यही कह रहा था कि हम सब की सहमति से वहां चला जाए, इसलिए यह विषय प्रवर समिति को सौंप दिया जाए । कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जिसमें चर्चा हो जाती है। उसमें हम आपका निर्णय चाहते हैं। आप जो निर्णय सुनाना चाहते हैं सुना दीजिए, फिर हम अपना निर्णय सुनाएंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक के पुरःस्थापन के संबंध में जो आपत्ति की गई थी, उस पर माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अतः मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के आपत्ति को अमान्य करते हुए विधेयक को पुरःस्थापन की अनुमति प्रदान करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुरःस्थापन की अनुमति दी जाए।

अनुमति प्रदान की गई।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) का पुरःस्थापन करता हूँ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय गृह मंत्री जी, आपके और हमारे सबके प्रधानमंत्री जी ने इस विधान सभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा है। जहाँ से उम्मीद की जाती है कि जो भी कार्यक्रम हों, जो भी चर्चाएं हों, जो भी विधेयक पास हों, वह सभी लोकतंत्र के पक्ष में हों, कानून के पक्ष में हों, नियम के पक्ष में हों, प्रक्रिया के पक्ष में हों, संविधान के पक्ष में हों। इस तरह इन सभी बातों को छोड़कर यह चर्चा यहाँ हो रही है। इसलिए हम इस चर्चा से आज दिन भर के लिए सदन से बहिष्कार करते हैं।

समय :

12.46 बजे

बहिष्कार

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुर:स्थापन के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुर:स्थापन के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया.)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

सभापति महोदय :- श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हर बार यही होता है कि जब भी कोई गंभीर चर्चा होती है, तब विपक्ष के लोग बहिर्गमन करके चले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आज की इस बात को बहिर्गमन नहीं, पलायन कहा जाना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, आज इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और उसके बाद विपक्ष जिस तरीके से बहिर्गमन कर रहा है, पलायन कर रहा है। किस तरीके से हम लोगों ने धर्मांतरण की पीड़ा को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की कोशिश है कि हमारे उन क्षेत्रों में इस तरीके से अवैध धर्मांतरण होता रहे, यह आपकी मंशा है, यह आपने बता दिया है।

श्री विजय शर्मा :- आपको आदिवासी समाज की पीड़ा से मतलब नहीं है। यह आपका पलायन है, पलायन। (शेम-शेम की आवाज) यह बहिर्गमन नहीं है, यह पलायन है। आदिवासी समाज की पीड़ा से, उन गाँवों से, उन ग्राम सभाओं से आपका कोई सरोकार नहीं है। यह पलायन है, पलायन।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, आज यह जो विधेयक आया है, यह भारतीय हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत् 2083 में आपने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं अपने गृहमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमण्डल के सदस्यण एवं विधायकगण का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे विधेयक को लाकर मतांतरण के विरुद्ध कठोर कदम उठाया है।

सभापति महोदय :- अब उस पर आगे चर्चा होगी। श्री ओ.पी. चौधरी जी।

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आपको इसमें कुछ कहना है?

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चंद्राकर जी।

समय :
12.49 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके राज्य की एजेंसी, सरकारी कंपनी, निकाय को भी नगर निवेश की तरह प्राधिकरण का दर्जा दे सकती है, अधिकार दे सकती है। यह छोटा सा ही संशोधन है और इसके जो प्रभाव हैं, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है । हमारे पास जो एजेंसियां है, उनके पास काम है, उनकी भूमिकायें हैं, उनकी विशेषज्ञा का लाभ भी सभी को मिले और विकास में वह अपनी विशेषज्ञता का लाभ दे सके । जब यह संशोधन हो जायेगा तो अन्य एजेंसियां भी कार्य को करने में सक्षम हो जायेगी । इससे विकास की योजनायें तेजी से बढ़ेगी, एजेंसियों की भागीदारी होगी । शहरी विकास की गतिविधियां तेज होगी और आवास उद्योग के लिये भूमि की उपलब्धता भी अधिक होगी । हमने कुलमिलाकर 2047 के लिये, छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के लिये, इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो राज्य एस.सी.आर. बना रहे हैं, हमें उसमें भी काफी एजेंसियों की जरूरत होगी । यह समसामयिक और उपयोगी संशोधन है, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ । शासन की जो तैयारी होनी चाहिये, वह तैयारी इस कानून के माध्यम से हो रही है । एजेंसिया सक्षम होकर प्रदेश के विकास को गति देंगी, ऐसी मंशा है । हम इसका समर्थन करते हैं ।

सभापति महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा ।

श्री पुरन्दर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, 2026 का समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय :- बताईये, मैं आपको टाईम दे रहा था कि बहुत बोलेंगे ? हो गया, ठीक । श्री मोतीलाल साहू ।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, 2026 का समर्थन करता हूँ और इसके साथ ही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के नगर काफी विकसित हो रहे हैं और विकसित होने के पीछे लोगों की अपेक्षायें हैं कि यहां पर रोजगार के अवसर हैं, यहां पर आर्थिक प्रगति हो सकते हैं और इसलिये लोग गांवों से रोजगार के लिये शहरों की ओर आते हैं । शहर काफी विकसित हो रहे हैं और विकसित करने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कार्ययोजनाओं के माध्यम से हमारा नगर और शहर काफी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है । इसमें सुनियोजित और संतुलित भविष्य को देखते हुये शहर विकसित होना चाहिये । यह हमारी सोच है और इस सोच को लेकर हमने इसमें जो संशोधन लाये हैं, जो अनियोजित विस्तार हो रहा था, अवैध प्लॉटिंग की रोज चर्चायें हो रही है, शहरों का स्वरूप असंतुलित होते जा रहा है, अत: आवश्यक है कि शहरों की प्लॉनिंग प्रॉपर बने और व्यवस्थित हो । सभापति महोदय, प्रदेश में एक खूबसूरत शहर की तस्वीर सामने आनी चाहिये । इस उद्येश्य से यह संशोधन लाया गया है । सभापति महोदय, जो पहले नगर के लिये प्लॉनिंग होता था, उसमें एकमात्र सीमित संस्थाओं के माध्यम से होता था, इसमें अन्य संस्थाओं को भी इसमें भूमिका और भागीदारी के अधिकार दिये जा रहे हैं । जैसे हमारे राज्य शासन के अधिकरण एवं राज्य शासन की कंपनियां भी अपने प्लॉनिंग और योजनाओं के माध्यम से शहर को एक स्वरूप देने का प्रयास कर सकेंगे । इस संशोधन के बाद गृह निर्माण मंडल जैसे राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसी संस्थायें भी योजना और निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगी । ऐसी सोच कि एक विकसित हमारा शहर हो या नगर हो, हम उसको पूरा कर पायेंगे । इस उद्येश्य को देखते हुये मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ और आपने जो समय दिया है, उसके लिये आपको धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ।

श्रीमती शकुंतला पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक, 2026 का पुन: समर्थन करती हूँ । किसी भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में (GDP) का 60 प्रतिशत से अधिक योगदान शहरी क्षेत्रों का होता है । यदि हमारा शहर व्यवस्थित, योजनाबद्ध और संगठन से सुसज्जित होंगे, तभी निवेश आकर्षित होंगे तथा हमारे शहरों में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बाद नगर विकास योजनाओं की संख्या सीमित रही है, इसका परिणाम यह हुआ है कि कई क्षेत्रों में बिना योजना के कॉलोनियां विकसित हुई है, जिससे न तो सड़क है और न तो जल निकासी और न ही अन्य सुविधाओं का व्यवस्था हो पाया है । यह स्थिति न तो आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि निवेशकों के लिये बाधा उत्पन्न करती है । हमें यह समझना होगा कि जब तक शहरों का विकास नियोजित नहीं होगा, तब तक औद्योगिक विकास की गति भी धीमी रहेगी । इस चुनौती का समाधान यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से नगर विकास योजना बनाने की जिम्मेदारी

केवल प्राधिकरणों तक सीमित न रहकर राज्य शासन के विभिन्न सक्षम अभिकरणों जैसे गृह निर्माण मंडल एवं औद्योगिक विकास निगम को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। यदि हम योजना बनाने वाले एजेंसियों की संख्या बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस योजना निर्माण और क्रियान्वयन की गति में वृद्धि होगी। यह एक मल्टी एजेंसी अप्रोच है जो आधुनिक प्रशासन की आवश्यकता भी है। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन के पश्चात् न केवल योजनाओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, आवासीय भूखंडों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे का विस्तार भी तेज गति से होगा। इसमें राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और हमारा छत्तीसगढ़ और मजबूती से आगे बढ़ेगा। आज हम जब नया रायपुर में आते हैं तो एक सुंदर रायपुर देखने को मिलता है। जब से यह सत्र चल रहा है, हमारे क्षेत्रों से बहुत सारे कार्यकर्तागण, ग्रामीण जन यहां रायपुर देखने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सदन में इस विधेयक के पारित होने से शहरों का सौंदर्यीकरण और बढ़ेगा और हमारे छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी, अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन है, बहुत सिंपल सा है, जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रदेश के लिए एक प्रगतिशील सोच के साथ लाया गया संशोधन विधेयक है। सामान्यतः सरकार के विभागों पर डिपार्टमेंटलिज्म का आरोप लगता है कि अपने विभागीय माइंडसेट से काम करते हैं, इस तरह का आरोप सामान्यतः विभागों पर लगता है, देश में, दुनिया में, हर जगह यह बात रहती है। सभापति महोदय, यह जो संशोधन है, इतना ही है कि जो टाउन प्लानिंग स्कीम है, जिसको टी.पी.एस. स्कीम बोलते हैं, उसमें जो मास्टर प्लान और लैंड यूज डिसाइड रहता है, उसके अनुसार व्यवस्थित विकास हो, इस दृष्टि से टाउन प्लानिंग स्कीम्स लाए जाते हैं। आज दुनिया भर में और देश भर में, देश के महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छे टी.पी.एस. स्कीम सक्सेसफुली हुए हैं। जैसे आप अहमदाबाद को देखेंगे तो पूरा प्राइवेट टी.पी.एस. से पूरे शहर का विस्तार हुआ, विकास हुआ और उसमें सरकार को कम खर्च भी करना पड़ता है, व्यवस्थित विकास भी हो पाता है, टी.पी.एस. स्कीम किसी भी राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो हमारे आवास पर्यावरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 38 है, वह प्राधिकरणों को, जो अथॉरिटीज हैं, जैसे रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो अधिनियम है नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम उसकी धारा 38 उन्हीं को टी.पी.एस. करने का अधिकार देती है। इसको हम विस्तारित करना चाहते हैं। केवल विभाग की एजेंसियों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं कि

जो आर.डी.ए., एन.आर.डी.ए. जैसी संस्थाएं ही टी.पी.एस. लाएं ऐसा न हो, इसके लिए सरकार की अन्य एजेंसियां भी सक्षम हो सकें, जैसे सी.एस.आई.डी.सी. है या हाउसिंग बोर्ड है या प्रदेश में विभिन्न नगर निगम हैं, वह सब भी टी.पी.एस. स्कीम ला सकें और शहरों का सुनियोजित सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके, इस प्रगतिशील सोच के साथ यह छोटा सा संशोधन विधेयक है, मगर राज्य के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की प्रक्रिया में शहरीकरण की चुनौतियों और संभावनाओं को देखते हुए, यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण दूरगामी सोच के साथ, प्रगतिशील सोच के साथ लाया गया है, इसलिए मैं सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पारित करने का कष्ट करें। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2026 क्रमांक 3 सन् 2026 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

समय :
1.00 बजे

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026). श्री ओ.पी. चौधरी।

(3) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय, मैं छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। सन् 1972 में मध्य प्रदेश के जमाने में जब हम एक राज्य थे, तब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का राज्य के अधिनियम के माध्यम से गठन हुआ था। हाउसिंग की दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। अब हाउसिंग के चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस, मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसी दिशा में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी एजेंसियों की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, वह अपने एक्ट में हाउसिंग संबंधी काम करता है, लेकिन वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क रहते हैं, उनको वह प्रभावी रूप से नहीं कर पाता है। इस दृष्टिकोण से और दूसरी ओर आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था है जो सैलरी तक के लिए राज्य से पैसे नहीं लेती है। वह स्व वित्त पोषित संस्था है। हाउसिंग बोर्ड को अपना काम करना रहता है तथा सर्विस चार्ज, जो कंस्ट्रक्शन वर्क से वह प्राप्त करते हैं, उसी से अपनी सैलरी देते हैं, स्थापना चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं। इसलिए इनके कार्य दायरे में विस्तार करना आवश्यक है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जगह हमारे सरकारी विभागों में मैन पावर की कमी रहती है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ऐसी संस्था है, जो बहुत ही जम्बो संस्था है, वहां बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह बहुत बड़ी संख्या में हैं। भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियां दूसरे राज्यों में जाकर भी टेंडर लेती हैं। जैसे राइट संस्था है, जो ट्रैफिक संबंधी कार्य करती है। वह भारत सरकार की एजेंसी है, लेकिन विभिन्न राज्यों में जाकर ट्रैफिक कंसल्टेंसी और वर्क पर टेंडर लेकर काम करती है। इरकॉन जैसी संस्था दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर काम करती है। अगर इतने सारे लोग हैं तो उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हो, इसलिए इसमें अधोसंरचनात्मक कामों के लिए भी हम उनका दायरा विस्तारित कर रहे हैं। आज एक बड़े विजन के साथ हम यह सोच रख रहे हैं, अभी तुरंत हो जाएगा, हम यह नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड इतना अच्छा काम करके अपने आपको आगे बढ़ाये कि विभिन्न राज्यों में जाकर भी दूसरे कामों को संपादित

कर सके और वित्तीय रूप से एक सशक्त संस्था के रूप में उभरे। छत्तीसगढ़ को हम जो विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें अपनी बड़ी भूमिका अदा कर सके। इस दृष्टिकोण से उसकी रोल को अधोसंरचनात्मक दिशा में भी ले जाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है और मैंने इसको सम्माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और यह संशोधन छत्तीसगढ़ के विकास में एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगा। पहले जो-जो संशोधन है, आप भी उसको महसूस करेंगे कि किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले इसका नाम केवल गृह निर्माण मंडल था और अब उसमें अधोसंरचना विकास मंडल भी जोड़ा गया है, उसका नाम भी परिवर्तित किया गया। वह सोसायटी पहले केवल आवास योजनाएं बनाती थी। अब वह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी योजनाएं बनायेगी। पहले वह आवास निर्माण तक सीमित थी, अब धारा-3 में वह नगर विकास कार्य भी संपादित करेगी। धारा-5 में वह आवास पर खर्च कर सकती थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च करेगी। धारा-6 में केवल आवास का संचालन करती थी, अब वह मिश्रित विकास योजना भी बना सकती है। धारा-31 में वह सीमित क्रियान्वयन थे, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लागू होगा। धारा-32 में सीमित सहयोग था, अब वह नगरीय निकायों को भी तकनीकी मदद दे सकती है, अर्थात् सक्षम नहीं है, कई संस्थाएं तो नगरीय क्षेत्र में गृह निर्माण मण्डल भी एजेंसी बन सकती है। धारा-33 नई जोड़ी गयी है। पहले यह धारा नहीं थी और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जोड़े गये हैं। अब यह नई धारा है चूंकि वह अब पुल, पुलिया, जल निकासी की परियोजना या आवागमन की सुविधा, बाढ़ जोखिम, इस तरह के कामों पर भी काम कर सकती है। धारा-34 (क) में विकास योजना सीमित थी, अब सड़क जल प्रदाय सीवरेज आदि को भी उनमें शामिल किया गया है, जिससे जल प्रदाय की विशेषज्ञता आयेगी तो जो नई कॉलोनी है या जो कॉलोनी हम स्थानीय शासन को सौंप देते हैं और इस तरह की चीजों में स्वच्छता, स्वास्थ्य में सुधार परिलक्षित होगा। धारा-35 में सीमित परियोजना थी, अब नई परियोजना में वित्त योजना, औद्योगिक क्षेत्र के पास जो मजदूर, आवास और उसके नेटवर्क को भी विकसित करने का काम कर सकती है, इससे रोजगार भी सृजित होगा, श्रमिकों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। धारा 37- में योजना संशोधन सीमित था। उसमें परिवर्तन में अनुमित दी गयी है, जिसमें शहर के जो ट्रैफिक जैसी चीजें हैं, चौड़ीकरण योजना लागू करनी है, तो बदलती जरूरत के हिसाब से विकास परियोजना को लागू किया जा सकता है। इससे बहुत लाभ मिलेगा। धारा - 44 में भवन नियंत्रण में था तो अब उसमें तकनीकी समन्वय भी जोड़ा गया है। धारा-50 में खरीदी बिक्री नई जोड़ी गई है। स्मार्ट काम हेतु भूमि प्लॉटिंग, बिक्री, इस तरह के काम भी वह कर सकती है। भूमि का उपयोग, दक्षता, राजस्व वृद्धि, इन सबमें उससे एक प्रभाव पड़ेगा। मतलब इससे राजस्व वृद्धि भी होगी। धारा-62 में

वित्तीय स्त्रोत सीमित थे, तो जहां तक मैं सोचता हूं कि अब आप बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी लोन ले सकेंगे। वह अपनी ताकत पर स्व वित्तीय योजना से ऋण लेकर बड़े प्रोजेक्ट भी लागू कर सकती है। इस संशोधन से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। धारा-76 में विस्तृत रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करना शामिल है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह आपके अधिनियम में पहले से है कि आप इसकी रिपोर्ट को विधान सभा में टेबल कर सकते हैं। पहले भी गृह निमाण मंडल की रिर्पोट को विधान सभा में टेबल करते थे। यदि वह विधान सभा में टेबल होगी और उसको सार्वजनिक किया जायेगा तो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। कुल मिलाकर नाम परिवर्तन के साथ यह संस्था आवास के सीमित क्षेत्र से हटकर एक बहुउद्देशीय संस्था बनेगी। मैं तो यह सोचता हूं कि इसमें अगले चरण में और संशोधन लाया जाये। मैं आपको थोड़ा-सा एक उदाहरण बता देता हूं। मैंने एक विभाग की चर्चा में बोला था। हमारे पास बहुत सारी तकनीकी संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोटर्फ है, स्वीमिंग पुल है, कई अकादमी हैं, उनकी देखरेख, मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई संस्था या कोई विशेषज्ञता नहीं है कि इसको कैसे किया जाये। नगर निगम महापालिका की ओर बढ़ जाये । लेकिन उसके इस तरह के सेटअप नहीं है कि इस तरह की चीजों को वह मेन्टेन कर सकें, देख सकें। एथलेटिक ट्रेक को देख सकें। गार्डेन में रायपुर को छोड़कर मैं नहीं सोचता कि दूसरे नगर निगम में उद्यानिकी के कोई सेटअप हैं। बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर में उद्यानिकी के कोई कर्मचारी हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता। इस तरह से जो स्थानीय शासन के काम हैं जिसके लिये उसमें सक्षमता नहीं है। अगली बार इन विषयों को भी जोडेंगे तो एक बहुउद्देश्यीय संस्था हमारे पास मौजूद रहेगी। धीरे-धीरे माडा की तरह इनकी विशेषज्ञता हो जायेगी। माडा तो आप जानते ही हैं। माडा की तरह विशेषज्ञता हो जायेगी कि हम बहुत सारे काम को कर सकते हैं। और विशेषज्ञता होगी तो जैसे भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो झारखंड में दारू बेचने की सलाह देने गये थे। ऐसी सलाह दिये कि वहां के के.सी.एस. वहां भी अंदर हो गया। हम दारू बेचने की सलाह देने नहीं जायेंगे। हमारी विशेषज्ञता उसमें नहीं है। पर ये ऐसी संस्था बनेगी, हमको कल्पना करनी चाहिए कि हम बड़े फलक पर देश के विभिन्न प्रांतो को भी मदद कर सकें। तो ये बहुत अच्छा है और समय की मांग दोनो है। इससे लगता है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान विष्णु देव साय जी की सरकार, उसके आवास पर्यावरण मंत्री जी इसके लिये गंभीरता से सोच ही नहीं रहे हैं, वरन पहल भी कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, इस भाव का भी स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप ऊपर चढ गये हैं, मैं नीचे अकेला बोर हो रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय : साहब, एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री प्रेमचंद पटेल।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण, वित्त मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किये हैं, मैं इसके

समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह विधेयक मात्र एक साधारण संशोधन नहीं है, बल्कि यह हमारे राज्य के समग्र, सुनियोजित एवं सतत शहरी विकास की दिशा में एक दूरदर्शी एवं ऐतिहासिक पहल है। सभापति महोदय, वर्ष 1972 में निर्मित छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल अधिनियम निश्चित रूप से इस विधेयक को 54 साल हो गये हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार विधेयक बनाये जाते हैं। अभी वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समय पूर्णत: बदल चुका है। इसमें जरूर संशोधन की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां पूर्णत: परिवर्तित हो चुकी हैं। आज हम तीव्र नगरीकरण एवं बढती जनसंख्या तथा आधुनिक जीवन शैली की आवश्यकताओं के दौर से गुजर रहे है। ऐसी स्थिति में केवल आवास निर्माण पर्याप्त नहीं है। बल्कि हमें समेकित अधोसंरचना के विकास की दिशा में कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जो मुख्यत: गृह निर्माण मंडल को आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तारित किया जा रहा है। मंडल में अधोसरंचना विकास योजनाओं हेतु इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम को तैयार एवं क्रियान्वित करने का अधिकार दिया जा रहा है। टाउन प्लानिंग स्कीम टी.पी.एस. तथा डेव्हलपमेंट स्कीम डी.टी.एस. को लागू करने की शक्ति दी जा रही है। स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के साथ समन्वय को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पी.पी.पी. के माध्यम से विकास को गति दी जा रही है ।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के पारित होने से अभी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे इस छत्तीसगढ़ के गृहनिर्माण मंडल की जो आवश्यकता है, उसके निश्चित रूप से आने से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में गृह निर्माण मंडल की अहम् भूमिका भी होगी और हमारे श्रमिकों को उचित समय पर इस स्कीम की जो हमारे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण के विभिन्न योजनाओं का फायदा भी होगा । सुनियोजित एवं संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित होगा, नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधायें प्राप्त होंगी तथा राज्य की आर्थिक उन्नति को गति मिलेगी । माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत मंडल को यह महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये जा रहे हैं कि वह सड़क, पुल, हवाई अड्डा, जल आपूर्ति एवं सीवरेज जैसी आवश्यक परियोजनाओं को तैयार एवं लागू कर सके । पुराने एवं अनुपयोगी क्षेत्रों को पुनर्विकास, Redevelopment कर सकें । स्थानीय निकायों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान कर सकें तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये विभिन्न विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें । यह सभी प्रावधान इस विधेयक में स्पष्ट रूप से सम्मिलित किये गये हैं । माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक में जनहित एवं दूरदृष्टि को भी देखकर के संशोधन किये गये हैं । यह विधेयक पूर्णत: जनहित में है, यह हमारे राज्य को आधुनिक विकास मॉडल अपनाने, शहरी चुनौतियों को समयबद्ध समाधान करने तथा सतत् एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाता है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल एक संशोधन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के उज्जवल एवं सुदृढ़ भविष्य की आधारशीला है अत: मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री आशाराम नेताम ।

श्री आशाराम नेताम (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2026 में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज गृह मण्डल अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और आज 52 साल के बाद हमारे युवा वित्तमंत्री जी ने यह संशोधन लाया है । गृह मण्डल कहने में ही बहुत बड़ा है । जो निवास, निर्माण, आवास हम सभी के लिये जरूरतमंद है और जरूरत के साथ-साथ यह अपनी व्यक्तिगत संस्था है, खुद की संस्था है । यह गृह मण्डल अपनी संस्था में अपने सभी कर्मचारियों को रखकर एक जवाबदारी रूप से काम करने वाला गृह मण्डल है । वह अपनी जवाबदारी समझता है कि हम कितने अच्छे से अपनी आवाज को लोगों के लिये लोकहित में हम काम कर सकें और जनता को कैसे हम आवास निर्माण करके उसे मुहैया करायें । ऐसा सोचने वाला गृह मण्डल है, उसमें और जोड़ा गया है अधोसंरचना । अधोसंरचना और गृहमण्डल दोनों एक समन्वय है और समन्वय इसलिये है कि हर वहां के चाहे वह कर्मचारी हों, अधिकारी हों वह एक-दूसरे में समन्वय-तालमेल है क्योंकि यह सरकार के साथ निहित नहीं है, वह अपने विभाग के साथ निहित है । जितना काम करेंगे, जितनी जवाबदारी उनके पास रहेगी उतनी उनकी आय बढ़ेगी और हमारा जो गृह मण्डल है वह आगे बढ़ेगा । ऐसा भाव लेकर आज हमारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल आगे दिनों दिन बढ़ रहा है। हमारे युवा वित्त मंत्री जी ने 52 सालों को बाद, आज इसमें संशोधन लाया है। इस संशोधन का प्रत्येक सदस्य को समर्थन करना चाहिए क्योंकि इसमें अधोसंरचना है और हमारी अधोसंरचना बहुत आगे बढ़ेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में विकास की गति, अधोसंरचना भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह जवाबदेह विभाग है । मेरी तनख्वाह कितनी आसानी से मिले और मुझे कितनी आय हो, इसमें सबका समावेश है। इस समावेश के कारण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय चन्द्राकर जी भी कह रहे थे कि इनके द्वारा अधिक से अधिक कार्य होते हैं। यह अपनी निगरानी खुद रखते हैं और साथ में जवाबदारी और देखरेख भी है। यह बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। यह हमारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का कार्य है। जैसे विकास के माध्यम से कई कार्य होते हैं जैसे यहां रोड को कितनी आसानी से बनायें और कितनी जल्दी बनायें कि प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिले। यह हमारे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का कार्य हैं। लेकिन हम उसी अधोसंरचना की ओर जाएं। यहां पर बहुत आवास जीर्ण-शीर्ण हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने अच्छा renovation करके, जो पुरानी बिल्डिंग हैं, आवास है जो

प्रदेश के कर्मचारियों को दिये जाते हैं वह हमेशा देखरेख के साथ काम करते हैं। उनकी जवाबदारी बनती है क्योंकि वह लगन से निर्माण कार्य करते हैं। आप दूसरे विभागों को देखिये, वह निर्माण तो कर देते हैं किन्तु उसकी क्या आवश्यकता है, क्या जवाबदारी है, उनमें यह भाव नहीं होता है, अगर यह भाव किसी में होता है तो हमारे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में होता है। हमारी मेहनत और व्यक्तिगत खर्च से हमारे विचारों से बना है। उसमें निर्माण की ललक होती है कि हम जनता को बिल्डिंग्स, आवास मुहैया करते हैं, उसे हम अधिकारियों को मुहैया करते हैं। यह सब कार्य करने के बाद, वे उनका समय-समय पर संरक्षण करते हैं।

मानवीय सभापति महोदय, मैं यह देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कोई कार्य मेहनत और लगन से करते हैं। मैं बरसात के समय भी गया था, जिनकी छतों में कभी पानी नहीं रूकता है और आप दूसरी ओर देखिये जो शासन के द्वारा सरकारी भवन, बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें बरसात के समय पूरा पानी भरा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। एक समय के बाद वह बिल्डिंग्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा जवाबदारी के साथ समय-समय पर उनका मुआयना किया जाता है, उनके द्वारा समय-समय पर देखा जाता है कि बिल्डिंग का कब रंग-रोगन होगा। बरसात के समय वहां के कर्मचारी छत पर जाकर देखते हैं कि हमारी छत में पानी तो नहीं भरा है। कोई बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसने उस बिल्डिंग को मेहनत और लगने से बनाया है। उस विभाग से, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है, उनकी यह भी जवाबदारी है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि हमारे ओ.पी. चौधरी जी ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यह विधेयक लाया है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से शहरों में भी हर नाली, सड़कों की देखरेख और बागवानी की देखरेख की जाती है। इसे अधोसंरचना में लिया जाये तभी यह संभव होगा। यह जवाबदेह संस्था और विभाग है। हम देखें कि दूसरे विभाग कोई निर्माण करके चले जाते हैं, फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हम कितना भी विकास कार्य कर लें जब तक हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो उस विकास का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की जवाबदारी है इसलिए मैं हमारे युवा वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा संशोधन लाया है । इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। इसकी भी अधोसंरचना हो, मैं यह चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आज हिन्दू नव वर्ष का पहला दिन है और उस दिन बड़े शुभ काम किये जा रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, 2026 के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । मैं यही कहूंगा कि

जब-जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, हाऊसिंग बोर्ड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । वर्ष 2001 में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने हाऊसिंग बोर्ड को बंद कर दिया था, मृत कर दिया था, खत्म कर दिया था । गरीबों का मकान, मध्यम वर्ग की जनता का मकान न बने, ऐसी सोच रखने वाली यह कांग्रेस पार्टी है इसलिए हमेशा उसने प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान को नहीं बनने दिया । इन्होंने मध्यम वर्ग का मकान नहीं बनने दिया, गृह निर्माण मण्डल जैसी संस्था को खत्म कर दिया। पिछली सरकार ने भी ऐसा ही किया । गृह निर्माण मण्डल की दुर्दशा कर दी थी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद हाऊसिंग बोर्ड ने उत्तरोत्तर विकास किया है। एक बहुत अच्छी पहल है कि अब हाऊसिंग बोर्ड का दायरा फिर से बढ़ेगा, अपने आप को विस्तारित करेगा और उसमें अब अधो संरचना विकास जोड़ा जा रहा है । निश्चित रूप से यह हाऊसिंग बोर्ड को विस्तार देने वाला विषय है । माननीय चन्द्राकर जी ने सारे संशोधनों पर और धाराओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है तो मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे चन्द्राकर जी अधो संरचना और विशेषज्ञता की बात कर रहे थे, उसमें एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा । जो विस्तार और विशेषज्ञता की बात है, उसमें अकास्टिक (Acoustic) को भी जोड़ा जाये क्योंकि आजकल इसकी बहुत आवश्यकता है । ऑडिटोरियम्स बनते हैं, सिनेमा हॉल बनते हैं। इनमें ऐसी गिनी-चुनी संस्थाएं हैं, जो अकास्टिक (Acoustic) का बहुत अथैंटिक काम करते हैं और बहुत विश्वसनीय तरीके से काम करते हैं । अगर आप एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी चीज है कि अगर अकास्टिक (Acoustic) के लिए भी विशेषज्ञता हमारे पास आती है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एजेंसी को भेज पाएंगे, काम्पीट कर पाएंगे । इसके साथ आज इन समस्त संशोधनों का मैं समर्थन करना चाहता हूं । कहने के लिए बहुत सारी बाते हैं, आप नगर पालिका, नगर निगम को भी एडवाईश कर पाएंगे । आपके बहुत सारे अधिकार बढ़ जाएंगे, आप एयरपोर्ट तक की बात आप कर रहे हैं कि आप बनाने के लिए आप आगे भविष्य तलाश रहे हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्टचर के क्षेत्र में भी आप भविष्य तलाश रहे हैं तो एक बेहतर Opportunity होगी और सबसे बड़ी बात हाऊसिंग बोर्ड के सशक्त होने से जो एक आम नागरिक है, वह किसी अवैध कालोनाईजर के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे पता होता है कि अगर मैं हाऊसिंग बोर्ड से जमीन ले रहा हूं, हाऊसिंग बोर्ड से घर ले रहा हूं तो विवाद से मुक्त रहूंगा । एक सामान्य, मध्यम वर्ग का व्यक्ति इन विवादों से हमेशा बचना चाहता है और अगर वह हाऊसिंग बोर्ड का मकान खरीदता है, कोई प्रापर्टी खरीदता है तो उसे यह पता होता है कि मैं विवादों से बचा रहूंगा, मेरे जीवन में इस प्रापर्टी को लेकर इस तरह के कोई विवाद नहीं आएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में हाऊसिंग उत्तरोत्तर उन्नति करें और एक बहुत अच्छा विधेयक में आपने संशोधन लाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । भविष्य में हाऊसिंग

बोर्ड उत्तरोत्तर विकास करे, उसकी कामनाओं सहित मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सम्माननीय सदस्यों माननीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय प्रेमचंद पटेल जी, आशाराम नेताम जी, अनुज शर्मा जी ने चर्चा में भाग लिया । मैं इन चारों सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । मैं इस एक्ट के संदर्भ में दो छोटे-छोटे महत्वपूर्ण विषय मैं रखना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस में ऐसी जितने भी छत्तीसगढ़ की संस्थाएं हैं चाहे वह सीएसआईडीसी हो, चाहे वह हाऊसिंग बोर्ड हो, चाहे रोड डेव्हपलमेंट कारपोरेशन हो, चाहे सीजीएमएससी हो, इन सब संस्थाओं को मृतप्राय बनाने का किसी ने पाप किया था तो कांग्रेस ने किया था । पिछले 5 सालों में ऐसी सब संस्थाओं में आफ बजट लोन ले-लेकर, कार्य संस्कृति को खराब करके इन संस्थाओं को मृतप्राय कर दिया था। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनते ही हमने इस तरह की संस्थाओं को पुनर्जीवित कर राज्य की विकास में बेहतर भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित किया है। हाऊसिंग बोर्ड के सन्दर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा कि हाऊसिंग बोर्ड ने जी.ए.डी. के मकान बनाने के लिए लोन लिया गया था, उन्होंने 5 साल तक राशि नहीं पटवाया और हाऊसिंग बोर्ड कर्ज में दबकर ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि जहां से सैलरी भी नहीं बंट सकता था। यह जिम्मेदारी या गलती हाऊसिंग बोर्ड की नहीं थी, हाऊसिंग बोर्ड ने सरकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए जी.ए.डी. के क्वाटर बनाने के लिए लोन लिया था। हमारी सरकार ने उस लोन को चुकाने का काम किया है। हमारी सरकार ने हाऊसिंग बोर्ड को डेब्ट फ्री संस्था बनाने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट)

सभपति महोदय, मैं दूसरी बात रखना चाहूंगा कि सन् 1972 के एक्ट के हिसाब से, जैसा कि हमारे भाई आशाराम नेताम जी ने जिक्र किया कि सन् 1972 के एक्ट के हिसाब से यह संस्था बनी थी। उस समय के देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उसका एक्ट बनाया गया था। आज स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इसलिए बदलते समय के साथ जिन संशोधनों की आवश्यकता है, वह भी अत्यंत आवश्यक है। उस दृष्टिकोण से भी यह संशोधन विधेयक को लाया है। एक प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ लाया गया है। इस चर्चा में दो बातें विशेषकर उभकर आई हैं। मैं उन 2 बातों का जिक्र करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रकचर हैं, उसके सम्बन्ध में विशेषज्ञता, उसके बनाने के सम्बन्ध में, उसके मेन्टनेंस के सम्बन्ध में विशेषज्ञता की एक बात विशेषकर उभकर आई है। हमारे सम्माननीय सदस्य अनुज शर्मा जी ने कहा कि एक्वीस्टिक, कोई भी अच्छा साउण्ड प्रूफ तरीके से क्वालिटी कन्स्ट्रक्शन हो, उसके सम्बन्ध में विशेषज्ञता होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम भविष्य में इन दोनों बातों पर प्रयास करेंगे कि कुछ बेहतर विशेषज्ञता

वाला विंग क्रियेट हो। मैं उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करूंगा। मैं कोई आशवसन या गारंटी नहीं दे रहा हूं। मगर हम इस दिशा में सकारात्मक प्रयास जरूर करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दूसरी चीज, सम्माननीय सदस्य श्री अनुज शर्मा जी ने कहा कि सरकारी संस्था होने के कारण कोई जमीन गड़बड़-सड़बड़ नहीं रहता, यह विश्वास आम आदमी को, लोअर-मीडिल क्लास, मीडिल क्लास के लोगों में रहता है। जब हाऊसिंग बोर्ड संस्था सशक्त होकर काम करती है तो मीडिल क्लास के पाईंट आफ व्यू से उसका अच्छा परिणाम आता है, यह बात अनुज शर्मा जी ने कही।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक दूसरा चीज और बताना चाहता हूं। जो कच्चा-पक्का करने वाले होते हैं, वह तो हाऊसिंग बोर्ड के पास नहीं जाते हैं। जो पक्का ही पक्का खरीदने वाला मीडिल क्लास, लोअर मीडिल क्लास का व्यक्ति होता है, वही हाऊसिंग बोर्ड के पास जाता है (मेजों की थपथपाहट) इसलिए मीडिल क्लास के लोग, जो अपनी कमाई से ही प्लाट खरीदते हैं, अपनी कमाई से ही घर बनाते हैं, जिनको लोन लेकर घर बनाना पड़ता है, इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको लोन लेकर घर बनाना पड़ता है, इस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण संस्था हाऊसिंग बोर्ड होती है। दूसरा, हाऊसिंग बोर्ड के समक्ष समस्या रही है कि क्वालिटी खराब रहती है, इस तरह से एक परसेप्शन बन गया था, हम उसको भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हाऊसिंग बोर्ड में कभी बिना डिमाण्ड के मकान बन जाते थे, फिर उसका मेन्टनेंस नहीं हो पाता था, यह मूल समस्या रही है। हमने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है।

सभापति महोदय :- एक मिनट। मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अब चूंकि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए यहीं से बोल देता हूं। मैंने तखतपुर में जमीन खोजवा लिया हूं। हम मांग भी कर लिए थे। आप उस पर भी, हाऊसिंग कालोनी में गति पकड़वा दीजियेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने उस दिन भी आश्वस्त किया था कि हम निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे। 33 जलों में से 27 जिलों में हाऊसिंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट लांच कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) केवल रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग में ही करना है, ऐसा नहीं है। हमारे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर में भी निर्माण किया जायेगा।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहूंगा कि अब भविष्य में बिना मांग के निर्माण न हो, इसके लिए हाऊसिंग बोर्ड ने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है। लिखित रूप से चेंज कर दी है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा निवेदन है। भवन निर्माण के पहले जो आवंटन की प्रक्रिया है, वह लाटरी सिस्टम किया जाता है, वह अच्छा है। लेकिन कई जगह कई बार यह विषय आया है, कई जगह देखने को मिला है कि एक ही व्यक्ति के परिवार को अलग-अलग नाम से 2-3 मकान मिल जाता है। और कई बार जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए कोई सिस्टम कैसे बनायें, ताकि जरूरतमंद लोगों के लिए सरलीकरण हो, उनको भी मकान मिले, यही कहना है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी, सभापति महोदय। सम्माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्रिफरेंस जो ब्लड रिलेशन में न हो, अगर एक व्यक्ति को मकान मिल चुका हो, तो उसको न मिले, हम उस दिशा में भी प्रयास करेंगे। मैं प्रक्रियाओं को देखता हूं। दूसरा सभापति महोदय, जब तक कुल 60% बुकिंग नहीं होगी या पहले तीन महीने में 30% बुकिंग नहीं होगी, तब तक टेंडर नहीं लगाया जाएगा और निर्माण नहीं किया जाएगा। इससे हाउसिंग बोर्ड अब डिमांड आधारित प्रोजेक्ट ही करेगा, इस दिशा में बड़ा रिफॉर्म हमारी सरकार आने के बाद हमने किया है। सभापति महोदय, उसका अच्छा परिणाम आएगा । पिछले दो वर्षों में 78 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, इससे हजारों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और वर्ष 2047 तक 5 लाख करोड़ के G.S.D.P. को जो 75 लाख करोड़ रूपये तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है, उसमें बहुत सारे अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण के, हाउसिंग जरूरतों के, आवास जरूरतों के, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के आवास जरूरतों की आवश्यकताओं को पूरा करने में हाउसिंग बोर्ड को एक सक्षम संस्था के रूप में इवॉल्व करेंगे। इसलिए यह रोल बदलना और उसकी भूमिका में विस्तार करना 54 वर्षों बाद अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसलिए मैं सम्मानित सदन को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक 2026, (क्रमांक 4 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक 2026, (क्रमांक 4 सन् 2026) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक 2026, (क्रमांक 4 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026, (क्रमांक 7 सन् 2026)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अजय चंद्राकर जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का, विष्णु देव साय सरकार का यह पहला मूल विधेयक है। संशोधन विधेयक तो आते रहे, और जब मूल विधेयक आती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार काम कर रही है और सोच रही है। इस सत्र में तीन मूल विधेयक आने वाले हैं, दो में कल चर्चा है। तो मैं माननीय विष्णु देव साय जी के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह तेजी से करते रहें और नए-नए क्षेत्रों में जहां अवसर है, वहां इस काम को करते रहें। कई बार जब मैं सोचता हूं, माननीय मंत्री जी, केदार जी उसके गवाह हैं कि साहब हम किसी के पीछे क्यों चलेंगे? हम आगे चलेंगे, सोचेंगे और आगे काम करेंगे। इसलिए अनुसरण के बजाय उदाहरण बनने की जरूरत है कि यह उदाहरण छत्तीसगढ़ में है। हम किसी का अनुसरण क्यों करेंगे? तो यह मानसिकता ही हमको आगे बढ़ाएगी। मूल विधेयक में जहां पर जरूरत होगी बात करने की तो मैं बिंदुवार तो बात करूंगा । 6 अध्याय और 31 धाराओं से सजी यह विधेयक, भारत की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्यों जरूरी है? कैसे जरूरी है? इसके उद्देश्य क्या हैं? किसलिए होते हैं? इस पर बातचीत करना जरूरी है और यदि यह लोग रहते तब हम धारा पर ही बात करते। अब यह लोग चले गए हैं तो इसके पीछे इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? कांग्रेस पार्टी या उसका विधायक दल यहां से क्यों बहिष्कार किया? यही उसकी पलायनवादी मानसिकता है, यही उसकी एक तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वाली बात है जो हिंदुस्तान को इस स्थिति में पहुंचाई है। माननीय सभापति महोदय, भारत की सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति और सनातन इसीलिए कही जाती है कि जिसकी शुरुआत को कोई जानता नहीं। एक विवाद हुआ कि पंथनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। संविधान दिवस में जब एक दिन का विशेष सत्र हुआ, तब आप भी थे।

उस समय मुझे जो कॉपी मिली थी, मैंने उसको पटल पर रखा था कि इसके Preamble में पंथनिरपेक्ष लिखा है। यह देश पंथनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। माननीय आडवाणी जी ने नए सिरे से एक बहस को जन्म दिया कि यह देश पंथनिरपेक्ष है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा उन्होंने देश के सामने तब रखी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन का उन्होंने देश में नेतृत्व किया था। उस आंदोलन के बाद देश में जब स्थिति बनी, तब पंथनिरपेक्षता पर एक बड़ी बहस हुई और राजनीतिक केंद्र में वह वैचारिक लड़ाई आ गई, जिसके आधार पर इस देश में सरकारें बनने और बिगड़ने लगी। माननीय सभापति महोदय, भारत भूमि इतनी सहिष्णु भूमि है, इतने अवसर वाली भूमि है कि इस धरती पर कई पंथ पैदा हुए। यहां बुद्धिज़्म पैदा हुआ, यहां से जैनिज़्म पैदा हुआ, यहां से सिख नानक जी के पंथ पैदा हुए। इतनी बड़ी पंथ पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र में पैदा नहीं हुआ, यह हमारी सहिष्णुता है। (मेजों की थपथपाहट) जब विदेशी पंथ यहां आने लगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठवीं शताब्दी में और पन्द्रहवीं शताब्दी में क्रमशः चर्च और मस्जिद बनाने की भी अनुमति केरल में सबसे पहले किसी हिंदू राजाओं ने ही दी थी। यह हमारी सहिष्णुता है कि हमने हर अच्छे विचार को स्वीकार किया व उनके लिए बात की। हमारी संस्कृति क्या बोलती है? हमारा सनातन क्या बोलता है? एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ज्योति बहुधा विभाति अर्थात् सत्य एक ही होता है, लेकिन विद्वान लोग उसे अलग-अलग नामों से और रूपों में बताते हैं। जैसे एक ही प्रकाश कई दिशाओं में फैलकर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। इतनी बड़ी बात तो किसी भी पंथ में नहीं कही गई है। (मेजों की थपथपाहट) मैं दूसरी लाइन जो बोलता हूं, अयं निजम् परो वेति गणना लघुचेतनाम् अर्थात् अपना-पराया जो देखता है, वह एक लघु चेतना है। उदारचरितानां च वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरा विश्व, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। इस चेतना के हम लोग हैं। इस संस्कार से यह सनातन पैदा हुआ, इस धारणा से पैदा हुआ, इस विचार से पैदा हुआ। कैसे इसको सीमित और संकीर्ण किया जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, अब हम उस ओर बढ़ते हैं कि हमारी उदारता एवं हमारी जो ताकत थी, उसको किस तरह से लोगों ने प्रभावित करने की कोशिश की है और किस तरह के प्रभाव समाज पर पड़े, देश-दुनिया पर पड़े। उसका उद्देश्य क्या था? आज तक मेरे जैसा आदमी समझ में नहीं पाया कि अंधेरे में घुसकर हम किसी पंथ का प्रचार क्यों करते हैं, आमने-सामने बहस करके उन कामों को संपादित क्यों नहीं करते हैं? किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी, किसी की अशिक्षा, किसी का अज्ञान, ये सब पंथ के प्रचार के विषय हो ही नहीं सकते और यही होते रहा। माननीय सभापति महोदय, इस देश में ईसा पूर्व से लेकर अंग्रेजों के आते तक हमारे इतिहास में लगभग 17 बार आक्रमण हुए हैं। चाहे बाबर हो, चंगेज खान हो, सिकंदर हो, डेमेट्रियस हो या चाहे आखिरी में अब्दाली और अब्दाली के बाद अंग्रेज, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। बाबर के साथ कितने लोग आये थे? और आज इस देश में धर्म और संप्रदाय की संख्या कितनी है, कितने लोग आये थे और कहां से आये थे ? तलवार की नोंक पर या किसी ताकत पर या हमारी उस समय विभाजन की

स्थिति पर, अंग्रेजों के आने के बाद जो नार्थ-ईस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी अष्ट लक्ष्मी कहते हैं । जम्मू एण्ड काश्मीर के बारे में अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब का बयान आया था कि तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक पूरा काश्मीर हिन्दू था, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि 90 के दशक में वहां के मूल निवासियों को विश्व में ऐसी घटना नहीं घटी कि हिन्दुस्तान के मूल निवासी अपने ही देश में विस्थापित होकर बड़ी संख्या में दूसरी जगह में जा रहे हैं, 90 के दशक में काश्मीरी पंडित विस्थापित क्यों हुये ? दूसरी बात, आक्रमण लगातार होते रहे हैं, कांग्रेस ने अपने इतिहास में क्या लिखा है, वह मानसिक रूप से गुलाम पार्टी है, कांग्रेस का इतिहास जो तीन खण्डों में है, उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं कही है, कांग्रेस स्वतंत्रता की लड़ाई के लिये नहीं बनी है, वह जो बोलते है, वह गलत बोलते हैं, उनकी भूमिका में लिखा हुआ है कि हम डोमिनियन स्टेट चाहते हैं । मैं वह किताब पटल पर रख दूँगा । अब वही कांग्रेस जो डोमिनियन स्टेट चाहती थी, मैं बड़े लोगों की आलोचना नहीं कर सकता । मेरा कद उतना नहीं है, मैं जानता हूँ लेकिन यह इतिहास स्थापित तथ्य है कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को कांग्रेस की कार्यसमिति ने स्वीकार किया है कि नहीं किया है ? किसी बड़े नेता ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, विभाजन स्वीकार हुआ ? पहला धरना हो गया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रूपये तत्काल लौटाये जाये । धर्म के आधार पर इस देश को विभाजित करने का काम इस पार्टी ने किया जो तथाकथित रूप से आज किसी के चिंतन में लगी है । माननीय सभापति महोदय, जम्मू एण्ड काश्मीर में जो डेमोग्रेफिक चेंज आये, हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में जो डेमोग्राफिक चेंज आये, नार्थ-ईस्ट के जो राजनीतिक विषय हो सकते हैं, अभी मणिपुर जल रहा है, मैतई कौन है ? कूकी लोग कौन है ? वह समस्यायें क्यों उत्पन्न हुई ? नागा पृथक राष्ट्र की बात क्यों करने लगे ? दो चुनाव पहले असम में हमारा एक मुद्दा रहा है कि असम बचाओ के मुद्दे पर हम लड़ेंगे । आज बंगाल में एसआईआर का उदाहरण दे रहे थे, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है ? दुनिया में जहां-जहां भी डेमोग्राफिक चेंज हुये हैं तो उसका परिणाम क्या निकला है ? माननीय सभापति महोदय, आप देखियेगा और मैं आपको बताता हूँ कि अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान पर्शियों का देश था, कुछ लोग पहुंचे और पारसी अपनी ज्योति लेकर हिन्दुस्तान आ गये । वहां एक पारसी नहीं है । अभी लड़ाई के दौरान हिन्दू मंदिर दिख रहे हैं कि वहां पर देखरेख करने वाले कोई नहीं है? अफगानिस्तान में बामियान की प्रतिमा जब तालिबानों ने तोड़ी तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा था, वह लोग कहां गये, कितने प्रतिशत सिक्ख हैं, वहां कितने प्रतिशत हिन्दू बचे हैं ? ऐसी स्थिति क्यों हुई ? वहां भी उसकी मूल संस्कृति और सभ्यता पर आक्रमण हुआ या उनको अवसर मिला तो उन्होंने खदेड़ दिया कि राज हमारा होगा, बंगलादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमसे टूटे हैं । फिलिपींस एशिया का एकमात्र ईसाइयत राष्ट्र है, वह उसके पहले क्या था ? उन लोगों ने जितनी जगह कॉलोनी बनाई, इंडोनेशिया लीजिए, बौद्ध हिंदू प्रभाव का देश था, स्पेन की जितनी कॉलोनी थी। हिंदुस्तान में पुर्तगाल, पुर्तगालियों की कॉलोनी थी।

आज पुर्तगाल की सभ्यता संस्कृति पर उसके प्रभाव देखिए, उन्होंने मूल चीजों को छोड़ दिया, बोली-भाषा से लेकर सब चीज भूल गए। पांडिचेरी फ्रांस की कॉलोनी थी, आज भी वहां के लोगों के लिए फ्रांस में रिजर्वेशन है। उनके क्या प्रभाव हैं देखिए। यदि कांग्रेस के मित्र रहते तो मैं यह जानना चाहता मिशनरी आने के बाद हिंदुस्तान में कौन सी गरीबी दूर हो गई? कौन से स्वास्थ्य सूचकांक में कुनकुरी या जशपुर जिला ऊपर आ गया? कौन से नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जिंदगी के अवसर बढ़ गए? कौन से अवसर उन्होंने उत्पन्न कर दिए? क्या ऐसी बात अप्रत्याशित रूप से कही जिसमें जनजीवन में परिवर्तन आ गए? हमारी विचारधारा में, हम जिस संस्कृति में जीते, पढ़ते, पलते, बढ़ते हैं। जिस राष्ट्र की संस्कृति खत्म हो गई, वह मृत राष्ट्र है। वह कितना भी संपन्न हो, कितना भी अभिजात हो, लेकिन हम उसको मृत राष्ट्र ही कहेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसी मृत राष्ट्र की पृष्ठभूमि पर जब धर्म के आधार पर देश विभाजित हुआ, तथाकथित रूप से जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाने लगा, तब दीनदयाल जी जैसे मनीषी विचारक, चिंतक, श्यामा प्रसाद जी जैसे लोग, गुरुजी जैसे चिंतक विचारक लोगों ने एक विचारधारा मानव एकात्मवाद इस देश को दी। कम्युनिस्ट कहां के हैं? आज रसिया में कम्युनिस्ट हैं। उसको क्या कह सकते हैं ? क्यूबा में कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट लोग कहां पर हैं? उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट लोग हैं। कम्युनिस्ट नहीं तानाशाही है। जो विचारधारा असफल हो गई, अभी केरल में चुनाव होने वाला है, ये लोग केरल में उसके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं और बंगाल में हो सकता है उनका समझौता हो। यदि दोहरा चरित्र राजनीति में जीती है तो कांग्रेस पार्टी जीती है। पूंजीवादी व्यवस्था वैसी थी। अमेरिका यदि वेनेजुएला से मादुरो को पकड़कर लाता है तो उसको कोई वहां के नशे से लड़ाई थोड़ी करनी। ईरान की लड़ाई क्यों हो रही? जो पूंजीवाद का विकृत प्रभाव है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने मत्स्य न्याय कहा है। सिर्फ पूंजी, मैं पूरी दुनिया के संसाधन पर शक्तिशाली हूं, मेरा कब्जा होना चाहिए। इस बीच में ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, हर राष्ट्र की एक चिति होती है। हर राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। मानव की एक आवश्यकता होती है। उसकी एक आत्मा होती है, उसका एक धर्म होता है, उसकी एक संस्कृति होती है, उस राष्ट्र में उस तरह की हलचल होती है और यही राष्ट्र जीवंत राष्ट्र कहलाता है। कोई भी आयातित विचारधाराएं उस राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं। उस राष्ट्र की आत्मा के साथ न्याय नहीं कर सकतीं और वही सूक्ष्म अंगों में भारत के प्रत्येक मानव में ये चीजें होती हैं। प्रत्येक मानव की एक चिति होती है। इसलिए अपने देश की संस्कृति और सनातन संस्कृति की रक्षा करना, उस पर होने वाले आक्रमण को रोकना, उन अवयवों को दूर रखना, ये महत्वपूर्ण दायित्व है और वह दायित्व हम शुरू नहीं कर रहे हैं। बालासाहब देशपांडे नौकरी करने के लिए जशपुर आए। जब देखा कि जशपुर में क्या हो रहा है, अशिक्षा, अज्ञानता, जो चीजें इस देश में हैं, इस प्रदेश में हैं, इस पहुंचविहीन जगह में हैं। हमने हर जगह पहुंचविहीन इलाके को ढूंढा, नॉर्थ ईस्ट वही थी, झारखंड वही था,

उड़ीसा वही थी, छत्तीसगढ़ वही था। लेकिन हम पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमको उसका लाभ लेना है। किसी तरह के प्रलोभन में, किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी तरीके से हमको अपने मत का प्रचार करना है। लेकिन ऐसे अनेक लोग थे, जिन्होंने कहा कि हमारे लिए अपनी नौकरी, अपने करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है-इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश की परंपरा, जिसको बचाये रखना, जिसकी रक्षा करना, जिसके लिए काम करना। बाला साहब देशपांडे प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर जी से मिलते हैं। उनको हालात को बताते हैं कि चलिये जशपुर और देखिये कि वहां सेवा के नाम पर क्या हो रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भवानी शंकर नियोगी कमीशन सन् 1954 में बना। सन् 1956 में उसने रिपोर्ट दी। देश का प्रथम धर्म स्वतंत्रता विधेयक, धर्मांतरण विरोधी कानून आया। सात-आठ राज्यों में बन गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा है कि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रावधान हैं। इसमें आगे क्या किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है या नहीं स्वीकारा जा सकता है, एक मॉडल की चीजें अपनाई जा सकती हैं या नहीं अपनाई जा सकती हैं, इन चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। उसने यह कहा और इस तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं। यह कहीं पर नहीं कहा है कि आप कानून मत बनाइये, आप इस पर विचार मत होने दीजिए और आप उसको प्रोत्साहन दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा है। अब वह बोलते हैं कि यह लोकतंत्र के विरोध में है। अभी वह बोलकर निकले कि संविधान के विरोध में भाजपा बात करती है। आपातकाल हमने नहीं लगाया। हिंदुस्तान में संविधान एक ही बार सस्पेंड हुआ है, वह कांग्रेस ने किया है। लोकतंत्र यदि एक बार कलंकित हुआ, हिंदुस्तान का लोकतंत्र गिरवी रखा गया और यदि हम हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर निकले तो हिंदुस्तान अपने लोकतंत्र के लिए, उदार लोकतंत्र के लिए, उदार संस्कृति के लिए और उदार परंपरा के लिए जाना जाता है। मैंने कहा कि हमने इतिहास में हर किसी को स्थान दिया। इतनी उर्वरा भूमि है कि तीन-तीन, चार-चार पंथ यहां से निकले। सनातन उनको समेटकर आगे बढ़ता रहा। कहीं कभी कोई खतरा किसी ने महसूस नहीं किया, वह वातावरण हमने हिंदुस्तान में दिया। उसको कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। भाई, वह क्या बात करेंगे? (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) उदाहरण उनके पक्ष में है। आपातकाल उन्होंने लगाया, संविधान को सस्पेंड उन्होंने किया, चुनाव को सस्पेंड उन्होंने किया, न्यायपालिका की पावर को सस्पेंड उन्होंने किया और आज यह बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे विश्व के परिदृश्य में मैंने आपको कई देशों और प्रदेशों के उदाहरण दिये हैं। जो छत्तीसगढ़ आता है वह बाहर नहीं जाता। छत्तीसगढ़ का सद्भाव, छत्तीसगढ़ का प्रेम, छत्तीसगढ़ का भाईचारा और इसको यदि हम बड़े फलक पर देखें तो सनातन की मूल विशेषता यह है कि हमने इतने सारे विचारों को आत्मसात किया। हमारे अंदर शैव है, हमारे अंदर शाक्य है, हमारे अंदर वैष्णव है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पशु की भी पूजा करते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन

किसी का विरोध नहीं करते। हमने कहीं दुनिया में कॉलोनी नहीं बनाई। सनातन का कोई इतिहास नहीं है। यदि इतिहास है तो उस समय इनकी उपज नहीं थी। ईसा पूर्व में यदि किसी का सबसे बड़ा साम्राज्य फैला था तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का था। उस समय इस तरह की बातें नहीं थीं, जब चंद्रगुप्त की सीमाएं दुनिया के हर राज्यों तक पहुंच चुकी थीं। जो अवशेष मिलते हैं, कंबोडिया से लेकर ईरान में भी यदि दिख रहे हैं तो उसकी देन वही काल है, जब ईसा पूर्व में यह पंथ वाले लोग पैदा भी नहीं हुये थे, यह उस समय की बात है। जब भारत की सनातन संस्कृति पूरी दुनिया पर राज करती थी, उसकी परंपराएं पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती थीं। माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा कहता हूं, चुनौती के तौर पर भी इसको कहता हूं कि मैं जिस मत को मानता हूं, उसकी अच्छाइयों या बुराइयों पर हम खुले तौर पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? रात के अंधेरे में एक व्यक्ति एक गरीब के घर में जाकर, एक अशिक्षित व्यक्ति के घर में जाकर, एक जरूरतमंद व्यक्ति के घर में जाकर उसको क्या सिखाता है? उसका मत परिवर्तन करवाने से, उसका धर्म परिवर्तन करवाने से, उसकी आस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? विकास के सूचकांक में जशपुर अभी कौन सा आगे निकल गया? संघ ने या जिस अंचल ने सबसे पहले धर्म स्वतंत्रता यानी धर्मांतरण के विरोधी कानून को जन्म दिया, उनकी गतिविधियों से कौन-सा परिवर्तन आ गया? बिना धर्म परिवर्तन किए इलाज करते हैं तो शिशु मृत्यु दर कम हो गई, मातृ मृत्यु दर कम हो गई, कुपोषण दूर हो गया, शिक्षा में अद्भुत लोग निकल गए। मैं एक समाज का उदाहरण दे देता हूं कि बिना रिजर्वेशन के भी राजस्थान के मीणा संप्रदाय ने शासन-प्रशासन में, राजनीति में और पढ़ाई-लिखाई में अपनी योग्यता से वह स्थान बनाया कि दूसरे समाज के लोग आंदोलन करने लगे कि साहब हमको भी आरक्षण दीजिए। बैंसला जी का आंदोलन इसीलिए था कि ये तो हमारे सारे अवसर पढ़ लिखकर खत्म कर दे रहे हैं। हमको भी आरक्षण दीजिए ताकि हम कम से कम आरक्षण में इनका मुकाबला कर ले। उस समाज के ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिना आरक्षण के भी अखिल भारतीय सेवाओं में पहुंचे। आप उनके घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह लोग पांच-सात बच्चे रखे रहेंगे, जिसको वह लोग पढ़ाते ही रहेंगे, जिसमें उनके भाई के बच्चे हैं, भतीजे के बच्चे हैं, बहन का लड़का है, उनका लड़का है। वह लोग समाज में एक ही सूत्र देते हैं कि पढ़े-लिखें। उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। ये उदाहरण हमारे देश के सामने अन्यान्य क्षेत्र में है।

सभापति महोदय, आज नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय समस्या बनी है, जे एंड के राष्ट्रीय समस्या बनी है। मैंने शायद गुलाम नबी आजाद जी के बयान को कोट किया था कि 600-700 साल पहले, 13वीं-14वीं शताब्दी में पूरा कश्मीर हिंदू था। मैंने उसका उदाहरण दिया था। ये अलगाववादी समस्याएं पैदा क्यों हुई? जब-जब आदमी अपनी सभ्यता, संस्कृति से कटा है, तब-तब ना वह इधर का रहता है और ना वह उधर का रहता है। उसको जो सिखाया जा सकता है, वह सिखा दिया जाता है और जहर भर के उसको टूल्स

बना दिया जाता है। टूल्स बनने के बाद वह देश के विरोध में चल रहा है कि प्रांत के विरोध में चल रहा है, अपनी संस्कृति के विरोध में चल रहा है कि अपनी परंपरा के विरोध में चल रहा है, वह खुद नहीं जानता। आज संघ खड़ा हुआ है, आज भाजपा की सरकार इस कानून को ला रही है। मैंने गृह मंत्री जी से व्यक्तिगत चर्चा में कहा था कि आज गुजरात में समान नागरिक संहिता पर बहस हो रही है। आप आगे बढ़िए क्योंकि यह समय की मांग है और यह देश की जरूरत है। अब इस पर विचार करने का समय आ गया है। सभापति महोदय, हमारे साथ गणेश राम जी भगत सदन में बैठते थे। वह छत्तीसगढ़ में डी-लिस्टिंग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आज समय की मांग है कि डी-लिस्टिंग पर विचार करना शुरू करना चाहिए कि उसकी जरूरत है या नहीं है। जितनी भी परंपरा, संस्कृति, असंतुलन, उस पर खतरा, ध्रुवीकरण और तरह-तरह की क्षेत्रीयता की जो मांग हुई, उसके पीछे एक ही कारण है और वह धर्मांतरण है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारी संस्कृति और पहचान को समाप्त करने का षड्यंत्र है। पूरी दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, यदि आप पीछे जायेंगे तो उसका कारण भी यही है कि आदमी जब-जब अपनी जड़ों से कटा है तो वह पतंग हो गया और वह कहां गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, यह वही हाल है।

मानननीय सभापति महोदय, हम चिंतित रहते थे कि हमको सबसे बड़ी बहुमत मिली है लेकिन हमने दो साल क्रॉस कर दिया है और यह कानून कैसे नहीं आ रहा है। विजय जी और माननीय विष्णु देव साय जी ने गहनता से और बारीक से अन्य प्रांतों के कानूनों का अध्ययन किया और जो बेस्ट हो सकता है, इन्होंने वह कानून लाया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कानून की परिभाषा और अवैध धर्म परिवर्तन के लिए अध्याय 2 में 3, 4, 5, 6 एवं 7 धाराएं हैं। इसमें परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यक्रम है, उसमें एन.जी.ओ. का भी दबाव है और इसमें महिलाएं भी दबावमुक्त होकर काम करें, इसका भी प्रावधान है। वैधानिक प्रक्रिया, जब आप धर्मांतरण के लिए कोशिश करते हैं तो उसके सत्यापन, प्रमाणन और वैधानिक प्रक्रिया तय करने के लिए धाराएं 8, 9, 10 और 11 उसका उल्लेख करती हैं। धारा 12, 13, 14, 15 एवं 16 संवेदनशील मामलों पर नियंत्रण, सामूहिक विवाह एवं सामूहिक मामलों पर रोक पर विचार करती हैं। इसमें न्यायिक प्रक्रिया, एफ.आई.आर. की प्रक्रिया और दंड की प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से इसमें महिला, एस.सी., एस.टी. और नाबालिग के लिए विशेष प्रावधान है, वह उसको फुलफिल करते हैं। अध्याय 6 में निगरानी क्रियान्वयन, विशेष जांच का प्रावधान, अभियोजन की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग की व्यवस्था का प्रावधान है। अध्याय-7 में त्वरित न्याय ढांचा और फास्ट ट्रैक सुनवाई की भी व्यवस्था है। उसके बाद संचालन या कानून को प्रभावी बनाने के लिये शासन के दिशा-निर्देश, अधिकारी संरक्षण नियम निर्माण की शक्ति और पुराने कानूनों का निरसन, ये सब चीज है। ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, मुझे ये पढ़कर लगता है क्योंकि जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, आप शायद थे। माननीय बृजमोहन जी ने एक अशासकीय संकल्प लाया। छत्तीसगढ़ की विधान सभा के इतिहास का वह

काला दिन था। अशासकीय दिवस में हम निजी विधेयक लाते हैं, वह हमारा अधिकार है। लेकिन बहस के बाद आप अस्वीकृत करिये, बहुमत के आधार पर उसको प्रस्तुत नहीं होने दिया, अशासकीय दिवस में ये घटना आज तक पहली बार हुई है और यही धर्मांतरण में संशोधन के लिये था, इसी कानून में संशोधन के लिये था और जोगी जी चाहते नहीं थे। इसमें पर्याप्त प्रावधान हैं। कुछ चीजें मुझे जाननी थीं जिसमें आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनायेंगे, विशेष न्यायालय बनायेंगे तो माननीय मंत्री जी ने उनको उत्तर दिया है कि जब इसके नियम निर्देश बनेंगे तो उसके खर्च किस तरह होंगे, कैसे होंगे, उसके प्रावधान कर लिये जायेंगे। इसमें किसी तरह के वित्तीय भार की जरूरत नहीं है। उसके लिये अलग से प्रावधान, नियम, निर्देश कर दिये जायेंगे। मैंने इसमें जितना पढ़ा है, आज के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में ये प्रत्येक चीजों को स्पर्श करती है। बस एक बात की बात है, इसमें मैं कहूंगा कि जब नियम, निर्देश बनें, आपने विशेष जांच के लिये लिखा है, एक प्रकोष्ठ तो काम करे। अलग से आपके पी.एच.क्यू. में कहीं पर भी काम करे। जब नियम, निर्देश बनायें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह प्रकोष्ठ ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करे। खास तौर से जो कांकेर, बस्तर में हम देख रहे हैं, डेमोग्राफिकल चेंज के कारण जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, गांव-गांव में यह मामला सुलग रहा है। इसके लिये सही समय है और अब इसको छत्तीसगढ़ में तत्काल नियमित करने की जरूरत है ताकि वह ऐसी चीजें मत उठा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं संस्कृति के प्रति बहुत आग्रही रहता हूं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर बातचीत करना मेरा प्रिय विषय रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जितनी विविधता है और जितने मैं कहूं मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, जो बात है, कुछ तो बात है, भाषा में, संस्कृति में, पहनावा में, खान-पान में, रहन-सहन में, परंपराओं में जो बात है। घोटुल के बारे में एल्विन साहब लिखते हैं, समाजशास्त्र का एक अलग ही विषय है। आप पूरा पश्चिम जिसको प्रदर्शन बोलती है, वह मान्यता प्राप्त था कि साहब एक दूसरे को जानें और उसको समझें और फिर हम एक दूसरे के हो जायें। आप बस्तर की वेश-भूषा से जान जायेंगे कि साहब ये कौन सी चीजों को कर रहे हैं। साहित्य में, संस्कृति में राजा चक्रधर जैसे लोग पैदा हुए, वह आदिवासी थे। पहला संगीत विश्वविद्यालय बना, फोक आर्ट का डिपार्टमेंट वहां है। इतनी विविधता को कोई कलंकित हम लोगों के लिये कर देगा, विजय शर्मा जी के रहते कर देगा, किरण देव जी हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं, विष्णु देव साय जी के सामने कर देगा, फिर राजनीति किसलिये कर रहे हैं? हमको जनता ने बहुमत किसलिये दिया है? हमारे सामने हम अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को, अपने प्रदेश को, अपने सनातन को कुछ षडयंत्रकारी ताकतो के हाथ में खत्म होते देखें। और उससे भी बढ़कर बात है इसमें विदेशी आय का भी जिक्र है। वह संस्थायें जो अनुदान लेती हैं, भारत सरकार की तो अपनी व्यवस्था है, आपने एन.जी.ओ. का उल्लेख किया। उसकी नियमित चीजें हों, वह कहां से पैसा पाते हैं, ऐसी संस्थाओं का छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक भी होना चाहिए। आप नियम में इस बात का जरूर उल्लेख करियेगा कि कौन से देश से वह पैसा लाकर काम करते हैं, उसके जीने-खाने, आजीविका

तो है नहीं। उसके बाद भारतीय मूल्यों को खत्म करने के लिये अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। यह ऐसे कैसे होगा। जो गोपनीय काम है, वह सब इसमें बंद हो। जो हो प्रकट हो। हम उतने ही सहिष्णु हैं। साहब, हम आपको मौका देंगे, आपके मत और विचार अच्छे होंगे तो हम ग्रहण करेंगे। आप आकर सामने तो करिये। ये सेवा के नाम पर विदेश से पैसा लाकर वैचारिक विदेशी विचारधारा हिन्दुस्तान में आयेगी, विदेशी संस्कृति आयेगी, विदेशी पंथ आयेंगे तो हम लोग क्या भटूरे तलने के लिये यहां बैठे हैं ? आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मैं माननीय विष्णु देव साय जी को, हमारे किरण देव जी बैठे हैं, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में, उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों को और आज वर्ष प्रतिपदा है । नवरात्रि है, शक्ति की अराधना का पर्व है, चैत्र और हिंदू नववर्ष की, बहुत सारी घटनायें आज के दिन घटी हैं । इस दिन यह विधेयक आना मतलब यह दैवीय संयोग है । (मेजों की थपथपाहट) और इस दैवीय संयोग में हम सब अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये तत्पर हो रहे हैं । आपको निश्चित और निश्चित सफलता मिलेगी । भारत माता की जय । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धनयवाद ।

सभापति महोदय :- श्री धरम लाल कौशिक ।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे युवा गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण विधेयक बहुत दिनों से जिसकी आवश्यकता हम सब महसूस कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 जो उनके द्वारा लाया गया है । इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं ।

समय :
2.11 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का, प्रचार-प्रसार करने की सभी को स्वतंत्रता है और साथ ही हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख भी है लेकिन जिस प्रकार से इस विधेयक को बनाया गया है । माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करें तो जिस प्रकार से यहां पर मतांतरण की हम बात करें, हम यहां पर धर्मांतरण की बात करें और छत्तीसगढ़ के बारे में आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले भोले-भाले लोग हैं । यहां पर हमारी जो बहुत बड़ी आबादी है, हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और खासकर के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आर्थिक रूप से कहीं न कहीं यह देखते हैं कि जहां पर विषमताएं हैं या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों को जो टारगेट बनाने का,

लक्ष्य बनाने का जो काम यहां पर देखने में आया है और उसके कारण आज इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमको यह मतांतरण को और बाकी चीजों को हम कैसे यहां पर रोक सकें और उसके लिये यहां पर यह बिल लाया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके पहले मैं मध्यप्रदेश की बात करूं । जहां पर मध्यप्रदेश में जो बिल को लेकर के आये, मैं उड़ीसा की बात करूं और यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है कि जिन बातों का समावेश वहां पर हुआ और समावेश होने के बाद में वहां की जो अच्छी बातें मैं कह सकता हूं कि उससे अच्छा इस बिल को हम कैसे ड्रॉफ्ट कर सकते हैं, कैसे लेकर आयें । उसके लिये जो प्रयास हुआ, जो प्रयत्न हुआ और प्रयास और प्रयत्न होने के बाद में आज का जो दौर है वह डिजिटल का भी दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है तो इन सारी बातों का उसमें समावेश करने का प्रयास किया गया है और एक बहुत अच्छा बिल ड्राफ्ट करने के बाद में यहां पर पारित करने के लिये इस सदन में प्रस्तुत हुआ है । माननीय सभापति महोदय, सामान्यत: हम सभी लोगों ने इस बात को देखा है, हमने लगातार यह देखा है कि अभी छत्तीसगढ़ में, मैं चाहे नारायणपुर के घटना की बात करूं, मैं सुकमा की घटना की बात करूं, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार होने के बाद में जो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखा और पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को इस बात से अवगत कराया गया कि साहब यहां पर मतांतरण की बड़ी मात्रा में यदि मतांतरण हो रहा है तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता और जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा सचेत करने का काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार को उनके द्वारा दिया गया लेकिन सरकार की यह इच्छाशक्ति नहीं थी कि इसमें कांग्रेस की सरकार कोई बिल लेकर आये। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि आज भी उनकी इच्छाशक्ति नहीं है कि हम मतांतरण को रोकें। यदि उनकी मतांतरण को रोकने की इच्छाशक्ति होती तो शायद आज वह यहां से पलायन नहीं करते, बल्कि यहां पर बैठकर, या तो वह इस बिल का विरोध करते या इस बिल में संशोधन देते। इस प्रदेश में क्या अच्छा हो सकता है, उस दृष्टिकोण के साथ अपनी बात को रखते। लेकिन उनमें यह साहस नहीं है और इसके कारण उन्होंने सदन से दिन भर के लिए बहिर्गमन किया, पलायन किया है। वह चाहते हैं कि यहां पर मतांतरण हो, अब मैं तो यह भी बोल सकता हूँ। क्योंकि सदन में रहकर, इस बिल में जो कमियां हैं, उनके द्वारा उनको उद्धृत करने का काम किया जाना था, लेकिन उन्होंने न केवल पलायन किया और यहां से पलायन करके उन्होंने यह स्पष्ट बता दिया है कि चाहें वे कांग्रेस के हाई कमान के दबाव में हों, शायद उनके दबाव के कारण यहां से पलायन करना पड़ा हो, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। आज मैं हमारे गृह मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद् भी देना चाहता हूं, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के पहले स्वयं इस बात को देखा है कि वहां पर किस प्रकार से जो अन्याय हुआ है, वहां जो घटनाएं हुईं हैं उनको कहीं दूर देखने जाने की आवश्यकता नहीं है, उस समय पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा

किस प्रकार से संरक्षण देने का काम किया गया। वह इस बात से भलीभांति परिचित हैं। प्रदेश की बात तो बाद में है पहले उनके चुनाव क्षेत्र की ही बात को कहना चाहता हूँ। उन्होंने जो नजदीक से देखा और उनको जो अनुभव हुआ है, वह उसके आधार पर इस बिल को लेकर आये हैं।

मानननीय सभापति महोदय, जब हम सामान्यत: देखेंगे तो यह लोग मतांतरण का कार्य कहां चलाते हैं उसका माध्यम क्या होता है। यह पहले किसको प्रभावित कर सकते हैं। उसमें हमने देखा है, यह सबसे पहले प्रभावित करते हैं, वह प्रलोभन के द्वारा किया जाता है। उस प्रलोभन में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रलोभन में लालच देना होता है उसमें केवल नकदी मुद्रा ही नहीं देना होता है, बल्कि हम विभिन्न प्रकार का कह सकते हैं किसी को नौकरी का लालच देना, किसी को नि:शुल्क शिक्षा देना, किसी को चिकित्सा में नि:शुल्क उपचार देना, उसी प्रकार से उनको विवाह का वायदा करना, उनको बेहतर जीवन जीने की शैली बताना, इसी के साथ-साथ में जो उनके रीति-रिवाज हैं उससे उनको पृथक करके, उन्हें अपने रीति-रिवाज में उनको शामिल करना, भी होता है और इस प्रकार से बहुत सारे मामले हम प्रलोभन के अंतर्गत देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के प्रलोभन दिये जा सकते हैं और उस प्रलोभन के द्वारा उनको आकर्षित करने का काम किया जाता है । खासकर जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, खासकर जो दूरांचल का क्षेत्र है, खासकर जिनके बीच अशिक्षा है, खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो उनके जाल में कैसे फंस सकते है। उनके द्वारा पहले ऐसे लोगों को चारा डालने का काम किया जाता है। उसके बाद उनके द्वारा उनको अपने जाल में फंसाने का काम किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहूं तो प्रपीड़न की बात आती है। मतलब उसको भय का दोहन करवाना, उसको बल का प्रयोग करना, उसके साथ उनको विवश करना, केवल व्यक्तिगत नहीं, उनकी संपत्तियों को नुकसान करना, परिवार को नुकसान करना, इस प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाने की बात होती है। इस प्रकार से प्रपीड़न के द्वारा जो एक दबाव बनाने का काम किया जाता है। यदि किसी कारण से प्रलोभन में नहीं फंस रहा है तो उनके ऊपर दबाव डालकर, उनकी कैसे घेराबंदी कर सकें और हम उसको घेराबंदी करके, कैसे ला सकते हैं, यह उनके द्वारा प्रयास किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में जो ड्राफ्ट किया गया है कि इसके लिए न्यायालय का गठन करना और इसके लिए सक्षम न्यायालय कौन हो सकता है । सक्षम न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट या उसके समकक्ष हम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की बात कर सकते हैं । धर्मान्तरण से अभिप्रेत, धर्मांतरण का आशय क्या हुआ ? मूल रूप से जिस धर्म के प्रति उनको आस्था है, उस धर्म से पृथक कराना और पृथक कराने के बाद में अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को स्वीकार कराना । साथ ही जिस प्रकार से अभी कई प्रकार से कार्यक्रम में मुझे देखने को मिला, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। पहले ये लोग टाईटिल चेंज करवाते थे, आजकल टाईटिल चेंज नहीं करवाते, सरनेम को चेंज नहीं कराते । वही के वही सरनेम उसमें रखा जाता

है, जो रहता है । मैं आपको एक घटना बता रहा हूं कि हमारे यहां बिल्हा में राम सप्ताह है, जहां पर राम कीर्तन का आयोजन किया जाता है । वहां पर भोजन बनाने का काम एक व्यक्ति का है और वहां पर वर्षों से भोजन बनाते हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद में यह बात सामने में तब आई, जब उन्होंने कहा कि मैं इस प्रसाद को नहीं खाऊंगा तो समाज के लोगों ने पूछा कि ये तो प्रसाद क्यों नहीं खाओगे, यह तो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ है तो उसने कहा कि अब हमारे धर्म में ये प्रसाद नहीं चलता । लोगों ने पूछा कि तुम्हारा धर्म कब से बदल गया ? वर्षों से तुम यहां प्रसाद बना रहे हो, साथ में बैठकर खा रहे हो और खाने के बाद में आज तुम बोल रहे हो कि ये हमारे धर्म में नहीं है, तब पता चला कि उसका धर्मांतरण हो चुका है । पहले तो धर्मांतरण होता था तो उससे टाईटिल (सरनेम) चेंज होता था, आजकल टाईटिल भी चेंज नहीं करा रहे हैं। मतलब इस प्रकार से धर्म है, जो रीति-रिवाज है, जो परम्परा है, जो हमारे इतने दिनों से चलती आ रही है, अब उसमें असमानता देखने को आ रही है कि अपने परम्परा को छोड़कर दूसरे परम्परा में जाना, अपने पुराने रीति-रिवाज को छोड़कर दूसरे की रीति रिवाज में जाना और यह बातें दिखाई दे रही है, अब इससे पता लगता है कि वर्षों से हमारे धार्मिक अनुष्ठान चलते आ रहे हैं, उसको छोड़कर नई परम्परा को उनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, तब यह बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण हो चुका है । इतना ही नहीं, हम लोग जिस देवी-देवता को मानते आ रहे हैं, हम जिसकी पूजा करते आ रहे हैं, उससे उनको पृथक करना और पृथक करने के बाद में दूसरे जो धर्म के अनुसार उनको मनवाने का प्रयास करना और इसी प्रकार से ये जो हमारे धर्म समारोह है, उसमें भी पहले जो रीति-रिवाज चलती रही है, उसकी प्रक्रियाओं को बदलना उचित नहीं है । मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा विधेयक लाया है।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने भी बहुत सारी घटनाएं देखी होगी कि लोग आपस में नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी डिजीटल मित्रता हो जाती है । मित्रता ही नहीं होती, बल्कि दोनों घर से फरार हो जाते हैं । अभी आपने देखा होगा कि डिजीटल अरेस्ट किया जाता है, उनका कोर्ट लगाया जाता है, कोर्ट लगाकर सजा सुनाई जाती है और इस प्रकार से आम जनता को इसका शिकार बनाया जाता है, यह दूसरे प्रकार के हिस्से में है । लेकिन वे लोग धन लूटने का काम करते हैं । उसी प्रकार से माईंड वॉश करने का काम आजकल डिजीटल के माध्यम से प्रारंभ हो गया है और उसको डिजीटल मोड में ले जाकर नेटवर्किंग साईड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेब साईड के माध्यम से, इलेक्ट्रानिक मोड में, बहुत प्रकार से आजकल प्लेटफार्म के माध्यम से उनके धर्म के खिलाफ में दुष्प्रचार करना, अपने धर्म को उनके सामने में अच्छा बताना, यही काम है और इस प्रकार से उनके माईंड वॉश करने का काम किया जाता है ।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में बहुत सारे बिन्दु हैं, मैं सारे बिन्दुओं में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटे-मोटे रूप से कैसे-कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता

है, मतांतरण किया जाता है । सामूहिक धर्मांतरण । एक व्यक्ति का धर्मांतरण, लेकिन दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या समूह में जो करना है, इसके साथ ही उपदेशन, ऐसा भ्रामक प्रचार करना, ऐसा प्रस्तुत करना जो बिलकुल सत्यता के करीब है। इस प्रकार से भी ब्रेनवॉश करने का काम किया जाता है।

मानननीय सभापति महोदय, हम इन सारी बातों को देख रहे हैं। उन बातों के अनुसार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातर घटनाएं घटीं हैं, उनके द्वारा ये सब हथकंडा अपनाकर अपने चंगुल में फंसाने का काम किया जाता है। उनको किसी भी माध्यम से फंसाकर, किसी भी वेश में लाकर कुल मिलाकर धर्मान्तरण कराना है। उसके लिए कैसे-कैसे उपाय किये जाते हैं, मैंने उन सारी बातों को उल्लेख आपके समक्ष किया है।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से पहले से ही इसके लिए कानून बना हुआ है। कानून बनना भी चाहिए। उसमें उल्लेख भी है, खासकर हमाने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अबोध बालक, साथ ही जिसका मानसिक रूप काम नहीं कर रहा है, विकृत, ऐसे बहुत सारे लोगों को जाल में फंसाया जाता है। जब तक इसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे, आप उनके लिए उपबंध नहीं लगायेंगे, आप उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं रखेंगे तब तक शायद संभव नहीं है कि इसको रोक पाये। इसीलिए इसमें विशेष रूप से चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवाकरण अधिनियम बना हुआ है, जो दो कानून वर्ष 2023 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, उसके अन्तर्गत समावेश करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, यदि कोई धर्मान्तरण करना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उसका तरीका लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। इसमें वैध धर्मान्तरण का तरीका भी बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को 7 दिन के भीतर आवेदन देना होगा, आवेदन देने के बाद उस आवेदन को दर्ज करना पड़ेगा। उसको सक्षम न्यायालय में प्रकाशित कराना पड़ेगा। प्रकाशित होने के बाद तहसीलदार, पंचायत में, उस एरिये में, उस गांव में यानी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होना चाहिए कि वह व्यक्ति धर्मान्तरण करने वाला है। लोगों के बीच उसकी विधिवत जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के बाद निर्धारित समय दिया गया है, इस संशोधन में 60 दिन के समय का भी उल्लेख किया गया है। उसमें समय का भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह धर्मान्तरण करना चाहता है और यदि आवेदक ने वैध आवेदन दिया है, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है तो 90 दिन के भीतर धर्मान्तरण हो जाना चाहिए, यदि निर्धारित अवधि में धर्मान्तरण नहीं होता है तो वह भी अवैध माना जायेगा। इस संशोधन में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें विधि के अनुसार पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। मैं सारी बातों के बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस संशोधन में यह भी दिया गया है, जो

धर्मान्तरण करने वाला है, वह तो ठीक है। लेकिन जो धर्मान्तरण कराने वाला है, जो उसमें सहयोग करने वाला है। जैसे आपके प्रीस्ट, मौलवी, फादर या धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति हैं, यदि वह लीगल करा रहे हैं तो उनका भी हिसाब-किताब रखना पड़ेगा। अभिलेख में दर्ज करना पड़ेगा। साल के अंत में उन सब बातों को बताना पड़ेगा कि कितने लोग आये। उसमें उसका पूरा हिस्ट्री रहेगा। उसके सन्दर्भ में पूरे विस्तार से जानकारी रहेगी। इन सब जानकारी को उनको बताना पड़ेगा और उसको रखना पड़ेगा। सभापति महोदय, यदि इस धर्मान्तरण की प्रक्रिया में कोई आपत्ति करना चाहता है तो इस संबंध में 30 दिवस के अंदर आपत्ति करने का अधिकार भी दिया गया है और आपत्ति करने के बाद में उस पर सारी जांच होगी। जांच होने के बाद में वैध है, अवैध है, इन सारी चीजों को वहां पर दिया गया है। इसमें जो सक्षम न्यायालय है जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर ने कोई आदेश पारित किया, वैध है, तो वैध के खिलाफ में आपको सिविल कोर्ट में भी जाने का राइट्स दिया गया है और सिविल कोर्ट में जाकर आप उसकी अपील कर सकते हैं। यह प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से इसमें दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, उसके साथ ही साथ में इसमें जो अपील हुई है, उसका निर्णय कब तक आना चाहिए, वह सब भी इसमें पूरा दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि वह 30 दिन के भीतर में उसकी अपील कर सकता है। 21 दिनों के भीतर में उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। यह इसमें पूरा विस्तार से है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई इसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने की तारीख से 60 दिन के पूर्व इसमें आपको निर्धारित प्रारूप के अनुसार में घोषणापत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। वेबसाइट में डालना होगा। उनको प्रकाशित करना पड़ेगा। इसके साथ ही 45 दिन के भीतर में उसकी जांच उसमें होगी कि यह जो समय उसमें दिया गया है और उसमें विवाह के उद्देश्य से जो धर्मांतरण कराते हैं, तो उसके लिए भी वह प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है, नहीं किया गया है, यह भी उस एक्ट में दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक अभिलेख की बात की है और उसके साथ-साथ में इसमें जो legal और illegal, इन दोनों का जो प्रावधान दिया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, कानून तो पहले भी हमारे यहां हैं, लेकिन कानून होने के बाद में आज जिस प्रकार से उसमें जो स्पष्ट प्रावधान लाए गए हैं और एक-एक बात को रेखांकित करने का इस बिल के माध्यम से प्रयास किया गया है। इसमें बहुत अच्छा किया गया है कि यदि आप इसको रोक सकते हैं, तो सभापति महोदय, आपको मालूम है कि जब तक उसको भय नहीं होगा, जब तक उसके लिए दंड निर्धारित नहीं होगी, जब तक उसके लिए पेनाल्टी निर्धारित नहीं होगा, तो लोग इसकी परवाह नहीं करते। परवाह तभी करते हैं, जब उसको यह मालूम हो कि यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे इसमें सजा भी मिलेगी। सजा ही नहीं मिलेगी, मुझे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसलिए इसमें सारे चीजों को अलग-अलग डिफाइन किया गया है किसके लिए कितना जुर्माना है। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा कि

सामान्य धारा 3 (1) में यदि उस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो निश्चित रूप से कम से कम सात वर्ष और उसको दस वर्ष तक की सजा एवं दंड दिया जा सकता है। उसको पांच लाख तक का जुर्माना है। माननीय सभापति महोदय, हम इसके आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा कि महिला है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, ऐसे लोगों को प्रभावित करने का काम किया गया है, तो दस से बीस वर्ष तक की उनको सजा और दस लाख तक का जुर्माना है, यह प्रावधान इसमें किया गया है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से ये लोग बहुत सारे हथकंडा अपनाते हैं और सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से जो सामूहिक परिवर्तन कराते हैं, तो उसको दस वर्ष से आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस लाख रुपये तक का जुर्माना है। उसमें यदि कोई लोक सेवक के द्वारा इसमें उसका उल्लंघन किया जाता है, तो दस से बीस वर्ष तक की उनको सजा और दस लाख तक का जुर्माना। इस प्रकार से धारा 3 की उपधारा 3 यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो इसमें दस वर्ष तक की सजा और बीस लाख तक के जुर्माना है, क्योंकि वह पढ़ा-लिखा आदमी है, जानबूझकर इसको उत्प्रेरित करने का काम उनके द्वारा किया गया है, उन्होंने जो गलत निर्णय लिया है, उसके लिए जो सहयोग किया है, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। धारा 3 और 4 में दस वर्ष की सजा और तीस लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, मेरा कहने का आशय यह है कि मुझे पूरा बिल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर हम इसे कैसे रोकेंगे? जब तक आप शास्ति का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। यह कहा गया है कि राजा के राज में राजा का नहीं, बल्कि उसके दंड का प्रभाव दिखता है। इसलिए जब दंड का प्रभाव दिखेगा, तभी उन पर अंकुश लगेंगे। उन पर अंकुश लगाने के लिए इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, उसके नियम अभी अलग से बनेंगे। जब माननीय मंत्री जी उसमें विस्तार से जवाब देंगे, तक हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कानून बनाना आसान है, लेकिन उसका पालन कराना कठिन होता है। उसका क्रियान्वयन कैसे हो? सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि हम यहां बहुत अच्छा बिल लेकर आये हैं। इस बिल के पारित होने के बाद उसमें जो नियम बनेंगे, यदि उनका कठोरता से पालन होगा तो समाज को तोड़ने वाले जो तत्व हैं, जो कुचक्र रचने वाले, षड्यंत्र करने वाले, उसमें सहयोग देने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आसानी से धर्मांतरण करा सके। इस पर प्रतिबंध लगेगा और बैन लगेगा। (मेजों की थपथपाहट) आज छत्तीसगढ़ और पूरे देश में जो स्थिति हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, उसे देखते हुए मुझको ऐसा लगता है कि यह समय की मांग है कि हम उनकी संस्कृति की रक्षा कर सकें, उन्हें प्रलोभन, भय और दबाव से बचा सकें और उनके धर्म की रक्षा कर सकें। जिस प्रकार से दबाव में डालकर, धमका कर, चमका कर उनको प्रेशर में लाया जाता है, उससे हम उनको सुरक्षित निकाल सकें, उसके लिए इस बिल में सारे प्रावधान रखे गये हैं। आज सौभाग्य से नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज जहां हम गुड़ी पड़वा, चैट्रीचण्ड और हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, इसी शुभ

दिन में यह छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य बिल लाया गया है, इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने हेतु मैं समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। सुश्री लता उसेण्डी जी।

सुश्री लता उसेण्डी (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, आज हम छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के समर्थन में भाग ले रहे हैं। माननीय सभापित महोदय, कानून की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिल है। उसी तरह यह बिल हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने को भी गहराई से छूता है। हम सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार धर्मांतरण के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के कई गांवों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई गांवों की स्थिति ऐसी है कि वे 80% से 90% तक धर्मांतरण के शिकार हो चुके हैं। अगर हम जशपुर की बात करें तो वहां की लगभग 22% जनसंख्या इस चक्रव्यूह में फंसी हुई है। आज यह संकट उन लोगों पर है, जो सहज, सरल और सीधे हैं, जिन्हें आसानी से अपनी बातों में उलझाकर अपने पक्ष में मिलाया जा सकता है, आसानी से अपने साथ शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले वे टारगेट बनते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम सब लगातार देखते, सुनते और अनुभव करते आ रहे हैं कि जिन देशों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूला है, आज वह विश्व के नक्शे के पटल पर नहीं है । कई ऐसे देश हैं, जहां पर दूसरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और वहां की संस्कृति खत्म हो गई है और वह सिर्फ यादों पर ही बनी हुई है । माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि कई घटनायें छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में हम सब के सामने ऐसा आया कि जब इस तरह की घटनायें घटी और उन घटनाओं को संभालने में शासन और प्रशासन ने पूरा ताकत लगाया है कि जो वैमनस्यता समाज में फैल रही है, उसे कैसे रोका जाये ? सामाजिक संतुलन को कैसे बरकरार रखा जाये, आपसी सौहार्द के वातावरण को कैसे बनाया रखा जाये, इसके लिये पूरा प्रशासनिक अमला हों या शासन के लोग हों, कई दिनों तक कोई अन्य काम न करके इसी विषय पर लगे रहना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, नारायणपुर की घटना का जिक्र हुआ है, हम सब जानते हैं कि उस घटने पर जो लोग वहां थे, उन्हें भी यह समझ में नहीं आया कि किस तरह से कितना मूवमेंट यह घटना ले लेगा और बाद में कई लोग ऐसे थे कि वहां पर खड़े होकर मंजर को देख रहे थे । ऐसे लोगों के भी नाम आये और कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा और आज मुझे आज भी लगता है कि कुछ लोग शायद जेल में है । माननीय सभापति महोदय, मैं कोण्डागांव के चितावंड की बात करूँगी कि काकराबेड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपरांत वहां पर वातावरण इतना दूषित हो गया कि एक महीने तक पूरा पुलिस प्रशासन का कैम्प लगा रहा । काकराबेड़ा जाना है यह बात करते थे तो कहते थे कि वहां पर मत जाईये, वहां पूरा पुलिस कैम्प लगा हुआ है और वह घुसने नहीं दे रहे हैं । माननीय

सभापति महोदय, आमाबेड़ा की घटना हो या पत्थलगड़ी की बात हो, यहां पर रायमुनी जी बैठी हैं, वह विस्तार से बात को रखेंगी । लगातार इस तरह की घटनायें और जनप्रतिनिधियों के सामने भी इन सारे विषयों को लेकर लोग आते हैं, बात करके बैठते हैं तो हम भी उत्तर देने में, समाज के बीच जाकर उन्हें संतुलित करने में प्रशासन के लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, शासन के लोग हों, सभी लोगों के सामने जिस तरह से कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इस बात से सभी वाकिफ है । माननीय सभापति महोदय, हम सब देखते हैं कि लगातार कुछ घटनायें हम सभी के सामने आती है और कार्यवाहियां भी होती है । मैं कुछ घटनाओं को भी सदन में इंगित करना चाहूँगी, मैं क्षेत्र का नाम नहीं लूँगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का ही विषय है । अभी हाल ही में एक 18 साल की लड़की जिसका 18 साल पूर्ण नहीं हुआ रहता है, वह प्रेम में फंसकर किसी लड़के से शादी करना चाहती है । मुस्लिम परिवार की वह लड़की है और जब परिवार के लोगों को पता चलता है तो समाज के लोग ही उसको पकड़कर उस लड़के खिलाफ एफ.आई.आर. करवाते हैं और लड़के को जेल हो जाता है । जब वह लड़की 18 साल की होती है और 2 महीने बाद अपने घर से निकलती है । उस लड़के के परिवार के संपर्क में आकर कोर्ट में गवाही देती है, तब उस लड़के को बरी किया जाता है । उस लड़की को परिवार के लोग वापस ले जाते हैं और उसी के समाज के कुछ लड़के अभी जमानत नहीं हुआ है और वह 3-4 लोग जेल में है, उस लड़की के समाज के लोग ही उसको रायपुर लेकर आते हैं और दिन-भर चर्चा का विषय था कि लड़की उस लड़के के साथ गायब हो गई है । जब पता लगाया गया तो लड़की अपने ही समाज के लड़कों के साथ रायपुर में थी और उनसे छुटकारा पाकर वह खुद कहीं संपर्क करके फिर से मामला पुलिस थाने में अधिकारियों तक पहुंचा और उस समाज के लड़के आज जेल में है । माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे केसेस में नारायणपुर का मामला आया है, एक मुस्लिम लड़का जो बिहार का था, नाम बदलकर 5 साल तक उस इलाके में रहा, वहां की लड़की से मैरिज कर ली और मैरिज करने के बाद तीन बच्चे हो गए, पता ही नहीं लगा वहां नाम बदलकर रह रहा था। उसके बाद जब एक दिन किसी और लड़की को छेड़ने की कोशिश की तो खुलासा हुआ। गांव के लोग उसको पकड़कर मारे तो यह खुलासा हुआ। पूरी छानबीन हुई तो वह छत्तीसगढ़ का ही नहीं था। मैं यहां पर इस बात को इसलिए कह रही हूं, ऐसे कुछ केसेस हमारे संपर्क में आते हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इसकी केस स्टडी भी कॉलेजों में, स्कूलों में चर्चा पर आनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। कई बार जब यह प्रकरण आता है, उस समय उछलता है, बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद हम उन प्रकरणों को भूल जाते हैं, लेकिन निरंतर कॉलेजों में, स्कूलों में ऐसे केसेस की केस स्टडी पर चर्चाएं हों, बातचीत हो, तो मुझे लगता है ऐसी चीजों से भी बचा जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं अगर बस्तर की बात करूं, कई बार इतना विकराल दृश्य हम सब लोगों को देखने को मिलता है, अगर मैं अभी मेरे ही क्षेत्र की एक बात कहूं, कोंडागांव से उमरकोट जाने वाली जो सड़क है, जब मैं वहां से गुजर रही थी तो

कम से कम डेढ़, दो सौ लोग इकट्ठा थे, मैंने सोचा इतनी भीड़ क्यों है? वहां पर गाड़ी रोककर देखते हैं, पता करिए कारण क्या है, इतनी भीड़ क्यों है? मैंने कहा क्यों इतनी भीड़ लगाकर रखे हो? वह सुबह-सुबह 9 बजे की बात थी, मैं भी 9 बजे ही निकल रही थी। कहीं से कोई धर्मांतरित व्यक्ति के यहां मृत्यु हुई, उसके गांव में उसकी डेड बॉडी को दफनाने नहीं दिया गया, इसलिए चोरी से इस जंगल में लाकर वह सुबह उस डेड बॉडी को दफना रहे थे। ऐसे दृश्य भी हम सब लोगों को देखने को मिलते हैं। विपक्ष के जो लोग हैं, उनको तो इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, वे अपने आलाकमान को खुश करने की ही नीति बनाते हैं। ऐसे विषय उनके सामने भी आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों चर्चा करने के बजाय वह पलायन को स्वीकार करते हैं। आज हम सबके बीच में वह लोग नहीं हैं। हम सब लगातार देख रहे हैं और यह जो चक्रव्यूह में फंसने की बात है, यह सिर्फ एक जाति का नहीं रह गया, आप अभी कुछ वर्षों से देखेंगे, सारे समाज कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। चाहे हम ओ.बी.सी. समाज को बोलें, एस.टी. समाज को बोलें, एस.सी. समाज को बोलें, जनरल समाज को बोलें, अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कहीं न कहीं हर समाज में कुछ न कुछ है। कहीं पर ठीक है, कुछ समाज में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़े हुए हैं लेकिन कुछ समाज में शुरुआत हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हम सब लोगों को देखने को मिलता है। माननीय मंत्री जी ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए निश्चित तौर पर लगातार इस विषय पर चर्चा भी की थी और यह बिल लेकर आए हैं। हमारे जो विचारक हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कोट करके यहां पर बात कही। अभी तो यहां नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक कोट और भी किया था जिसमें देखते तो ईसाई धर्म में मतांतरण से दलित वर्गों का अराष्ट्रीयकरण हो जाएगा, यह अंबेडकर जी ने भी कहा है। अगर मैं महात्मा गांधी जी को बात कहूं तो महात्मा गांधी जी ने धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, यह महात्मा गांधी के शब्द रहे हैं। हम अफ्रीका की बात करते हैं, अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो डेसमंड टूटू जो अफ्रीका के एक विचारक थे, उन्होंने कहा था, जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबिल थी और हमारे पास जमीन, उन्होंने कहा कि आओ हम सभी प्रार्थना करें, हमने अपनी आँखें बंद कर लीं, जब हमने आंखें खोलीं तो हमारे पास बाइबिल थी और उनके पास जमीन। ऐसे बहुत सारे हमारे विचारकों ने अपनी बात कही है। हम सब उन लोगों को समय-समय पर पढ़ते हैं, जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी, जो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, जो जनजाति समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भी मिशनरीज स्कूल में पढ़ाई की थी और उनका नाम बदल दिया गया था, बिरसा डेविड रख दिया गया था। लेकिन बाद में उनके अंदर की जो जागृति थी, उन्हीं के बीच में रहकर जब उनको यह विषय समझ में आया कि अगर हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। उन्होंने बाद में अपना नाम बदला और बिरसा दाऊ के नाम से चर्चित हुए। आज धरती आबा के नाम से भगवान के रूप में माननीय बिरसा मुंडा जी पूजे जाते हैं। कार्तिक उरांव जी, जिन्होंने सन् 1967 में प्रधानमंत्री जी को इस विषय को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 235 सांसदों

के हस्ताक्षर थे। यह जो ज्वलंत विषय है, सब चाहते हैं कि इस पर कोई कठोर कानून बने और लोग डरें और इस तरह की घटनाओं से भी हमारे लोग बचें। आने वाले समय में हमारे इस प्रदेश और देश में हम जिस अस्थिरता को देख रहे हैं, जिस सामाजिक वैमनस्यता को देख रहे हैं, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में जो खलल उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है तो माननीय मंत्री जी को मैं बधाई भी देती हूं। इसमें एक विचारक बेंथम ने कहा था, जिसको हम सब जानते हैं–कानून स्थिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज स्थिर नहीं है। आज जिस तरह से हम इन सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वह विषय निकलकर आ रहा है कि यदि हम प्रारंभिक काल से देखें तो कुछ लोगों के द्वारा हम पर धार्मिक प्रहार, आर्थिक प्रहार करने का लगातार प्रयास किया गया। उस प्रयास में, उस षड्यंत्र में, धार्मिक प्रहार में कहीं न कहीं हमारे भोले-भाले लोग चपेट में आते हैं। जब यह कानून पूरी तरीके से बनेगा तो भय बिनु होय न प्रीत, लगातार इन शब्दों का उपयोग भी किया जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसा एक कानून बनेगा और लोग भयभीत होंगे। आने वाले समय में इन घटनाओं से भी हमारा समाज बच पायेगा और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ हम आगे बढ़ते जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ ही मैं माननीय मंत्री जी के इस विधेयक का स्वागत करते हुए, इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती रायमुनी भगत।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत वर्षों के बाद आज यह इंतजार समाप्त हुआ कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में धर्म स्वतंत्र्य विधेयक, 2026 आया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं आज हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं सरहुल पूजा के इस शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में रखना चाहती हूं। आज धर्म स्वतंत्र्य विधेयक, 2026 आया है और जिस प्रकार विपक्ष के साथियों ने दिन भर के लिए बहिर्गमन किया है तो यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। मैं आज सम्माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आज आपने धर्म स्वतंत्र्य विधेयक लाया है। (मेजों की थपथपाहट) सम्माननीय सभापति महोदय, आज हम केवल इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ जो संस्कृति, संस्कार, रीति-रिवाज और परंपरा की भूमि कही जाती है और इस छत्तीसगढ़ में हमने अपनी संस्कृति, अपने रीति-रिवाज, अपनी परंपरा जैसे कर्मा, सरहुल, सुआ, ददरिया और पंथी को बचाकर रखा है। अनेक प्रकार की परंपरा से सुसज्जित इस छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से विदेशी ताकत या बाहरी ताकत प्रत्येक गांव में अपना एक नेटवर्क बिछाने का काम कर रही है। विशेषकर उन जनजाति क्षेत्रों में जहां पहाड़ी कोरवा है, उराव जनजाति है, बैगा है, नगेरिया है, पंडो है, बिरहोर है, वह ऐसे जनजाति क्षेत्रों में घात लगाकर बैठे रहते हैं कि कौन बीमार है, कौन अशिक्षित है, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे लोगों पर घात

लगाकर इनका गिरोह लगातार सर्च करते रहता है और मौका मिलते ही अपने धर्म को यानी कि इसाई धर्म को महान बताकर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति का जो पैतृक धर्म है, जो पुरखो का धर्म है, रीति रिवाज है, पूजा पाठ है, उसको गलत बताकर और बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह आज का विषय नहीं है। हम और आप सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को मुगलों और अंग्रेजों की नजर लग गयी। भारत में 800 साल मुगलों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। सभापति महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहती हूं कि जिस पार्टी की नींव ही विदेशी लोगों ने रखी है, ऐसे लोग धर्मांतरण का साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम कांग्रेस पार्टी की नींव या इतिहास को देखते हैं तो उसके अनुसार लगातार भारत के विभाजन की बात आयी। धर्म के हिसाब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। आज 7 Sisters कहे जाने वाले जो 7 प्रदेश हैं, जिसमें अरूणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है, उनकी स्थिति क्या है ? आज हम छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में बैठकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। आज विपक्ष के साथियों को इस चर्चा में भाग लेना था। वे पूरी तरह से इसका बहिष्कार करके बाहर चले गये। इससे साफ झलकता है कि यही लोग हैं जो धर्मांतरण का अंदर से साथ देते हैं। सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि संस्कृति ही धर्म है और धर्म ही संस्कृति है। (मेजों की थपथपाहट) लोग जिस धर्म को, जिस संस्कृति को, जिस रीति रिवाज को, जिस पूजा पाठ को और जिस संस्कार को स्वेच्छा से छोड़कर, त्यागकर अन्य धर्म को अपनाते हैं, उसके बावजूद इनकी चाल और इनका चरित्र साफ नहीं है। यह धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों का चेहरा और चरित्र अलग-अलग है। सभापति महोदय, धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करते हैं, अपना सारा संस्कार, पूजा-पाठ, संस्कृति, गीत, संगीत सबको छोड़कर वह अन्य धर्म में चले जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों में एक सच्चाई देखी जाती है, जब ग्राम पंचायत में एक समाज विशेष के लोग, धर्म परिवर्तन किये हुए लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये जाते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र का जो कालम रहता है, उस कालम में पूछा जाता है कि आप किस धर्म को मानते हैं, वहां उल्लेख करना होता है। आप किस जाति से हैं, वह भी उल्लेख करना पड़ता है। माननीय डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 10-12 साल पहले यह कालम हुआ करता था। बीच में यह जो जाति प्रमाण पत्र का कालम है, उस पेज को हटा दिया गया है। जब स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं तो धर्म परिवर्तन करने वाले उन भाईयों को मैं कहना चाहती हूं कि वह अपने अंत:करण को टटोलें और हिम्मत रखें कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। यह कहने की ताकत उनको नहीं है। न वो किसी शासकीय दस्तावेज में ये उल्लेख करते हैं। शासकीय दस्तावेज मतलब विशेषकर जाति प्रमाण पत्र जब बनता है तो धर्म में हिन्दू लिखायेंगे, पूजा में लिखायेंगे। जैसे हमारे जशपुर क्षेत्र में सरहुल पूजा, कर्मा पूजा होती है, इष्टदेव में कौन से देव को मानते हो कहेंगे तो महादेव, पार्वती लिखेंगे।

ये लोग साफ-साफ लाभ लेने के लिये अपने धर्म को छोड़कर हिन्दू धर्म का उल्लेख जाति प्रमाण पत्र में करते हैं, मैं सदन से यह मांग करती हूं कि इसकी भी छानबीन करानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं जशपुर की बात करूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। जशपुर में विश्व का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गिरजाघर है। लेकिन जब सूचना के अधिकार के तहत ईसाईयों के आंकड़े मांगे जाते हैं तो निरंक आंकड़ा आता है। कोई भी घटना हो जाती है, लोग धर्मांतरण के विरोध में आवाजें उठाते हैं, ये लोग हजारों, लाखों की संख्या में उतर आते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप लोग दोहरा लाभ लेना बंद करें। (मेजों की थपथपाहट) किस प्रकार से हमारे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को छीन रहे हैं। जशपुर में आजकल तो एक परंपरा बन गई है। वहां चिकचिकवा के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, एस.सी. समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे लोगों का भी धर्मांतरण जशपुर में हो रहा है। ये बहुत तकलीफ की बात है। हम जिस जनजाति के प्रमाण पत्र से जिस जाति, जनजाति समाज में पैदा हुए और उस जनजाति का लाभ लेते हुए हम पढ़े-लिखे और आज उस आरक्षण से विधायक बने हैं तो हम सबका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम धर्मांतरण को रोकने के लिये काम करें । धर्मांतरण, इस विधेयक में कहा गया है कि सभी को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का, अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है । लेकिन संविधान में यह भी नहीं कहा गया है कि आप शिक्षा के नाम से, नि:शुल्क शिक्षा के नाम से, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के नाम से, गरीबी दूर करने के नाम से भोले-भाले गरीब आदिवासियों को धर्मांतरण कराने का अधिकार भी यह संविधान नहीं देता है । आप यदि धर्मांतरित कराते हैं, चाहे कोई भी गिरोह हो, संगठन हो निश्चित रूप से धर्मांतरण करवाईये लेकिन उसका भी लेखा-जोखा होना चाहिए । किस अधिकार से अगर एक हिंदू लड़का ईसाई लड़की से विवाह करता है तो 15 से 20 दिन पहले धर्म क्लास के नाम से उनको बपतिस्मा देते हैं और विवाह कराते हैं इसका भी हिसाब-किताब होना चाहिए । आज हम इस सदन से कह पा रहे हैं, चूंकि आरक्षण के हिसाब से हम यहां पहुंचे हैं और मैं बहुत ही पीड़ा के साथ कहती हूं कि जिस दंश को मैंने झेला है, मैं पूरी ताकत के साथ यह कह सकती हूं कि आज से 70 से 80 साल पहले हमारा गांव कंवई जहां से ईब नदी निकलती है वहां एक परिवार बहुत बीमार रहता था, उस समय मलेरिया हो जाता था, टायफाईड हो जाता था, वह ठीक नहीं होता था तो गांव के प्रचार कहते थे कि बाबू हमारे धर्म में आ जाओ, तुम लोग इस धर्म में बहुत बीमार हो रहे हो, इस धर्म में आकर तो देखो । लोग सब कुछ छोड़कर, पूरे परिवार ने ईसाई धर्म को गृहण किया, ईसाई धर्म को गृहण करने साथ स्कूलों में उनका बदला गया । बानूराम भगत को आनंद प्रकाश टोप्पो का नाम दिया गया । यह पीड़ा, यह दर्द 2 साल तक उन्होंने झेला जो परिवार कम से कम 60 लोग धर्मांतरित हुए । 2 साल तक इस पीड़ा को झेलते

हुए बीमारी ठीक नहीं हुई, अंत में एक व्यक्ति जो छठवीं कक्षा में पढ़ता था, जब शाम को फादर आशीष पानी छिड़करकर निकल जाते हैं तब वह बीमार हो जाता है, अचेत हो जाता है । दूसरे दिन सुबह तक उसको होश नहीं आता है तब गांव का बैगा कहता है कि आप लोग अपनी धर्म-संस्कृति, रीति-रिवाज, पूजा-पाठ को छोड़कर यह जो बपतिस्मा और आशीष ले रहे हो इसी का दुष्परिणाम है कि आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्टदेवता नाराज हुए हैं । आप पुन: आह्वान करो, ऐसा कहने पर बैगा ने आह्वान किया और वह जो छठवीं कक्षा का बच्चा था वह पुन: होश में आया और आज तक वह जीवित है, नौकरी कर रहा है, यह प्रमाण है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र जशपुर की बात करना चाहूंगी कि खड़कोना एक गांव है । वर्ष 1905-06 में वहां 64 परिवार का, 64 व्यक्तियों का धर्मांतरण हुआ और आज भी वहां शिलालेख है, उन 64 लोगों का नाम बदल दिया गया है । वह 64 परिवार आज उस 64 परिवार का नाम तो उल्लेखित है लेकिन जितनी तेजी से धर्मांतरण हुए हैं। आज सरकार के पटल पर या जिला मजिस्ट्रेट के पास अपने आंकड़ें क्यों नहीं देते है?

सभापति महोदय, इस विधेयक में बहुत ही अच्छी बात आयी है। इस विधेयक में यह है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है या करने की इच्छा रखता है वह 7 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और उस सूचना के बाद निचले स्तर में भी सूचित होगा, फिर वह तहसीलदार, पटवारी और ग्राम पंचायत में जाएगा। अगर धर्मांतरण करने के पहले या सूचना आने के बाद गांव के लोगों को आपत्ति होगी तो निश्चित ही वह धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए आपत्ति कर सकते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ। निश्चित ही इस प्रकार के कानून से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। मैं वर्ष 1905-1906 की बात करती हूँ। आज के परिदृश्य में उस क्षेत्र को देखती हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकलते हैं। आज हमारे जनजाति समाज के लोग दिन ब दिन घटते जा रहे हैं और धर्मांतरित परिवार के लोग इस प्रकार सलूक करते हैं, उनके खेत में काम नहीं करते हैं, उनकी बैल-बकरी को सड़कों पर चलने नहीं देते हैं, चराई करने नहीं देते हैं, जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया है, उनको पानी पीने नहीं देते हैं, वह परेशान, हैरान और पीड़ित होकर धर्मांतरण करते हैं। इसीलिए मुझे दु:ख है। अभी-अभी खड़गोना और कोरकोटोली में एक घटना हुई थी जिसकी जांच समिति भी बनी थी । वहां पर एक राजेन्द्र चोराट नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके दाह संस्कार पर बहुत बड़ी असामाजिक घटना घट जाती है। उस व्यक्ति की बूढ़ी मां, बूढ़ा बाप, 4 बहनें तथा उसका पूरा परिवार कहता रहा कि मेरा बेटा हिन्दू था, हम हिन्दू रीति-रिवाज से इसका दाह संस्कार करेंगे, लेकिन एक ईसाई लड़की से विवाह करने के कारण, वह लड़की फादर और पास्टरों के साथ मृत शरीर को छिन का ले जाती है और ईसाई रीति-रिवाज से उसका दाह संस्कार करती है। यह बड़ा दु:ख का विषय है। यहां पर जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, यहां जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे हैं, किसी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं हो रहा है यह

सीधे-सीधे इस देश को आंतरिक नुकसान हो रहा है। इस देश की धर्म, संस्कृति रीति-रिवाज पर कुठाराघात है। आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मैं बहुत नियम और कानून के बारे में नहीं कहूंगी। जिस प्रकार की यहां हमारी संस्कृति, परम्परा है, पर धर्मांतरण के बाद परिवार दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक परिवार वह होता है, जो अपने पैतृक धर्म या पुरखों के धर्म में अडिग है और एक पक्ष वह होता है, जो उसी परिवार से धर्मांरित होकर, दूसरे धर्म में चले जाते हैं। जब उस परिवार में उनका जन्म संस्कार होता है, जब उनका विवाह संस्कार होता है या मृत्यु संस्कार होता है तो भाई-भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है।

माननीय सभापति महोदय, लोग यह कहते हैं कि हम तो एक ही जाति के हैं । उरांव, उरांव हैं, नगेशिया, नगेशिया हैं, कोरवा, कोरवा हैं । सभी जनजाति एक हैं। मैं मानती हूं कि सभी जनजाति एक हैं, पर डंके की चोट में कहना चाहूंगी कि आपने स्वेच्छा से धर्म त्यागा है तो हिम्मत और ताकत भी रखना चाहिए कि सभी सरकार दस्तावेजों में अपने धर्म का उल्लेख करें । दोहरा लाभ नहीं लेना चाहिए । पहले जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो पढ़ते जाते थे तो मैंने उस चीज को भोगा है, झेला है । हम लोगों को, हिन्दू बच्चियों को, जनजाति बच्चियों को कहा जाता है कि तुम लोग का भगवान तो पानी में डूब जाता है, हम लोगों का भगवान नहीं डूबता है। हम लोग घर में आकर अपने माता-पिता से पूछते थे कि मां, हम लोगों के भगवान में ताकत नहीं है क्या, शक्ति नहीं है क्या ? वह पानी में डूब जाता है और उनके भगवान में तो चमत्कार है, वे नहीं डूबते हैं । स्कूलों में ये बातें होती थीं तो कितनी पीड़ी की बात है, जो 7-8 साल, 10 साल के छोटे बच्चे रहते हैं, उनके दिमाग में वर्षों से किस प्रकार का बीज बोया जाता रहा है और स्कूलों में जैसे ईसाई स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में अनुसूचित जाति, जनजातियों की बच्चियां दाखिला लेती हैं तो उनसे सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम्हारे मा-बाप को फोन करो कि तुम कौन से गोत्र के हो । उस समय क्या ज्ञान रहता है, क्यों पूछा जा रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन स्कूल में गोत्र पूछकर अच्छा काम नहीं करते । गोत्र तो शादी, विवाह, पूजा-पाठ के समय में उपयोग किया जाता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के नाम के आगे टोप्पो या एक्का लगा दिया जाता था और जब तक समझ में आया, तब तक हम लोगों की अनुसूची में टोप्पो, एक्का चढ़ता गया। जब शादी विवाह की बात आती है, सामाजिक प्रक्रिया, रीति-रिवाज की बात होती है, उस समय समझ में आता है कि हमारे साथ कितना बड़ा षड़यंत्र हुआ ।

सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में मैं खड़े होकर बोल रही हूं और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे शिक्षक हैं, जो शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं । कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी नोटिस करना चाहिए, यह मैं इस सदन से मांग करती हूं । (मेजों की थपथपाहट) टीचर का काम कम करेंगे, लेकिन प्रत्येक शनिवार को चंगाई सभा लगाने में उनका पूरा ताकत लगा रहता है । मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूं । क्रिफ्टो

क्रिश्चयन कहते हैं, अभी अपनी बात आई थी, वे गोत्र नहीं लिखते । शुरू-शुरू में हिन्दुओं का जैसे हम लोग भगत लिखते हैं तो भगत छोड़कर टोप्पो लिख देते हैं, ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज खुद भी भगत लिख रहे हैं, लेकिन अंदर से धर्मांतरित हुए हैं । इनके धर्म में ही रोमन लिखा गया है, रोमन धर्म, जर्मन धर्म, डुबकी, ये कई प्रकार के धर्म आये, जिसके कारण हमारे क्षेत्र का आपसी सौहार्द्र बिगड़ रही है । मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूं, शायद मेरी बात लंबी हो रही है । मैं एक घटना बता रही हूं, उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है । एक गर्भवती बेटी, महिला 3 दिन से प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाकर प्रार्थना कर रहे हैं । क्या प्रार्थना से स्वस्थ डिलिवरी हो जायेगी ? क्या प्रार्थना से बीमारी ठीक हो जायेगी ? बीमारी शरीर में है और हम प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन तक उस प्रसव पीड़ित लड़की को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे वहां से सूचना मिली तो स्वयं वहां गाड़ी लेकर गई और उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा कर जचकी करवाई। (मेजों की थपथपाहट) यह उसी गांव की घटना है। आज से 10 साल पहले की बात है। एक 6 साल के बाल का निधन हो जाता है। एक पास्टर ने मृत बालक को जीवित करने की घोषणा कर दी। 3 दिन तक चंगाई प्रार्थना चलते रहा। उस मृत बालक का पेट फूल गया, चौथे दिन उसका पेट फट गया। गांवों में ये सब चीजें हो रहीं हैं।

सम्माननीय सभापति महोदय, धर्मान्तरण रोकने का विधेयक आता है और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है तो हमें अनुसूचित क्षेत्र में अपने धर्म को भी बचाने का अधिकार है। आज हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं। सरगुजा और बस्तर का इलाका है। यही धर्मान्तरित लोग पत्थरगढ़ी का काम करते हैं। पत्थरगढ़ी एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में सोचकर रोंगटें खड़े हो जाते हैं।

समय
3.22 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, पत्थरगढ़ी के बाद पत्थरों में पेसा एक्ट अंकित किया जाता है। उसमें लिख दिया जाता है कि इस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। एक बछराव गांव है, वहां एक तांडव हुआ था। वहां 7 पत्थर 7 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा गाढ़ दिया गया था। ऐसे-ऐसे कई गांव में पत्थरगढ़ी करने की तैयारी थी। पत्थरगढ़ी के माध्यम से जो धर्मान्तरित लोग हैं, फादर हैं, पास्टर हैं, सिस्टर हैं, नन हैं, ये लोग अपना हुकुमत उस गांव चलाना चाहते हैं, यह साफ परिलक्षित होता है। जबकि पेसा एक्ट और पत्थरगढ़ी अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ग्राम पंचायतों में पेसा एक्ट इसलिए मजबूत है कि किसी बाहरी व्यक्ति प्रवेश से उस गांव की संस्कृति, उस गांव के रीति-रिवाज प्रभावित न हो, इसीलिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहता है न कि धर्मान्तरित लोगों को प्रवेश रहता है।

सभापति महोदय :- रायमुनी भगत जी, आधा घण्टा से ऊपर हो गया है। इसमें बोलने वालों की संख्या बहुत है। सभी लोग संक्षेप में अपनी-अपनी बातें रखें, तब संभव होगा। इसलिए आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रायमुनी भगत :- जी। सभापति महोदय, इस विधेयक में धाराओं का उल्लेख है, मैं धाराओं की बातों में नहीं जाऊंगी। आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आया है। हमारे युवा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने विधेयक लाया है, मैं उनको धन्यवाद देते हुए, इस विधेयक के पक्ष में अपनी बात को रखते हुए इस सदन से यही निवेदन चाहूंगी कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ अपने धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाज को सहेजकर रखे और धर्मांतरण के साथ मतांतरण हो जाता है, उस मतांतरण से हम अपने समाज को, संस्कृति को बचाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आज जो छत्तीसगढ़ का धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश हुआ है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जो विषम परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, यहां के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, प्रदेश की डेमोग्राफी मत बदले उसके लिए, और सभी अपने-अपने धर्मों का निर्वहन अच्छे से, निष्ठा से और साफ-सुथरे तरीके से करें और किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र, छल-छिद्र या धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा न देने पाए, उसके लिए यह बिल आज आपके बीच में आया है। सभापति महोदय, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान वहां आकर वहां की डेमोग्राफी को बदलने का काम किए हैं। सरकार की योजनाओं पर उनका कब्जा है। वहां के राशन, वहां के पानी, वहां की बिजली और वहां के सारे संसाधनों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया और जो बंगाल के मूल निवासी हैं, जो हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं, वे तकलीफ में रहते हैं। वे वहां की राजनीतिक तकदीर का भी फैसला करने लगे हैं। वहां आकर सिर्फ राशन लेते, वहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो यह धर्मांतरण या घुसपैठ होती है, उसके कारण हर प्रदेश में बहुत खतरा महसूस किया जाने लगा है। केरल में भी आप देख लीजिए, वहां पर जिस हिसाब से दो वर्ग के लोगों ने कब्जा किया है। असम में भी यही स्थिति है। सभापति महोदय, धर्मांतरण का सबसे बुरा परिणाम होता है कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था तो वर्ष 1951 में जो जनगणना हुई थी, उसमें पाकिस्तान में लगभग 20% हिंदू वहां पर गए थे, जो वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे थे। लेकिन वहां आज की तारीख में वे हिंदू धीरे-धीरे धर्मांतरण के शिकार हुए और वहां पर पाकिस्तान में आज एक से डेढ़ परसेंट ही हिंदू बचे हुए हैं। वहीं हमारे देश में सरकार धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलती है, सभी वर्गों और धर्मों का हम सम्मान करते हैं, जिसके कारण जब आजादी के बाद वर्ष 1951 में देश की

जनगणना में 9% मुसलमान यहां थे, आज वह लगभग 15% की आबादी उनकी हो गई है। यह मैं किसी जाति-पाति के नाम से उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, जहां धर्मांतरण होता है, वहां कितनी बुरी तरह से वहां का पूरा समीकरण और आंकड़े बदल जाते हैं। एक साथ आजाद हुए पाकिस्तान में 20% हिंदू गायब होकर डेढ़ प्रतिशत बच गए और यहां 9% हिंदू थे, जो हमारी सरकार के द्वारा सबके, सभी धर्मों का जो सम्मान किया जाता है, उस उद्देश्य से यहां पर आज वे 15% की आबादी में हैं। तो ये धर्मांतरण के दुष्प्रभाव हैं और अगर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोगों के कारण जो प्रभाव है, वह यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सभापति महोदय, वर्ष 1968 में इसके संबंध में एक बिल यहां पर है। वह बिल बहुत प्रभावी नहीं है। उसमें कई पक्ष, कई वर्ग उससे वंचित हैं। वर्ष 1968 का जो बिल है, वह साइलेंट है। आज का जो बिल है, यह हमारे प्रदेश में पिछले दिनों से कई प्रकार की जो गतिविधियां चल रही हैं और उसके कारण हमारे प्रदेश का जो शांत वातावरण है, उसको बिगाड़ने का जो खतरा पैदा हो रहा है, ऐसी ताकतें यहां सक्रिय हैं, जिनको विदेशी फंडिंग भी मिलती है, जो बड़े-बड़े देशी संस्थान से जुड़कर के इस मुहिम में चलते हैं, उनके विरुद्ध में इस बिल को लाया गया है। सभापति महोदय, यह बिल कोई धर्मांतरण के विरूद्ध नहीं है । कोई अपनी इच्छा से कोई धर्म को स्वीकार करेगा, उसके लिए यह बिल नहीं है। यह बिल उसके लिए है, जो अवैध रूप से धर्मांतरण करने के लिए जो प्रयास होते हैं। चाहे हमारी माताओं-बहनों को बहला-फुसलाकर कर, चाहे पढ़ने वाले बच्चों के बीच में विषाक्त बीज बो कर, किसी देवी-देवता के खिलाफ बोल कर और अपने धर्म के बारे में अच्छी बात बता कर जो लोग ब्रेनवाश करते हैं, जिसके कारण धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है, ऐसे धर्मांतरण को हम रोकना चाहते हैं। हमारी सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी जिस भी धर्म को मानता है, जिस भी धर्म की पूजा करना चाहता है, इबादत करना चाहता है या अपने धर्मस्थलों पर आना-जाना चाहता है, किसी को कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, भड़काकर, प्रलोभन देकर अगर आप कुछ करना चाहेंगे, उसके लिए यह बिल हमारे गृह मंत्री जी ने लाया है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अध्याय एक में स्पष्ट रूप से लिखा है - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रलोभन से अभिप्रेत है, किसी भी रूप में कोई भी प्रलोभन देना, जिसमें एक है नकद या वस्तु के रूप में कोई उपहार देकर, पारितोषिक देकर, मौद्रिक या अन्य कोई भी भौतिक लाभ प्रदान करना, गरीबी का फायदा उठाते हुए उसको रोजगार देने की लालच देना, कोई सब्सिडी दे देना, स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा पढ़ा देना, इलाज करा देना, शादी का वायदा कर देना कि हम आपसे शादी करेंगे, आपकी शादी करा देंगे, आपकी बेटी का शादी करा देंगे, आपको बेहतर जीवनशैली जीने का हम रास्ता देंगे, आपके घर में फ्रिज रहेगा, कूलर रहेगा, टी.व्ही. रहेगा, गाड़ी रहेगी, यह सब सब्जबाग दिखाना और किसी भी धर्म के अभ्यास, रीति-रिवाजों और समारोह या धर्म के किसी भाग को अन्य धर्मों के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना कि हमारा धर्म बहुत अच्छा

है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 72 हूर मिलेगी, आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा होगा। यह सब बोल करके अगर किसी को भड़का कर धर्मांतरण करने की कोशिश होगी तो यह विष्णु देव साय की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, हम इस प्रकार की हरकतों को सख्ती से कुचलेंगे और उसी को कुचलने के लिए यह बिल आपके बीच में यहाँ पर आया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, कोई भी कानून दो-तीन मुद्दों को लेकर के बनता है। उसमें या तो कुछ Reform करना है, या कुछ Welfare करना है, या हमारे National या हमारे State के interest में कोई खतरा पैदा हो रहा है, इन तीन चीजों को लेकर के हम यह बिल लाते हैं। यह तीनों ही चीजें इस बिल में मौजूद हैं क्योंकि हम इसमें Reform भी करना चाहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें इस प्रदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम Welfare भी करना चाहते हैं कि हमारे गरीबों की मजबूरी का फायदा कोई संस्थान, कोई एन.जी.ओ., कोई विदेशी फंडिंग प्राप्त संस्था नहीं उठाएगा। गरीबों की चिंता करने के लिए हमारे गरीबों के मसीहा विष्णुदेव साय जी यहाँ मौजूद हैं, (मेजों की थपथपाहट) हम उनकी चिंता कर लेंगे, हम एक रोटी खिलाएंगे, सूखी रोटी खिलाएंगे, लेकिन हम उनकी आस्था, उनके धर्म और उनके तरीके को बदलने नहीं देंगे। क्योंकि इसी तरीके से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। कहीं यहूदी, कहीं पर शिया, कहीं सुन्नी, कहीं पर क्रिश्चियनिटी, ये सब अपने-अपने मुहिम में लग करके, इस देश में पिछले आजादी के समय से पहले से ही यहाँ पर बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि वे धर्मांतरण ही कराते हैं, लेकिन मैं यह बोल सकता हूँ कि जब धर्मांतरण होता है तो ऐसे ही लोगों का सहारा और सहयोग मिलता है जो आज भी विद्यमान हैं। वे कहीं शिक्षा के नाम से है, कहीं चिकित्सा के नाम से है, कहीं कुष्ठ रोग के नाम से है, कभी और किसी के नाम से हैं। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसके अध्याय तीन में यह स्पष्ट प्रावधान लिखा है कि Procedure of Conversion कैसा रहेगा। आप अगर धर्म बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं तो सक्षम अधिकारी के पास आप आवेदन देंगे। आपको रोका नहीं जा रहा है। आप आवेदन देंगे तो सक्षम अधिकारी जो जिले में होगा, वह उसे आपके गांव भेजेगा । आपके कार्यस्थल भी भेजेगा, आपके क्षेत्रस्थल में भेजेगा, वहां से ओपिनियन आयेगा कि आप किसी दबाव के तहत तो धर्मान्तरण नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रलोभन के कारण तो नहीं कर रहे हैं, आप बंदूक के नोंक पर तो धर्मान्तरण नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो उसे धर्मान्तरण करने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी और जब सारे कुछ फुलफिल होंगे तो उसे अनुमति नहीं दी जायेगी । इसमें जितने दिन का प्रावधान है, उतने दिन में उसकी जांच होकर आयेगी । अगर उसका रिपोर्ट ठीक है तो नेचुरल कोर्स में जो भी उसका धर्मान्तरण है वह करना चाहेगा । अगर उसकी कोई आपत्ति है तो अपील भी है, उसमें शिकायत होगी तो जांच होगी । कुलमिलाकर इसको रोकने का प्रयास इसलिये किया जा रहा है कि अभी तक धर्मान्तरण में कोई भी गया तो कभी हिन्दू से मुसलमान बन गया, मुसलमान से क्रिस्चियन बन गया, क्रिस्चियन से कुछ और बन गया, न

कोई देखने वाला और न कोई सुनने वाला, न कोई हिसाब रखने वाला, न कोई पूछने वाला, ऐसे में कैसे चलेगा ? सभापति महोदय, हम लोगों को इसलिये इस बिल का समर्थन करना चाहिये । इसकी अपील सक्षम अधिकारी के पास होगा, सक्षम अधिकारी को सिविल कोर्ट के पॉवर डेलिगेट किये जायेंगे । वह कोर्ट के पॉवर से बैठेगा इसलिये उसका आदेश कोर्ट का आदेश माना जायेगा । आवेदन देने पर उसका परीक्षण होगा, धर्मान्तरण के बारे में पूछा जायेगा कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, जो कन्वर्शन कराने वाला है, जो पीछे है इसमें लिखा भी है, वह भी स्पष्ट किया हुआ है कि जहां एक धर्म या आस्था को कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म या आस्था के व्यक्ति के साथ किसी संस्था, धार्मिक स्थान, निजी या सार्वजनिक परिसर में विवाह कराता है, फादर, प्रीस्ट, मौलवी या ऐसे विवाह को कराने के लिये जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति विवाह की प्रस्तावित तिथि से 8 दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । सभापति महोदय, शादी करने से कोई नहीं रोकेगा, यह तो संवैधानिक अधिकार है, शादी वह कर सकता है, अमेरिका के लड़के से कर सकता है, पाकिस्तान के लड़के से कर सकता है, जापान के लड़के से कर सकता है, शादी करने से कौन रोक रहा है, लेकिन शादी करने के कारण ही धर्मान्तरण हो जायेगा, ऐसा नहीं है ? आप शादी भर कर सकते हो, यदि कोई धर्मान्तरण के लिये शादी कराना चाहेगा तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिये भी यही सब प्रावधान लागू होंगे, जो आम लोगों के लिये हैं । सभापति महोदय, सरकार का जो बिल है वह बहुत साफ-सुथरा है । इसको पढ़ने के बाद नहीं लगता है कि यह किसी धर्म के खिलाफ है, किसी संस्था के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ है, लेकिन इसमें हिसाब और किताब रहेगा तथा मनमर्जी से धर्मान्तरण और मतान्तरण यह सब नहीं होने दिया जायेगा । कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एन.जी.ओ. अगर गैर कानूनी कन्वर्शन करायेगा तो उसके सारे फंडिंग चाहे वह विदेश से आये हो चाहे अमेरिका से आया हो, कनाडा से आया हो, रूस से आया हो, जापान से आया हो, सऊदी अरब से आया हो, कतर से आया हो, दोहा से आया हो, यूएई से आया हो, इन सारे लोगों की फण्डिंग को जब्त कर लेगी कि आपको ये फण्डिग जनकल्याण के लिये मिला है, आपको यह फण्डिग समाज की सेवा के लिये मिला है, यह फण्डिंग किसी धर्म की स्थापना और धर्म की धजा फहराने के लिये और अपने भगवान को दूसरे के भगवान से अच्छा बनाने के लिये नही है इसलिये कोई भी धर्मान्तरण के बारे में सोचने के पहले इस विधेयक को पढ़ेगा और आप देखियेगा कि उसमें बहुत रोक लगेगी । हम उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर भी रोक देंगे, अगर जमीन मिली हुई है तो जब्ती हो जायेगी । अगर बिल्डिंग मिला हुआ है तो सरकारी हो जायेगा । हम इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ेंगे, फण्डिंग को भी रोकेंगे, जांच भी करायेंगे, यह सारे हम इसलिये करेंगे कि हमारी माताओं, बच्चे, गरीबों, असहाय, बेसहारा लोगों को, आप धर्मान्तरण का लोभ देकर उसे सुविधा प्रदान करके उनका रौद्र रूप इस प्रदेश में जो बढ़ने जा रहा है, उसे कुचलने और रोकने के लिये यह संस्था कार्यरत है । सभापति महोदय, ये चले गए? इसमें क्या तकलीफ थी? आप

धर्मांतरण करा रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, आप धर्मांतरण कर रहे हैं, हम यह भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन, इन धर्मांतरण करने वालों से इनकी हमदर्दी सिर्फ इसलिए रहती है, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास इस बात को बताता है कि एक-दो वर्ग के लोग इनके वोट बैंक हैं और वही लोग ज्यादा धर्मांतरण कराते हैं। आपने छांगुर बाबा का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा था, उसका पूरा रैकेट काम करता था। इस प्रदेश में हम किसी भी छांगुर बाबा को काम नहीं करने देंगे, सब छांगुर बाबा को रोक देंगे। (मेजों की थपथपाहट) इस प्रदेश में कहीं से भी कोई डेमोग्राफी नहीं बदलेगी। हमारा इतना सुंदर प्रदेश है, जहां बस्तर में इंद्रावती नदी हमारे छत्तीसगढ़ माता के पैर पखारती है, हमारा मैनपाट जो छत्तीसगढ़ का ताज है, इसके बीच में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासी, गांव के रहने वाले बेबस, लाचार और कमजोर लोगों को धर्मांतरण का जो मीठा जहर पिलाया जाएगा, यह उस जहर के खिलाफ है। माननीय गृह मंत्री जी, आपने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप बहुत योग्य गृह मंत्री हैं, नक्सलवाद भी खत्म कर रहे हैं, यह अवैध धर्मांतरण के फसल की खेती को कुचलकर रख दीजिए। जैसे आपने अभी अफीम की खेती उखड़वाई है, वैसे इस खेती को भी उखाड़कर फेंक दीजिए, इस छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है । (मेजों की थपथपाहट) हमारा छत्तीसगढ़ अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने देवगुड़ी, अपने धर्म और अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और हम उसी परंपरा में जीना चाहते हैं और उसी परंपरा में मरना भी चाहते हैं । हमारे मरने का तरीका भी ये धर्मांतरण वाले लोग तय कर देते हैं? गांव-गांव में तय होता है कि इसको दफन नहीं किया जाएगा। क्या फायदा ऐसे धर्मांतरण का, जहां गांव में दो गज जमीन भी नसीब न हो? हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में हमको दफन कफन होने के लिए भी जगह न मिले, ऐसा धर्मांतरण इस प्रदेश का चेहरा विकृत कर देगा। माननीय गृह मंत्री जी, आपने अवैध धर्मांतरण पर जो क्रांतिकारी बिल लाया है, मैं समझता हूं, इस पूरे बजट सेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिल है और हम इस बिल की सराहना करते हुए इसका समर्थन करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आप आगे बढ़िए और इसी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर छत्तीसगढ़ को अशांत करने वाली ताकतों को खत्म करें। हम शांति से जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं और शांति से अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं। यह बिल उसी दिशा में एक कड़ी है, एक सीढ़ी है, एक कदम है। इस कदम और इस सीढ़ी के सहारे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, आज धर्म स्वातंत्र्य को लेकर जो बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। फिर से एक बार यह बात याद आती है जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। दूसरी ओर सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास की धारणा को लेकर चलने वाली इस पार्टी की राजनीतिक इच्छाशक्ति एक

बार फिर से दिखाई देती है। आज से मात्र एक साल पहले नक्सलवाद जो हमारे लिए काल्पनिक दर्द हुआ करता था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति के बदौलत नक्सलवाद पर प्रहार किया और आज धीरे-धीरे वह एक इतिहास का विषय होता जा रहा है। इससे बड़ा धर्मांतरण है जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कैंसर के रूप में फैला हुआ है। मैं बस्तर से आता हूं, आदिवासी समाज से आता हूं और मेरा समाज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि गांव में जत्था के जत्था गांव से निकलकर चलता है और चर्च की ओर जाता है। मैं रविवार के दिन अपने गांव के शीतला मंदिर में बैठा हुआ था, मुझे लगा कि सबके सब शीतला माता की पूजा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भैया, यह शीतला मंदिर में नहीं आ रहे हैं, यह चर्च में जाने वाले लोग हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है? यह संगठित गिरोह के माध्यम से हो रहा है। जानबूझकर, एकमत होकर, लोगों को बरगलाकर, डराकर, प्रलोभन देकर, गुमराह करके उनके जीवन को, उसकी आत्मा को बदलने का काम किया जा रहा है। आप किसी का नाम बदल सकते हैं, किसी की जात बदल सकते हैं, लेकिन किसी की आत्मा को बदलने का अधिकार किसी को नहीं होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में हमारे आदिवासी समाज के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने दर्द को बयां करने की कोशिश की थी। निश्चित तौर पर आज नये वर्ष की शुरूआत हुई है, आज हमको दुर्गा माता का आशीर्वाद मिल रहा है कि आज के दिन यह शंखनाद हुआ है। यह दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, बचपन में हम मेला और बाजारों में जाया करते थे तो वहां पर जादूगर सांप का खेल दिखाया करता था। अपने हाथ में सांप से दंश करवाकर वह हर व्यक्ति को रोकवा देता था कि यहां से कोई नहीं हटेगा। अगर यहां से कोई भागेगा तो उसको उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, उसको खून की उल्टी हो जाएगी। ऐसे झूठे बयानबाजी के माध्यम से वह हर व्यक्ति से पैसे निकलवाया करता था। यदि किसी की जेब में पैसा है और वह पैसा नहीं डालेगा तो वह ऐसे ही खून की उल्टी करके मर जाएगा। वह ऐसा खेल दिखाता था। यही चंगाई सभा के नाम पर भी होता है। चंगाई सभा में बड़े मासूम आदिवासियों को इकट्ठा किया जाता है तो भीड़ में किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को उल्टी होने लगती है, कोई छटपटाने लगता है और लोगों को मंच में लाकर उनका पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है और नाटक दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद वह व्यक्ति बहुत स्वस्थ दिखाई देता है। इस तरीके से मानसिक रूप से हमारे गरीब आदिवासियों को, भोले-भाले लोगों को, गांव के लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। यह मानवीयता की दृष्टि से सबसे अपराधकृत्य काम है। आज यहां पर बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इतने समसामयिक विषय से हमारे विपक्ष के साथी पलायन कर गये हैं। वहां पर भी हमारे आदिवासी विधायक हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल की आवाज को सुनिये और पार्टी के बंधन को

छोड़कर यहां पर आइये और इस महत्वपूर्ण विषय में अपनी हिस्सेदारी निभाइये, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज जो लोग इस सदन में इस छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के संबंध में अपने विचार रख रहे हैं, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में इस छत्तीसगढ़ में याद किये जायेंगे। जो लोग इस चर्चा से भाग रहे हैं, वह भागे नहीं हैं, वह कहीं न कहीं बैठकर सुन रहे हैं, कहीं न कहीं टी.व्ही. के सामने बैठकर देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है? हम चाहते हैं कि आप इसको देखिये और घर में जाकर अपने परिवार वालों को बताइये कि इतने बड़े काम से कैसे हम वहां से भागकर निकले और छुपकर देख रहे थे। आज आप जरूर बतायेंगे। मेरा प्रशासनिक अनुभव कहता है कि आप जरूर बतायेंगे। हमने बहुत सारे घटनाक्रमों के बारे में भी बात की। नारायणपुर की घटना, आमाबेड़ा की घटना, जशपुर क्षेत्र की घटना हुई कि कैसे गांव-गांव में असंतोष की स्थिति बनी हुई है? आखिर हम इस असंतोष की स्थिति को क्यों झेलेंगे? हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा समाज स्वतंत्र विचार रखने वाला, प्रकृति पूजक आदिवासी समाज है। उसकी आपनी एक जीवनशैली है, अपना जीवन-यापन करने का एक सनातनी तौर-तरीका है। उसमें दखलअंदाजी करने वाले आप होते कौन हैं? आपको क्या जरूरत है कि आप हमको अपने रास्ते में ले जाना चाहते हैं और हमारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं? आप जमींदारीन मंदिर का प्रसाद खाने नहीं देंगे, घर में रखे हुए बूढ़ादेव को आप देव और दानव के नाम से पुकारेंगे। यह नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सही समय में सही कानून लाया, जिसकी प्रतीक्षा हम गांव-गांव में कर रहे थे। पिछले 2 साल से गांव में लोग इस विधेयक का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबर्दस्ती धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के बारे मे जन जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि या तो वे अपने पुरखा के धर्म में बने रहे या फिर इस धर्म को छोड़कर जिस भी विदेशी धर्म में जाना चाहते हैं, वहां पर डंके की चोट में चले जाये। मैं आने वाले दिनों में यह भी निवेदन करूंगा कि हमको हमारे धर्म में रहकर जिस आरक्षण की सुविधा मिल रही है, यदि जो हमारा धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है, उनसे उनके आरक्षण की सुविधा भी छीन लेनी चाहिए। यह कानून जरूर आयेगा और विवश होकर यह कानून लाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं। हमारे पूरे सदन में बैठे हुए लोग अपने मन में कुछ न कुछ विचार रखें हैं कि हम इस पर अपनी कुछ न कुछ बात रखेंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस कानून के बन जाने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन का जो पार्ट है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमारे एक वक्ता ने एक प्रकोष्ठ बनाने की भी बात कही थी। मैं तो यह कहूंगा कि उसमें जिला दंडाधिकारी को स्वयं से संज्ञान लेने का भी अधिकार होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कोई आवेदन पत्र आने पर ही उस पर कार्रवाई की जाये। यदि वह स्वमेव इस तरह की कोई घटना को देखते हैं तो

उसको तत्काल अपनी कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करके कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई जबर्दस्ती धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा है, माहौल बना रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और प्रलोभन देने का काम कर रहा है तो उसको सजा भी देनी चाहिए ताकि एक नजीर बनकर मीडिया के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी जा सके। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। आज हम सब के सामने एक ऐतिहासिक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत होने जा रहा है और उस विषय पर हम सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बन रहे हैं। आज इस सदन की गरिमा और भी बढ़ जाती यदि हमारे विपक्ष के साथी इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब के साथ यहां सम्मिलित रहते। यह विषय किसी पार्टी का नहीं है बल्कि हमारे देश की बात करें, हमारे राज्य की बात करें, हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करें, हमारे अधिकारों की बात करें, तो उसकी रक्षा के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। चूंकि हम नए सदस्य हैं इसलिए हमें बड़ा दु:ख होता है। एक नए सदस्य होने के नाते सदन में काफी कुछ चीजें सीखने का, देखने का और समझने का अवसर मिलता है लेकिन जब यह देखने को मिलता है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका से विपक्ष नदारद है, तो थोड़ी-सी तकलीफ भी जरूर होती है और मन में यह विचार आता है कि क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में विपक्ष भाग नहीं ले पा रहा है। मोदी जी द्वारा जब भी धर्मांतरण से संबंधित, घर वापसी से संबंधित चर्चाएं होती है, चाहे खुले मंच में हो, सामाजिक लोगों के साथ बैठक में हो या राजनीतिक लोगों के साथ बैठक में हो, हर व्यक्ति इस चर्चा में मुखरता से बोलने से डरता है। क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय,

"जी चाहता है कि सच कहूं
क्या करूं हौसला नहीं होता
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता" (मेजों की थपथपाहट)

इनकी कुछ तो मजबूरी है इसके लिए वह बेवफाई कर रहे हैं और दिल इनका भी चाहता है कि कह लें लेकिन क्या करूं हौसला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता लेकिन जिस जनता ने इन्हें वोट देकर सदन में भेजा है शायद

विपक्ष को अपने क्षेत्र की जनता के साथ वफा करना नहीं आता है। न जाने कितने करोड़ों लोगों में से चुनकर 90 सदस्य आते हैं और यदि वह अपनी बातें यहां नहीं रख पा रहे हैं तो शायद अगली बार जनता, जितने लोग आज बेवफा करते दिख रहे हैं, अगली बार यह भी शायद इस सदन में नजर नहीं आने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूं जिन्होंने लगातार हर मोर्चे को संभालकर, हर मोर्चे में डटे रहकर कार्य किया है। चाहे हम नक्सलवाद की बात करें, चाहे इस महत्वपूर्ण विधेयक की बात करें, उन्होंने हर मोर्चे को बखूबी संभाला है। चूंकि हम सबके के ऊपर में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का हाथ है तो निश्चित ही उनकी दूरदृष्टि के कारण ही आज जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम आज यहां पर देख रहे हैं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरूआत करने के पहले, हालांकि जिनका मैं नाम लेने जा रही हूं मुझे कभी उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है लेकिन जितना मैंने हमारे आदरणीय सदस्यों से सुना है या जितना उनके बारे में पढ़ा है तो आज पहले तो मैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को नमन करूंगी जिन्होंने पहला यह संकल्प लिया और दशकों पहले 1990 से लेकर 2000 तक जिन्होंने पहला झंडा धर्मांतरित लोगों को घर वापसी करके गाड़ा है। आज कहीं न कहीं इस सदन में मुझे लगता है कि हर किसी को ये बात जरूर याद आ रही होगी। क्योंकि वह ऐतिहासिक क्षण की जब हम फोटो देखते हैं, याद करते हैं तो यह विषय चर्चा में जरूर आता है। मैं उनको नमन करके अपनी बात की शुरूआत करना चाह रही हूं। इसके पहले हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जब इस विधेयक का विरोध किया तो उन्होंने एक बात ये कही कि आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी इस विषय में कहा है कि ये विषय संवेदनशील है। सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 1999 में ये बात कही थी, जब ग्राहम स्टेन्स जिनके मर्डर का केस चल रहा था, वह बहुत संवेदनशील मुद्दा था, वह एक आस्ट्रेलियन मिशनरी के व्यक्ति थे और धर्मांतरण के संवेदनशील मुद्दे पर जब विषय आया तो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति से उठ करके धर्मांतरण के विषय में चर्चा होनी चाहिए, राष्ट्र स्तर में चर्चा होनी चाहिए। अगर वह यहां रहे या अगर कहीं से बात सुन रहे हों तो वह अपनी जानकारी थोड़ी सी ठीक कर लें। उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रव्यापी चर्चा, राज्य स्तरीय चर्चा इस विषय में होनी चाहिए और आज हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य सदन में इस चर्चा को करने से घबरा रहे हैं। सभापति महोदय, 1995 से लेकर 2000 तक जब संसद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धर्मांतरण पर बहस चली, श्रद्धेय लालकृष्ण आडवानी जी ने भी संवैधानिक ढाल रख करके देश के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये। धर्मांतरण करना केवल किसी का अधिकार नहीं है, अपने धर्म की स्वतंत्रता सबको होती है, लेकिन किसी दूसरों का धर्म परिवर्तन कराना, इसकी भी आजादी संविधान नहीं देता है। सभापति महोदय, न जाने कितनी बार इन विषयों पर चर्चा हुई है और चर्चा होती रहेगी जब तक के इस पर कोई ठोस कानून

न बन जाये। मुझे आज आदरणसीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की याद आ रही है जिनका वह ऐतिहासिक भाषण सदन में उन्होंने जो दिया था, वह आज भी हमारे कानों में गूंजता है कि हां, हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हमें हिन्दू होने पर गर्व है। उस समय भी विपक्ष के जो कांग्रेस के सदस्य थे और आज भी जो सदस्य हैं, उनकी धर्मनिरपेक्षता हिन्दुओं को गाली देने से जिनकी शुरूआत होती है। सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे हम इतिहास में देखें, चाहे आज देखें जिन्होंने लगातार धर्मांतरण के विरोध में अपनी बातें रखी हैं और आज उसकी एक नई शुरूआत हमारी छत्तीसगढ़ की इस विधान सभा के परिसर में होने जा रही है। जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, अभी बहुत सारी चर्चाएं हुईं कि हम बस्तर, सरगुजा के हैं, हम यहां से आते हैं। लेकिन बस्तर, सरगुजा के अलावा जो अन्य क्षेत्र भी हैं, चाहे कबीरधाम जिला जहां से मैं आती हूं, वहां के वनांचल क्षेत्रों की बात करूं। उस क्षेत्र के भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भाई बहन हैं, आज भी वो धर्मांतरण का दंश झेल रहे हैं। जब भी यह विषय आता है, धर्मांतरण की आंखों के सामने कल्पना आती है कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या तो वह व्यक्ति वनांचल क्षेत्र से है या आदिवासी है। लेकिन आज जब आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा बहुत सारे ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो लगातार पढ़े-लिखे होने के बाद भी, सारी सुविधायें होने के बाद भी उनका ब्रेन वाश करके विभिन्न कारणों से उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। इसलिए ये सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या न बनकर के बल्कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या बन चुकी है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं उसमें सैकड़ों ऐसे गांव हैं, ऐसे कम से कम 70 से 80 गांव हैं जो दिन प्रतिदिन धर्मांतरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धर्मांतरण कराने वाले न सिर्फ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर से बार्डर पार करके मध्यप्रदेश से आस-पास के राज्यों से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। वह शनिवार, रविवार आ करके वापस निकल जाते हैं और अपनी पहचान छुपाकर के छत्तीसगढ में आते हैं। और आने के बाद ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें या तो कोइ शारीरिक तकलीफ है या फिर किन्हीं को आर्थिक तकलीफ है। लगातार इनका जो नेटवर्क है, वह स्लीपर सेल के जैसे काम करता है। कभी हमारे कुछ डाक्टर्स को ये बरगला करके अपने साइड करके धर्मांतरण की ओर आगे बढाते हैं, कभी ये कुछ शिक्षकों को टारगेट करके धर्मांतरण का जाल बिछाते हैं ।

समय :
4.00 बजे

सभापति महोदय, लगातार एक गांव में 15 दिन, 20 दिन महीने भर रहकर के वहॉं यह अपनी पूरी नेटवर्किंग बनाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं कि यह 4 चिन्हांकित घर हैं जिन्हें आर्थिक परेशानी है । उनको जाकर के यह बोलेंगे कि भैया आप इतने दिन से पूजा-पाठ कर रहे हैं, आप अपने महादेव की पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आपको इससे क्या लाभ हुआ ? आप एक दिन हमारे यहां पर

चर्च में आईये, आप चंगाई सभा अटेण्ड कीजिये । आप स्वस्थ हो जायेंगे, आपको आर्थिक फायदा होने लगेगा, धीरे-धीरे इनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करके 500, 1000, 2000 रूपये इनको दे करके, इनकी तत्कालीन जो परेशानी है उसको दूर करके यह उनको अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं । ऐसी स्थिति भी आयी है, कुछ दिनों पहले क्योंकि लगातार इस विषय पर मैं पिछले 3-4 सालों से काम कर रही थी, अभी लगभग 500 लोगों की मैंने स्वत: ही एक घर वापसी अपनी टीम के माध्यम से करायी है । जब उनसे बातचीत करते हैं तो पता चलता है, जब हम उनका पैर धोकर वापस लाते हैं तो एक महिला जिसका पैर पखार करके पिछले महीने जिनकी हमने घर वापसी करायी, उनके पैरों पर इतने बड़े फोड़े थे मतलब उनका पैर धोने के लिये जब मैंने उनके पैर थाल पर रखे तो मेरा दिल कांप गया कि इतने दिन से इनको इतनी बड़ी परेशानी, इतना उनका सूजा हुआ पैर, इतने बड़े-बड़े फोड़े और इतनी बड़ी-बड़ी गठानें, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है । जब मैंने उनके पैरों पर पानी डालना चालू किया तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया कि आप मत कीजिये, मैं खुद से अपने पैर धो लेती हूं । मेरे बार-बार निवेदन करने के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना पैर मुझे छूने को दिया, मैंने पूछा कि आपकी बीमारी इतनी बढ़ गयी है, आप ईलाज क्यों नहीं करा रहे हैं ? उनका यह जवाब था कि मैं पिछले डेढ़ साल से यहां के हमारे साथ जो हमको धर्मांतरण के लिये बरगला रहे थे उन्होंने यह कहा कि आप लगातार हमारी सभा अटैण्ड कीजिये, आप हमारी सभा में आईये, आपकी यह बीमारी ठीक हो जायेगी । यह स्थिति है कि आज उस महिला का पैर लगभग-लगभग सड़ चुका है तो किस तरीके से लोगों को यह उनका ब्रेन वॉश करके, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर के उनकी बीमारियों को बढ़ाकर के उन्हें मरने के लिये छोड़ देते हैं वह भी केवल इसलिये कि धर्मांतरण के बाद में कहीं न कहीं उनका मतांतरण हो रहा है । जैसे विपक्ष आज यहां दिखायी नहीं दे रहा है, कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आज अगर इसके पक्ष में यह बोलते तो वह लोग जिनसे इनकी राजनीति चल रही है, वह इनसे दूर हो जाते या फिर इनके विपक्ष में बोलते तो जो क्षेत्र की जनता है उनको यह क्या जवाब देते ? क्योंकि यह वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस कार्यकाल से ही धर्मांतरण का विषय रहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही यह अपने लोगों को खुश करने के लिये आज यहां पर नहीं बैठे हुए हैं कि हम उनके विरोध में नहीं बोल सकते हैं लेकिन इनको सोचना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी आपको एक और घटना बताना चाहूंगी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि एक लगभग 45-48 साल की महिला व्हीलचैयर पर बैठी हुई थी, व्हीलचैयर की साईज बड़ी है, उसका शरीर मात्र एक पतला डंडी के जैसा था । उसके कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसका बेटा और उसके पति उसको लेकर के आये, जब मैंने पूछा कि आपकी ऐसी स्थिति कैसे है तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से जब मुझे पैरालाईज हुआ तो 3 साल से मुझे लगातार यह सभाएं करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप इसी में ठीक होंगे, डॉक्टर से आपका

ईलाज नहीं होगा । इस तरीके से 3 साल उनकी बीमारियां बढ़ा दी गयीं । जब उनको रायपुर में यहां डॉक्टर के पास दिखाया गया, हम जब उनको यहां लेकर के आये तो वह बोले कि शायद आप पहले आते तो ठीक हो जाते, स्थिति यह है कि वह महिला अपना घूंघट उठाने के लिये, उसने यहां नाक तक अपना सिर ढंककर रखा था । बड़ी मुश्किल से जब मैंने सिर खोला तो वह बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वह इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि शायद मैं अब कभी अपने पैरों से चल नहीं पाउंगी तो मैं लोगों से क्या नजर मिलाउं तो जो लोग दूसरे लोगों को ठीक करने के बहाने से इस तरीके से उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनको बरगलाते हैं तो क्या उनके विरूद्ध कानून नहीं बनना चाहिए ? कानून बिल्कुल बनना चाहिए, मुझे खुशी है कि आज जब यह कानून सर्वसम्मति से पारित होगा तो कल से, जिस तरीके से धर्मांतरण कराने वाले जो लोग पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं कहीं न कहीं उनमें डर का माहौल रहेगा और जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं । हमेशा प्यार से काम नहीं चलता है । कभी-कभी साम, दाम, दंड, भेद सब इस्तेमाल करना पड़ता है तो वही दण्ड का जो प्रावधान इस विधेयक में किया गया है निश्चित ही बहुत ज्यादा सराहनीय और बहुत स्वागतयोग्य है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि लगातार ऐसे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी डॉयरेक्टली, इनडॉयरेक्टली रूप से इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं । कभी स्कूल शिक्षा के नाम पर उनको अनुदान मिल जाता है, कहीं बाहर से फंडिंग करके, कभी उनको चिकित्सा के नाम पर बाहरी फंडिंग के लिये अनुदान मिल जाता है उन अनुदानों को भी क्योंकि वह एन.जी.ओ. नहीं चलाती है । यह कहते हैं कि हमको एक अनुदान मिल रहा है तो उस पर भी हमारा शिकंजा कसना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितने दिन से इनकी यह नेटवर्किंग चल रही है क्योंकि संविधान या विधेयक पास होने के बाद कानून कल से लागू होगा लेकिन इसके पहले का जो इतिहास रहा है, उसमें कहीं न कहीं एक भूमिका होनी चाहिए कि अगर उस विषय पर भी कोई अगर शिकायत कर रहा है कि पिछले एक साल पहले मेरा धर्मांतरण कराया गया या फिर अगर सामूहिक रूप से शिकायत आ रही है तो मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसमें भी प्रावधान हो कि पूर्व में जो इस तरीके की घटनायें हुई हैं अगर उस विषय पर किन्हीं की शिकायत आ रही है तो उसके लिये भी ठोस कार्रवाई हो, ठोस नियम उसके लिये भी बनना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, लगातार ग्राम पंचायत हो या फिर अन्य जो उनके रिश्तेदार हों, उनको इसमें अधिकार दिया गया है कि वह आकर शिकायत कर सकते हैं उसके बाद ऐसे बहुत सारे नाबालिग बच्चे भी हैं। कल भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस विषय में हम सबको चर्चा करने के लिए बुलाया था तब भी मैंने यह विषय बताया कि अगर कोई माता-पिता हैं और उनका बच्चा नाबालिग है तो उस बच्चे को धर्मांरित मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि स्थिति यह है कि 7 से 8 साल के बच्चों को पूछों कि आप कहां जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं या कहां जाते हैं तो वह बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या बताऊं ? आप किस धर्म को मानते हैं, वह

बच्चा बताने के लायक नहीं रहता कि मैं कौन से धर्म को मानता हूँ। क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आता कि पहले वह और कहीं जा रहा था और आज वह कहीं और जा रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसमें और कुछ प्रावधान होने चाहिए। अभी इसके पहले बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं और कहीं न कहीं हम यह जरूर बोल रहे थे कि अभी समय का अभाव है, अपनी बातों को जल्दी समाप्त करना है, लेकिन जिस तरीके से सदस्यों ने अपनी जो बातें रखी हैं कहीं न कहीं उनकी बातों से उनकी पीड़ा, चिंता झलक रही थी क्योंकि हम जिसको लगातार 5, 6, 10, सालों से देखते आ रहे हैं कहीं न कहीं 20 सालों से हमारे सदस्य स्पेशली हमारे बस्तर और सरगुजा के सदस्यों की बात करूं तो उन्होंने वह दंश झेला है। मुझे यह लगता है कि यह बहुत अच्छी शुरूआत है और हमारे आदरणीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचने का काम किया जा रहा है। चंगाई सभा के नाम से जो प्रलोभन दिया जाता है मुझे ऐसा लगाता है कि उसमें नकेल तो कसनी ही चाहिए, लेकिन ईलाज कराने की बात करके, सिर्फ पैसे का लालच नहीं देकर, बल्कि ईलाज और शिक्षा की बात कराकर, जो लोगों को प्रलोभित किया जाता है, उसमें भी विचार करके, निश्चित रूप से उस विषय पर ठोस कानून बनने चाहिए ।

सभापति महोदय जी, कभी-कभी स्थिति यह होती है कि अभी चर्चा हो रही थी कि अगर कोई धर्मांतरित हो गया है या जो अभी धर्मांतरित नहीं हुआ है अगर वह दोनों एक ही गांव में रहते हैं तो स्थिति यह होती है कि किसी के मृत होने के बाद उसको हम कहां पर दफनायें, जो धर्मांतरित नहीं हुआ है, वह पंचायत, गांव, समाज उनको एलाऊ नहीं करता है कि यहां उनको दफना सकें या उनको ईसाई धर्म के सिस्टम से, रीति-रिवाज से उनको दफनाया जा सके। तो उसमें भी गांव में बहुत सारे विवाद होते हैं, ऐसे बहुत सारे विवाद देखे गये हैं स्थिति यह है कि आज हमारे आदिवासी भाई-बहनों को यह सिखाया जाता है कि आप हिन्दू नहीं हैं। तो आज इस विधेयक के माध्यम से बहुत बड़ी बात लोगों के बीच में जाने वाली है, लेकिन उसके लिए जागरूकता जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात करके, अपनी बात को समाप्त करूंगी। होता यह है कि मैं उन लोगों से लगातार संपर्क में भी हूं। यह बात बताते हुए, मैंने उनको यह बोला कि जब आप को इतनी तकलीफ है, आपको यह समझ में आ गया है कि आपने धर्मांतरण करके गलती कर ली तो आप अपने पुराने धर्म में क्यों वापस नहीं जा रहे हैं। जो आपका मूल धर्म हैं जो आपका पैतृक धर्म है, उस धर्म में क्यों नहीं जा रहे हैं ? उनका यह कहना रहता है कि हमारे समाज के जो कुरा है, जिनको हम समाज का सियान मानते हैं। हमको यह लगता है कि कहीं हमारी घर वापसी के बाद में हमें कोई दंडित न करें, समाज हमको किसी प्रकार से दांड़ न दें। दांड़ का मतलब यह होता है कि आपको एक प्रकार की पेनाल्टी देनी होती है अगर आप अपने पुराने धर्म में वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर पंचायतों में जाकर एक जनजागरूकता भी जरूरी है। क्योंकि इस सदन के बाद जो विषय जिला कलेक्टर के पास जाएगा, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो विषय ग्राम पंचायतों

में जाएगा, उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और साथ ही साथ एक सामाजिक समरसता के लिए, एक सामाजिक जागरूकता के लिए विषय को लेकर एक संदेश भी जाना चाहिए ताकि समाज के लोग भी इस नियम को जानें और नियम जानने के साथ-साथ, वह सामाजिक दायरे में रहकर उन चीजों को स्वीकार करें। मैं वापस से आपके माध्यम से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, गृहमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक को बनाने के लिए परदे के पीछे जितने लोगों का रोल रहा है निश्चित तौर पर मैं आप सब का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि कहीं न कहीं इस विधेयक में जितने जो क्लॉज डाले गये हैं, इसमें जितने अध्याय जोड़े गये हैं कहीं न कहीं उन सब के मन में यह पीड़ा रही होगी कि यह नियम बनना चाहिए और आप लोगों ने उस नियम को इसमें अपने अक्षरों में उतारकर, नियम का जो रूप दिया है तो यहां जितने अधिकारी बैठे हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हम इस देश के वासी हैं और निश्चित ही हम यह चाहते हैं कि हमारा देश, राज्य आगे बढ़े तो आप सभी बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। महोदय, मैं आपको वापस से धन्यवाद् करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इतना समय दिया, इसके लिए आपका अभिनंदन और पुन: गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

सभापित महोदय :- श्री विनायक गोयल, इसमें बोलने वालों की संख्या बहुत है मैं यह चाहता हूँ कि कुछ नये तथ्य आते जाएं। उसको ज्यादा न दोहराएं और आप रिपिट न करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री विनायक गोयल (चित्रकोट) :- सभापति महोदय, नववर्ष और नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं । सदन में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । मेरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि बस्तर जिला और सरगुजा जिले में लगातार धर्मांतरण हो रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्राईवल बेल्ट है, मेरा क्षेत्र आदिवासी अंचल है । उसमें आदिवासियों के करीब 255 गांव हैं, उसमें से लगभग 200 गांव में एक चर्च बनाकर रखे हैं, उसमें हमारे आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, उनको कहीं न कहीं प्रलोभन देकर वहां तक जाते हैं, चर्च में हर रविवार को इनकी एक मंडली बैठकर हालेलुया यानि प्रभु की स्तुति करते हैं, इस तरह का भाषण करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार देखा कि मरने के बाद इनको दफनाने के लिए हम लोग जगह नहीं देते । उन्हें साफ-साफ यह बोलते हैं कि आप जगदलपुर चर्च में ले जाओ, चाहे बड़े चर्च में ले जाओ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के गांव में आपको जमीन नहीं देंगे । हमारे यहां बहुत सारे विषय है कि हम लोग गांव में रहते हैं, आदिवासी बेल्ट में आते हैं । जैसे पुजारी है, गायता है तो हम लोग चंदा करके मड़ई मेला बनाते हैं । जिन्होंने क्रिश्चन धर्म अपना लिया है, वे न तो चंदा देते हैं, न गांव का साथ देते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है तो हम लोग उनको एक इंच मिट्टी भी नहीं देते हैं । इसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह रोक लगाई है । वे लोग देवी-देवताओ को नहीं मानते हैं, प्रसाद

को नहीं खाते हैं । ये कहां की परम्परा है ? ये हमारे आदिवासी भाई, हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग उस क्षेत्र में रहते हैं । उप मुख्यमंत्री जी ने यह जो विधेयक लाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । हमारा क्षेत्र 40 साल ने नक्सल से पीड़ित है, हमने उस जगह को देखा है, हम उस जगह को जानते हैं, वहां से नक्सलाईट को मुक्त किया गया है तो निश्चित तौर पर जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आया है, यह हमारे समाज, हमारे लोगों के लिए यह विधेयक पारित हो, यह बहुत ही अच्छा विधेयक है । इसके लिए मैं उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- धन्यवाद सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक हिन्दू नव वर्ष और नवरात्रि के पर्व पर प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं विष्णु देव साय जी, हमारे गृहमंत्री विजय शर्मा जी को बधाई भी दे रहा हूं और धन्यवाद भी दे रहा हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को हम शक्ति के साथ में लागू कर सकें, माता ऐसी शक्ति दे ।

समय :-
4:14 बजे **(सभापति महोदय श्री विक्रम उसेंडी) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आखिरकार आज इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, कानून को बनाने की क्या जरूरत पड़ी ? क्या छत्तीसगढ़ की फिजा बदल रही है, देश में तो बदल रहा है, लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों की सरकार के समय, अभी विपक्ष के लोग नहीं हैं, नहीं तो मैं प्रमाणित करके बात करता कि किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया गया था । जब मैंने अपनी आंख से उस बात को देखा तो मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें लोकसभा में भी मुझे बोलने का अवसर मिला था और आज विधान सभा के अंदर एक विधेयक पास होने जा रहा है, उसका मैं साक्षी और सहयोगी बनने जा रहा हूं । यह छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक दिन है कि लोग हमसे बात करते थे, जब हम भाषण देते थे । आप इसके लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाते हो ? आज उस हौसले को किसी ने करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष किरणदेव जी बैठे हैं, जो बस्तर से आते हैं और इस धर्मान्तरण को नजदीक से देखा है। धर्मान्तरण के साथ एक खतरनाक चीज आया है, वह है मतान्तरण। यानी आदमी के मत को बदलना, यह पाप है, यह अपराध है। उस मत को कैसे बदला जाता है ? उससे कहा जाता है कि बोलो मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं, मैं हिन्दू नहीं हूं, मैं देवी-देवताओं को नहीं मानता। मैं समाज को नहीं मानता। केवल अगर इन बातों को विचार किया जाये, यदि कोई व्यक्ति समाज को नहीं मानता, व्यक्ति सामाजिक अंग होता है। उसको समाज में रहने का अधिकार है, समाज के ताने-बाने को भंग करने का अधिकार नहीं है। हमारी संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म के ऊपर कोई प्रहार करेगा तो उसको जेल भेजने का काम करेंगे और सरकार यह विधेयक

लाकर काम कर रही है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। देश के संविधान को नहीं मानेगा, क्या वह भारत की मुख्य धारा से अलग हो जाये ? देश की मुख्य धारा से अलग होने की संख्या का मतलब, देश को तोड़ना है। देश के अंदर ऐसी विध्वंसक शक्तियां काम कर रही हैं और उसका सहयोग एक पार्टी कर रही है। चाहे लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, उस भाषा का उपयोग किया जाता है। उसके सहभागी बनाये जाते हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विष्णुदेव साय जी विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। उसमें कैसे व्यवधान उत्पन्न किया जाये। आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए लाई गई योजनाओं को कैसे भ्रमित किया जाये। कल्पना कीजिये कि अध्यात्म हमारी मूल जड़ है। संस्कार और संस्कृति मनुष्य को जीने का एक माध्यम है। ठीक है, हमने धर्म निरपेक्ष को स्वीकार किया। बंटवारा कौन कराया ? देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जब देश का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना था। लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान ने उदार भाव दिखाकर धर्म निरपेक्षता को स्वीकार किया। अगर विश्व के अंदर कहीं धर्म निरपेक्षता देखने को मिलती है तो हिन्दुस्तान के अंदर मिलती है। यह हमारी उदारता है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम इस बात को हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, हमारे यहां सब कहते हैं कि हम धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम धर्मान्तरण और मतान्तरण के विरोधी हैं। आज इसीलिए कानून लाना पड़ा ताकि कोई किसी के सामाजिक संरचना को बिखेरने का काम ना करें। अगर हमारे त्यौहार है, वार है, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दुर्गा जी पूजा कर नवरात्रि मानते हैं, राखा-रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, उससे दूर करके वह लोगों को गलत रास्ते में लाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी रायपुर के अंदर घटना घटी। यह चंगाई सभा, मैं तो गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोई भी सभा करने के लिए एस.डी.एम. और कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। आज कोई अपने परिसर के अंदर कैसे सभा कर सकता है ? इसको भी निर्देश देकर कड़ाई से पालन करवाईये। उस चंगाई सभा के अंदर हमारे आदमी ने अंदर जाकर कहा कि उसको ठीक कर दिया, क्रोसीन की कोई टेबलेट होगी, उसको देखकर उसका क्षणिक लाभ मिला। मैं इस प्रकार के कृत्य के के बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन समय-सीमा है, मैं अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूंगा। सभाओं के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम करना, प्रलोभन और सम्मोहन के माध्यम से लोगों के धर्म को परिवर्तित करना, उनके मत को बदलना, यह राष्ट्र विरोधी है और हमारा संविधान इस बात की अनुमति भी नहीं देता है। आज अगर आप देखेंगे, तो एक बड़ी संख्या में एक गिरोह के रूप में इस देश के अंदर में काम कर रहे हैं और यह गिरोह के रूप में काम करना देश को खंडित करने का काम है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि सामाजिक संरचना को तोड़ने और बिखेरने का काम है, जो इस देश का मुख्य आधार है। कहना चाहिए कि इसी आधार पर देश एक है। कहते हैं भारत एक गुलदस्ता है। सारे समाज के लोग

अपनी-अपनी पूजा-आराधना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है और इस कानून के अंदर में भी कोई रोक नहीं है, मैंने क्षणिक पढ़ने की कोशिश की थी। आज के दिन इस पावन पर्व पर आज हमारी सरकार ने विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में विजय शर्मा जी ने जो विधेयक लाया है, मैं इसका मन से समर्थन कर रहा हूं कि वास्तव में यह आज छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। विपक्ष नहीं है, नहीं तो मैं इस बात को आपको प्रमाणित करता कि केवल आदिवासी भाई-बहनों का धर्मांतरण और मतांतरण नहीं है, इनका विस्तार हो चुका है। इसके पहले भी हमने विजय शर्मा जी विषय लाए थे, उस समय भी हमने भी कहा था, राजेश मूणत ने भी इस बात को कहा था कि आमानाका थाना के अंतर्गत था, तेलीबांधा थाना के अंतर्गत था। सभाएं लेकर सारी जातियां इसके अंदर में आज की डेट में समाहित हो गई हैं। एक बड़ा अभियान इनके माध्यम से चला है और मैं मानता हूं और मेरा मानना है कि जो ऐसे लोग हैं, वे किसी धर्म के नहीं हैं। वे इस देश को खंडित करने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इस छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। यह किसी समाज के नहीं हो सकते, यह किसी धर्म के नहीं हो सकते। मैंने तो इस बात को चर्च में भी कहा था। मैंने वहां पर भी अपने भाषण में कहा था, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारे मत को बदलने का काम, हमको धर्मांतरण करने का काम किया तो हम उसके विरोधी भी हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। (मेजों की थपथपाहट) आज यह काम हो रहा है, इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा और मेरा एक सुझाव है कि इसका सेल बनाकर कि अगर किसी समाचार पत्र में भी छपता है या कोई अन्य संगठन भी इसके लिए प्रयास करता है या वहां पर जाकर उसको प्रमाणित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को भी तत्काल संज्ञान में लेकर उसको बहुत गंभीरता के साथ में वहां पर कानूनी कार्रवाई के दायरे में वे लोग भी आएं और जो ऐसे लोग हैं, वे रायपुर के अंदर में चिह्नित लोग हैं, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अगर कोई टोका-टाकी करता तो मैं नाम से बात भी कर देता कि इस शहर के अंदर में ऐसे लोग हैं जो ये बड़े-बड़े प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इन दो सालों में देख रहा हूं कि लगातार वे असफल भी हो रहे हैं, यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। अब आने वाले समय के अंदर में धर्मांतरण और मतांतरण छत्तीसगढ़ में करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा कानून आज हमारी सरकार ने लाया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं । सभापति जी, आपने समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री अनुज शर्मा जी।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आज सौभाग्य का दिन है कि आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इतना बढ़िया विधेयक यहां आया है। मैं इसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, आज जब एक महत्वपूर्ण विधेयक आया है विपक्ष पूरी तरह से साफ है, कोई है नहीं। रण छोड़ गए हैं, रणछोड़दास कहते हैं। आज कांग्रेस का असली चेहरा

छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आया है। जब एक महत्वपूर्ण विधेयक आया है तो वे मैदान छोड़कर चले गए। यह महत्वपूर्ण विधेयक था, इसमें उनको चर्चा करनी चाहिए थी, अपने विचार व्यक्त करने चाहिए थे, अपने सुझाव देने चाहिए थे, लेकिन यह हिम्मत उनके पास नहीं थी। इसलिए वे लोग मैदान छोड़कर भाग गए। यह उनकी आदत है। माननीय सभापति महोदय, वे राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने वाले और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूर रहने वाले लोग हैं। देश की सभ्यता संस्कृति से उनको कोई मतलब ही नहीं है। यह वह लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा किसका पक्ष लिया, कैसे पक्ष लिया, किसके साथ थे, यह पूरे देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता जान गई। आज यह विधान सभा की इस कार्रवाई से साफ़ हुए हैं, कल उनको छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ से और देश से साफ़ कर देगी। जनता उनकी नियत को जानती है। माननीय सभापति महोदय, यह वह लोग हैं जो दूरदर्शन के Logo में लिखे सत्यम शिवम सुंदरम को हटाने वाले थे। यह वह लोग हैं जो भारतीय सनातन परंपरा से जुड़ी, भारतीय संस्कृति से जुड़ी उस हर निशानी को मिटाने का प्रयास करने वाले लोग थे, जिससे भारतीयता का बोध होता था। आज इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में धार्मिक भावना के आधार पर जब कभी संघर्ष नहीं होता था, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में हमारे वनवासी भाई, हमारे आदिवासी भाई शांतिपूर्वक रहते थे, उन क्षेत्रों को संघर्ष का मैदान बना दिया गया है। आपस के लोगों में वैमनस्य पैदा कर दिया गया है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले देश के लोग हैं। हम सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम् कहने वाले लोग हैं। दुनिया को शांति का सन्देश देने वाली इस परंपरा को दूषित करने का, प्रदूषित करने का उनका जो प्रयास है। इसलिए कांग्रेस हमेशा मौन रही है और आज फिर मौन है, लेकिन हमारी सरकार मौन रहने वाली नहीं है। इसमें मजबूत कड़े कदम उठाने वाली है। माननीय सभापति महोदय, किसी लड़की को प्यार के जाल में फँसाकर उसका मतांतरण करना, उसका धर्म परिवर्तन करना अपराध है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लड़का है, धर्म विशेष का है। वह ऐसा काम दो लड़कियों के साथ कर चुका है। उसका काम ही है। अभी तीसरी बार फिर से उसने प्रयास किया। उनको कौन प्रश्रय देता है? उनको कौन बचाता है? कौन ऐसे कृत्यों पर चुप रह जाता है? क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? इन सब बातों का जवाब इस विधेयक में है। कौन ऐसे लोग हैं, जो लोगों की बीमारी का फायदा उठाकर, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनका मतांतरण करते हैं, धर्म में परिवर्तन करते हैं। जब वे इस चक्रव्यूह में एक बार फँस जाते हैं तो उन्हें कब्र के लिए भी पैसा देना पड़ता है, उन्हें मंडली में रहने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, उनके साथ अलग-अलग तरह के व्यवहार किये जाते हैं, उनके ऊपर उनके सामाजिक दायित्वों में भी अंकुश लगाने का प्रयास होता है, लोगों को अपने साथ और मिलाने का मायाजाल बुना जाता है। यह विधेयक उन सब बातों का जवाब है। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे जल्दबाज़ी क्या है? जल्दबाज़ी नहीं है, बल्कि सही समय में सही फैसला लिया गया है, छत्तीसगढ़ की आदि परंपराओं को

बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष होने लग गया है कि कहाँ किसे दफ़नाया जाएगा, नहीं दफ़नाया जाएगा? यह कभी विषय नहीं था। इन बातों को लेकर लोगों के घरों में तोड़-फोड़, उनके संस्थानों में तोड़-फोड़ हो रहे हैं। इन सब बातों से बचाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। यह कह रहे थे कि द्वेष केवल द्वेष से समाप्त नहीं होता है, यह प्रेम और करूणा से समाप्त होता है । माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत का जो सनातन धर्म है, वह कभी किसी धर्म को नीचा नहीं कहता है । अगर किसी ईश्वर ने कोई किताब लिखी है, कोई धर्म ग्रन्थ लिखा है तो उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष का भाव नही होगा, तभी वह ईश्वरत्व को प्राप्त करेगा और जिसके अंदर ईश्वरत्व का भाव है उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष नहीं हो सकता । वह कभी नही कह सकता कि तुम मेरे को छोड़ कभी किसी को ईश्वर मत मानना । (मेजों की थपथपाहट) ईश्वरत्व का भाव उसी के अंदर होगा, जिसके अंदर अपनत्व का भाव हो, सब को सम्मानित करने का भाव हो और ऐसा भाव इस देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म है, जिसे प्रदूषित करने का अधिकार किसी को नहीं होगा । माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में 1968 में राज्य में जो कानून बना था, जिसका उद्येश्य था कि धर्म परिवर्तन से संबंधित परिस्थितियों को विधिक रूप से विनियमित किया जा सके और अब ऐसा समय आ गया है कि 1968 के बाद इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिये । आज लोगों को प्रभावित करने का माध्यम बदल गया है । अलग-अलग माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है । अगर कानून समय के हिसाब से नहीं चलेगा तो प्रभावशाली नहीं होगा । इस कानून में एक विशेष बात यह है कि दायित्व तय होगा कि कौन जवाबदार है, यह इस विधेयक की विशेषता है । आप धर्मान्तरित होते हैं तो किस प्रोसेस पर होते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन है और अगर आप वापस आते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया का उल्लेख है ताकि लोगों को यह पता हो कि आपका स्टेटस क्या है, आपका डाटा क्या है, आप नंबर्स पर कितने हैं, कितने लोग धर्मान्तरित हो रहे हैं, इस बात की जानकारी इस प्रदेश को होना चाहिये ? इन सब बातों की व्यवस्था होनी है । माननीय सभापति महोदय, आज बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया विधिक रूप से विवाद का विषय बन सकती है, जिसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । अस्पष्टता हमेंशा विवाद को जन्म देती है, यह विधेयक उस अस्पष्टता को दूर करके स्पष्टता लाने के लिये है । सभापति महोदय, कानून का उद्येश्य आस्था का निर्णय करना कभी नहीं होता, कानून का उद्येश्य उस प्रक्रिया को स्पष्ट करना होता है, जिसके माध्यम से आस्था से जुड़े निर्णय लिये जाते हैं । माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिये चिन्ता करते हैं । मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश की इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिये इस विधेयक को लाया है । मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें ताकि छत्तीसगढ़ की जो

पहचान है कि दुनिया कहती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यह भाव दुनिया में बना रहे और बाहर से जो भी लोग आते हैं वह छत्तीसगढ़ की सादगी पर मर जाते हैं । वह कहते हैं कि सबसे सीधे-सादे और सरल लोग छत्तीसगढ़ में है । ऐसे लोगों के ईमान को बदलने का काम, ऐसे लोगों के मत को बदलने का काम, पाप नहीं महापाप है । यह विधेयक उस पाप से छत्तीसगढ़ को छुटकारा दिलाने वाला विधेयक है । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हुये समस्त सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि इसका सर्वसम्मति से समर्थन करें । मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति महोदय, आज एक ऐतिहासिक विषय सदन में लाया गया है, जब यह विषय आ रहा था तो मुझ जैसे सामाजिक जीवन के राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिये यह भावुक क्षण है । छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल जशपुर के राजकुमार स्व.श्री दिलीप सिंह जूदेव जी को याद करते हुये मैं उस दौर को याद करना चाहता हूँ कि जब वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, राम राज्य परिषद के माध्यम से, जनसंघ के माध्यम से, संघ की विभिन्न इकाईयों के माध्यम से वंचित समाज का जीवन जी रहे जनजातीय समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। तभी से सात समंदर पार की शैतानी शक्तियों ने अपना कुचक्र रचते हुए छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण की तरफ धकेलने की व्यवस्था के साथ कदमताल करना चालू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य की जो वर्तमान राजनीतिक संरचना है, भौगोलिक संरचना है, वह सात राज्यों की सीमा से जुड़कर बनती है। सात राज्यों की सीमा का मतलब यह है कि उनके आने-जाने, आवागमन, संस्कार, संस्कृति के परिवहन की व्यवस्था भी इन राज्यों से होकर सातों राज्यों में जुड़ती है। मैं यह मानता हूं, भारत का इतिहास गवाह है, जब-जब हिंदू, सहिष्णु हिंदू अल्पमत में आया है, अल्पसंख्यक में आया है, तब-तब आर्यावर्त या भारत का वर्तमान भू-भाग अलग हुआ है, यह इतिहास बताता है। यह इतिहास यह भी बताता है कि संपूर्ण विश्व में सर्वे धर्म समभाव के साथ, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ, सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायु हों, सब धन-धान्य से परिपूर्ण हों, इस परिपालन के साथ चलने वाली अगर कोई व्यवस्था है तो वह सनातनी व्यवस्था है। परंतु जब सनातनी व्यवस्था और पंथों के बीच में अंतर किया जाए तो सनातन प्रकट हुआ है और पंथों के प्रवर्तक आए हैं। सनातन का इतिहास कोई बता नहीं सकता, सनातन आज क्या है? सनातन को केंद्र में रखकर चलने वाली पद्धति, अगर धर्म के रूप में व्याख्या की जाए तो हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, यह स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है। जिनके पंथ बने, वे प्रवर्तकों के दिखाए मार्गदर्शन पर चले हैं। संविधान की व्यवस्था के तहत, जब अंग्रेज इस देश में राज करते थे तो बहुत सारे बड़े-बड़े शहरों या ग्राम केंद्रों पर जमीनों का आवंटन शैक्षणिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां चलाने के नाम पर मिशनरियों को दी जाती थीं। कालांतर में वही स्थान धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण का स्थान

बन गया। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, छत्तीसगढ़ के इसी रायपुर में, इसी बिलासपुर में, इसी कोरबा में, इसी अंबिकापुर में, इसी जगदलपुर में, इसी रायगढ़ में, जहां पर करोड़ों की संपत्तियां आज भी देश की 75 साल की आजादी के बाद अमेरिका की किसी कंपनी के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर दर्ज हैं। क्यों दर्ज हैं, मालूम नहीं। उनके कुछ तथाकथित एजेंट, उनके कुछ तथाकथित मुख्तियार उन संस्थाओं की मालिकाना स्वरूप लेकर बैठी हुई हैं। उन बेहिसाब कीमती जमीनों की उपयोगिता क्या है? वे मतांतरण के केंद्र बनकर रह गए हैं। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग भी करूंगा कि ऐसी जमीनों के पंजीयन, उसके स्वामित्व और उसके आधिपत्य की भी जांच कराई जाए कि किन कारणों से आजादी के 75 साल बाद भी वे संपत्तियां उनके पास हैं। आज विपक्ष नहीं है, रणछोड़ दास नहीं बोलते, इसको पलायनवादी कहते हैं। ये पलायनवादी लोग वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करके तुष्टिकरण करने की राजनीति करते-करते देश को उस धरातल से रसातल पर लाने का काम किया है कि देश की सांस्कृतिक विरासत समाप्त हो जाए। बहुसंख्यक सहिष्णु हिंदू उन स्थितियों में आ जाए जहां पर आप शिक्षा के नाम पर स्वाभिमान शून्य लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति प्रदान करने की व्यवस्था वहां खड़ी कर सकें। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि ऐसी संपत्तियों की जांच की जाए और उसे जब्त की जाए। अभी कुछ दिनों पहले बिलासपुर में एक हॉस्पिटल की संपत्ति जब्त की गई। वह संपत्ति क्या थी? अमेरिका की किसी संस्था की, जबलपुर की किसी संस्था को मुख्तियार आम था, वह मुख्तियार आम बिलासपुर के किसी व्यक्ति को दे रखा था, ना उसकी लीज पटती थी, ना उसका कोई दस्तावेजी प्रमाणीकरण था, लेकिन उस जगह पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा लाखों रुपये के किराए वसूल किए जाते थे । व्यावहारिक दृष्टिकोण से आज भी उन जमीनों के औचित्य पर सवाल है। जब हम यह कहते हैं कि धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण तो अब वह सेवा के क्षेत्र के नाम पर धंधे की व्यवस्था बन गई है। अब यह जीवन पद्धति बदलने के बजाय पूजा पद्धति बदलने की व्यवस्था बन गई है। जैसे मेरा नाम सुशांत शुक्ला है तो मैं सुशांत शुक्ला रहूंगा, परंतु मैं संविधान में निहित सभी लाभ को प्राप्त करूंगा, लेकिन अपनी पूजा पद्धति बदल चुका रहूंगा। यह व्यवस्था, यह कुचक्र कुछ लोगों के द्वारा इस देश में बड़े लंबे समय से चलाया जा रहा है। अगर मेरे शब्दों में यह बात कहे तो यह धर्मांतरण नहीं, यह मतांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण की व्यवस्था का कुचक्र इस देश में लंबे समय से चलाया जा रहा है। भारत के अस्तित्व को समाप्त करने की व्यवस्था का कुचक्र लंबे समय से चलाया जा रहा है। पीड़ा किसको हो रही है? आज विपक्ष नदारद है। अंग्रेजों की दी गई एक नीति थी–बांटो और राज करो। लंबे समय से उसका लाभ प्राप्त करके वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाले विपक्ष के लोग आज नदारद हैं। आज उनको चर्चा में आना था। उनको जानना था कि दत्तात्रेय गोत्र के नाम पर शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले नमाजी स्टाइल में पूजा करने वाले उनके नेताओं की व्यवस्था इस देश में क्या रही है? उनको यह जानना होगा कि किसी के उपनाम पर कब्जा करके इस देश में

राजनीतिक विरासत चलाकर राजनीतिक राजपरिवार स्थापित करने के पीछे उनकी मंशा क्या रही है? उनको यह बताना होगा कि 75 सालों में एक वर्ग विशेष के नाम पर आर्थिक फंड का जुगाड़ करके अपनी सर्वोच्च सत्ता का सार्वभौम प्रकटीकरण करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? लेकिन यह इसलिए नहीं बताएंगे, क्योंकि एकवंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता में पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया और इनका एकमात्र उद्देश्य जनसेवा की जगह भ्रष्टाचार है। अगर किसी को भ्रष्टाचार को केंद्र में रखकर करने वाली राजनीति करनी है तो विपक्ष से सीखना चाहिए कि जब तक वह वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग संघर्ष को नहीं बढ़ाएंगे, वह भ्रष्टाचार आधारित नीति के आधार पर कोई वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। क्या वह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनजाति समाज, जिनकी अपनी एक अलग पूजा पद्धति, अपनी विरासत है, जिनके आधार पर इन्होंने एक नाम दिया-आदिवासी। आखिर यह आदिवासी शब्द कब आया? यह जनजाति समाज, यह वनवासी समाज भारत की दशकों से नहीं, सदियों की व्यवस्था के साथ जुड़े लोग हैं और जिनकी पूजा पद्धति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और आदि बूढ़ादेव के तहत भोलेनाथ की व्यवस्था के पथ पर केंद्रित होती है। यह दंडकारण्य का क्षेत्र है और दंडकारण्य का क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी वनगमन का क्षेत्र रहा है। उस समय उनके साथ कौन था? जनजाति समाज के लोग उनके साथ थे। मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि सात समुंदर पार की शैतानी शक्तियों को रोकने के लिए आपका यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। (मेजों की थपथपाहट) मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस कौम को जीने का एहसास नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं। आपने एक नया इतिहास पैदा किया है, आपने जीने का एहसास कराया है क्योंकि आपके मूल मंत्र में एकात्म मानववाद और राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाली विचारधारा पनपती है, पोषित होती है और पल्लवित होती है। आज उसको संवर्धित करने का काम मेरी सरकार ने किया है, इसके लिए मैं गौरवान्वित हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं, जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे कि आखिर गांव-गांव में जनता को आक्रोशित करके, समाज में द्वेष उत्पन्न करके वह क्या बताना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वह छत्तीसगढ़ को नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की व्यवस्था के साथ कौन कदमताल करता था? यह भी जांच का विषय होना चाहिए। सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए आपने 31 मार्च की डेडलाइन दी है तो मैं मंत्री जी के लिए एक विषय और छोड़कर जाना चाहता हूं कि नक्सलवाद के कुचक्र में कौन सहयोगी था? अगर आप परोक्ष रूप से जाएंगे और जब जांच करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज इस सदन में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, वह उसके सहयोगी थे, उसके कदमताल थे, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे, उनको मनोबल देते थे, उनको व्यवहारिक दृष्टिकोण से खड़ा करते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ से यह बिगुल फूंका जा चुका है कि अब सेवा के नाम पर

मतांतरण अब राष्ट्रांतरण नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सनातनी व्यवस्था का वह भगवा ध्वज बनकर आकाश के शुचिता का रथ बनकर, शुचिता का ध्वज बनकर फहराया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) आज एक बड़ा विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 की तिथि है। इस भारतीय नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की पूरे सदन को और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबको अंतहीन शुभकामनाओं के साथ आप सबके जीवन में वह प्रगाढ़ता मिले, वो उज्ज्वलता मिले, वो प्रकाश की तेजस्विता मिले, जिस तेजस्विता की सोच के साथ आप ये बिल लाए हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः स्थापित करता हूं कि आज छत्तीसगढ़ ने इतिहास गढ़ने की शुरुआत की है और आज इस सदन के माध्यम से संपूर्ण भारत, अखंड भारत के रूप में स्थापित होकर पुनः विश्वगुरू के पद पर पहुंचकर, पुनः विश्व को शिक्षा देने के काम की शुरूआत हुई है, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है।

सभापति महोदय, जब हम यह कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम करेंगे, तो हमें किसी पंथ से, किसी धर्म से, किसी व्यवस्था से विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस बात पर है कि जो जब-जब हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारी परंपराओं को छेड़ने का साहस करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज आपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद इस विधेयक को लाया है, आज यह अपने आप में इतिहास रचा जा रहा है परंतु इस इतिहास में आज विपक्ष के साथी नहीं हैं, वह पलायनवादी लोग हैं क्योंकि उनके विचारों के केंद्र में पलायन है। जब-जब देश संकट में आता है, हमारे विरोधी विचारधारा के लोग हमेशा पलायन की तरफ बढ़ जाते हैं। वे वोट बैंक की राजनीति करते हैं।

सभापति महोदय, एक शब्द आता है सेक्युलरिज्म। अगर हम सेक्युलरिज्म की हिंदी के व्याकरण में व्याख्या करें, तो वह पंथनिरपेक्ष आता है, इन्होंने इसकी व्याख्या दी धर्मनिरपेक्षता की। जब-जब यह प्रश्न उठेगा कि सेक्युलर कौन है, तो वह पंथनिरपेक्षता की तरफ इंगित करेगा न कि धर्मनिरपेक्षता की तरफ। मेरी ऐसी मान्यता है कि धर्म हमेशा जीना सिखाता है, धर्म हमेशा सहना सिखाता है, धर्म हमेशा सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। आज इस मंच के माध्यम से उनसे भी आग्रह है जिन्होंने इस प्रदेश में मतांतरण, धर्मांतरण या पूजा पद्धति बदलने का कुचक्र रचा है, यहां से उनको यह संदेश जाना चाहिए कि आइए आपका भी स्वागत है परंतु अगर आप हमारे मूल्य, परंपरा, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक व्यवस्था को छेड़ेंगे तो उसका जवाब भी आपको उसी स्थिति में मिलेगा जिस स्थिति की नैतिक ज़िम्मेदारी हम सबकी ओर है।

समय:
4.48 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए दिल की अंतहीन गहराइयों से आपका धन्यवाद और अपने नेता विष्णुदेव साय जी को, माननीय विजय शर्मा जी को, इस सदन के सभी विधायकों को पुनः धन्यवाद कि अगर आपने जनता के जनादेश का सर्वांगीण उपयोग किया है, तो यह बिल हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कारों को, हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा को, हमारे छत्तीसगढ़ की दीक्षा को, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, हमारे छत्तीसगढ़ की बोली को और हमारे छत्तीसगढ़ की भाषाओं को केंद्रित करते हुए आपको उस व्यवस्था के साथ ले जाकर जोड़ेगा, जिसमें जब हम नवा अंजोर 2047 के लक्ष्य के साथ विकसित भारत 2047 के साथ कदमताल करते रहेंगे, तब हम अपनी संस्कृति, अपने विचारों के ध्वजवाहक स्वरूप में लेकर भगवा रूपी ध्वज में, भगवा तेजस्विता का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा संस्कार का प्रतीक है, तो जब भगवा ध्वज लहराएगा, तब भारत में उस शांति के प्रतीक की व्यवस्था बनेगी, जिस शांति की हम चिंता करके आज सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक के समर्थन में अपनी बातें रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह अत्यंत संवेदनशील विषय है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर एक नागरिकों की अंदर की आत्मा की आवाज का विषय है। आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, अनेकों षडयंत्र किये जा रहे हैं। किसी के घर में घुस करके या किसी के गांव में घुस करके रात के अंधेरे में हमारे सनातनियों को तोड़-मरोड़कर, डराकर, धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस विषय में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से इस विधेयक बिल को लाने के लिये बहुत धन्यवाद देता हूं। जिनके माध्यम से आज छत्तीसगढ में विशेषकर छत्तीसगढ़वासियों के लिये इस बिल के माध्यम से एक नये दिन का उदय होने वाला है। मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंधी के रूप में हम सबको इस अंधकारमय जीवन में ढकेलने का काम कुछ षडयंत्रकारियों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ही क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहां चंगाई सभा का आयोजन होता है। वहां हफ्ते, महीने में मेले जैसी भीड़ लगी रहती है। इस विषय को लेकर कई बार उस क्षेत्र के समाज को लेकर के समाज के लोगों ने, गांव वालों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। लेकिन ऐसा विषय आया कि वहां कई जगह में लड़ाई-झगड़ा की, मारपीट की, कहीं एक-दूसरे की गुंडागर्दी की भी व्यवस्था देखने को मिली। शासन-प्रशासन की ओर से भी बड़ी चिंता का विषय था। आज मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ यह विधेयक लाये हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा कहीं कोई कार्य हो रहा है तो इसके लिये कड़ी से कडी कार्रवाई हो। इस कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था बनायें जो हमारे

समाज को तोड़ने का, समाज को बहलाने, फुसलाने का, डराने, धमकाने का जो भी प्रयास किया जा रहा है, ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्तियों को कहीं बख्शा न जाये, उसके लिये कठोर कार्रवाई हो। यह मैं विशेष रूप से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चंगाई सभा जहां-जहां हो रही है, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं, कई ऐसे हमारे समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको झाड़-फूंक के बहाने हो, उनको कोई प्रलोभन के बहाने हो, वहां चंगाई सभा में झाड़-फूंक की व्यवस्था भी बनाते हैं, जिनके प्रलोभन में गांव के लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, मेरे ही क्षेत्र में एक ऐसी गर्भवती महिला थी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वहां दो से तीन दिन तक उस महिला को झाड़-फूंक करने की व्यवस्था एक घर में करवा रहे थे, लेकिन ऐसा समय आया कि वहां उस महिला की मौत हो गई। जब जाकर हम लोगों को पता चला कि उनके परिवार वाले लोग 3-4 दिन से वहां रहे, उसमें बड़ी कार्रवाई भी हुई, उसमें बहुत आंदोलन भी हुआ, विरोध भी हुआ। लेकिन मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी बहुत जगह हैं जहां प्रलोभन देकर के या झाड़-फूंक के बहाने या कोई बीमारी को ठीक करने के बहाने या किसी गरीब को अमीर बनाने के बहाने छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे षडयंत्रकारी लगे हुए हैं। ऐसे मतांतरण करने का प्रयास करने वाले लोग जो घूम रहे हैं, उनकी यदि कहीं कोई शिकायत मिल रही है, कहीं कोई जानकारी मिल रही है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से जिला प्रमुख कार्यालय में या प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी छानबीन हो, उनके ऊपर अंकुश लगे। इस कानून में विशेष उल्लेख हो। धर्मांतरण के लिये जितने मतांतरण का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए कई लोग मतांतरण भी कर लिये हैं। वह लोग हमारे धर्म में वापिस कैसे आयें, इसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। कई लोग प्रलोभन में जाकर धर्मांतरित हो जाने के बाद उनको वापस भी नहीं आने दे रहे हैं, ऐसी भी स्थिति पैदा हुई है । कई लोग आना भी चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं तो इनके लिये भी इस कानून की ऐसी व्यवस्था बने ताकि जो इस रास्ते से भटक गये हैं, हमारे समाज से जिन्होंने दूरी बना रखी है वह समाज में पुन: कैसे वापस हों, मैं इसकी भी विशेष रूप से माननीय गृहमंत्री जी से मांग करूंगा । इस विषय में, इस कानून में इसका विशेष उल्लेख किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा बल्कि समाज की आस्था, विश्वास और सामंजस्य से जुड़ा हुआ मामला है । समाज के कई ऐसे प्रमुख लोग हैं या गांव के प्रमुख हैं या कोई जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सोचने में या वहां जाने में या वहां बात करने में बड़ी चिंता का विषय होता है चूंकि कहीं न कहीं जो भटके हुए लोग हैं वह लोग भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं तो ऐसा भी होता है कि हमारे धर्म के साथ कहीं बड़ी-बड़ी घटनायें भी हो रही हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । मैं अंतत: केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, विधायक बनकर आये हैं, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको विधायक बनाकर भेजा है, चूंकि विधायक

बनाकर भेजा है तो विधायक का उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहीं कोई गलत कानून, कोई व्यवस्था है या गलत कोई काम हो रहा है या कहीं कोई अधर्म हो रहा है । कोई हमारे समाज के साथ, हमारे प्रदेश की आस्था के साथ यदि कोई खिलवाड़ कर रहा है तो हम सभी, मैं अंतत: केवल इतना कहना चाहूंगा कि विधायिका का कार्य केवल वर्तमान क्षेत्र का विकास करना ही नहीं है बल्कि वर्तमान विवादों का समाधान करना भी हमारी विधायिका का कार्य भी कहा जाता है । यह भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे समाज की स्थिरता और विश्वास बना रहे । इस दृष्टिकोण से इस विधेयक को देखना अधिक उचित होगा, इन्हीं विचारों के साथ मैं इस विधेयक का पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक वह गरीब जनता और हर वासियों की ओर से, छत्तीसगढ़वासियों की ओर से मेरे राजिम विधानसभा, गरियाबंद जिलावासियों के एक-एक मतदाता की ओर से इस सदन में इस विधेयक का मैं भरपूर समर्थन करता हूं और मैं हमारे सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमारे विपक्ष के भगौड़े साथियों को भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां भी हो, उस मंच से या अपने घर से भी इस विधेयक का समर्थन करें । सदन छोड़कर तो चले गये हैं लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक का भरपूर समर्थन करते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री चैतराम अटामी ।

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- धन्यवाद । माननीय सभापति महोदय, आज का दिन मेरे लिये बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज हिंदू नववर्ष है और मेरा जन्म भी इसी चैत्र महीना में हुआ है इसीलिये मेरे लिये यह बहुत शुभ दिन है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं अपने क्षेत्र में धर्मांतरण किस प्रकार हो रहा है, मैं इसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं । बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी पहचान उसकी समृद्ध जनजाति, संस्कृति, परम्पराओं, प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली होती है । यह आदिवासी समाज की अपनी धार्मिक आस्था दैवगुड़ी, घोटुल व्यवस्था, लोक परम्पराएं, पिछले कुछ दशकों में बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण का मुद्दा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया है । कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय समूह का मानना है कि बाहरी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न माध्यमों से आदिवासी समाज को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन के प्रयास किये जा रहे हैं । वहीं दूसरी ओर कुछ समूह इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सेवा से जुड़ा विषय मानते हैं इस प्रकार बस्तर में धर्मांतरण का विषय केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों से जुड़ा हुआ है । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे बस्तर क्षेत्र में किस प्रकार से इन लोग धर्मांतरण करते हैं और उसको रोकने के लिए हमारे जो पुरखों ने परम्पराएं, जो सामाजिक नियम-कानून बनाये हैं। जिस प्रकार वहां एक

बीज पंडुम होता है, उसमें उस गांव की आंगादेव होती है और उस गांव में जितने लोग रहते हैं, सभी अपने घरों से बीज लेकर, वहां आंगादेव में जाते हैं जैसे मंदिर में हम नारियल प्रसाद लेकर चढ़ाते हैं ऐसे अपने-अपने घरों से बीज लेकर जाते हैं और वहां पर उस बीज को चढ़ाते हैं और वहां रात भर जागरण करते हैं। रात भर जागरण के बाद उस बीज को लेकर आते हैं और सभी लोग अपने जमीन पर उस बीज को छिड़क देते हैं। अगर आंगादेव और देवगुड़ी में जो व्यक्ति गया है, उसी को अधिकार होता है कि वह अपनी जमीन पर बीज बो सकता हैं। अगर वह वहां नहीं गया है तो उसकी जांच-पड़ताल होती है कि वह क्यों नहीं आया। आपने और हम सब लोगों ने यह देखा है कि कहीं पर धान काटने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसने धर्मांतरण करने के बाद, अपने खेत में धान ले गया और वह धान काट रहे थे तो वहां के गायता, पेरमा, पुजारी इन सारे लोगों ने यह कहा कि आप धान नहीं काट सकते हैं क्योंकि आप वहां से धान नहीं लाये हैं। इसलिए यह धान गांव वालों ही काटेंगे, आपका अधिकार नहीं है। जब वहां गांव वाले ऐसा विरोध करते हैं तो यह पुरखों का बनाया हुआ नियम है। जब पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस बोलती है कि इसे कहीं भी दफना सकते हैं इसमें दफनाने वाली बात भी है, यह आपकी जमीन नहीं है आप इस जमीन को नहीं मानते हैं जब माटी तिहार होता है तो उस माटी तिहार में वह नहीं जाते हैं, जिन्होंने धर्मांतरण किया है, वहां पर वह व्यक्ति नहीं जाता है इसलिए उसका विरोध करते हैं। वह गांव के देवी का क्षेत्र होता है वह कुछ फली क्षेत्र होता है, कुछ इतने गांव मिलकर क्षेत्र होता है आप उस देव के क्षेत्र में नहीं गाड़ सकते हैं। वहां पर समाज के द्वारा यह विरोध होता है, वहां यह परम्परा ही है और इस परम्परा को बचाये रखना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आज हम यहां सब हैं। समाज है तो हम यहां हैं । हम सभी किसी न किसी वर्ग से आते हैं। पहले हमारा समाज है और समाज है तो हम हैं। आज हम जिस पद में भी हैं मैंने जिस समाज के आरक्षण से अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और मैंने चुनाव लड़ा और यहां हम विधायक के पद का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सभी के पुरखों ने हर चीज बनायी हुई है, इसलिए वह विरोध करते हैं। मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बस्तर में सबसे पहले नक्सलवादी नक्सलगढ़ी से लेकर आंध्रप्रदेश गये। अब नक्सलवादियों ने आध्रप्रदेश से हमारे दंतेवाड़ा, उरसूर,बांसागुड़ा होते हुए हमारे अबूझमाड़ में प्रवेश किया है और उस समय हमारे आदिवासियों के साथ उनका बोरे-बासी खाते थे, उन्होंने जो खाना बनाया होता था वह वही खाना खाते थे, कोई अलग से कुछ नहीं खाता था। हम आप की सेवा करने के लिए आये हैं, ऐसे करके वह बस्तर में आयें। सबसे पहले इन्होंने हमारे जनजाति समाज को पकड़ा और वह धीरे-धीरे अपनी तरफ करते गये। आज वहां पर नक्सलवाद खत्म करने के लिए हथियार का जवाब हथियार से देना पड़ा, कोई भी सरकार हथियार का जवाब हथियार से सकती है, लेकिन आज जो यह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वह दिमाग की तरह कर रहे हैं। वह दिमाग को अंदर-अंदर पूरा खोखला बना देता है ऐसे ही यह लोग मिशनरी के द्वारा उनको चंगाई सभा में बुलाकर,

उनका ब्रेनवॉश किया जाता है। उनका ब्रेनवॉश करते-करते, उनके अंदर ऐसे संस्कार भरे जाते हैं, यही सही है । इसलिए वह आखिरी में जाकर स्वीकार करता है कि आपका भगवान नदी में डूब जाता है । जिस भगवान की पूजा करते हो, उसको नदी को डालोगे तो डूब जाता है । पानी में डालेंगे तो पत्थर डूब जाएगा तो तुम्हारे भगवान में ताकत कहां है ? हमारे भगवान को भी डाल रहे हैं, वह पानी में तैर रहा है । देखे, यह है भगवान । जिसके पास ताकत ही नहीं है, वह पानी में डूब गया है । ऐसे गलत प्रचार करते हैं, ऐसे भ्रमित करते हैं । ऐसे काम हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा चल रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस्तानार किलेपाल का एक युवा बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता था और समाज के लिए नेतृत्व करता था । जब उन्होंने दो, तीन सभा की कि हमारे जनजाति समाज को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने धर्म में रहिए । हमारे धर्म को पुरखों ने बनाया है इसलिए उसको मानिए, वह युवा ऐसा संचालन किया, नेतृत्व किया । उसके बाद उसकी संदिग्ध हालत में हत्या करके सड़क के किनारे उसको फेंक दिया गया । यह बहुत बड़ा षड़यंत्र है । मैं माननीय गृहमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में नक्सलियों का खात्मा किया गया है, हथियार का जवाब हथियार से दिया गया है । आने वाले समय में इस धर्मांतरण को नियंत्रित नहीं किया गया तो नक्सलवाद पर जितने लोगों का बलिदान हुआ है, उससे भी ज्यादा बलिदान धर्मांतरण में होने वाला है, भयंकर होने वाला है । इसलिए समय रहते सबको सहयोग करना होगा। ऐसे धर्मांतरण को रोकना ही होगा । आने वाले समय में अगर इनको नहीं रोकेंगे तो केवल आदिवासी ही नहीं, बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं, गांव में रहने वाले लोग धर्मांतरित हो रहे हैं । गांव में धर्मांतरण की आग लगी, उसकी आंच शहर की ओर भी आने वाली है । वे लोग शहर को भी नहीं छोड़ेंगे, यह सबको समझ में आना चाहिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- चैतराम भैया, शहर की ओर आ नहीं रहे हैं, आ गए हैं । बल्कि गांव से ज्यादा शहरों में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं ।

श्री चैतराम अटामी :- सभापति महोदय, अब शहर में भी आ गए हैं इसलिए हम लोगों को किसी प्रकार की संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है । हम राजनीति के लिए अपने क्षेत्र में धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो हमारे वोट बैंक में फर्क पड़ेगा, ऐसी भी कई लोगों की सोच है । अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो उनकी ताकत आगे बढ़ती जाएगी । आग और लगते जाएगा, फिर उस आग को बुझाने के लिए धर्मांतरण को नियंत्रित करने की जरूरत है । जैसे अभी नक्सलवाद की आग को बुझाने के लिए सरकार को कितना एड़ी-चोटी एक करनी पड़ी, कितना नुकसान उठाना पड़ा, तब सरकार ने आज नक्सलवाद का खात्मा किया है । इसलिए हम सबको इस पर नियंत्रित करना चाहिए । अभी हमारे गृहमंत्री जी ने जो विधेयक लाया है, इसमें हम सबको समर्थन करना चाहिए और यह बहुत अच्छा कानून लाया गया है ।

सभापति जी, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश में आजतक कितने लोग धर्मांतरण हुए हैं, किस-किस जिले से कितने लोग धर्मांतरण हुए हैं और वैध, अवैध धर्मांतरण किस-किस जिले से, किस-किस वर्ग से पूरे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हुए हैं, उसको भी सदन के पटल पर रखी जाये, ताकि पूरा सदन इसको जाने, ऐसी मांग मैं सभापति जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं । आने वाले समय में इसको सदन में रखे, ताकि सदन के सभी सदस्य इसको जानें । सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं । धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार टोप्पो । मैंने आपका नाम पुकारा था ।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- धन्यवाद सभापति जी ।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- धन्यवाद सभापति महोदय, यह धार्मिक शब्द बहुत ही संवेदनशील शब्द है और विषय भी है। शायद इसीलिए विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेना चाहा। क्योंकि धार्मिक विषय चुनाव में बहुत काम आते हैं। जब हम चुनाव के समय किसी परिक्षेत्र में जाते हैं तो चुनावी मुद्दे बहुत कठोरता से इसमें काम आते हैं। उसी में हमारे विपक्ष के साथी खूब रोटी सेकनें का काम करते हैं। इसीलिए विपक्ष इस पर चर्चा से भागने काम किये हैं।

सभापति महोदय, क्योंकि यह धार्मिक विषय है। इसमें धर्म को लेकर डराया जाना स्वाभाविक बात है। मैं सदन में चुनाव के समय की घटना का जिक्र करूंगा। अपने धर्म से जुड़े हुए कुछ साधु-संत आते हैं। मेरा घर खोजते हुए मेरे पास आये। उन्होंने सुबह-सुबह कहा कि बेटा हम तुमको आशीर्वाद देने आये हैं। मैंने कहा कि आशीर्वाद दीजिये, मुझे चुनाव तो जीतना है। फिर उन लोगों ने कहा कि चाय नहीं पिलाओगे, मैं चाय पिलाने के लिए अंदर लेकर गया। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि एक वादा करो कि तुम अच्छा काम करोगे। तो मैं मन ही मन में सोचा कि यह कौन सी बोलने वाली बात है। सरहद की नौकरी छोड़कर आया हूं और चुनाव लड़ रहा हूं तो अच्छा ही काम करने के लिए आया हूं। मैं वादा करता हूं कि बिलकुल अच्छा काम करूंगा। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम पुरी जा रहे हैं और तुम्हारे नाम से 10 हजार दीये जलायेंगे। मैंने कहा कि बिलकुल, चुनाव जीतने के बाद 10 हजार क्या, 20 हजार दीये जला देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारी माया से जलायेंगे। मैं इस बात समझा नहीं कि माया क्या चीज होती है। बगल में उनका चेला बैठा हुआ था, मैंने पूछा कि क्या बोल रहे हैं, तो उसने बताया कि माया से दीये जलायेंगे। फिर मैंने पूछा कि माया क्या होता है? मैं मन ही मन सोचा कि कोई तंत्र-मंत्र करेगा, मैंने हाथ को छू दिया, फिर उसका आंख लाल हो गया। उसने कहा कि माया से जलायेंगे। फिर मैंने पूछा कि क्या बोल रहे हैं? फिर उसने बताया कि तुम्हारे पैसे जलायेंगे। मैंने पूछा कितना तो उसने कहा कि 76 लीटर घी लगेगा। मैं तुरंत कैलकुलेशन किया कि एक लाख रूपये का चूना है। मैंने कहा कि महोदय आपने कहा था कि चुनाव के जीतने के बाद, लेकिन आप तो पहले ही दीये जलाने की

बात कह रहे हैं। उसने कहा कि नहीं तुमने वादा किया है, वादा पूरा करना पड़ेगा। तुम सनातन पार्टी के व्यक्ति हो, हम आशीर्वाद देने आये हैं। हम अभी-अभी लुण्ड्रा से वर्तमान में सरकार में थे और बोले कि हम वहां के विधायक को भी आशीर्वाद देकर आये कि उनकी भी सरकार बनेगी। हम तुमको भी आशीर्वाद देने आये हैं, तुम्हारी सरकार बनेगी। इस पर मैंने पकड़ा कि यह तो आशीर्वाद में भी विरोधाभास है। बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के विधायक को आशीर्वाद देकर आया कि उसकी सरकार बनेगी और मुझे भी बोल रहे हैं। मैंने सीधा बोला कि महोदय, मेरे पास इतनी धनराशि नहीं है। मैं अभी नहीं दे सकता। उन्होंने सीधा यह कहा कि बेटा हम तुमको जानते हैं कि तुम्हारे पर धन सम्पदा है, एकाउन्ट में है, घर में है। मैंने उनको जवाब दिया था कि शायद आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो आपको यह भी मालूम होगा कि मुझे सरहद से लाने वाला भी कोई और है, टिकट देने वाला भी कोई और चुनाव जीताकर सदन में भेजने वाला भी कोई और है। मैं जिस गाड़ी में चल रहा हूं उसमें तेल डलवाने वाला भी कोई और है। मैंने फिर कहा कि महोदय मेरे पास पांच सौ रूपये हैं, इसको स्वीकार करें तो उन लोग आंख लाल करके सभी घर से चले गये गये। मैं इस बात को सदन में इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि धर्म के नाम पर डराया जाना कितना आसान है। क्योंकि मैने एक ही बार चुनाव लड़ा है। आप लोग तो अनुभवी हैं। लेकिन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, यदि कोई कहे कि तुम फलाने जगह माथा टेको चुनाव जीत जाओगे, मैं सच बता रहा हूं कि जो प्रत्याशी होगा वह रातोरात जायेगा और माथा टेककर आयेगा। लेकिन मुझे उस दौर में डराने की कोशिश कर रहे थे। शायद जागरूकता होगी या हमने कहीं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, जिसने हमको डरने के लिए मजबूर नहीं किया, उसका सामना करने के लिए रास्ता दिखाया। इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था।

सभापति महोदय, लालच, डर पैदा करना, स्वाभाविक रूप से जो धर्मान्तरण हो रहे हैं यह कहीं न कहीं लालच या डर या फिर दबाव ऐसी चीजों को इंगित करता है। आज हमारा जो विधेयक आया है, इन्हीं सब विषयों पर बारीकी से कण्डिकावार है, जिसमें 6 अध्यायों में 31 धाराओं का विधेयक है। इसमें एक-एक बिन्दुओं पर उन तमाम चीजों का जिक्र है।

सभापति महोदय, यहां भारत में अनेकता में एकता है। यह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर सभी को धार्मिक स्वतन्त्रता है। अपने अपने धर्म को मानने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन कहीं न कहीं यह जो स्वतन्त्रता है, इसका दुरूपयोग नहीं हो रहा है, इस बात की गारन्टी नहीं है। इसी शब्द का दुरूपयोग करते हुए आज डराकर, धमकाकर, लालच देकर अलग-अलग तरीके से ऐसे काम हो रहे हैं। मैं जनजातीय समाज से आता हूं। इस देश में चाहे धर्म की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा पीछे रहने वाला समाज हम ही लोगों का आता है। यानी विकास के अलावा कोई भी चीज हो, हर एक चीज सबसे पहले हमारे ऊपर आघात करता है और उसी तरीके से यह भी है।   लेकिन इसको यह परिभाषित करना बहुत मुश्किल है कि यह लालच

है या नहीं है। लेकिन आज जितने भी ऐसे विषय देखने को मिल रहे हैं, लगभग-लगभग ऐसे ही विषय हैं। मैं एक घटना का ज़िक्र जरूर करूंगा। आज से ठीक एक साल पहले एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है। उसके बाद में घर से भगा कर उससे शादी कर ली जाती है और सौभाग्य से उसका जो बड़ा भाई है, वह भारतीय सेना में ड्यूटी में कार्यरत रहा। उन्होंने हमको फोन किया और रोते हुए शब्द कहा कि विधायक जी, मैं देश की सरहद में मैं देश के दुश्मन से देश को तो बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। मैं बहुत दुखी हूं। आज मैं माननीय विष्णु देव साय जी को मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि सरहद में ड्यूटी करने वाले जवान के परिवार की, उनकी बहनों, उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए भी विधेयक लाए हैं, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) यह जो शादी है, यह केवल शादी तक सीमित नहीं रही। शादी हुई, उनके नाम पर जमीनें खरीदी गईं, बहुत सारे जितने आरक्षण थे, वे सारे लिए गए। जब ये सारी मंशा पूरी हो गयी, उसके बाद में प्रताड़ना शुरू हो गई। उससे आगे तक तो ठीक था, लेकिन जिस दिन आवश्यकता पूरी हो गई, उस दिन उस बच्ची को उस घर में प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। माने वह ऐसे मंझधार में फंस गई कि वह वापस भी नहीं आ सकती और वहां रह भी नहीं सकती। तो सोचिए कितना बहुत दुख वाला विषय रहा है। एक घटना और भी है। पूरा नाम नहीं कहता हूं, जो एक मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश में शायद इसका नाम यह रहा होगा। लेकिन मैनपाट में पिछले कई वर्षों से माननीय गृह मंत्री जी, ये संजय भगत नाम बदलकर वहां रहने का काम कर रहा है और जमीनों की वहां पर खरीद-फरोख्त करना, सरकारी ज़मीनों को इधर-उधर करना, इस टाइप से कई बार शिकायतें आ रही थीं। मैंने जिला के एस.पी. को भी संज्ञान में इस विषय में दिया है। उसके दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं तो पता चला कि इसका पुराना नाम जो है न, एक मुस्लिम समाज से आता है, लेकिन संजय भगत अगर लिखा जाए तो ये तो फिर तो उरांव समाज की बात हो गई। यह सोचने से जबरदस्त मामला है कि एक व्यक्ति अचानक से किसी दूसरे प्रदेश से आता है और यहां आकर नाम और वहां की जो बहुलता कम्युनिटी है, उसमें अपना धर्म दर्ज करा कर वहां रहने लग जाता है, जो किसी को मालूम नहीं। संभवतः कि ऐसे जो मैंने पहले जो घटना बतायी, ऐसी घटनाओं को भी वह अंजाम देगा। लेकिन इस विधेयक से ऐसी जो घटनाएं हैं, इस पर संपूर्ण रोक लगेगी और प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने वर्ष 2021 से 419 किलोमीटर सावन में बनारस से लेकर सीतापुर तक कांवड़ यात्रा की है और हमारे साथ 150 से अधिक श्रद्धालु इस कांवड़ यात्रा में निरंतर हर साल सम्मिलित होते हैं। (मेजों की थपथपाहट) तो वर्ष 2021 में जब ये कांवड़ यात्रा हमने पूरा किया, तो कुछ लोगों ने हमको सवाल पूछा कि तुम तो आदिवासी हो और महादेव को कैसे मानते हो? क्योंकि इस देश में आज एक प्रचलन है, कई लोग यह कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। तो उन्होंने शायद इसी संदर्भ में मेरे से सवाल पूछा कि आपको इतनी बड़ी लंबी कांवड़ यात्रा में 419

किलोमीटर चलने क्या जरूरत थी? आप लोग तो ऐसे मानते हो, आप लोगों को तो सरना मानना चाहिए, आप लोग तो यह मानते हो। तो मैंने उनको एक ही बात में जवाब दिया था और सदन में भी इस बात को कहना चाहता हूं कि इस भारत देश में सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी सभ्यता और नहीं मिली है और है ही नहीं और यहां पर जितने भी आदिवासी समाज हैं, वे यहां के इस भारत देश के मूल निवासी कहलाते हैं । अगर हम मूल निवासी हैं और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में महादेव का जिक्र है, तो मैं बिल्कुल सही लाइन पर चल रहा हूं महादेव की आराधना में। (मेजों की थपथपाहट) मैंने ऐसे जवाब दिया था। महादेव की आराधना में 419 किलोमीटर क्या, हम 4000 किलोमीटर चलेंगे, अगर हमारी आस्था है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन इसके पीछे भी एक विरोधाभास है। कई बार हमारे समाज और लोकल परिक्षेत्रों में एक भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं। जैसे इस देश में एक समय ऐसा था कि अगर कोई वेद का कुछ उसका ज़िक्र अगर सुन भी ले तो फिर पिघला हुआ सीसा उसके कान में डाल दिया जाता था। कोई महाभारत पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। ऐसे-ऐसे अनेक ज़िक्र मिलते हैं और ऐसे भड़काऊ वाली बातें समाज में फेंकी जाती हैं। लेकिन यह पचने वाली बात नहीं है। जब इसका हम लोग ज़िक्र निकालते हैं कि रामायण को किसने लिखा? तो पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि लिखे, जो वनवासी थे, जंगल में निवास करते थे, आदिवासी समाज से संभवतः इनका लिंक है। तो यह भी दिखता है। उसके बाद में वेदव्यास, तो वेदव्यास जो हैं वेदों को एकत्र करके इन्होंने समायोजित किया। तो यह कौन थे? आज तो साइंस बताती है कि इस तरीके से जहाज़ उड़ती है, इतने ग्रह हैं, लेकिन हमारे सनातन राष्ट्र का वेद ही है, जिसने आज से हज़ारों साल पहले पूरी दुनिया को बता दिया था कि इतने ग्रह हैं, इस-इस तरीके से यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं या ऐसे-ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, इन सारी चीजों का उस वेदों में ज़िक्र हैं। यह कौन किया? यह बोलने से इसमें भी ज़िक्र आता है कि वेदव्यास, और वेदव्यास के पिता कौन थे? ऋषि पराशर थे और उनकी माता कौन थी? सत्यवती। सत्यवती जो थीं, वह निषाद समाज की थीं, मछुआर समाज की थीं। यह तमाम जानकारियों कहीं न कहीं समाज से दूर रखी गईं और एक भ्रामक बात फेंकते गए ताकि हमारे समाज को convert करके या फिर भ्रमित करके मुख्यधारा से अलग किया जा सके। क्योंकि अगर किसी को मुख्यधारा से दूर करना है तो धर्म का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ और लोगों ने इसी का सहारा लेकर यह भड़काने का काम किया कि तुम इसके हो और तुम उसके हो। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया, तब कई लोगों ने यह कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी तो जनरल लोगों की पार्टी है। मैंने सोचा कि यह सीट तो आदिवासी सीट है, फिर इसमें जनरल कैसे चुनाव लड़ेगा? कोई न कोई आदिवासी तो इस सीट से चुनाव लड़ेगा। इस तरीके से समाज में अलग-अलग रूपों में धर्म का नाम ज़िक्र कर बात फेंके जाते हैं और आज मैं समझता हूँ कि इस विधेयक से यह तमाम सारी भ्रांतियाँ भी clear होंगी और जो दबाव, लालच या किसी प्रकार के डराकर-धमका कर शादी-ब्याह

कराने या किसी अन्य प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, उन पर रोक लगेगा। इस विधेयक में धाराओं के जो Punishable चीजें हैं, उसको भी मैंने पढ़ा है। यह कानून कहता है कि बिल्कुल डर होना चाहिए। जब तक डर न हो तब तक कानून व्यवस्था ठीक से लागू नहीं की जा सकती। एक मेरा कहावत है कि कानून की रक्षा करने के लिए कई बार कानून को भी तोड़ना पड़ता है और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब परिवर्तन का बेला चलता है तो उस समय इतने प्रभावशील कानून होने चाहिए कि वह केवल नाम से ही चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। उसी तरीके से इसमें अर्थदंड से लेकर तमाम चीज़ों का ज़िक्र हैं। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए सामने आया, तब केन्द्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे प्रचार के लिए सीतापुर आए थे। उन्होंने मंच से धर्मांतरण का ज़िक्र किया था। यह बात पूरा सीतापुर में बहुत तेज़ी से फैला और जब-जब मैं किसी गाँव में गया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम जीत जाओगे तो फिर हमारा जीना हराम हो जाएगा, ऐसा है, वैसा है। मैंने उनको बहुत खूबसूरती से जवाब देने की कोशिश की थी। मैंने उनसे पूछा कि पहले आप यह बताइए कि धर्मांतरण और धर्म के संरक्षण में क्या फ़र्क होता है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैंने जो पहली कंडिका बताया था कि भ्रम फैलाने वाला, शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वे उसके शिकार हुए होंगे। मैंने उनको यह बताया कि राजनाथ सिंह जी ने धर्मांतरण के ख़िलाफ़ में बोला है। आप क्या किसी को ज़बरदस्ती convert कराते हैं? उन्होंने बोला, नहीं। क्या आप किसी धर्म में हस्तक्षेप करते हैं? उन्होंने बोला, नहीं। फिर आपको क्या दिक्कत है? हमने तो उनका ज़िक्र किया है कि जो ज़बरदस्ती किसी दूसरे धर्म के लिए वह काम करवाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? उन्होंने बोला, नहीं करते हैं। फिर आपके लिए बात थी ही नहीं। यह बात तो उनके लिए थी, जो ज़बरदस्ती वह काम करवाते हैं। इस बात का जवाब मैंने इस तर्क से दिया, फिर वहां एक सकारात्मक वातावरण बना और लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। आज भी मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक किसी भी तरीके से ऐसा समाज विशेष या फिर किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। यह शुद्ध रूप से एक धर्म स्वतंत्रता कानून है। यह विधेयक बताता है कि आज के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा काम करता है तो उसको यह punishment दिया जाएगा या फिर मैंने जितनी भी घटनाओं का ज़िक्र किया, वह तमाम चीज़ें इसमें समायोजित हैं। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इस विषय में दो सुझाव ज़रूर रखना चाहूँगा। जैसे कि जब कोई कानून बनता है तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसमें इतनी कठोर सज़ा का प्रावधान होने से हो सकता है कि इसका कोई दुष्परिणाम भी करें और जो निर्दोष हैं, उनके ऊपर भी शिकायत करके राजनीतिक तौर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस कंडिका में उनकी सुरक्षा के लिए भी एक प्वाइंट जोड़े जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग न कर सके। इस पर मेरा दूसरा सुझाव है कि इसमें लिखा हुआ है कि पारंपरिक पैतृत्व से अभिप्राय, वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पैतृत्व का मतलब क्या

तीन पीढ़ी? या देश आज़ादी? या तो फिर भारत देश का ईस्वी सन् से ज़िक्र होता है, तब से? अगर हम लोग इसको define नहीं करेंगे तो फिर राज्य में इसमें जितने लोग तीन पीढ़ी से या दो पीढ़ी से...।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- रामकुमार भाई, एक मिनट । पैतृक यानी आप देखें होंगे, हमारे जो पुरखों की जमीन है, मिसल, पी-6 उसको निकालकर देखिये, चार पीढ़ी तक हमारे जनजातीय का नाम अगर देखियेगा तो कहीं शिवराम, कहीं रामचरित तो कहीं विष्णु, विष्णुराम, ऐसा मिलेगा । पैतृक यानी वह पैतृक है जो हमारे परम्परा में, हमारी संस्कृति में, हमारे पूर्वज हमारे लिये जमीन सहेज कर रखे हैं और मिसल आज प्रूफ के रूप में है । (मेजों की थपथपाहट) अपने पैतृक लोगों के धर्म एवं संस्कृति को समझें और वापस आयें तो उनका स्वागत है । मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती हूँ । सभी धर्म का सम्मान सब को करना चाहिये और मैं भी सम्मान करती हूँ ।

श्री रामकुमार टोप्पो :- सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं इसी में पैतृक पर बोलूँगा कि मेरे पिताजी के पास जमीन नहीं था, उनकी स्थिति खरीदने योग्य नहीं थी। मैं अभी विधायक बना हूँ तो जमीन खरीदूँगा और मेरे बच्चे उसका उपभोग करेंगे। अब बताईये कि पैतृक किसको बोलेंगे, वह पैतृक संपत्ति कहलायेगा ? उसे मैने दिया है, मेरे पिताजी की संपत्ति तो कट हो गई । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे तो मान लीजिए मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है, मैं कन्वर्टेड नहीं हूँ । मैं उसी धर्म का व्यक्ति हूँ, यह हो सकता है कि मेरे पिताजी वह चीज हुये होंगे । मैं यह कहना चाहता हूँ कि पैतृक का अर्थ स्पष्ट हो कि पैतृक हम किसको कहेंगे, मैंने जो अभी बताया है या जो पहले कहा है ? यह दो विषय था, इस पर जरूर विचार करें । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और इसके लिये बधाई देता हूँ कि यह कानून आने से वाकई राज्य में सकारात्मक पहल होगा । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय :- श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी ।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- सभापति महोदय, आज बहुत ही शुभ अवसर है और नवरात्रि का प्रथम दिवस है तथा मैंने नवरात्रि का व्रत भी किया है और यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जो है, इस पर हम अपने विचार रखते हैं तो यह हमारे लिये बहुत सौभाग्य की बात है । सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि मैं उस घर से आती हूँ, जो इस धर्म परिवर्तन से प्रताड़ित रहा है । मेरी शादी वर्ष 2001 में हुई थी, हमारे घर में सास-ससूर सभी हिन्दू धर्म को ही मानते थे । मेरे पति ने मिशनरी संस्था में पढ़ाई किया था, मुझे मिशनरी संस्थाओं के बारे में यह कहना है कि गांव-गांव में जो भव्य मिशनरी संस्थायें हैं, वहां विद्यार्थियों का ब्रेन वाश नहीं होना चाहिये । सभापति महोदय, मेरे पति को अगरबत्ती पकड़ना नहीं आता था । कैसे अगरबत्ती जलाना है..।

सभापति महोदय :- एक मिनट बोलियेगा । यहीं से बोलियेगा, जहां आप बोल रही है ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में कार्य के पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- अब बोलिये ।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- सभापति महोदय, मैंने उनको सिखाया है कि किस प्रकार अगरबत्ती जलाना है । मैं जब शादी होकर गई तो मेरे रिलेटिव सब भगवान की पूजा करते थे, अच्छा खासा मंदिर था, लेकिन मैंने देखा कि 2-4 वर्षों में सारे मंदिर को बंद कर दिया गया और पूजा-पाठ भी बंद कर दिया गया । मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, गोंड समाज से आती हूँ, हमारे रिश्तेदार पूजा करते थे, उन लोगों ने सारे चीजों को बंद कर दिया । मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है ? यह कहीं न कहीं हमारे समाज को अपने भगवान से, हमारे देवी दुर्गा से, हमारे भगवान राम से लगातार दूर किया जा रहा है । सभापति महोदय, हमारा यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, इसमें बहुत मदद करेगा और मैं इस पीड़ा को बता नहीं सकती कि इसमें बहुत कष्ट होता है । आज हमारे समाज के लोगों को यह कहते हुये सुनती हूँ कि हम हिन्दू नहीं है, ऐसे अचानक क्या हो गया कि हम अलग जा रहे हैं ? सभापति महोदय, मैं अपने भाषण में हमेंशा बोलती हूँ कि शकुंतला पोर्ते ने भगवान राम को माना है, शकुतंला पोर्ते ने मॉ दुर्गा को माना है, आज वह विधायक है, जितने लोग विरोध कर रहे थे, आज वह टिकट भी नहीं पाये हैं और कांग्रेस के लोग हार भी गये । सभापति महोदय, मैंने भगवान की पूजा की है, मैं आज इस शुभ अवसर पर बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे तो सबसे ज्यादा वह आदिवासी समाज, निषादराज और शबरी के जूठे बैर खाये थे और वह उन्हीं के करीब थे । हमारे वाड्रफनगर में बछराज कुंवर धाम जहां पर भगवान की मूर्तियां लगी, आज कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं, बहुत तकलीफ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत तकलीफ देने वाली बातें हैं। मैं कहना चाहती हूं, आज विपक्ष के लोग नहीं बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान राम से ही मतलब नहीं है, मैं उनके मुखिया राहुल गांधी जी का सोशल मीडिया में देख रही थी, जब हमारा जी राम जी का विधेयक आया तो स्टेटमेंट दे रहे थे कि वह कौन सा विधेयक है, राम वाम क्या नाम है। इनके मुखिया के द्वारा भगवान राम का नाम इस तरह से लिया जा रहा था और ये लोग उनको अपना मुखिया मानते हैं। इन्होंने भगवान राम का ध्यान नहीं रखा तो भगवान भी इनका कभी

ध्यान नहीं रखेंगे। मैं आज इस मंच से बताना चाहती हूं, ये जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, मैं सरगुजा क्षेत्र से आती हूं, हमारे वाड्रफनगर ब्लॉक में प्रतापपुर क्षेत्र है, वहां अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसमें ये मील का पत्थर साबित होगा और ये बहुत ही सुखद अवसर है। आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। मैं खुद को उस गिलहरी की भांति मानती हूं, जब भगवान राम का सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी धूल को अपनी पूंछ में लपेटकर आती थीं और वह लाकर वहां पुल पर डालती थी। आज मैंने इसीलिए अवसर मांगा कि इतना शुभ अवसर है, नवरात्रि का व्रत है तो इस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मैं भी स्वागत कर लूं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और विजय भैया जी के लिए दो लाइनें कहना चाहती हूं :-

सिर्फ लफ्जों से कहां संवरती है ये दुनिया,
सिर्फ लफ्जों से कहां संवरती है ये दुनिया,
नेक इरादों और अटूट संकल्पों की जरूरत है,
नेक इरादों और अटूट संकल्पों की जरूरत है।
आपका ये विधेयक बताता है कि
हमारे उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी की नीयत
कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- पुरंदर मिश्रा जी, दो मिनट में आप भी खत्म करें।

श्री पुरंदर मिश्रा (रायपुर नगर उत्तर) :- सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद । छत्तीसगढ़ की इस पुण्य भूमि में, छत्तीसगढ़ की तपोभूमि में, राम के मामा गांव में, कौशल्या माता के मायके में, द्वारकाधीश के ससुराल की भूमि में पैदा होकर मातृभूमि का कर्जा चुकाने का काम कर रहे, ऐसे विजय शर्मा गृहमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ये धर्मांतरण आज का नहीं है, जब विदेशी आए, तब उन्होंने धर्मांतरण की शुरुआत हमारे पूजा-पाठ से की। हम काम की शुरुआत रविवार के दिन सूर्य देवता को मानते हुए करते थे, परंतु उन्होंने रविवार को चर्च जाना है कह कर उस दिन छुट्टी घोषित कर दी। छुट्टी घोषित होने से चर्च में सब जाएंगे, हमारा काम लोग कर नहीं पाते थे, ऐसे उन्होंने प्रारंभ किया। नक्सलवाद और धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जो लाए हैं, ये दोनों काम के लिए जो अथक प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं माननीय विष्णु देव साय जी और विजय शर्मा जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, धर्म परिवर्तन करने वालों को उसी दिन से कानून का साथ नहीं मिलना चाहिए, सुविधा का साथ नहीं मिलना चाहिए, जिस दिन उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इस कानून को कड़ा करके धर्मांतरण को रोकने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले 5 साल में लगभग 500 चर्च बनाए हैं और सब में प्रभु का मंदिर, विश्वासी मंदिर, सनातनी मंदिर लिखकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, इसमें भी रोक

लगनी चाहिए। मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो चंगाई सभा होती है, जो धर्मांतरण की मीटिंग होती है, उनके मकान मालिकों का भी चिन्हांकन करके उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए ताकि धर्मांतरण रुकेगा और छत्तीसगढ़ निर्विवाद 2047 तक अपना विकसित छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय :- आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा। आप आखिरी वक्ता हैं।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- सभापति महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसा विधेयक लाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आदिवासी सदस्यों के द्वारा यहां पर तकलीफ और दर्द बताया जा रहा था। मुझे लगता है कि ये विधेयक और बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में आना जहां पर धर्मांतरण धंधा बन गया था, लोगों की बहुत ज्यादा तकलीफें और समस्याएं धर्मांतरण से देखी जा रही थीं। ऐसे समय पर आना और ऐसे समय पर आकर ऐसा कठोर कानून बनाने का निर्णय लेना, इसके लिए मैं माननीय मुख्यरमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई देता हूं। नवरात्रि के ऐसे पावन अवसर पर इसकी शुरूआत हुई है। भले ही यह हमारे आदिवासी भाइयों के धर्मांतरण का विषय था, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी यह उस गति से हावी होता जा रहा था। बेमेतरा क्षेत्र व उसके आसपास के गांव में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी तो ऐसे समय में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 लाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री इंद्र कुमार साहू (अभनपुर) :- सभापति महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- अब मैंने मंत्री जी को बुला लिया है। आप पहले बोलते तो मैं आपको भी मौका देता। जिसने-जिसने बोला, सबको मौका मिला है। अब इनको बैठाना उचित नहीं होगा।

उप मुख्य मंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- सभापति महोदय, ओ कभू-कभार बोलथे, बोलन देओ।

सभापति महोदय :- आप बोल लीजिए।

श्री इंद्र कुमार साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं गृह मंत्री जी से केवल एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार आप नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण, पुनर्वास की योजना लाये थे, उसी प्रकार जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए भी कुछ पैकेज की व्यवस्था की जाये। मेरा यही निवेदन है। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- ठीक है। आप बैठिये। माननीय मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, महज यह घटनाक्रम है, कहीं पर ऐसा नहीं लगता है। आज का यह विधेयक किसी अन्य दिन आना था, लेकिन घटना ऐसी घटी और इस तरह से स्थितियां बनीं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रि के प्रारंभ में नववर्ष के पहले दिन यह महत्वपूर्ण विधेयक, जो हमारे प्रदेश की आवश्यकता थी, इसको आज हम सब लोग यहां पर लेकर आये हैं और एक साथ मिलकर पारित कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।

सभापति महोदय, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करता है। इसमें बड़ी स्पष्टता है। धर्म के संदर्भ में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। भारतीय परंपरा में जो धर्म की अवधारणा है, उसके अनुरूप बहुत स्पष्टता के साथ हम सबको सोचना चाहिए। यह छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में बस्तर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा में क्या हो रहा है, बस्तर और सरगुजा को क्यों बार-बार कहा जाए? दीदी कह रही थीं कि जंगल से आग शहर की तरफ आएगी। शहरों में भी आग है, जंगलों में भी आग है। इस बात की बड़ी स्पष्टता है और इसलिए यह आवश्यक समय आ गया है, जब इस बात पर समुचित चर्चा हो जानी चाहिए, इस बात पर निर्णय हो जाना चाहिए और इसके विधिक प्रावधान बन जाने चाहिए। हमने हर बार यह देखा है कि यदि समाज में विभिन्न तनाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष होता है तो यदि वह संघर्ष समाज तक ही सीमित हो गया, समाज ने ही उसका निर्णय कर लिया तो ठीक है। लेकिन समाज में उत्पन्न वह तनाव व संघर्ष जब प्रशासन के पास आने शुरू हो जाते हैं, समाज में उत्पन्न वह संघर्ष व तनाव जब न्यायालयों के पास जाने उत्पन्न हो जाते हैं, तब यह बात स्पष्ट होती है कि विधिक प्रावधानों की और आवश्यकता है। वर्तमान जो विधिक प्रावधान हैं, उनको और परिमार्जित और उन्नत करने की आवश्यकता है। ऐसा नि:संदेह ध्यान आता है। हमारा कोई भी राज्य हो, वह सिर्फ प्रतिक्रिया स्वरूप ही काम करे, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई घटना घटती है तो सरकार उस पर कानूनी कार्यवाही कर दे, ऐसा नहीं है। हम कभी यह न सोचकर बैठें कि जितने सारे कानून हैं, वह सिर्फ प्रतिक्रिया स्वरूप ही हैं कि अगर कोई घटना घटी तो उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो जाये। केवल इतना नहीं है। राज्य का दायित्व है कि ऐसी परिस्थितियां बनें, प्रावधानों की इतनी स्पष्टता रहे, हमारे अधिनियमों-नियमों की इतनी स्पष्टता रहे कि समाज में ऐसी घटनाएं ही न हों, समाज में ऐसी स्थिति ही न बने कि बार-बार संघर्ष हो। अगर न्यायालय के दरवाजे बार-बार खटखटाए जाएं तो स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों की आवश्यकता है। इसीलिए जब हमने देखा कि कांकेर में क्या हो रहा है, जब हमने देखा कि नारायणपुर में क्या हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको नारायणपुर की एक घटना ध्यान दिलाऊं, जिसमें माननीय केदार जी और अन्य साथीगण भी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहां पर यह हुआ था कि एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बाइक में जाकर दूसरे समुदाय के स्थानीय आदिवासी लोगों को पकड़ कर और घेर कर, दबाव डालकर, पीटकर ये

कह रहे थे कि तुम धर्मांतरित हो जाओ अन्यथा तुम्हारे साथ यही किया जाएगा। ये पिछली सरकार की बात है, उस समय यह स्थिति देखी गई थी। हमने नारायणपुर में यह देखा है और हम सब जानते हैं कि यह हुआ है । सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैं आपसे आग्रहपूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। हम सबको ध्यान है कि यह जुलाई 2021 की घटना है। सुकमा के एस.पी. ने पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था कि स्थानीय आदिवासियों को फलां समुदाय के द्वारा बहला-फुसलाकर एवं लालच देकर धर्मांतरित किया जा रहा है। स्थानीय आदिवासी एवं धर्म परिवर्तित आदिवासी समाज के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, ये एस.पी, सुकमा ने 2021 में पत्र लिखा था । आप देखें कि वहां विवाद दिखने लगा था। समाज के बीच का विवाद उठकर प्रशासन तक पहुंच गया था। प्रशासन भी चिंतित था। न्यायालयों तक भी विषय पहुंचने लगा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और इनको एक बार भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि ऐसे कोई प्रावधान लाए जाएं, ऐसे कोई कानून बनाए जाएं जिनसे स्थिति स्पष्ट हो सके और ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा न हों। इनको इस बात की कभी कोई परवाह नहीं रही। माननीय सभापति महोदय, इतना ही होकर समाप्त नहीं हो गया। मैं एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। नवंबर, 2021 को श्री आर. चुरेंद्र जी बस्तर में कमिश्नर थे। बस्तर कमिश्नर ने फिर लिखा है कि फलां समुदाय द्वारा धर्मांतरण किए जाने के लंबे समय से संभाग में, जिलों में विशेष मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर समय-समय पर कानून की स्थिति उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर अन्य धर्मों में धर्मांतरित कराया जा रहा है। ये पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कमिश्नर, बस्तर ने भी चिट्ठी लिखकर उस समय यह बताया कि अभी वहां पर क्या स्थिति हो रही है और किस तरीके से धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। सभापति महोदय, इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, समाज में इसको लेकर स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। इस बात पर समाज का बार-बार न्यायालय तक पहुंचना, बार-बार प्रशासन तक पहुंचना, संघर्ष का बढ़ जाना, ये स्थिति तब ही बन गई थी, लेकिन विगत सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया इसका कारण है। इसका एक बहुत स्पष्ट कारण है। आज भी उनकी उपस्थिति नहीं है। यह बहिर्गमन नहीं है, यह इनका पलायन है । (मेजों की थपथपाहट) इन्होंने पलायन किया है और हमको इसे बहिर्गमन नहीं कहना चाहिए । हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में बहिर्गमन सदन की एक बड़ी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। परंतु क्या यह बहिर्गमन है? यह बहिर्गमन जिसमें छत्तीसगढ़ के समाज की पूरी चिंता हो, यह समय जब छत्तीसगढ़ में हमारी आंखों के सामने जो घटनाएं घट रही हैं। वे लोग छाती पीटा करते हैं, वहां समूह बनाकर जाकर दिखाया करते हैं, देखकर आया करते हैं और बयानबाजियां किया करते हैं। सभापति महोदय, आज जब इस बात पर चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में कानूनी प्रावधान कैसे होने चाहिए तो सारे लोग गायब हैं । यह बहिर्गमन है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप नोट करवा दीजिए, लिखवा दीजिए कि यह पलायन है। यह बहिर्गमन नहीं हो सकता है। इसको बहिर्गमन नहीं बोल

सकते। बहिर्गमन विषय पर होगा, आपकी असंतुष्टि पर होगा। यह कैसी असंतुष्टि है जिसमें समूचा समाज, समूचा छत्तीसगढ़, सरगुजा से लेकर बस्तर तक पीड़ित हो और ये सदन से गायब हैं? वह सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते । ये इसलिए सुन नहीं सकते क्योंकि उससे इनके वोट बैंक बिगड़ेंगे । यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वे वोट बैंक के आधार पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं इसलिए सदन से गायब हैं। स्वयं बोलने का अवसर आता तो वे क्या बोलते? भारत की परंपराओं के संदर्भ में, जब भारत की परंपराएं सुदूर जंगल बस्तर तक खंडित हो रही हैं, उसके संदर्भ में वे क्या बोलेंगे? वे कुछ नहीं बोल सकते हैं और बोल ही नहीं सकते। इसलिए इन्होंने रास्ता निकाला कि पलायन कर लिया जाए और पलायन कर गए। इनके इस विषय पर हम सबके बीच बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए और समाज में भी होनी चाहिए। ये पलायन है, पलायन और कोई दूसरी बात नहीं है। सभापति महोदय, जिस विषय पर नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, मैं उनके कहने के बाद थोड़ा और एक्सरसाइज किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में 25वां अनुच्छेद है- Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion है। इसमें दूसरा सब क्लाज है जिसमें दिया है कि - Nothing in this article shall affect the operation of any existing law. हमारा existing law है उसका operation ये नहीं रोकता है। और ये भी कहता है- or prevent the State from making any law. ये स्टेट को किसी law को बनाने से रोकता भी नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं कहा कि सरकारें इसमें क्यों नियम नहीं बनायेंगी, सरकारें जरूर नियम बना सकती हैं। और सरकारें नियम बना सकती हैं, ये हम स्वयं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संविधान के द्वारा सरकारों को दिया गया अधिकार है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार आज यह अधिनियम लेकर आई है। अब उसमें जान-बूझकर एक बात उठाकर के गायब हो गये हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी संविधान के अनुच्छेद 25 में एक और बात कही गई है कि धर्म की स्वतंत्रता तो ठीक है, मान्य है, लेकिन पब्लिक आर्डर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहा है। वह कोई भी धर्म की स्वतंत्रता नहीं मान्य होगी, यदि पब्लिक आर्डर बिगड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जो मैं आपसे कह रहा हूं, यह संविधान सम्मत है। यह संविधान के 25वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चूंकि हमारा देश प्रारंभ से ही, आज की बात नहीं है, संविधान बनने के बाद हमारा देश सेकुलर हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमारा देश तो प्रारंभ से है। हमारे देश ने हमेशा विज्ञान को खोजा है, वह बात कहां तक गई है। मैं आपसे निवेदनपूर्वक सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस संविधान में ये समझा गया कि बाकी सब तो ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह पब्लिक आर्डर है। इसलिए इसी अनुच्छेद में जिसमें Freedom of religion की बात कही गई है, उसी में ये कहा गया कि सबसे ऊपर कुछ रहेगा तो वह पब्लिक आर्डर रहेगा और उस पब्लिक आर्डर की corresponding कोई भी प्रदेश नया law भी बना सकते हैं और existing law को फालो भी कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय,

इसमें इतनी स्पष्टता है। बाकी जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जाना है, जरूर जा सकते हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के पास अपनी बात रखनी है तो जरूर रख सकते हैं। कोर्ट सुना ही करते हैं, नहीं वाली बात नहीं होती। परंतु कोर्ट को इस विषय का संज्ञान है कि संविधान में क्या लिखा है और संविधान के लिखे हुए प्रावधानों के अनुरूप ही आज छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार ने ये अधिनियम लाया है। हमारे पूरे ही समाज में हम बहुत स्पष्टता के साथ देखते हैं, ये नियम सिर्फ एक नियम बनाने के लिये नहीं है। हमको इस बात की बड़ी स्पष्टता है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं सोच करके धर्म परिवर्तन कर सकता है। संविधान मे दी हुई स्वतंत्रता है। हम कैसे रोक सकते हैं, कोई सदन कैसे रोक सकता है? ये जरूर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मसला इस बात है कि वह धर्म परिवर्तन किसी प्रलोभन के माध्यम से तो नहीं किया जा रहा है, वह धर्म परिवर्तन किसी दबाव में तो नहीं किया जा रहा है, वह धर्म परिवर्तन किसी मिस इंटरप्रेटेशन के कारण तो नहीं किया जा रहा है, भ्रमित करके तो नहीं किया जा रहा है, किसी को परेशान करके तो वह धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। किसी की कमियों को, अभी दीदी कह रही थीं, मैं उनकी बात को ध्यान कर रहा था। उन्होंने कहा कि घात लगाकर बैठते हैं। किसी की परेशानियों के लिये कितनी बडी बात उन्होंने कही कि घात लगाकर बैठते हैं और जैसे ही देखते हैं कि ये परेशान हुआ, उसके पास पहुंचते हैं। इन सारे ही विषयों के लिये ऐसे कड़े कानून का प्रावधान करना आवश्यक है और इसलिए आज ये सदन इस कानून पर विचार कर रहा है। हमारे यहां आज तक वर्ष 1968 का प्रावधान लागू है और 1968 का प्रावधान भाजपा की सरकार लेकर नहीं आई थी, तब कांग्रेस की ही सरकार थी। आज का ये नया प्रावधान है, नया एक्ट है। इनके पलायन के लिये मुझे आश्चर्य है कि ये जो प्रावधान हम लेकर आये हैं, ये एक कदम extension है। 1968 के बाद से आप कहेंगे कि आज लगभग 60 साल हो रहे हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, परिदृश्य बदल गया है तो बदले हुए परिदृश्य में नये शब्दों को परिभाषित करना है, नयी परिस्थितियों का जन्म है और इसलिये नयी परिस्थितियों के आधार पर इस एक्ट को एक कदम आगे बढ़ाना है । यह उन्हीं का लाया कानून है जिसको हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं । वर्ष 1968 में मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, यह कांग्रेस की सरकार थी । कांग्रेस की सरकार का लाया हुआ यह एक्ट है, उसी एक्ट को एक कदम आगे कर रहे हैं तो आज वह पलायन कर गये । यह कैसे संभव हो सकता है ? समाज को क्या मुंह दिखायेंगे ? अपने मतदाताओं को क्या मुंह दिखायेंगे ? उनसे यह पूछा जायेगा कि तुम्हीं तो वह कानून उस समय लेकर के आये थे, आज जब यह कानून एक कदम और आगे बढ़ रहा है तो क्यों पलायन कर सकते हो ? किया ही नहीं जा सकता फिर भी सिर्फ राजनीति और राजनीति, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की चिंता में इन्होंने देश और समाज को टूटने के लिये छोड़ दिया है । यह कांग्रेस की फितरत है, स्पष्ट दिखता है, देश टूट जाये, उनको मतलब नहीं है । अजय चंद्राकर जी बता रहे थे कि उस समय भी जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब भी इन्होंने प्रस्ताव पारित करके दे दिया, देश

टूट जाये, कोई बात नहीं । समाज में भी अगर ऐसे प्रदूषण फैलते हैं तो यह फैलने देंगे, इनको उन बातों से कोई मतलब नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज के कानून की आवश्यकता क्यों थी ? वर्ष 1968 का प्रावधान हमारे यहां लागू है और वर्ष 1968 के प्रावधान के बाद आज ही मैंने प्रशासन से बात करके यह डॉक्यूमेंट्स मंगवाये, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं । आज 19 मार्च, 2026 है तो आज 19 मार्च, 2026 को कोण्डागांव जिले में यह बताया गया कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2021 तक धर्मांतरण की कोई सूचना वहां नहीं है मतलब कोण्डागांव जिले में कोई धर्मांतरित नहीं है । यह स्थिति है, वहां पर कोई धर्मांतरित नहीं है । वहां पर वर्ष 2004 से लेकर अभी तक किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिये कोई अनुमति नहीं ली गयी है । खिलौना बना लिये हैं, वह एक्ट नहीं है, वह खिलौना हो गया है । उसी के आधार पर काम हो रहा है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसमें एक और विषय बताना चाहता हूं । हम दूसरा जिला नारायणपुर लेते हैं । मैं आपको यह भी आज की तारीख की स्थिति बता रहा हूं । यह जो पत्र है नारायणपुर के कलेक्टर का, सभी जगहों के कलेक्टर का, यह आज की तारीख का पत्र है । यह 19 मार्च, 2026 का पत्र है । इसमें भी यह बता रहे हैं कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2021 तक वहां कोई धर्मांतरण की सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई, नारायणपुर में कोई धर्मांतरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही किसी धार्मिक स्थल को बनाने के लिये कोई अनुमति ली गयी है, यह आज की स्थिति है मतलब वर्ष 1968 का जो एक्ट है । उसको खिलौना बना लिये हैं । उसमें लोगों के भाव के अनुरूप या जिस भी स्थिति के कारण वह एक्ट बना है, वर्ष 1968 का जो एक्ट बना है उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया । उसमें प्रावधान है कि जो धर्मांतरित करते हैं वह सूचना करेंगे । उसमें धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है । जो उनकी धार्मिक प्रक्रियाएं होती होंगी वह अलग बात है लेकिन वह भी प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है इसलिये उसको कोई मान्यता नहीं देते हैं । मैं आज फिर से आपसे तीसरी बात कह रहा हूं, बीजापुर जिले में तो बीजापुर जिले में भी वर्ष 2004 से 2021 तक एक भी धर्मांतरण की सूचना नहीं है, एक भी धर्मांतरण की सूचना नहीं है । वर्ष 2004 से लेकर अभी तक वहां किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण की कोई सूचना नहीं है, यह स्थिति है । अगर इस स्थिति में हम मिलकर के छत्तीसगढ़ के लिये एक प्रावधान नहीं लायेंगे तो यह कैसे संभव हो सकता है ? मैं आपको ध्यान में लाने के लिये अगला एक और जिला लेता हूं । यह जिला, कांकेर जिला है । कांकेर जिला में भी वर्ष 2004 से 2021 तक वहां पर एक भी धर्मांतरण की सूचना नहीं है यानी कि प्रशासनिक तौर पर आप कहें तो वहां पर कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है, न कांकेर में हुआ है, न कोण्डागांव में हुआ है, न नारायणपुर में हुआ है । कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, वहां पर कानूनी तौर पर कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है । यह स्थिति बनकर रखी है । इसमें धार्मिक स्थलों के निर्माण के संदर्भ में भी कोई जानकारी, कोई सूचना वहां पर नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे दंतेवाड़ा की बात कहता हूं कि उस कालखण्ड में 39 धर्मांतरणों की बात वहां पर कही गयी है । 39 लोगों ने धर्मांतरण किया है । जिसकी सूची है, बाकी वहां पर अन्य कोई धर्मांतरण नहीं है । वहां पर भी किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिये कोई अनुमति वहां पर नहीं ली गयी है । मैं ऐसे ही बस्तर के अन्य जिलों के संदर्भ में आपसे कहूं या हम बस्तर जिला ही ले लें तो उस कालखण्ड में वर्ष 2004 से 2021 के बीच में 166 धर्मांतरण की सूचना है। अब इस स्थिति में हम नये प्रावधान पर चर्चा नहीं करेंगे, नये कानूनी प्रावधान नहीं लाये जायेंगे तो कैसे कहा जायेगा कि हमारा यह राज्य, हमारा यह सदन वस्तुत: समाज की चिंता कर रहा है, यह हम कैसे कह सकते हैं ? और जब समाज की चिंता करने के लिये आज सदन एक-साथ एकत्रित हुआ है तो यह नदारद हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं हृदय से कहता हूं कि कभी इनको आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा, कभी इनको छत्तीसगढ़ का समाज माफ नहीं करेगा । कभी ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ कर दे। आज की इस घटना के लिए जो इन्होंने पलायन किया है तो जनता इनको इस पलायन को दिखायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं एक तो धर्मांतरण का जो नहीं आया है और दूसरा, जो निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं है। अभी यहां माननीय वन मंत्री और राजस्व मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, उसका एक बार परीक्षण करवाना चाहिए और उसका परीक्षण करवाकर यह देखना चाहिए कि वहां कितने निर्माण कार्य हुए हैं, जिसकी अनुमति नहीं है। यह बातें आगे आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएंगी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का कहना बड़ा उचित है कि इस पर सिर्फ आज की बहस से यह समाप्त न हो जाये। इस पर आगे बढ़कर पूरी चिंता करनी चाहिए तो इसको हम सब लोग मिलकर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी विषय बहुत से हैं। यहां अनेक सदस्यों ने Demography चेंज करने की बात कही। Demography चेंज के लिए भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत दिशाओं पर चिंता करके, काम करना शुरू किया है। मुझे यह बात अच्छे से ध्यान है और इनके कहने पर मन में यह आता है कि ठीक से किया जाये और इन्हें करकर, दिखाया जाये इसलिये ही वह घटना हुई है। हर बार जब हमने यह कहा कि यहां पर घुसपैठियें नहीं होने चाहिए, हम प्रदेश से निकाल बाहर करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी हर बार यह कहा करते थे कि यहां घुसपैठियें कहां है, आप दिखाईये। यह माननीय विष्णु देव जी की सरकार है, इस सरकार में सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। अगर कहीं पर घुसपैठियें हैं तो माननीय विष्णु देव जी की सरकार में पकड़कर या ध्यान करके टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर आप बता सकते हैं। माननीय विष्णु देव जी की सरकार में इनके लिए होल्डिंग्स सेन्टर्स बनाये गये, माननीय विष्णु देव जी की सरकार में हमने पहली बार बल्क में क्विट इण्डिया ऑर्डर जारी

करवाया, हमने बंगलादेशी घुसपैठियों को आईडेंटिफाईड करके उनको वापस भेज देने का काम माननीय विष्णु देव जी की सरकार में हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) हम छत्तीसगढ़ की Demography चेंज नहीं होने देंगे । यह Demography चेंज वाली बात बड़ी खतरनाक है। चाहे हम नार्थ इस्ट के सारे राज्यों की बात करें या हम कहीं की बात करें। यह किसी भी माध्यम से Demography चेंज हो, यह छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनसे कहीं कोई परेशानी नहीं हैं। जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वह सब के सब हमारे अपने हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन यहां आकर किसी भी तरह से Demography चेंज करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से लोगों को डराकर, धमकाकर, फंसाकर, बहलाकर, फुंसलाकर, उनको बदल लेना, उनका धर्मांतरण करवा देना, यह बड़ा मुश्किल का काम है। प्रारंभ से ही भारत में पूरा सहिष्णु समाज रहा है। हमारा भारतीय समाज इतना सहिष्णु रहा है कि अटल जी ने अपनी कविता में इस बात को कहा है कि :- ''भू-भाग नहीं शत-शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय'', उन्होंने कहा कि हमें भू-भाग नहीं चाहिए। हम तो शत-शत मानव का हृदय जीतना चाहते हैं। यह अटल जी ने कहा है और हम भी यह मानते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक स्पष्टता के साथ बात कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय समाज कह रहा हूँ, मैं जैन, बौद्ध, सिख, हिन्दू, आदिवासी या मैं अलग से किसी और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतीय समाज कह रहा हूँ। मैं भारतीय परम्पराओं की बात कर रहा हूँ। भारत में आयातित परम्पराएं हैं, मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात को छोड़ता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हमारे यहां के हैं, उनसे भी हमको दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, लेकिन इस बात को रूकना चाहिए। अब जब बस्तर में गांव-गांव में लड़ाईयां शुरू हो गयी हैं तब रूकना चाहिए। अब जब दो-दो महीने तक लाश को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ता है, तब यह बात रूक जानी चाहिए। अब समय नहीं है और पीड़ा नहीं हो सकती है। अब इस हिमालय से गंगा निकल ही जानी चाहिए, इसलिए इस अधिनियम का आना आवश्यक है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि चाहे वह घुसपैठियों के संदर्भ में Demography चेंज वाली बात हो, चाहे हमारे यहां धर्मांतरण के माध्यम से विषयों को Demography चेंज करने वाली बात हो, इन सारी ही बातों के लिए यह अधिनियम सक्षम है, परन्तु मैं आपसे फिर भी यह बात कहना चाहता हूँ कि इस अधिनियम में किसी भी धर्म की तरफ कोई झुकाव नहीं है, यह हमारा धर्मनिरपेक्ष अधिनियम बना हुआ है, यह धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम बना हुआ है, किसी भी धर्म के प्रति कोई नहीं है यह धर्म निरपेक्ष अधिनियम बना हुआ है, यह धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम बना हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के कंवर्जन की अगर हम बात करें तो उसमें समाहित होता है । वह किसी एक धर्म के लिए किसी दूसरे धर्म के लिए, ऐसा कोई विषय इसमें नहीं है ।

समय :-
6:00 बजे

सभापति महोदय, मुझे इस बात को देखते हुए काफी दिन हो गए, मैंने बस्तर में जा-जाकर देखा । माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा और अब बस्तर से नक्सलवाद समापन की ओर है । माओवाद तो यहां बस्तर में वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर सका, इतने सहिष्णु हैं । हमारे सारे साथियों ने कहा भी कि बस्तर में किस तरीके से होता है, अगर अमुश पंडूम होता है तो क्या होता है, विज्जा पंडूम होता है तो क्या होता है, कैसे सब लोग जाकर आंगा देव में बीज चढ़ाते हैं और फिर उसी बीज को जाकर रोपित करते हैं । जब आंगा देव के पास गांव जाते हैं तो समाज की बात नहीं होती, वहां ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, यादव सब जाएंगे, सबको जाना होता है और उसमें किसी को गुरेज हो भी नहीं सकता । यह तो परम्परा है । शकुन्तला जी ने एक बात कही कि संस्कृति ही धर्म है और धर्म ही संस्कृति है, मूलत: कहें तो आदिवासी समाज का यही परिदृश्य है, यही उनका भाव है । संस्कृति ही धर्म है और धर्म ही संस्कृति है । उसी के आधार पर हमारी उन संस्कृतियों को नष्ट करने वालों कैसे बख्शा जाएगा । हमारे पास इस बात के लिए बहुत स्पष्टता है कि माओवाद तो हमारे बस्तर में वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया, परन्तु धर्मांतरण कराने वालों ने हमारे बस्तर में वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया । कोई मसला ही नहीं है । दशकों का नक्सलवाद था, वह नक्सलवाद अब समापन की ओर है, समाप्त ही हो गया । बचा क्या है, सिर्फ दिन गिनना शेष रह गया है । (मेजों की थपथपाहट) लेकिन यह नई समस्या शायद उससे और बड़ी है, जैसे सारे वक्तागण कह रहे थे, माननीय सदस्य कह रहे थे और वास्तव में मुझे दिखता है कि ये वर्ग संघर्ष माओवाद तो खड़ा न कर पाया, ये वर्ग संघर्ष हमारे यहां बस्तर में इस धर्मांतरण ने खड़ा कर दिया । गांव-गांव में समस्या है, गांव-गांव में परेशानी है । इस वर्ग संघर्ष को भी समाप्त करने के लिए हम इस पर काम करें । यह आगे और न बढ़े, इस बात के लिए यह जरूरी है कि हम इस पर काम करें । इन्द्र कुमार साहू जी ने जो बात कही, उन्होंने ठीक कहा है । मैं उनके बोलने से पहले यही लिख रहा था कि नक्सल वापस आये हैं, वैसे ही कोशिश करके सारे भटके हुए साथियों को फिर से वापस भारत की मुख्य धारा में लाने का काम हम सब मिलकर कर लेंगे, मुझे उसमें संशय नहीं लगता है (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस को इस बात की चिंता कभी नहीं रही कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पैठ जमाएगा, बहुत बड़ा धर्मांतरण हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का क्या होगा, इस बात की चिंता उनको कभी नहीं रही । छत्तीसगढ़ में पंथी, सुआ, कर्मा, ददरिया का क्या होगा, इससे उनको कोई लेन-देन नहीं है । उनको इस बात से लेन-देन नहीं है कि सरगुजा की संस्कृति का क्या होगा ? उनको इस बात से कोई लेन-देन नहीं है कि हमारे बस्तर में जितने भी मांझी, चालकी, गायात, पेरमा, पुजारी या जितने लोग हैं, उनका क्या होगा, इसके बारे में कांग्रेस के साथियों को कोई लेन-देन नहीं है । बस्तर में हमारे जितने आंगा देव हैं, उनका क्या होगा,

उनको कोई लेन-देन नहीं है । उनको इस बात से भी कोई लेन-देन नहीं है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के समाज की क्या हानि होने वाली है, उनको वोट बैंक दिखता है चाहे वे घुसपैठिए में वोट बैंक देख लें, चाहे वे धर्मांतरितों में वोट बैंक देख लें । वे वोट बैंक के कारण सारा काम करते हैं और इसके लिए हम सभी मिलकर आज के इस विधेयक के माध्यम से काम करें । इसमें माननीय सदस्या शकुन्तला पोर्ते दीदी कह रही थीं कि किस तरीके से गिलहरी की तरह आज के इस यज्ञ में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसे भगवान राम के वनवास के समय हुआ था, उनके उद्धरण से मुझे एक बात ध्यान में आई । भगवान राम अयोध्या जी से चले थे । अयोध्या जी से चले थे तो उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण जी थे और पत्नी माता सीता में थी । उनको तो कोई सेना नहीं मिली थी । फिर होता क्या है, हमें ध्यान है कि रावण जो दशानन हैं, जिसके हजार पुत्र हैं, लाखों की सेनाएं हैं, स्वर्ण की लंका है, चरणों पर शनि हैं । वैसे ही रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, अब उनको लड़ना है । भगवान राम के पैर में जूते भी नहीं हैं, उनको रावण से लड़ना है । वह स्थिति निर्मित हुई थी । जब वह स्थिति निर्मित हुई थी तो क्या हुआ था ? अयोध्या जी से सेना आ गई थी?   हम जानते हैं कि यही हमारा जंगल है, यही हमारा बस्तर है, जो भगवान राम की सेना बनकर आगे बढ़ी थी और लंका को जीतकर बस्तर के लोग वापस आये थे। (मेजों की थपथपाहट) जब हम आज भी स्व.बलीराम कश्यप जी, बलीराम, श्री बैदूराम जी, श्री चैतराम जी, श्री लच्छुराम जी, श्री लखमा रामजी , श्री भुरूखुराम जी, श्री चैतराम जी, बस्तर में सारे राम है। इन सब लोगों के होते ही वहां किस तरह की स्थिति निर्मित की जा रही है, यह हम सबके ध्यान में आना चाहिए।

सभापति महोदय, सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय धरम लाल कौशिक जी ने विशेष रूप से एक बात कही है कि क्रिप्टो कनवर्टेड लोग किस तरीके से काम करते हैं और कानून का कैसे क्रियान्वयन होना चाहिए। हम इन दोनों ही विषयों पर आगे काम करेंगे। क्रिप्टो कनवर्टेड के लिए तो पर्याप्त प्रावधान है। इसमें प्रावधान इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों के अनुरूप कनवर्टेड नहीं हुआ है तो वह ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन नहीं कर पायेगा। अगर वह इस प्रक्रिया से कनवर्टेड नहीं हुआ है तो, इसका प्रावधान है। इसमें सुश्री लता उसेण्डी जी ने कहा कि केस स्टडी कुछ है, वह केस स्टडीज होनी चाहिए। उनका कहना बिलकुल ठीक है। हमारी संस्कृति और सभ्यता के सरंक्षण हेतु इस काम को होना चाहिए। अराष्ट्रीयकरण हो जाता है। यानी मतान्तरण नहीं होता है, धर्मान्तरण नहीं होता है, इनका राष्ट्रान्तरण हो जाता है। यदि राष्ट्र कहेंगे तो यह जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। हमारे पुराधाओं ने कहा है कि राष्ट्र क्या होता है ? जीता जागता पुरूष है, ऐसा कहा है। हम भी इस बात को महसूस करते हैं। एक जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं हो सकता है। एक पूरी परम्परा होती है। एक पुराना इतिहास होता है, एक पुरानी संस्कृति का प्रवाह होता है, वह मिलकर राष्ट्र होता है। इस तरीके से राष्ट्रान्तरण हो जाता है। वही व्यक्ति अपने ही गांव में खड़े खड़े

पराया हो जाता है। वही व्यक्ति अपने ही परिवार में खड़े खड़े पराया हो जाता है। जैसा कि चैतराम अटामी जी बता रहे थे कि अगर परिवार एक भाई कनवर्टेड हो जाता है और दूसरा भाई नहीं हुआ है तो परिवार के संस्कारों के लिए, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, जो भी संस्कार है, उन संस्कारों के लिए भाई ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। यह स्थिति बन जाती है। ऐसे ही आपस के दोस्त भी एक दूसरे से अलग होते हैं। एक व्यक्ति जो गांव में है, उसको बहला-फुसलाकर, जैसा कि माननीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि बहला-फुसलाकर क्या बताना है भाई ?, चुपचाप क्या बताना है ? रात को अंधेरे में क्या बताना है ? तुम्हारे घर के अंदर, मेरे घर के अन्दर क्या बताना है ? चौक पर आ जाओ, बता दो जो बताना है। लेकिन नहीं, वह चुपचाप करके उसको बदल देंगे। अगर वह बेचारा नहीं समझता है, उसको प्रलोभित करके, उसको डर दिखाकर, डर मतलब डण्डे का ही डर नहीं होता है, उसको हुई बीमारी का भी डर हो जाता है, डर दिखाकर किसी भी तरह से प्रलोभित कर उसको धर्मान्तरित कर दिया जाता है। वह व्यक्ति वही पहनता है, वही कमरे में रहता है, उसी घर में रहता है, उन्हीं लोगों के साथ घूमता है, वही उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से बदल जाता है। बाहर तो सब कुछ वैसे ही होता है। वह अंदर से बदल गया होता है। वह अंदर से बदला हुआ व्यक्ति सबसे पराया हो चुका होता है। वही उस गांव में विवाद का कारण बन जाता है। क्या कारण है कि हम अपनी परम्पराओं को छोड़ दे ? क्या कारण है कि हम अपनी मान्यताओं को छोड़ दें ? दूसरी मान्यताओं के लिए, दूसरी पम्परपराओं के लिए हम आगे बढ़ जाये, इसका क्या कारण है ? कोई क्यों ऐसा चाहता है कि हमारे गांव में ऐसा हो जाये। कोई क्यों ऐसा चाहता है कि कोई व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाये। यह बिलकुल अनैतिक है, इसको तुरन्त ही बंद करने की आवश्यकता है। मैं इस प्रावधान में सोचता हूं कि इतनी ताकत है कि अगर हमने जागृत अवस्था में इस विषय पर काम कर लिया तो जरूर हम इस काम पर आगे पहुंच जायेंगे।

सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति जो धर्मान्तरित हो रहा है, उसको स्पष्टता होनी चाहिए। माननीय सदस्या रायमुनी भगत ने तो गजब ही ढंग से अपनी सारी बातों को रखा। उन्होंने यह भी कहा कि पैतृक क्या है ? जिसको हम एनसेस्टल शब्द के साथ उपयोग कर रहे हैं, वह क्या है, उन्होंने उसको भी कहा। इससे देश को आंतरिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा शब्द का उपयोग किया। इस आंतरिक नुकसान को समझने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। आज चर्चा का विषय है, समय है, जब विषय पर बात हो रही है तो पलायन कर गये हैं। देश को होने वाले इस आंतरिक नुकसान का आंकलन कौन करेगा ? अगर हम लोग जिम्मेदार पद पर हैं और जिम्मेदार स्थिति में हैं, यदि हमने आंतरिक परेशानी का आंकलन नहीं किया तो देश की आंतरिक परेशानी का आंकलन कौन करेगा ? धर्मजीत जी ने बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा कि किस तरह से पाकिस्तान में डेमोग्राफी चेंज हुई। वहां हिंदू 1951 में 20% थे और आज वर्ष 2026 में वे 1.5% हैं। भारत में मुसलमानों की संख्या वहां 9% थी, यहां अब

15% हो गई है। हमारे यहां है, हमारे यहां फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलिजन है, सब कुछ है। लेकिन बाजू में नहीं है भाई। बाजू में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अभी हमने बांग्लादेश की घटनाएं देखी है । वहां नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आखिरी गुरु ग्रंथ साहिब भी अफगानिस्तान से वापस आ गए । भारत सबका है। भारत देश ही है और इसीलिए सी.ए.ए. कानून लाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए लाया गया था कि इन सारे ही देशों में चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो भारत की सीमाओं से लगने वाले सारे देशों में जो उन देशों में अल्पसंख्यक पीड़ित हैं, वे भारत आएंगे। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, वे पीड़ित हैं। सी.ए.ए. इसीलिए आया था। उसका भी विरोध किए। माननीय सभापति महोदय, भारत के मान बिंदु जहां-जहां भारत की ताकत बढ़ती है, वहां-वहां विरोध करते हैं। ये अभी से नहीं, ये शुरू से ही यही करते आए हैं। ये प्रारंभ से ही यही करते आए हैं। इन्होंने विभाजन भी स्वीकारा और उसके बाद देश को अपने शासनकाल में उस स्थिति में ला दिया, तब यह कहा जाने लगा कि भारत में कुछ नहीं हो सकता, भारत में बस जुगाड़ चलता है, भारत तो बस यूं ही पीछे देखता है। माने सारे लोगों के मन में ऐसी हीन भावनाएं भर दी गईं कि भारत का नौजवान आगे नहीं बढ़ता, वह अमेरिका को ही ठीक समझता है। ऐसी स्थिति बन गई थी। माननीय सभापति महोदय, आज परिस्थितियां बदली हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केंद्र में वर्ष 2014 से हमारी सरकार है, सिर्फ यह कारण नहीं है। यह बातों से, यह चर्चा से बदली है। यह सबके बीच चर्चा से बदली है। पहले ये बातें हुआ ही नहीं करती थीं, आज हम सब बैठकर इस बात पर खुली चर्चा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हिंदू तो इतना सहिष्णु होता है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे संस्कार वैसे हैं। अगर मेरा एक भगवान होगा तो मैं कहूंगा कि बस एक भगवान दुनिया में दूसरा कोई भगवान नहीं। अगर मेरे तो खुद ही माने कितने करोड़ भगवान हैं, 33 करोड़ भगवान हमारे खुद हैं। कोटि भगवान हमारे खुद हैं। हम नहीं कहते हैं, फिर हम यह भी मानते हैं कि यह तो वृक्ष भी भगवान है। फिर हम यह मानते हैं कि यह माटी भी भगवान है। फिर हम मानते हैं कि जल भी भगवान है, नदी माता है। हमेशा मानते हैं। हम प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। ये वैसा ही है, मैं यह सिर्फ आदिवासी समाज ऐसा करता है या यह समाज वह समाज ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पूरे भारत की परंपरा के सारे समाज ऐसा करते हैं। भारतीय परंपरा के सारे समाज करते हैं। सारे समाजों के मन में यह मान्यता है। हम वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। उस समय हमको चिढ़ाया जाता था, अब पेड़ के बाजू-बाजू घूम रहे हैं। भाई, पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्योंकि सूर्य में गुरुत्व है। हम यह मानते हैं कि गुरुत्व है और इसलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हम यह मानते हैं कि वट वृक्ष में गुरुत्व है और इसलिए हम वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। इसलिए हम उनको बंधन बांधते हैं कि हम उनसे मित्रता करना चाहते हैं। हमारे भाव हैं। हमने उनके भावों को प्रकटीकरण के लिए और आगे स्थापित करने के लिए आगे और सदियों तक चलाने के लिए प्रक्रिया बना रखी है। ये हम करते हैं। तो ये भारत

की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को मानने के लिए, इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए है। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय धर्मजीत जी ने भी डेमोग्राफी चेंज के संदर्भ में जो कहा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म है या वेलफेयर है या अगेंस्ट हमारे स्टेट के हैं, तो हम नई व्यवस्थाएं ला सकते हैं। नीलकंठ टेकाम जी ने कहा कि विभिन्न सभाएं होती हैं, विभिन्न धर्मांतरण के कार्य किए जाते हैं। तो इसमें प्रावधान है, इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रावधानों के संदर्भ में वैसे चर्चा हो गई है। मैं मूल-मूल विषयों पर आ जाऊंगा। श्रीमती भावना बोहरा जी ने भी कहा कि विपक्ष की अनुपस्थिति का क्या अर्थ है? कोई यह कह देता है, उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं। हिंदू का क्या अर्थ होता है? मतलब मैंने हमारे एक सीनियर से पूछा कि हिंदू क्या होता है? तो उन्होंने यह कहा कि जो भारत माता की जय बोले, वह हिंदू। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे सीनियर ने कहा, हमारे किसी नेता ने कहा कि भारत माता का जय बोले वह हिंदू। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है । हम भी यही मानते हैं कि इस देश को तुम अपना मान लो भाई इस देश की माटी को अपना मान लो बाकी सब कुछ ठीक है। लेकिन उस पर भी जिसको परेशानी है सभापति महोदय, स्पष्टत: कहना चाहता हूं कि हमको भी उससे परेशानी है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमेशा भा.ज.पा. के बारे में कहा जाता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति। सभापति महोदय, मुझे बताएं, मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक समय था जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। आज समय उस विषय पर चर्चा का नहीं है, परंतु एक छोटी सी चर्चा इसलिए है कि वह क्या घटनाक्रम थी। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, भा.ज.पा. के ऊपर आरोप लगे थे और भा.ज.पा. की चार सरकारें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान चार सरकारें बर्खास्त कर दी गई थीं। माननीय सभापति महोदय, 6 महीने में चुनाव हुए । 6 महीने में चुनाव हुए और आपको ध्यान होगा कि 6 महीने के उस चुनाव में वहां पर भा.ज.पा. की सरकारें ही नहीं आईं। अगर धर्म के नाम पर यह सब होता तो क्यों वहां भा.ज.पा. की सरकारें दोबारा न आ गई होतीं? उन 6 महीनों में भा.ज.पा. ने क्या गलती कर दी थी? लेकिन हमारे मन में एक संकल्प बहुत स्पष्ट है। हमारे नेता अटल जी ने सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी-जाएंगी, पार्टियां बनेंगी-बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा यह देश अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारे मन में इस बात की स्पष्टता है और हमें कोई संशय नहीं है। भारत के मानबिन्दुओं की स्थापना के लिए, भारत के मानबिन्दुओं के उन्नयन के लिए ऐसी एक नहीं, सौ-सौ सरकारें कुर्बान हो जाएंगी, लेकिन जो करना है, वह हम जरूर कर कर रहेंगे। आदरणीय विनायक गोयल जी, आदरणीय सुनील सोनी जी एवं आदरणीय अनुज शर्मा जी ने इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की है, जिसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद कहता हूँ। आदरणीय सुशांत शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ को अशांत प्रदेश बना दिया जाएगा, ऐसी उनकी चिंता थी। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे बीच में थीं, परंतु

माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब हम सब मिलकर इस विषय को लेकर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा। हमारा छत्तीसगढ़ भी अब इन सारे ही विषयों से बच पाएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जहां तक नक्सलवाद को परोक्ष रूप से सहयोग करने की बात है। उस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हर बात को कोई मुँह से कहे, तभी यह होगा, ऐसा नहीं है। हर बात कहीं कागज पर लिखा मिले, ऐसा नहीं है। घटनाओं से भी समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। यह बात ऐसे अन्य विषयों से भी समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, और यह विषय भी उनका था, वह बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे रोहित साहू जी ने कहा कि यह विधेयक विधान सभा के एक-एक मतदाता और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। मैं माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वह बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने बस्तर के दोनों ही अभियानों को देखा है। चाहे अभी माननीय अमित शाह जी, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर में जो अभियान चल रहे हैं, उसको भी उन्होंने देखा है और उन्होंने उस समय भी उस बात की अगुवाई की है, जब वहां 'सलवा जुडूम' की शुरूआत हुई थी। (मेजों की थपथपाहट) 'सलवा जुडूम' के इस पूरे अभियान के संबंध में अपनी बातों को शुरू करने वाले ऐसे आदरणीय चैतराम अटामी जी ने बताया कि 'बीजा पंडुम' होता है तो उसमें पूरा गाँव एक साथ होता है। वही एकमात्र विषय नहीं है। ऐसे सारे ही विषयों पर वहां का पूरा गाँव एक होता है और जब गाँव जब एक होता है तो उस गाँव की उस परंपरा के लिए कोई जाति नहीं लगती है। चाहे जो भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे जो भी समाज का व्यक्ति हो, वह तो उस गाँव की संस्कृति के अनुरूप है। उस काम को कैसे नहीं किया जाएगा? हमारे बस्तर में, Infact हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ही सहकारिता और परस्पर एक-दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीने की जो परंपरा है, यह बहुत बड़ी बात है। यह उसी का उदाहरण है, जिसको वहां पर धर्मांतरित लोग नहीं मानते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है। रामकुमार टोप्पो जी ने बड़ी गजब की बातें कहीं कि इस एक्ट के माध्यम से सरहद पर तैनात जवानों के परिवारों की चिंता भी दूर होगी। यह उनका भाव है। उन्होंने वेदों की अनेक वैज्ञानिकता की बात भी बताई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे वेदों की वैज्ञानिकता की बात का विषय कहूँ तो महर्षि वेदव्यास जी और विभिन्न समाज के लोगों ने मिलकर भारत को गढ़ा है, भारत को बनाया है। वेदों में भी वैज्ञानिकता इस स्तर की है कि द्वैत और अद्वैत में उद्देश्य और दृष्टा का भाव एक है। आज Particle Duality का जो प्रिंसिपल आया है, उस Particle Duality में एक फोटॉन है और उसको नहीं देखा जा रहा है, When it is not observed तो Wave की तरह चलता है And When it is observed तो वह Particle की तरह चलता है। यह Dual Particle का Dual Nature हमारे आज के विज्ञान में भी आ रहा है, जो प्राचीन वेद में था। हम यह नहीं कहते कि हमने उसका आविष्कार कर दिया, यही था या वही था। उन्होंने क्या देखकर कहा, क्या सोचकर कहा, वह एक अलग मामला है। लेकिन वह चीजें बिल्कुल वैसी हैं, बिल्कुल Similar हैं। इसलिए विचारों के माध्यम से जहाँ तक जाया जा

सकता था, वेद वहाँ तक पहुचे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शकुंतला पोर्ते जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय दीपेश साहू जी, आदरणीय इंद्र कुमार साहू जी और आदरणीय रोहित साहू जी सहित सभी साथियों ने मिलकर इस चर्चा में सहयोग किया है, अपनी-अपनी बातें रखी हैं, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार हूं और उनको धन्यवाद करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि हमारे इस विधेयक के प्रावधान में यूं तो यह लिखा हुआ है, जिसको हम सब पढ़ ही सकते हैं और सबने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इसमें 'धर्मांतरण' किसको कहा गया है। धर्मान्तरण कहा गया है कि जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों की प्रक्रिया बदल जाये तो धर्मान्तरण मानेंगे । यह हम ही नहीं मानते हैं, हर एक प्रावधान में यही है, उसी को धर्मान्तरण मानते हैं । हम यह मानते हैं कि हमारे देवी-देवता की पारम्परिक पूजा को यदि कोई छोड़े तो उसे हम धर्मान्तरण मानेंगे । जो जिस धर्म का है, वह वही पर मानता है, परन्तु उसको परिवर्तित करता है तो उसको हम धर्मान्तरण मानते हैं । हम यह भी मानते हैं कि कोई ऐसा धर्म जो अपने धर्मशास्त्र में ही यह कहता है कि धर्मान्तरण कराया जा सकता है, सभी धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है । धर्मान्तरण कराया जा सकता है, कोई धर्मान्तरण कराने वाला होगा, यह किसी-किसी धर्म में है और किसी में नहीं है । धर्मान्तरित कराया जा सकता है, अपने वेदों के माध्यम से, धार्मिक किताबों के माध्यम से जो कहते हैं, उनके लिये भी इसमें प्रावधान है । सभापति महोदय, एक और प्रावधान है जिसकी चिन्ता सब कर रहे थे, अपने पारम्परिक मान्यताओं का पालन करना बंद करते हुये किसी पराये विश्वास या धर्म का पालन करना और साथ ही गैर धर्मान्तरित रहने का दावा करना, इसको भी धर्मान्तरण माना जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) कोई व्यक्ति ऐसा प्रक्रिया कर रहा है तो जाकर प्राधिकृत अधिकारी को बताया जा सकता है और प्राधिकृत अधिकारी के पास लिखित कंपलेंट किया जा सकता है । हम इसको कन्वरशन कह लें, कहीं किसी का किसी की तरफ हो, परन्तु ऐसी स्थिति है तो प्राधिकृत अधिकारी को बताया जा सकता है । इसमें पैतृक धर्म पर वापसी के संदर्भ में भी स्पष्ट प्रावधान कर दिये गये हैं । सामूहिक धर्मान्तरण वह फिजिकली हो या डिजिटली हों, एक है तो सिंगुलर है और दो है तो प्लूरल हो गया । जब प्लूरल दो में हो जाता है तो इसी तरह से दो या दो से अधिक हों तो वह सामूहिक धर्मान्तरण की श्रेणी में आ जायेंगे । चाहे यह फिजिकली एक साथ बैठे हों, चाहे यह डिजिटली अलग-अलग स्थान पर बैठे हों ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री जी से इसमें एक आग्रह है कि सामूहिक धर्मान्तरण जहां पर हो, उस स्थान के स्वामित्व या आधिपत्य में जो भी लोग हों, उस पर भी कार्यवाही का प्रावधान हो । किराये में लेकर कहीं पर भी अवैध रूप से देते हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे बीच के कई ऐसे लोग हैं, जो हॉटल वगैरह को देते हैं, वहां पर चंगाई सभाओं का आयोजन होता है, धर्मान्तरण उपाख्य मतान्तरण होता है ।

सभापति महोदय :- अभी बढ़ रहे हैं ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, इन सारे विषयों को लेकर हमारे सारे साथियों के व्यक्तिगत-व्यक्तिगत अनुभव हैं । सुशांत जी का भी अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है । किसी अभियान पर कहीं गये होंगे और उस दिन यह समस्या सामने आई होगी, अत: इस विषय पर उनका आग्रह है । इसमें अधिकतम प्रावधान है, कुछ ऐसे भी विषय है, जिनको नियमों में लिया जाना है । हम लोग उसे आगे करेंगे । सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय और वह है व्यक्ति की परिभाषा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । सभापति महोदय, व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसमें व्यक्ति का मतलब है कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो । कोई एजेंट हो, एटार्नी हो, प्रतिनिधि हो, ऐसे ही सारे लोगों को है अर्थात एक समूह भी व्यक्ति की परिभाषा में है । सभापति महोदय, कंपलेंट कौन कर सकता है तो व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति कौन हो सकता है तो एक ग्राम सभा भी हो सकती है । ग्राम सभा ने देखा कि हमारे गांव में ऐसी-ऐसी स्थिति बन रही है, यह हो जायेगा तो गड़बड़ हो जायेगा तो ग्राम सभा भी उठकर जाकर प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने प्रस्तावों के माध्यम से अपनी बात रख सकता है । माननीय सभापति महोदय, ग्राम सभा जिन प्रस्तावों के माध्यम से बात करती है, ग्राम सभा यह कह सकती है, यह बहुत अच्छा प्रावधान लाया गया है । ऐसे ही धर्म परिवर्तक, जिसे धर्मान्तरणकर्ता कह रहे हैं, उनके लिये भी स्पष्ट प्रावधान लाया गया है । धर्मान्तरण की प्रक्रिया के संदर्भ में विषय यह है कि कोई भी व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे धर्म पर परिवर्तन होता है या उसके आस्था का परिवर्तन होता है, चाहे वह अनुसूचित जाति या जनजाति का है, वह महिला है या बालक है, वह नाबालिग है या वह विकलांग है, इन सारे ही विषयों को ध्यान में रखकर प्रावधान किये गये हैं । दण्ड प्रावधान सबके लिये अलग-अलग है, इसमें धर्मान्तरण करने के लिये दण्ड प्रावधान नहीं है, जो धर्मान्तरण करवा रहा है सजा उसके लिये है । (मेजों की थपथपाहट) धर्मान्तरण करवाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा हुआ है, सजा उसके लिये है । जो धर्मान्तरण करता है, उसको अपना पंजीयन कराना होगा, ऐसे ही खाली नहीं रह सकते, जो कहता है कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूं और हमारे धर्म में हम धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसका मैं धर्मांतरण करता हूं तो फिर आपको पंजीयन कराना पड़ेगा। वह धर्मांतरणकर्ता जब पंजीयन करा करके परिवर्तन कराएंगे तो हमको यह स्पष्टता हो जाएगी कि यह जो व्यक्ति धर्मांतरण करवा रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या रही है? वह प्रक्रिया फिर जांच में आएगी। इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है तो वह और उसके धर्मांतरणकर्ता, हमारे प्राधिकृत अधिकारी के पास जाएंगे और प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने समस्त दस्तावेज, जो उस समय विहित हों, वह जमा कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, प्राधिकृत अधिकारी सात दिनों के अंदर-अंदर, जहां उसका मूल निवास है, उसके थाने में, उसके ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में, जहां वह धर्मांतरण करना

चाहता है, उस जिला मुख्यालय में, वहां पर उसके नोटिस चस्पा होंगे। इसके अतिरिक्त जिला के वेबसाइट पर एक स्थान बना करके उस पर भी उसका नाम उद्धृत किया जाएगा कि फलां व्यक्ति का नाम धर्मांतरण करने के लिए आया है, यह वहां पर भी उपलब्ध हो सकता है। यानी कि उस वेबसाइट के माध्यम से सबको स्पष्ट होगा कि कहां पर कौन धर्मांतरण करने के लिए आवेदन कर चुका है। अगर ऐसा होता है तो तीस दिवस के अंदर-अंदर कोई भी व्यक्ति, मैंने आपसे पहले ही व्यक्ति की बात की, उसमें कोई भी व्यक्ति फिर कंप्लेंट कर सकता है, कंप्लेंट करेंगे तो उसकी आगामी प्रक्रिया होगी। इसमें अनेक बहुत सारी चीजें हैं, परंतु यह जरूर है कि प्राधिकृत अधिकारी को गवाह लेने के लिए, सबूत मंगाने के लिए पूरा अधिकार है और यह सब उनको करना पड़ेगा। सभापति महोदय, वह गवाहों की परीक्षण भी कर पाएंगे और उसके बाद वह तीस दिनों के अंदर अपने आदेश पारित करेंगे। तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं या तो यह पाया जाएगा कि यह वैलिड है। मान लीजिए कोई कंप्लेंट ही नहीं आया, तो फिर यह होगा कि वह अपना सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। माननीय सभापति महोदय सर्टिफिकेट किस बात के लिए? अनुमति नहीं कह रहे हैं। धर्मांतरण के लिए किसी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपना धर्म चुनने के लिए सम्मत अधिकार है । धर्मांतरण के लिए किसी को अनुमति की जरूरत नहीं है, इस प्रावधान में भी नहीं है। करना क्या है, यह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिनको करना है वह करें। लेकिन यह धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, तो परीक्षण इस बात का करना है कि क्या यह धर्म परिवर्तन इन सारे ही विषयों से प्रभावित तो नहीं है? उसमें कोई थ्रेट तो नहीं है? कोई एल्योरमेंट तो नहीं है? यह धर्म परिवर्तन इन चीजों से प्रभावित तो नहीं है? सिर्फ यही चेक करने की बात है। अगर इतना चेक होता है तो जो प्राधिकृत अधिकारी है, वह यह मानेंगे कि इनका जो आवेदन है, वह वैध आवेदन है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अनेक अन्य विषय हैं, लेकिन मैं उन विषयों पर आगे न बढ़ते हुए आपको सिर्फ एक दो विषय जो महत्वपूर्ण हैं, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। वह धर्मांतरण का प्रमाणपत्र भी निर्धारित प्रारूप में जारी करेंगे। धर्मांतरण का प्रमाणपत्र जारी करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी एक रजिस्टर रखकर उन सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। मैंने आपको बताया कि बस्तर जैसी जगह में जहां धर्मांतरण के कारण इतने विवाद हो रहे हैं, वहां जो सरकारी रिकॉर्ड है, वह क्या कहता है? वह जो प्राधिकृत अधिकारी है, वह उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, यह हम लोगों ने यहां पर लिखा है। ऐसे ही सारे लोग जो धर्मांतरणकर्ता हैं, अगर वह धर्मांतरणकर्ता हैं तो वह स्वयं भी अपना पंजीयन कराकर रखेंगे। कोई विवाह हो रहा है, दूसरे-दूसरे धर्म में विवाह हो जा रहा है। फिर यह माना जाएगा कि भाई यह विवाह के आधार पर ही धर्मांतरण हो गया तो यह संभव नहीं है। अभी हमारे पास विवाह के लिए वैसे प्रावधान नहीं हैं कि उस पर काम तुरंत ही किया जा सके, परंतु यह बात बड़ी स्पष्टता है कि विवाह ही धर्मांतरण का आधार नहीं होगा। किसी ने विवाह कर भी लिया तो पुनः धर्मांतरण के लिए उसको इसी प्रक्रिया पर जाना ही पड़ेगा,

इस प्रक्रिया के बिना धर्मांतरण संभव नहीं होगा। इसके समय है, टाइम लिमिट है, इतने दिनों में यह होगा, इतने दिनों में यह होगा। मैं आपको एक बात पढ़कर सुनाना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो धर्मांतरण में सहायता करता है, उसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से निर्धारित प्रारूप में जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, पंजीयन हेतु अपना विवरण प्रदान करना होगा, जो इस आशय का अभिलेख करेगा। उसको प्राधिकृत अधिकारी को विहित प्रारूप में अपना आवेदन देकर करना ही पड़ेगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो वह धर्मांतरण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, अगर किसी ने किया है तो वह पंजीकृत होगा, वह धर्मांतरण जरूर करवा सकता है, परंतु उसको इस धर्मांतरण के लिए परीक्षण करवाने की आवश्यकता है। उसको इसका परीक्षण जरूर करवाना पड़ेगा। प्राधिकृत अधिकारी उसका परीक्षण करवाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण में सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 60 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसमें धर्मांतरितों की पूरी जानकारी और धनराशि कहां से आई, इसकी भी पूरी जानकारी उसको देनी पड़ेगी। वह धर्मांतरण आदि-आदि के लिए जो भी राशि का उपयोग करते होंगे, उसकी पूरी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। अपराधी को सहयोग करने वाला भी इसमें अपराधी माना जाएगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। एक और बहुत विशेष बात है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप इस पर जरूर ध्यान दें कि न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त अभियुक्त को अवैध धर्मांतरण के पीड़ित को उचित प्रतिकार देने का निर्देश देगा। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति है जो धर्मांतरण कर रहा है, धर्मांतरण के लिए आवेदन आ गया, कोई धर्मांतरणकर्ता भी है और वह व्यक्ति जो धर्मांतरण कर रहा है, जब यह स्पष्ट होता है कि यह किसी प्रलोभन, किसी दबाव, किसी डर के कारण धर्मांतरण कर रहा है तो उसको प्रतिकार देना पड़ेगा, जो धर्मांतरणकर्ता है उसको राशि वापस करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी और यह 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। जिसका धर्मांतरण हो रहा है, उसको पीड़ित मानकर यह प्रावधान रखा गया है कि उस व्यक्ति को इतनी राशि देने की आवश्यकता होगी। हमारे इस अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो पहली बार ही नियमों के माध्यम से सबके बीच में आ रहे हैं। इसमें अन्वेषण के लिए भी प्रावधान है कि SI अथवा उससे ऊपर के ही अधिकारी इसका अन्वेषण करेंगे। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसके बारे में यह पता चला है कि यह कुछ गड़बड़ कर रहे थे और एल्योरमेंट या थ्रेट के कारण धर्मांतरण करवा रहे थे। जब यह कोर्ट में जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा, यह पुलिस पर नहीं होगा। इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। न्यायालय के संदर्भ में माननीय अजय चंद्राकर जी की चिंता थी कि इसमें आर्थिक भार पड़ेगा तो आर्थिक भार कहीं नहीं आने वाला है। जो एक्जिस्टिंग न्यायालय है, उसको ही हाई कोर्ट के माध्यम से नोटिफाई कराया जाएगा कि इन न्यायालयों में इसकी सुनवाई होगी। और भी

बहुत सारी विशेष बातें हैं, परंतु हमारे प्रावधान में कुल-मिलाकर यही है कि यदि आप दंड के प्रावधान के बारे में कहेंगे तो दंड के प्रावधान में भी सभी के लिए व्यवस्था है। जैसे कोई सामान्य अवैध धर्मांतरण होता है तो 7 से 10 वर्ष तक कारावास है और 5 लाख रुपए तक न्यूनतम जुर्माना है, दोनों या दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है। विशेष श्रेणी अर्थात महिला है, एस.टी. है, एस.सी. है, ओ.बी.सी. है, नाबालिग है या कोई विकलांग है, विक्षिप्त है तो उसके लिए भी 10 से 20 वर्ष तक कारावास हो सकता है और उस पर जो न्यूनतम दंड हो सकता है वह 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। अवैध सामूहिक धर्मांतरण करा रहे हैं तो इस पर उनको 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और उसमें न्यूनतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना है। (मेजों की थपथपाहट) यदि लोक सेवक द्वारा अपराध किया जा रहा है तो उसको भी 10 से 20 वर्ष तक कारावास है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अभी चिंता की जा रही थी कि बहुत सारे लोग जो सरकारी कामों में भी व्यस्त हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, फिर भी इस काम में लगे रहते है तो उनके लिए भी इसमें बड़े स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। मौद्रिक लाभ देते हैं, जैसे धर्मांतरण हेतु अगर धन का लेन-देन स्पष्ट होता है तो 10 से 20 साल तक कारावास है और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना है। भय या विस्फोटक या किसी भी तरीके से डराकर धर्मांतरण किया जा रहा है तो इसमें 10 से 20 वर्ष तक का कारावास है और न्यूनतम 30 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यदि पुनरावृत्ति होती है अर्थात् यदि एक व्यक्ति एक बार दोषी पाया गया और फिर से वह दोबारा दोषी पाया जाता है तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यह हमारे प्रावधान में है। (मेजों की थपथापाहट) अन्य कुछ और दंड के प्रावधान हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि हमने प्रैक्टिकली इन सारी बातों को देखा कि किस तरीके से बस्तर में प्रशासन के पास भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है जबकि सन् 1968 के एक्ट में इस बात का बहुत स्पष्टता से प्रावधान है कि अगर कोई धर्मांतरित करता है तो प्रशासन को उसको सूचना देनी है, लेकिन सूचना देने की चिंता किसी को नहीं है। बस्तर में किस तरीके से गांव-गांव में, सरगुजा में किस तरीके से गांव-गांव में इस तरह की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से हैं, वह स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं, उनको स्वयं इस बात का ध्यान है कि कितना परिवर्तन हो चुका है और परिवर्तन होता है तो सारी ही चीजों से, माटी से, स्थानीय भगवान से, स्थानीय देवता से, अपने लोगों से सबसे मोह हट जाता है, उनका सबसे प्रेम टूट जाता है, वह कुछ इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे भारत उनका देश नहीं है और इसलिए भारत से उनको प्रेम नहीं है, वे कुछ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। इन सारी ही प्रक्रियाओं को देखकर जिन अधिकतम प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता थी। देश के अनेक प्रदेशों से इस बात को समझकर, चिंता कर, अनेक विद्वानों से इस बात के लिए समय लेकर, उनसे आग्रहपूर्वक राय लेकर और हमारे बहुत सारे सदस्यों की राय लेकर यह प्रावधान लाया गया है। सभापति महोदय, मेरा आपसे और पूरे सदन से विनम्र निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए आने वाले समय में एक ऐसे

कानूनी प्रावधान को लाने के लिए जिससे समाज में स्थिरता आ सके, इसको हमें पास करना चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि आज आधे घण्टे की चर्चा जिस विषय पर रखी गयी है, उसके भारसाधक मंत्री अनुपस्थित हैं और वह किसी विशेष कार्य से बाहर हैं। मेरा सदन से आग्रह है कि उसे आगामी सत्र में लिया जाये ताकि उसमें विस्तार से चर्चा हो सके।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के एक बड़े घोटाले के विषय पर यह चर्चा रखी गयी थी। माननीय मंत्री जी द्वारा पूर्ववर्ती समय में प्रश्नोत्तरी में गलत जवाब दिया गया था, जिसमें आधे घण्टे की चर्चा आहूत की गयी थी। आज भारसाधक मंत्री नहीं हैं। मैं भी समझता हूं कि विषय गंभीर है लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया है। अब आप भी इसमें सहयोग करिये। कार्यसूची के पद क्रम 7, नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा को आगामी सत्र में चर्चा हेतु लिया जायेगा। इसका कारण मंत्री जी ने बता दिया है और आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 20 मार्च, 2026 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(6 बजकर 39 मिनट पर बजे विधान सभा शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1947) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)

सचिव

दिनांक : 19 मार्च, 2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं